....पढ़ें सिर्फ उतना, सेलेक्शन के लिए ज़रूरी है जितना !

वर्ष 3 : अंक 36 : जनवरी 2025 : मूल्य ₹100/-

संस्कृति IAS

करेंट अप-टू-डेट

मासिक करेंट अफेयर्स संकलन

आज़ादी का अमृत महोत्सव

75 YEARS OF THE ADOPTION OF THE CONSTITUTION OF INDIA

G20 BRASIL 2024

BUILDING A JUST WORLD AND A SUSTAINABLE PLANET

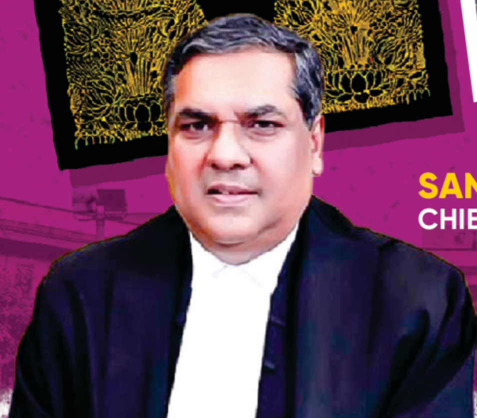

SANJIV KHANNA
CHIEF JUSTICE OF INDIA

DONALD TRUMP
U.S. PRESIDENT

- महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं का सार-संग्रह (योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, ई.पी.डब्ल्यू., साइंस रिपोर्टर)
- सीसैट एवं निबंध
- क्विक रिवीज़न

हिंदी माध्यम

संस्कृति IAS

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

Distance Learning Programme DLP

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम की विशेषताएँ

- ☑ यह कार्यक्रम ऐसे विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर तैयार (डिज़ाइन) किया गया है, जो किन्हीं वजहों से हमारे कक्षा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं।
- ☑ दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम की अध्ययन सामग्री प्रकृति में सरल, संक्षिप्त, प्रामाणिक और परीक्षोन्मुखी है। इसे हिंदी माध्यम की सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों की टीम के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में अनुभवी एवं प्रतिबद्ध कॉन्टेंट राइटर्स द्वारा तैयार किया गया है।
- ☑ सिविल सेवा परीक्षा के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री इस तरह से तैयार की गई है कि कोई भी टॉपिक छूटने न पाए, अर्थात् अध्ययन की सरलता हेतु सभी अध्यायों में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का उचित समावेश किया गया है।
- ☑ अध्ययन सामग्री को पैराग्राफ्स, बुलेट फॉर्म, सारणी, मानचित्र एवं फ्लोचार्ट के माध्यम से उपयोगी एवं सरल बनाया गया है।

Fee Details

IAS Prelims	₹ 9,000
IAS Mains	₹ 12,000
IAS Prelims + Mains	₹ 14,000
IAS Optional History	₹ 6,000
IAS Optional Geog.	₹ 6,000

प्रिलिम्स अध्ययन सामग्री
25 Booklets

मेन्स अध्ययन सामग्री
27 Booklets

प्री.+मेन्स अध्ययन सामग्री
35 Booklets

For Demo

636, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 | 9555 124 124 | sanskritiias.com

# संस्कृति करेंट अप-टू-डेट

वर्ष 3 | अंक 36 | जनवरी 2025 | ₹100

प्रधान संपादक

अखिल मूर्ति

परामर्शदाता मंडल

अमित कुमार सिंह, ए.के. अरुण, सीबीपी श्रीवास्तव, कुमार गौरव, के.पी. द्विवेदी, राजेश मिश्रा, रीतेश आर. जायसवाल

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

शिवेश मिश्रा

संपादक

सुशील शिवनाथ

विज़ुअलाइज़ेशन

मो. साजिद सैफी

संपादकीय परामर्श

मनोज कुमार, अजेंद्र कुमार सिंह, पंकज तिवारी, पुनीत पाल, शिव कुमार चौबे

संपादन सहयोग

अभिषेक शुक्ल

लेखन एवं संकलन

अभिजित मिश्र, रुचिका शर्मा, विपिन चौधरी, मिकलेश कुमार, देवराज सिंह, प्रीति गुप्ता, हरिशंकर, ऋषि कुमार शर्मा

प्रूफरीडिंग सहयोग

कमलेश पाण्डेय, जय नारायण व्यास, रेनू

टाइपसेटिंग और डिज़ाइनिंग

तनवीर खान, संतोष झा, जसवीर सिंह, शेखर फुलारा, अमित कुमार, गुलफाम, हेम राज

संपादकीय पत्र व्यवहार

संपादक
संस्कृति करेंट अप-टू-डेट
संस्कृति पब्लिकेशन्स
E-mail: sushilnathkumar@gmail.com
636, भू-तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

- इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि संपादक या प्रकाशक का दृष्टिकोण भी वही हो। हमारी कोशिश यही रहती है कि विभिन्न विचारधाराओं वाले लेखकों के लेख शामिल करें, ताकि पाठकों को किसी विषय पर अलग-अलग दृष्टिकोण मिल सकें।
- इस पत्रिका में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किए गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिए ज़िम्मेदार नहीं है।
- हम विश्वास करते हैं कि इस पत्रिका में छपे लेख लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखे गए हैं। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो लेखक को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।
- सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।
- © कॉपीराइट : संस्कृति पब्लिकेशन्स, सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपिकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानांतरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।

पत्रिका की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों व सुझावों के लिए संपर्क (WhatsApp) करें – 8800873762 (सुशीलनाथ कुमार)

वितरण, विज्ञापन एवं पत्रिका के सब्सक्रिप्शन के लिए संपर्क (WhatsApp) करें – 7428085757 (नरेंद्र प्रताप)

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक अखिल मूर्ति द्वारा
636, भू-तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09 से प्रकाशित एवं
एस.के. इंटरप्राईज़ेज, प्लॉट न. 92/6/2 एवं 92/15, रोड न.-1,
मुंडका उद्योग नगर (साउथ साइड) इंडस्ट्रियल एरिया,
नई दिल्ली-110041 से मुद्रित।

इस अंक में

संपादकीय 8

करेंट अफेयर्स 9–118

राजव्यवस्था एवं शासन 9–30

भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश 9

भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 11

संविधान के 75 वर्ष 11

अल्पसंख्यक संस्थानों पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 13

सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध 15

वाहन लाइसेंस व्यवस्था पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 17

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 18

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग 21

निजता का अधिकार 22

भर्ती प्रक्रिया में बदलाव पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 23

विकिमीडिया फाउंडेशन और विकिपीडिया 24

सिविल डेथ एवं संबंधित मुद्दे 26

भारत में कालाज़ार 27

विश्व शौचालय दिवस एवं भारत में स्वच्छता की स्थिति 29

केंद्रीय हिंदी समिति 30

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 31–42

G20 शिखर सम्मेलन 31

भारत-जर्मनी संबंध 34

भारत-स्पेन संबंध 37

भारत-नाइजीरिया संबंध 40

भारत-जापान यूनिकॉर्न मस्तूल समझौता 42

मेट्स योजना 42

आर्थिक घटनाक्रम 43–46

मुद्रास्फीति आँकड़े जारी करने के समय में परिवर्तन 43

ग्लोबल एक्सेस टू न्यूट्रिशन इंडेक्स और भारत 44

एसेट रिकवरी इंटरएजेंसी नेटवर्क-एशिया पैसिफिक 45

बीमा सुगम 45

RBI द्वारा KYC निर्देशों में संशोधन 46

भारत ब्रांड योजना 46

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 47–55

GSAT-N2 सैटेलाइट 47

प्लैनिटेरी परेड 48

एवियन बोटुलिज़्म 49

कण त्वरक 49

ऑस्टियोपोरोसिस 50

एनालॉग अंतरिक्ष मिशन 51

TOI-6651b 52

हाशिमोटो 52

FK-4000 वायु रक्षा प्रणाली 53

हाइपोक्सिक-इस्केमिक एन्सेफैलोपैथी 54

उच्च रक्तचाप के खिलाफ दवाओं का संयोजन 54

वन डे वन जीनोम 55

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 56-63

वन्य एवं वन्यजीव 56-57

गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिज़र्व 56

ब्रायोस्पिलस भरतिकस 56

डिक्लिप्टेरा पॉलीमोर्फा 57

जलवायु परिवर्तन 57-63

COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन 57

COP16 : जैव-विविधता अभिसमय 60

भारत में प्रकृति पुनर्स्थापन कानून की मांग 62

भूगोल 64-66

भू-भौतिकी घटनाएँ 64-65

DANA मौसमी घटना एवं परिणाम 64

अल-जौफ क्षेत्र 65

चर्चित स्थल 66

माउंट लेवोटोबी लाकी-लाकी 66

स्कारबोरो शोल 66

चर्चित समुदाय 66

थाडौ समुदाय 66

कृषि 67-71

ग्रामीण भारत में श्री अन्न का कायाकल्प 67

भारत एवं विश्व मत्स्यन की स्थिति 69

मत्स्यपालन में ड्रोन प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग 70

पोल्ट्री क्षेत्र में प्रथम जीन प्रोफाइल अध्ययन 71

उद्योग 72-74

उद्योगों को पर्यावरणीय मंजूरी से छूट 72

कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों का विनियमन 72

अवसंरचना 75-76

CO_2 कैप्चर संयंत्र एवं CO_2-से-मेथनॉल संयंत्र 75

इतिहास, कला एवं संस्कृति 77-80

भारत में जनजातीय कल्याण की स्थिति 77

नोट्रेडेम कैथेड्रल 79

महासागर सूत्र 79

गुलाग संग्रहालय 79

इगास बग्वाल (Igas Bagwal) पर्व 80

रेजांग देवा महोत्सव 80

'हो' जनजातीय भाषा 80

सामाजिक मुद्दे 81-83

भारत में सतत् शहरी विकास में AI की भूमिका 81

वैश्विक शहरों की स्थिति एवं जलवायु कार्रवाई 82

डिजिटल जनसंख्या घड़ी 83

सामाजिक न्याय एवं कल्याण 84-86

अपराधी प्रबंधन के लिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली 84

स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन, 2024 रिपोर्ट 85

आंतरिक सुरक्षा 87-90

भारत में साइबर सुरक्षा की स्थिति 87

सागरमाला परिक्रमा 88

पिनाका रॉकेट प्रणाली 88

प्रोजेक्ट शौर्य गाथा 89

प्रथम महिला CISF बटालियन 89

भारत एनसीएक्स 2024 90

नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि **91-94**

स्वतंत्र इच्छा (Free Will) 91

केस स्टडी **93-94**

केस स्टडी-1 93

केस स्टडी-2 94

विविध **95-118**

राष्ट्रीय घटनाक्रम **95-96**

दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद् *95*

अंतरिक्ष अभ्यास, 2024 *95*

इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार, 2023 *95*

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम **96-97**

एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच *96*

रियाद शिखर सम्मेलन, 2024 *96*

रूस की परमाणु नीति 2.0 *97*

योजना एवं कार्यक्रम **97-99**

पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना *97*

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण *98*

सूचकांक एवं रिपोर्ट **99-100**

रूल ऑफ लॉ इंडेक्स *99*

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक *100*

महत्त्वपूर्ण मंत्रालय एवं संगठन **100-104**

भारतीय संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य सेवा आयोग *100*

अंतर्राष्ट्रीय संगठन **104-108**

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन *104*

महत्त्वपूर्ण पुस्तकें **108**

महत्त्वपूर्ण खेल घटनाक्रम **108**

महत्त्वपूर्ण दिवस **111**

महत्त्वपूर्ण पुरस्कार **112**

महत्त्वपूर्ण व्यक्ति एवं नियुक्तियाँ **114**

महत्त्वपूर्ण सम्मेलन एवं आयोजन **115**

महत्त्वपूर्ण शब्दावली **116**

महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं का सार **119-144**

योजना 119-125

कुरुक्षेत्र 126-132

डाउन टू अर्थ 132-137

इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली 137-139

साइन्स रिपोर्टर 139-144

निबंध उद्धरण **145**

क्विक रिवीज़न **146-162**

महत्त्वपूर्ण तथ्य : एक नज़र में 146-153

मानचित्र अध्ययन 154-155

प्रारंभिक परीक्षा आधारित प्रश्न 156-161

मुख्य परीक्षा आधारित प्रश्न 162

हिंदी माध्यम

संस्कृति IAS

संस्कृति पब्लिकेशन्स की प्रस्तुति

पुस्तकों की विशेषताएँ

1. परीक्षा के वर्तमान पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामाग्री
2. आवश्यक सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्रों के माध्यम से प्रस्तुतीकरण
3. विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षापयोगी बनाने पर विशेष बल

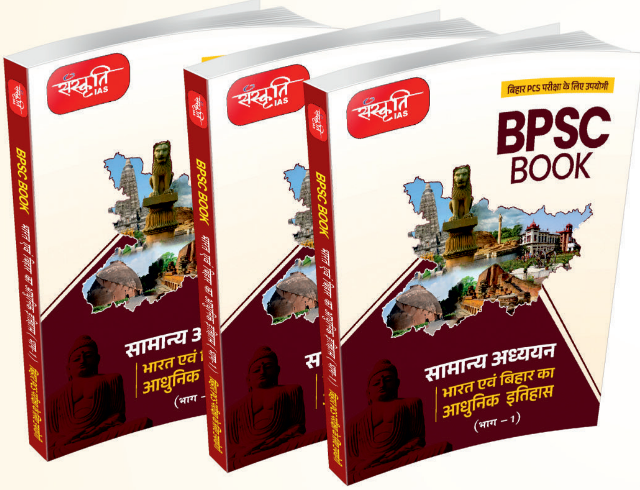

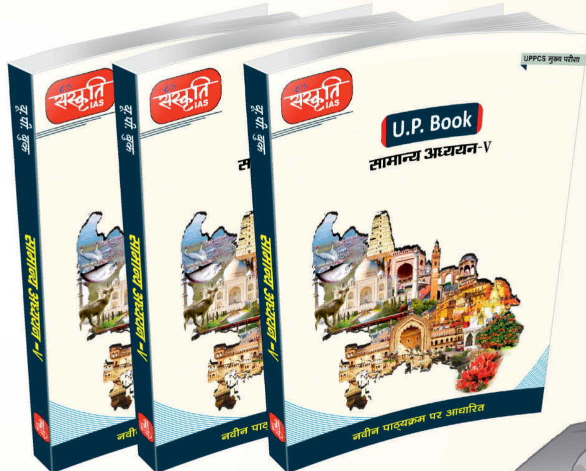

636, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 9555 124 124 sanskritiias.com

सतत् विकास के लिए लिंग संवेदीकरण

प्रिय विद्यार्थियो,

साल 2024 में प्रवेश करते ही हम 21वीं सदी की अगली तिमाही में प्रवेश कर गए थे। आने वाला वर्ष 2025 तीसरी सहस्राब्दी और 21वीं सदी का 25वाँ वर्ष तथा 2020 के दशक का 6ठा वर्ष होगा। ज़ाहिर है हम सब हर नए वर्ष की तरह इस वर्ष भी कई नए संकल्प लेंगे। यदि हम देश के प्रति अपना थोड़ा-सा भी कर्तव्य समझते हैं तो लिंग संवेदीकरण की प्रक्रिया को समझने और इसके प्रति जागरूक रहने का संकल्प भी ले सकते हैं।

21वीं सदी में सबने स्त्री-पुरुष समानता की खूब वकालत को देखा और सुना है। पिछले कुछ वर्षों में पूरा विश्व स्त्रियों के प्रति अपनी रूढ़ियों पर पुनर्विचार करने के प्रति सजग दिखाई दिया और इस उत्सुकता का व्यापक प्रभाव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साक्षात् दिखाई दिया। वहीं इसी वर्ष कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के एक इक्कतीस वर्षीय डॉक्टर के प्रति जघन्य अमानुषीय दुर्व्यवहार के साथ-साथ कई अन्य क्रूर घटनाएँ सामने आईं जिनके विरुद्ध बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए।

इसीलिए यह ज़रूरी भी है कि आने वाले समय में लिंग संवेदीकरण की प्रक्रिया पर अधिक ज़ोर दिया जाए। स्त्रियों के प्रति सामाजिक अन्याय को दूर करने और मानवीय क्षमताओं को विस्तृत करने के साथ-साथ सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिए लैंगिक संवेदनशीलता की बेहद आवश्यकता है क्योंकि लिंग संवेदीकरण की इसी प्रकिया के ज़रिए ही महिलाओं को व्यापक स्तर पर सशक्त बनाया जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा 'फोकस 2030' के अनुसार, अब तक कोई भी देश लैंगिक समानता हासिल नहीं कर पाया है और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसकी प्रगति की वर्तमान दर यदि यही रही तो दुनिया भर में लैंगिक समानता हासिल करने में 131 साल और लगेंगे।

आज के जागरूक और तर्कशील समय में जहाँ एक विचारशील वर्ग द्वारा नॉन-बाइनरी समाज स्थापित करने की आदर्श परिकल्पना की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, भारत में वर्ष 2021 में प्रतिदिन औसतन 86 बलात्कार के मामले दर्ज हो रहे हैं। हर घंटे महिलाओं के खिलाफ 49 अपराध दर्ज किए जा रहे हैं।

सोशल मीडिया के ज़रिए कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों के प्रति लोगों की समझ बढ़ी है। मगर आज के आधुनिक कहे जाने वाले समय में कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जिनके प्रति भारतीय समाज की सोच में बहुत कम बदलाव आया है। ऐसा ही एक मुद्दा स्त्री-पुरुष समानता का है।

लैंगिक समानता को हासिल करने का रास्ता 'लिंग संवेदीकरण' की प्रक्रिया से होकर गुज़रता है, व्यावहारिक तौर पर जिसकी शुरुआत करने के सटीक समय बचपन का वह दौर होता है जहाँ घर के सुरक्षित माहौल से बच्चा-बच्ची एक-साथ पल-बढ़ रहे होते हैं और अपने अड़ोस-पड़ोस के समान उम्र के बच्चों के साथ खेल-कूद रहे होते हैं। घर के परिवेश में जहाँ सीखने एवं समझने के कई मौके और कई सहूलियतें मिलती हैं, वहीं अभिभावकों द्वारा बच्चों के भीतर लिंग संवेदीकरण के प्रति संवेदनशीलता भी अंकुरित की जा सकती है।

लिंग संवेदनशीलता के लिए लिंग संवेदीकरण की प्रक्रिया में जहाँ पुरुषों और महिलाओं के लिए समानता को बढ़ावा देने की बात होती है, वहीं लिंग संवेदीकरण के ज़रिए ही पुरुषों व स्त्रियों के भीतर यह देखने का नज़रिया भी विकसित होता है कि उनके तथा सामने वाले जेंडर के लिए कौन-सी ऐसी रूढ़िवादी चीज़ें हैं जिन्हें खत्म करने की ज़रूरत है और कौन-सी वे चीज़ें हैं जो उनके भविष्य के लिए उचित हैं।

पूर्वाग्रहमुक्त तरीके से पूर्वाग्रहमुक्त भाषा का उपयोग करते हुए सार्थक बातचीत में शामिल होकर स्त्री-पुरुष दोनों लिंग संवेदीकरण की इस प्रक्रिया को सहज बना सकते हैं। मगर इसके लिए पहले उन्हें कई प्रकार के स्टीरियोटाइप्स को ध्वस्त करना होगा।

आज की युवा वर्ग की सोच कुछ हद तक बदली है। मगर यह बदलाव इतना व्यापक नहीं हो पाया है कि सामाजिक परिस्थितियों में आमूल-चूल परिवर्तन हो सके। इसीलिए, लिंग संवेदनशीलता के इस संदर्भ में पुरुष का स्त्री तत्त्व अधिक मज़बूत होकर अपनी दखल देने की मांग करता है, खासकर उन कार्यस्थलों में जहाँ स्त्री-पुरुष कर्मचारियों का अनुपात असमान है।

हमारे पुराणों में दर्ज अर्द्धनारीश्वर की वह अवधारणा, जिसके अंतर्गत सभी मनुष्यों के भीतर पुरुषोचित और स्त्रीयोचित ऊर्जाओं की अविभाज्यता (यानी विभाजित न हो सकने का गुण-धर्म को प्रदर्शित करती है) दर्शाई गई जो सामाजिक मानदंडों एवं दोयामी वर्गीकरणों की सीमाओं से परे है, को अपनाने की मांग करती है। उसे अपनाकर लिंग संवेदनशीलता का व्यापक स्तर पर प्रचार व प्रसार किया जा सकता है। इसी सोशल मीडिया के माध्यम से जो मनुष्य की बेहतरी के लिए ही बना है और उसी रूप में उसका प्रयोग भी किया जाना चाहिए।

शुभकामनाओं सहित

AMurti

(अखिल मूर्ति)

करेंट अफेयर्स

राजव्यवस्था एवं शासन

भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश

संदर्भ

11 नवंबर, 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। इन्होंने मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ का स्थान लिया। न्यायमूर्ति खन्ना 13 मई, 2025 को अपने पद से सेवानिवृत्त होंगे।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के बारे में

- न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का जन्म मई 1960 को दिल्ली में हुआ था। इनके पिता देव राज खन्ना दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे हैं।
    - इनके चाचा न्यायमूर्ति हंस राज खन्ना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। इन्होंने वर्ष 1977 में आपातकाल के दौरान व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वकालत की थी, जिसके कारण वरिष्ठता के बावजूद इन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं नियुक्त किया गया था।
- जनवरी 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। जून 2023 से दिसंबर 2023 तक सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष रहे।

मुख्य न्यायाधीश से संबंधित महत्त्वपूर्ण तथ्य

- **नियुक्ति :** संविधान का अनुच्छेद 124 (2) राष्ट्रपति को 'अन्य न्यायाधीशों के परामर्श से निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के अनुसार' अगले मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है।
    - परंपरा के अनुसार, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा सुझाया गया उत्तराधिकारी प्रायः सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता है।
    - हालाँकि, यह परंपरा दो बार टूट चुकी है।
        - वर्ष 1973 में न्यायमूर्ति ए.एन. रे को तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों के स्थान पर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।
        - वर्ष 1977 में न्यायमूर्ति हंस राज खन्ना की जगह न्यायमूर्ति मिर्ज़ा हमीदुल्लाह बेग को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।
- **कार्यकाल :** एक बार नियुक्त होने के बाद मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं।
    - संविधान में कार्यकाल की कोई निश्चित पदावधि निर्धारित नहीं की गई है।
    - इन्हें केवल संसद द्वारा निश्चित पदच्युत प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है।
- **शपथ/प्रतिज्ञान :** मुख्य न्यायाधीश को अपना कार्यभार संभालने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित शपथ लेनी होती है–
    - भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा।
    - भारत की प्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा।
    - अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान एवं विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूँगा।
    - संविधान एवं विधियों की मर्यादा बनाए रखूँगा।
- **वेतन एवं भत्ते :** मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश व पेंशन का निर्धारण समय-समय पर संसद द्वारा किया जाता है।
    - वित्तीय आपातकाल के दौरान इनको कम किया जा सकता है।
    - वर्ष 2018 में मुख्य न्यायाधीश का वेतन प्रतिमाह 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.80 लाख रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है।
    - इसके आलावा अन्य भत्ते, निःशुल्क आवास और अन्य सुविधाएँ (जैसे– चिकित्सा, कार, टेलीफोन आदि) भी मिलती हैं।
    - सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन एवं भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्यों की संचित निधि पर तथा पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है।
- **कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश :** राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, यदि;
    - मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो।
    - अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो।
    - मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ हो।
- **पदच्युत प्रक्रिया :** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जो मुख्य न्यायाधीशों पर भी लागू होती है।

- **अनुच्छेद 124(4) :** उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि राष्ट्रपति द्वारा पारित आदेश के पश्चात् संसद के प्रत्येक सदन द्वारा, उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा, सिद्ध कदाचार (महाभियोग द्वारा) या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाने के लिए उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष अभिभाषण प्रस्तुत न कर दिया गया हो।

- **महाभियोग प्रक्रिया :** न्यायाधीश जाँच अधिनियम (1968) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है–
  - राष्ट्रपति के निष्कासन का प्रस्ताव 100 सदस्यों (लोक सभा) या 50 सदस्यों (राज्य सभा) द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद अध्यक्ष/सभापति को दिया जाना चाहिए।
  - यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो अध्यक्ष/सभापति द्वारा इसकी जाँच के लिए तीन-सदस्यीय समिति गठित की जाती है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एवं प्रतिष्ठित न्यायवादी होते हैं।
  - यदि समिति न्यायाधीश को दुर्व्यवहार का दोषी या असक्षम पाती है तो सदन इस प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। विशेष बहुमत से दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जाता है।
  - अंत में राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी कर देते हैं।
    - अभी तक किसी मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया है।

- **कार्यवाहक राष्ट्रपति का दायित्व :** राष्ट्रपति (कार्य निर्वहन) अधिनियम, 1969 में निर्दिष्ट है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे।
  - न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने।

- **कार्य :** भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 और वर्ष 1966 के सर्वोच्च न्यायालय के प्रक्रिया नियम के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश को अन्य न्यायाधीशों को मामले/कार्य आवंटन का अधिकार होता है।

- मुख्य न्यायाधीश को 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' (Master of the Roster) और 'समकक्षों में प्रथम' (First Among Equals) कहा जाता है।
  - 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' के अपने कार्य के रूप में, मुख्य न्यायाधीश न्यायालय की विभिन्न पीठों को मामले आवंटित करते हैं और संविधान पीठ बनाने के लिए न्यायाधीशों का चयन करते हैं, जो कानून के महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेते हैं।
  - मुख्य न्यायाधीश 'समानों में प्रथम' हैं, जिसका अर्थ है कि न्यायिक पक्ष में मुख्य न्यायाधीश के पास किसी भी अन्य न्यायाधीश के समान शक्ति है, जबकि प्रशासनिक पक्ष में मुख्य न्यायाधीश के पास अन्य न्यायाधीशों से अधिक कुछ अन्य शक्तियाँ प्राप्त हैं।

- इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश 'भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय' के वास्तविक कुलपति (De Facto Chancellor), राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल के अध्यक्ष होते हैं।

- **वरीयता सूची में स्थान :** भारत में वरीयता क्रम की सूची में भारत के मुख्य न्यायाधीश को छठे स्थान पर लोक सभा अध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से रखा गया है।
  - वरीयता क्रम सूची राष्ट्रपति सचिवालय के माध्यम से स्थापित की जाती है और गृह मंत्रालय द्वारा बनाए रखी जाती है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित महत्त्वपूर्ण तथ्य

- **ब्रिटिश भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश :** सर मौरिस लिनफोर्ड ग्वायेर (1937-43)
- **स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश :** न्यायमूर्ति हरिलाल जे. कानिया (1947-51)
- **भारत के द्वितीय मुख्य न्यायाधीश :** न्यायमूर्ति एम. पतंजलि शास्त्री (1951-54)
- **सबसे लंबा कार्यकाल (13 वर्ष) :** न्यायमूर्ति यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ (16वें) (1972-1985)
- **सबसे छोटा कार्यकाल (17 दिन) :** कमल नारायण सिंह (22वें) (25 नवंबर, 1991 से 12 दिसंबर, 1991 तक)

संबंधित अनुच्छेद

- **अनुच्छेद 124 (1) :** सर्वोच्च न्यायालय के गठन में मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख
- **अनुच्छेद 124 (2) :** मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
- **अनुच्छेद 124 (4) :** मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख
- **अनुच्छेद 124 (6) :** राष्ट्रपति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान
- **अनुच्छेद 124 (7) :** भारत के राज्यक्षेत्र में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष वकालत पर रोक
- **अनुच्छेद 125 :** न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ते
- **अनुच्छेद 126 :** कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
- **अनुच्छेद 145 :** मुख्य न्यायाधीश को अन्य न्यायाधीशों को मामले/काम आवंटित करने का अधिकार

भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

संदर्भ

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश कैडर के आई.ए.एस. अधिकारी के. संजय मूर्ति को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) नियुक्त किया है। के. संजय मूर्ति शिक्षा मंत्रालय में सचिव थे। इन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) : संवैधानिक प्रावधान

- संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार, भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। यह भारतीय लेखा परीक्षण एवं लेखा विभाग का प्रमुख होता है।
- यह लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ ही देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। इसका नियंत्रण केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर होता है।
- अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के पद से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का वर्णन किया गया है।
- **नियुक्ति एवं पदच्युति :** CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उन्हें उनके पद से केवल उसी प्रक्रिया एवं आधारों पर हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। CAG अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं।
- **कार्यकाल :** 6 वर्ष या 65 वर्ष (इनमें से जो भी पहले हो)
- **शपथ :** CAG पदग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस नियुक्त प्रतिनिधि के समक्ष तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेते हैं।
- **अन्य पद पात्रता :** नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदच्युति के बाद केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद का पात्र नहीं होते हैं।
- **वेतन एवं सेवा शर्तें :** CAG का वेतन एवं सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो संसद, विधि द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
- वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन 2 लाख, 50 हज़ार रुपए प्रतिमाह है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होता है।
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन एवं उसके कार्यालय के सभी प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।

कर्तव्य एवं शक्तियाँ

संसद व संविधान द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निम्नलिखित कार्य और कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं–

- भारत एवं प्रत्येक राज्य व विधान सभा वाले केंद्र-शासित प्रदेशों की संचित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा से सभी व्यय का लेखा परीक्षण।
- केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के किसी विभाग द्वारा सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण लाभ व हानि लेखाओं, तुलन पत्रों और अन्य अनुषंगी लेखाओं का लेखा परीक्षण।
- वह निम्नांकित प्राप्तियों एवं व्ययों का भी लेखा परीक्षण करता है–
  - ऐसे सभी निकाय एवं प्राधिकरण, जिन्हें केंद्र या राज्य सरकारों से अनुदान मिलता है।
  - सभी सरकारी कंपनियाँ
  - अन्य निगमों एवं निकायों का लेखा परीक्षण
- वह ऋण, निक्षेप निधि, जमा, अग्रिम, बचत खाता और धन प्रेषण व्यवसाय से संबंधित केंद्रीय व राज्य सरकारों के सभी लेनदेनों का लेखा परीक्षण करता है।
- वह राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं का भी लेखा परीक्षण करता है। उदाहरण के लिए, स्थानीय निकायों का लेखा परीक्षण।
- वह किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण एवं प्रमाणन करता है तथा उसका प्रमाण-पत्र अंतिम होता है। वह संसद की लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।
- CAG राष्ट्रपति को तीन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है–
  - विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट
  - वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट
  - सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट

इसे भी जानिए!

- ब्रिटिश भारत के पहले महालेखा परीक्षक सर एडमंड ड्रमंड थे। वे 16 नवंबर, 1860 से 31 मार्च, 1862 तक इस पद पर रहे। वी. नरहरि राव भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) थे।
- गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के पहले ऐसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे जिनको एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थाओं के संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।

संविधान के 75 वर्ष

संदर्भ

भारत सरकार ने देश के संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले समारोह की शुरुआत की है। यह समारोह संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर, 2024 से शुरू हुआ। यह समारोह 'हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान' अभियान के तहत आयोजित किया जा रहा है।

संविधान दिवस, 2024 के बारे में

- **शुरुआत :** 19 नवंबर, 2015
- **आयोजन :** सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
- **उद्देश्य :** नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना
- **26 नवंबर का महत्त्व :** भारत की संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर, 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया था।
- **विशेष वेबसाइट (constitution75.com) :** संविधान की विरासत से नागरिकों को परस्पर संवाद गतिविधियों एवं संसाधनों के माध्यम से जोड़ने के लिए एक समर्पित वेबसाइट constitution75.com का उद्घाटन किया गया।
- **प्रस्तावना का पाठन :** 26 नवंबर, 2024 को स्कूल, दफ्तर, शहरों से लेकर गाँवों तक पूरे देश में लाखों लोगों ने एक साथ संविधान की प्रस्तावना का पाठन किया।

26 नवंबर, 2024 को संसद में उद्घाटित कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ

- भारतीय संविधान की महिमा, इसके निर्माण एवं ऐतिहासिक यात्रा को समर्पित लघु फिल्म की प्रस्तुति।
- भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगाँठ को समर्पित एक स्मारक सिक्का एवं डाक टिकट जारी।
- 'भारत के संविधान का निर्माण : एक झलक' और 'भारत के संविधान का निर्माण एवं इसकी गौरवशाली यात्रा' शीर्षक पुस्तकों का विमोचन।
- भारतीय संविधान का संस्कृत भाषा में विमोचन।
- भारतीय संविधान का मैथिली भाषा में विमोचन।

हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान अभियान के बारे में

- **उद्घाटन :** 24 जनवरी, 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा नई दिल्ली में।
- **उद्देश्य :** भारतीय समाज को आकार देने में संविधान के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में शिक्षित करना।
- गणतंत्र के रूप में भारत के 75वें वर्ष के अवसर पर 'हमारा संविधान, हमारा सम्मान' अभियान वर्ष 2047 तक विकसित भारत की कल्पना का समर्थन करता है।
- यह नागरिकों को संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने, लोकतांत्रिक सिद्धांतों का सम्मान करने और देश के भविष्य को आकार देने वाली कानूनी एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है।

भारतीय संविधान के बारे में महत्त्वपूर्ण तथ्य

- **कुल अनुच्छेद :** संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे, हालाँकि वर्तमान में 106 संशोधनों के पश्चात् अनुच्छेदों की संख्या 470 (किंतु संवैधानिक गणना में 395 ही है) हो गई है, जिन्हें 25 भागों (मूल रूप से 22) और 12 अनुसूचियों (मूल रूप से 8) में विभाजित किया गया है।
- **संविधान निर्माण अवधि :** 9 दिसंबर, 1946 से 26 नवंबर, 1949 तक (2 वर्ष, 11 माह एवं 18 दिन)
- **पूर्ण रूप से संविधान लागू होने की तिथि :** 26 जनवरी, 1950
- **संविधान के जनक :** डॉ. भीमराव आम्बेडकर
- **संविधान के लेखक :** प्रेम बिहारी नारायण रायजादा (हिंदी एवं अंग्रेज़ी में दो मूल प्रतिलिपियाँ)
- **संविधान के चित्रकार :** नंद लाल बोस
- **मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना :** केशवानंद भारती वाद (1973)
- भारतीय संविधान सभा में मूलत: 15 महिलाएँ, 26 अनुसूचित जाति एवं 33 अनुसूचित जनजाति के सदस्य शामिल थे।
  - बाद में 3 महिलाएँ पाकिस्तान चली गई थी।

अभियान का लक्ष्य

- **संविधान की जागरूकता बढ़ाना :** यह अभियान नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व के मूल्यों को समझने में मदद करता है जिन्हें संविधान बढ़ावा देता है।
  - क्षेत्रीय कार्यक्रमों, कार्यशालाओं एवं सेमिनारों के माध्यम से यह अभियान प्रत्येक पृष्ठभूमि के लोगों तक इस आवश्यक ज्ञान की पहुँच सुनिश्चित करेगा।
- **कानूनी अधिकारों एवं कर्तव्यों को बढ़ावा देना :** यह अभियान लोगों को भारतीय संविधान के तहत उनके कानूनी अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करने के लिए बनाया गया है।
- **उप-अभियान एवं विषयगत पहल :** मुख्य अभियान के अतिरिक्त, संवैधानिक ज्ञान एवं लोकतांत्रिक भागीदारी के विशिष्ट पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तीन प्रमुख उप-विषय शुरू किए गए :
  - **सबको न्याय, हर घर न्याय :** यह उप-अभियान यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि न्याय हर नागरिक के लिए सुलभ हो। यह नागरिकों के लिए न्याय पाने के लिए मौजूद कानूनी तंत्रों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है।
  - **नव भारत, नव संकल्प :** इसका उद्देश्य नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों का सम्मान एवं संरक्षण करके प्रगतिशील व समावेशी राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने के लिए नया संकल्प पैदा करना है।

- **विधि जागृति अभियान :** इसका उद्देश्य लोगों को, विशेषकर ग्रामीण एवं उपेक्षित क्षेत्रों में, उनके कानूनी अधिकारों और उन्हें प्राप्त करने के तरीकों के बारे में शिक्षित करना है, जिसमें सामाजिक कल्याण लाभ, सकारात्मक कार्रवाई नीतियाँ और उपेक्षित समुदायों के लिए कानूनी सुरक्षा शामिल है।

क्षेत्रीय कार्यक्रम

- इस अभियान के क्षेत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत मार्च 2024 में बीकानेर में हुई थी, जिसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने किया था।
  - उसके बाद प्रयागराज और गुवाहाटी में क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
- इन क्षेत्रीय कार्यक्रमों का उद्देश्य विविध समुदायों को शामिल करना और पूरे भारत, विशेष रूप से पूर्वोत्तर में, संविधान की समझ को बढ़ावा देना है।

निष्कर्ष

हमारा संविधान, हमारा सम्मान संविधान में निहित न्याय, समानता एवं स्वतंत्रता के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह अभियान न केवल कानूनी जागरूकता को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि गाँव से लेकर शहरी केंद्रों तक हर नागरिक को उनके अधिकारों की रक्षा करने के साधनों के साथ सशक्त भी बना रहा है।

अल्पसंख्यक संस्थानों पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 4:3 के बहुमत से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) की अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में मान्यता को बरकरार रखा है।
- सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने अपने हालिया निर्णय में एस. अज़ीज़ बाशा बनाम भारत संघ मामले में वर्ष 1967 में दिए गए अपने ही निर्णय को खारिज कर दिया है।

एस. अज़ीज़ बाशा बनाम भारत संघ वाद

- वर्ष 1967 में एस. अज़ीज़ बाशा बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने माना था कि AMU अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है।
- इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 का हवाला दिया जिसके माध्यम से इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी।
  - न्यायालय ने माना कि AMU मुस्लिम समुदाय द्वारा स्थापित तथा प्रशासित नहीं था जो संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय की संस्थापना से संबंधित अधिनियम में दो संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय दिया था।
  - इनमें से पहला संशोधन वर्ष 1951 में किया गया था जो गैर-मुस्लिमों को विश्वविद्यालय के सर्वोच्च शासी निकाय 'विश्वविद्यालय न्यायालय' (University Court) का सदस्य होने की अनुमति प्रदान करता था और विश्वविद्यालय के लॉर्ड रेक्टर की जगह भारत के राष्ट्रपति को विज़िटर नियुक्त करता था।
    - वर्ष 1951 के संशोधन अधिनियम के अनुसार, लॉर्ड रेक्टर AMU का सर्वोच्च अधिकारी था जिसके पास कार्यकारी परिषद्, अकादमिक परिषद् एवं विश्वविद्यालय न्यायालय को आदेश जारी करने का अधिकार था।
    - लॉर्ड रेक्टर की भूमिका यह सुनिश्चित करना था कि ब्रिटिश सरकार संस्थान पर नियंत्रण बनाए रखे।
    - इस संशोधन अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार के गवर्नर जनरल को लॉर्ड रेक्टर की उपाधि दी गई थी।
  - वर्ष 1965 के दूसरे संशोधन में AMU की कार्यकारी परिषद् की शक्तियों का विस्तार किया गया था, जिसका अर्थ था कि 'विश्वविद्यालय न्यायालय' अब सर्वोच्च शासी निकाय नहीं रहेगा।
- सरकार ने वर्ष 1981 में AMU अधिनियम में संशोधन किया जिसके अनुसार इसकी स्थापना मुस्लिम समुदाय द्वारा भारत में मुसलमानों की सांस्कृतिक एवं शैक्षिक उन्नति को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय

- वर्ष 2005 में AMU ने पहली बार स्नातकोत्तर चिकित्सा कार्यक्रमों में मुस्लिम छात्रों को 50% आरक्षण प्रदान किया।
- वर्ष 2006 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 'विश्वविद्यालय के आरक्षण आदेश' और 'वर्ष 1981 के संशोधन' दोनों को इस आधार पर रद्द कर दिया कि अज़ीज़ बाशा वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार AMU अल्पसंख्यक संस्थान नहीं था।
- इसके तुरंत बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। वर्ष 2019 में इस मामले को सात न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया गया था।

केंद्र सरकार का पक्ष

- केंद्र सरकार के अनुसार, AMU के पास कभी भी अल्पसंख्यक संस्थान का टैग नहीं था। साथ ही, वर्ष 1920 में एक शाही कानून के तहत AMU की स्थापना किए जाने के बाद इसका धार्मिक दर्जा समाप्त हो गया था और तब से मुस्लिम अल्पसंख्यक द्वारा इसका प्रशासन नहीं किया गया है।

- केंद्र के अनुसार, एस. अज़ीज़ बाशा बनाम भारत संघ एक केस विशिष्ट निर्णय था और इसका अन्य संस्थानों की अल्पसंख्यक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- केंद्र ने इस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि AMU को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किए जाने के बाद यह नौकरियों व प्रवेश में मुस्लिमों को छोड़कर अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण प्रदान नहीं करेगा।
  - इससे AMU के प्रशासनिक ढाँचे में परिवर्तन होगा। साथ ही, राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान होने के बावजूद इसमें अन्य ऐसे संस्थानों से अलग प्रवेश प्रक्रिया होगी।
- केंद्र ने तर्क दिया कि AMU जैसे बड़े राष्ट्रीय संस्थान को अपनी धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को बनाए रखना चाहिए और सर्वप्रथम राष्ट्र के व्यापक हित को पूरा करना चाहिए।

AMU का पक्ष

- वर्ष 1981 में AMU अधिनियम में संशोधन करते हुए यह उल्लेख किया गया कि यह विश्वविद्यालय 'भारत के मुसलमानों द्वारा स्थापित' किया गया था।
- याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि विश्वविद्यालय के प्रशासन का प्रभारी कौन है।
  - अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को संबंधित संस्थान की अल्पसंख्यक स्थिति को प्रभावित किए बिना प्रशासन का प्रभारी चुनने का अधिकार देता है।
- याचिकाकर्ताओं के अनुसार, एस. अज़ीज़ बाशा बनाम भारत संघ में न्यायालय का निर्णय विरोधाभासी था क्योंकि न्यायालय ने माना था कि विश्वविद्यालय की डिग्री वैध होने के लिए विश्वविद्यालय को एक कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।
  - हालाँकि, न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की थी कि किसी कानून द्वारा मान्यता दिए जाने से AMU का अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त हो जाएगा।
  - इस निर्णय को स्वीकार करने से कानून के तहत स्थापित अन्य अल्पसंख्यक संस्थानों का अल्पसंख्यक दर्जा प्रभावित होगा।
- AMU के अनुसार, केंद्र का तर्क अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारों को सुरक्षित रखने वाले संवैधानिक प्रावधान को नकारता है। साथ ही, अनुच्छेद 30 स्वयं उन समुदायों के अधिकारों को मान्यता देता है जिन्हें विशेष सुरक्षा की भी आवश्यकता है।
  - इसलिए, अनुच्छेद 15(5) द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को दी गई छूट समानता का अपवाद नहीं है बल्कि यह समाज के विभिन्न वर्गों की ज़रूरतों को संतुलित करने का प्रयास करता है।

सर्वोच्च न्यायालय का हालिया निर्णय

- सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने वर्ष 1967 के अपने उस निर्णय को पलट दिया है जिसमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त नहीं हो सकता था।
  - हालाँकि, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त होगा या नहीं, इसका निर्णय शीर्ष न्यायालय की एक नियमित पीठ करेगी।
- न्यायालय के अनुसार, अनुच्छेद 30(1) में 'स्थापित' शब्द को व्यापक अर्थ प्रदान किया जाना चाहिए। इस निर्णय ने कुछ परीक्षण निर्धारित किए हैं कि क्या कोई शैक्षणिक संस्थान संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक दर्जे का दावा कर सकता है :
  - किसी संस्थान की स्थापना के पीछे 'दिमाग' किसका था (यह देखने के लिए कि क्या वह व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य था)
  - यह देखना होगा कि इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था और इस उद्देश्य को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए (जैसे कि यह देखना कि भूमि कैसे प्राप्त की गई और किसने धन मुहैया कराया)।
- सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के अनुसार, वह विश्वविद्यालय के संस्थापक को निर्धारित करने के लिए AMU अधिनियम की भाषा पर निर्भर नहीं रह सकता है जिसमें उल्लेख है कि विश्वविद्यालय को अधिनियम के तहत ही स्थापित किया गया था।
  - इससे मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित अनुच्छेद 30(1) एक वैधानिक अधिनियम के अधीन हो जाएगा।
  - अल्पसंख्यक दर्जे के बिना AMU को अन्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के समान ही शिक्षकों एवं छात्रों दोनों के लिए आरक्षण नीतियों को लागू करना होगा।

AMU की आरक्षण नीति पर प्रभाव

- AMU को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने से विश्वविद्यालय मुस्लिम छात्रों के लिए 50% तक आरक्षण प्रदान कर सकता है।
  - वर्तमान में AMU किसी भी आरक्षण नीति का पालन नहीं करता है। हालाँकि, इसकी एक आंतरिक आरक्षण नीति है जहाँ 50% सीटें उन छात्रों के लिए आरक्षित हैं, जिन्होंने इसके संबद्ध स्कूलों या कॉलेजों में पढ़ाई की है।
- वर्ष 2006 में अनुच्छेद 15(5) के तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए सीटें आरक्षित करने से छूट प्रदान की गई है।

- AMU का अल्पसंख्यक दर्जा न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण वर्ष 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था इसलिए विश्वविद्यालय में SC/ST आरक्षण नहीं है।

इसे भी जानिए!

- भारत के संविधान के तहत समानता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है।
- अनुच्छेद 15(5) शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण से संबंधित है। इसे 93वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2006 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, चाहे ऐसे संस्थाओं को राज्य द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता हो या नहीं। इस प्रकार यह आरक्षण निजी शैक्षणिक संस्थाओं के लिए भी है किंतु अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं पर यह आरक्षण लागू नहीं होगा।
- अनुच्छेद 30 के तहत शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 30(1) में अल्पसंख्यक वर्गों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं–
  - भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना व प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है।
  - राज्य अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षण संस्थाओं के संपत्ति अर्जन पर निर्धारित राशि प्रदान करेगा।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम

- संविधान का अनुच्छेद 30(1) भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम, 2004 को संविधान के अनुच्छेद 30(1) में निहित अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है। इसके तहत स्थापित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है जिसे कार्यों के निर्वहन के उद्देश्य से इसे सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त हैं।

सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध

संदर्भ

युवाओं के मानसिक कल्याण की सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों (किशोर) के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से कानून निर्माण की घोषणा की है।

ऑस्ट्रेलिया द्वारा नवीनतम उपाय

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं

ऑस्ट्रेलिया द्वारा घोषित किए नवीन उपाय इंटरनेट या सूचना तक पहुँच को अवरुद्ध नहीं कर रहे हैं। ये केवल इंस्टाग्राम एवं फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म तक पहुँच को सीमित कर रहे हैं क्योंकि शरीर की विकृत छवि (Morphed Image), सामाजिक अवसाद एवं डिजिटल लत के कारण इनका हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

कंपनियों पर दायित्व

- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रबंधन करने वाली कंपनियों को इन आयु प्रतिबंधों को लागू करना होगा। अनुपालन न होने की स्थिति में उन्हें अत्यधिक दंड का सामना करना पड़ेगा।
- माता-पिता या युवाओं के बजाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह ज़िम्मेदारी होगी कि वे प्रतिबंधित आयु वर्ग की पहुँच को रोकने के लिए उचित कदम उठा रहे हैं।
- सरकार ने स्पष्ट किया है कि अनुपालन न होने की दशा में माता-पिता या युवा उपयोगकर्ताओं पर दंड नहीं आरोपित होगा बल्कि उन प्लेटफॉर्मों पर आरोपित होगा जो अनुपालन करने में विफल रहे हैं।

व्यापक तकनीकी विनियमन

- आयु प्रतिबंध ऑनलाइन सामग्री के लिए तकनीकी दिग्गजों को जवाबदेह ठहराने की व्यापक पहल है।
  - ऑस्ट्रेलिया बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुँच से रोकने में सहायता के लिए एक आयु-सत्यापन प्रणाली का परीक्षण कर रहा है।
- ऑस्ट्रेलियाई सरकार का मानना है कि सोशल मीडिया गलत सूचना एवं मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारक है।
- यह ऑस्ट्रेलिया की पिछली कार्रवाइयों पर आधारित है, जिसमें वर्ष 2021 का एक कानून भी शामिल है। इसने गूगल व फेसबुक जैसी कंपनियों से उनके प्लेटफॉर्म पर साझा की गई समाचार सामग्री के लिए भुगतान अनिवार्य कर दिया था।
- आयु प्रतिबंधों के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर गलत एवं भ्रामक सूचनाओं को रोकने के लिए अतिरिक्त नियमों पर विचार कर रहा है।

सख्त नीति

- ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अभी तक किसी भी देश ने सोशल मीडिया पर आयु सीमा लागू करने के लिए बायोमेट्रिक्स या सरकारी पहचान जैसे आयु सत्यापन विधियों का उपयोग करने की कोशिश नहीं की है।

- ऑस्ट्रेलिया के प्रस्ताव में उच्चतम आयु सीमा, माता-पिता की सहमति और पहले से मौजूद सोशल मीडिया अकाउंट के लिए कोई छूट नहीं है।
- ऑस्ट्रेलिया के अनुसार, प्रभावित होने वाले प्लेटफॉर्म्स में इंस्टाग्राम एवं फेसबुक सहित मेटा (META), टिकटॉक व एक्स शामिल होगा। अल्फाबेट व यूट्यूब भी संभवतः इसके दायरे में आएंगे।

अन्य देशों की स्थिति

भारत

- भारत में डाटा फिड्युसरी (Fiduciary) किसी बच्चे या दिव्यांग व्यक्ति के किसी भी व्यक्तिगत डाटा को संसाधित करने से पहले उसके माता-पिता या विधिक अभिभावक की सत्यापन योग्य वैध सहमति प्राप्त करेगा।
    - डाटा फिड्युसरी व्यक्तिगत डाटा को संसाधित करने के तरीके और उद्देश्य को तय करने वाली इकाई है।
    - डाटा फिड्युसरी व्यक्तिगत डाटा को ऐसी रीति से संसाधित नहीं करेगा जिससे बच्चे की हित पर कोई हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो।
- डाटा फिड्युसरी बच्चों की ट्रैकिंग या व्यवहार संबंधी निगरानी या बच्चों पर लक्षित विज्ञापन नहीं करेगा।
- यदि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि डाटा फिड्युसरी ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि बच्चों के व्यक्तिगत डाटा को सत्यापन योग्य सुरक्षित तरीके से संसाधित किया जाता है तो वह अधिसूचना में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं दायित्वों की प्रयोज्यता से छूट प्राप्त कर सकती है।

फ्रांँस

- नए नियमों के अनुसार, फ्रांँस में 15 वर्ष से कम आयु के सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए माता-पिता की सहमति की आवश्यकता होती है।
- प्रस्तावित उपाय में 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्मार्टफोन पर प्रतिबंध और टिकटॉक एवं इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर 18 वर्ष से कम आयु वालों के लिए सख्त उपयोग सीमा का सुझाव दिया गया है।

यूनाइटेड किंगडम

- यूनाइटेड किंगडम उन संभावित कानूनों की समीक्षा कर रहा है जो 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को स्मार्टफोन की बिक्री को प्रतिबंधित करेंगे।
- ये प्रयास यूरोपीय संघ के वर्ष 2018 के 'जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR)' के अनुरूप हैं। जो यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों को डिजिटल सहमति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करने की अनुमति देता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने दशकों से प्रौद्योगिकी कंपनियों को 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों के डाटा तक पहुँच के लिए माता-पिता की सहमति लेने की आवश्यकता बताई है। इसके कारण अधिकांश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उल्लेखित आयु से कम आयु वाले लोगों को अपनी सेवाओं तक पहुँचने से प्रतिबंधित कर रहे हैं।

सोशल मीडिया का युवाओं पर प्रभाव

- सोशल मीडिया का किशोर बालिकाओं एवं बालकों पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं :
    - शरीर की छवि का हानिकारक चित्रण
    - आत्म-सम्मान में कमी
    - काल्पनिक उम्मीदों का निर्माण
    - रूप सौंदर्य को मान्यता का बेंचमार्क बनाना
    - साथियों के दबाव में वृद्धि
    - मिथकों को बढ़ावा देना
    - मानसिक स्वास्थ्य पर बोझ डालना
- अध्ययनों के अनुसार, सोशल मीडिया पर दिन में 3 घंटे से अधिक समय व्यतीत करने वाले बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, जैसे– अवसाद एवं चिंता की संभावना दोगुनी होती है।
- सोशल मीडिया का एक्सपोज़र अत्यधिक विघटनकारी है जो कक्षाओं या होमवर्क या खेल के समय ध्यान भटकाता है। सोने से पहले मोबाइल फोन पर ब्राउज़ करने से नींद की गुणवत्ता एवं मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- सोशल मीडिया का बार-बार उपयोग मस्तिष्क की भावनाओं एवं सीखने से संबंधित हिस्सों को प्रभावित कर सकता है और 10 से 19 वर्ष की आयु के बीच मानव मस्तिष्क में पहचान एवं आत्म-मूल्य की भावना का विकास होता है।
- बच्चों के टेक्स्टिंग एवं सोशल मीडिया पर अधिक निर्भर होने से वास्तविक समय में संवाद करने की उनकी क्षमता कम हो सकती है।

सुझाव

- सोशल मीडिया के उपयोग को सीमित करने से साइबरबुलिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न एवं बॉडी शेमिंग की संभावना काफी कम हो सकती है।
- सोशल मीडिया उपयोग के समय को सीमित करने से बच्चों को बाहर अधिक समय व्यतीत करने, शारीरिक खेल, पसंदीदा कार्यकलापों में शामिल होने और स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

- विशेषज्ञों के अनुसार, प्रतिबंधों के माध्यम से पहुँच को अवरुद्ध करने के बजाय आयु-उपयुक्त प्लेटफॉर्म/स्पेस बनाने, डिजिटल साक्षरता का निर्माण करने और युवाओं को ऑनलाइन नुकसान से बचाने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है।

वाहन लाइसेंस व्यवस्था पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, हल्के मोटर वाहन (Light Motor Vehicle : LMV) श्रेणी के लाइसेंस धारक मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत अतिरिक्त प्राधिकरण (Additional Authorization) की आवश्यकता के बिना ही 7,500 किग्रा. से कम वज़न वाले परिवहन वाहन चला सकता है। यह निर्णय मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मामले में दिया गया है।

हालिया निर्णय के बिंदु

- भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया है कि केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा इसके अंतर्गत वर्ष 1989 के केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में हल्के मोटर वाहनों और परिवहन वाहनों का अलग-अलग उल्लेख किया गया है।
  - ऐसे में 7,500 किग्रा. से कम वज़न वाले परिवहन वाहनों के लिए चालक के पास अलग ड्राइविंग लाइसेंस या अनुमोदन की आवश्यकता का तर्क उचित नहीं है।
- न्यायालय के कानूनी निहितार्थ के अनुसार, 'परिवहन वाहन' केवल उन वाहनों को कवर करेंगे जिनका सकल वाहन भार 7,500 किग्रा. से अधिक है।
- इस तरह की व्याख्या इस अधिनियम के संशोधनों के व्यापक उद्देश्य के साथ संरेखित होती है और यह सुनिश्चित करती है कि लाइसेंसिंग व्यवस्था वाहन मालिकों एवं चालकों के लिए कुशल व व्यावहारिक बनी रहे।
- न्यायालय ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2(28) में 'मोटर वाहन' की परिभाषा का उल्लेख किया जो दो प्रकार के वाहनों के बीच अंतर न बनाए रखने का संकेत करता है।
- इस अधिनियम की धारा 2(21) के अनुसार, यह निष्कर्ष निकालना तर्कसंगत होगा कि हल्के मोटर वाहन का अर्थ ऐसे परिवहन वाहन, ओमनीबस, रोड रोलर, ट्रैक्टर या मोटर कार होगा जिनका वज़न 7,500 किग्रा. से अधिक न हो।

मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वाद, 2017

- वर्ष 2017 में मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मामले में सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि हल्के मोटर वाहन वर्ग के लिए लाइसेंस धारक को परिवहन वाहन चलाने के लिए अलग से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है यदि वह 7,500 किग्रा. से कम वज़न वाले हल्के मोटर वाहन वर्ग के अंतर्गत आता है।
- इस निर्णय को चुनौती देते हुए बीमा कंपनियों ने सड़क सुरक्षा के बारे में चिंता जताई और तर्क दिया कि यदि मुकुंद देवांगन मामले में निर्धारित कानून में हस्तक्षेप नहीं किया गया तो अयोग्य चालक परिवहन वाहन चलाना शुरू कर देंगे जिससे हज़ारों लोगों की जान जोखिम में पड़ जाएगी।

सर्वोच्च न्यायालय का तर्क

- न्यायालय के अनुसार, कोई ऐसा अनुभवजन्य डाटा प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह दर्शाता हो कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि LMV लाइसेंस धारक चालकों द्वारा LMV श्रेणी के परिवहन वाहन चलाने का प्रत्यक्ष परिणाम है जिसका सकल वज़न 7,500 किग्रा. से कम हो।
- न्यायालय के अनुसार, सड़क सुरक्षा वस्तुत: मोटर वाहन अधिनियम का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है किंतु, यह बिना किसी अनुभवजन्य डाटा के असत्यापित मान्यताओं पर आधारित नहीं होना चाहिए।

न्यायालय के अनुसार सड़क दुर्घटना के लिए उत्तरदायी कारक

- लापरवाह ड्राइविंग व तेज़ गति
- सड़क की खराब डिज़ाइन
- यातायात कानूनों का पालन न करना
- ड्राइविंग के समय मोबाइल फोन का उपयोग
- थकान
- सीट बेल्ट या हेलमेट नियमों का पालन न करना

लाइसेंसिंग व्यवस्था की अस्थिरता

- पीठ ने कहा कि सड़क सुरक्षा वैश्विक स्तर पर एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा है। यह उल्लेखनीय है कि भारत में वर्ष 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में 1.7 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है।
  - हालाँकि, ऐसी दुर्घटनाओं के विभिन्न कारण हैं और LMV लाइसेंस धारकों द्वारा हल्के परिवहन वाहन चलाने वाले ड्राइवरों को इसका कारण मानने की धारणा निराधार है।
- न्यायालय के अनुसार, स्वायत्त या चालकरहित वाहन और ऐप-आधारित यात्री प्लेटफॉर्म जैसे आधुनिक युग में लाइसेंसिंग व्यवस्था स्थिर नहीं रह सकती है।

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय परिवहन वाहनों को चलाने वाले ड्राइवरों के लिए आजीविका के मुद्दों को भी प्रभावी ढंग से संबोधित करेगा, जो अपने LMV ड्राइविंग लाइसेंस के साथ कानूनी रूप से 'परिवहन वाहन' (7,500 किग्रा. से कम) चलाते हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव

संदर्भ

- हाल ही में, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का अगला (47वाँ) राष्ट्रपति चुना गया जबकि जेम्स डेविड वेंस (JD Vance) को उपराष्ट्रपति चुना गया।
- अमेरिका दुनिया का एकमात्र ऐसा लोकतंत्र है जहाँ राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार सर्वाधिक मत प्राप्त करने के बाद भी चुनाव हार सकता है। अमेरिका के इतिहास में 4 बार वर्ष 1800, 1824, 2000 एवं 2016 के चुनावों में ऐसा हुआ है। इसका प्रमुख कारण अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली में निर्वाचक मंडल की भूमिका का महत्त्वपूर्ण होना है।
- अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में 'रिपब्लिकन पार्टी' और 'डेमोक्रेटिक पार्टी' दो प्रमुख प्रतिद्वंदी होते हैं। रिपब्लिकन पार्टी का राजनीतिक प्रतीक हाथी और डेमोक्रेटिक पार्टी का राजनीतिक प्रतीक गधा माना जाता है, हालाँकि ये इनके चुनाव चिह्न नहीं हैं।
  - रिपब्लिकन पार्टी को 'ग्रैंड ओल्ड पार्टी (GOP)' भी कहते हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में

- **परिचय :** संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति (POTUS) अपने राष्ट्र का राज्य प्रमुख (Head of State) और सरकार प्रमुख (Head of Govt.) होता है।
  - राष्ट्रपति संघीय सरकार की कार्यकारी शाखा को निर्देश देता है और संयुक्त राज्य सशस्त्र बलों का कमांडर-इन-चीफ भी होता है।
- **कार्यकाल :** 4 वर्ष
- **चुनाव प्रणाली :** निर्वाचक मंडल के माध्यम से अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली
- **अधिकतम दो कार्यकाल की सीमा :** वर्ष 1951 में अमेरिकी संविधान के 22वें संशोधन के तहत कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति के रूप में नहीं चुना जा सकता है।
- **राष्ट्रपति पद की योग्यता :**
  - संयुक्त राज्य अमेरिका का प्राकृतिक नागरिक (जन्म से) होना चाहिए।
  - कम-से-कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए।
  - कम-से-कम 14 वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका में निवासी होना चाहिए।
- **मतदान दिवस :** चुनावी वर्ष के नवंबर माह में पहले सोमवार के अगले दिन अर्थात् मंगलवार को अमेरिका में राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल (Electoral College), सीनेट (Senate) तथा प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) के सदस्यों के लिए चुनाव होता है, जिसे 'मतदान दिवस' के रूप में मनाया जाता है।
- **चुनाव दिवस :** चुनावी वर्ष में दिसंबर माह के दूसरे बुधवार के बाद आने वाले मंगलवार को 'निर्वाचक' (Electoral) अपने-अपने राज्यों की राजधानियों में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के लिए अलग-अलग मतपत्रों पर अपने इलेक्टॉरल वोट डालते हैं।
- **शपथ दिवस :** 20वें अमेरिकी संविधान संशोधन के अनुसार, नव-निर्वाचित राष्ट्रपति के लिए 4 वर्ष का कार्यकाल चुनाव के बाद अगले वर्ष 20 जनवरी से शुरू होता है।

इसे भी जानिए!

अमेरिकी संसद के बारे में

- अमेरिका के संघीय सरकार की द्विसदनीय विधायिका को अमेरिकी कांग्रेस (The United States Congress) कहते हैं।
- **सीनेट (Senate) :** यह कांग्रेस का उच्च सदन है, इसमें सभी 50 राज्यों को समान प्रतिनिधित्व के आधार पर 2-2 सीटें आवंटित की गई हैं। इसकी कुल सदस्य संख्या 100 है।
  - **कार्यकाल :** इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्षों में एक-तिहाई नए सदस्य निर्वाचित होते हैं।
  - **योग्यता :** 30 वर्ष आयु, 9 वर्षों से नागरिक, चुनाव के समय राज्य का निवासी।
- **प्रतिनिधि सभा (House of Representative) :** यह कांग्रेस का निम्न सदन है। इसमें वर्ष 2020 की जनगणना के आधार पर सभी राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जाती हैं। इस सदन में कुल 435 सीटें हैं।
  - साथ ही, कोलंबिया ज़िले और संयुक्त राज्य अमेरिका के निवास वाले क्षेत्रों से 6 प्रतिनिधियों को भी प्रतिनिधि सभा में चुना जाता है, जिन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता है।
  - **कार्यकाल :** प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और प्रत्येक सम वर्ष में फिर से इनका चुनाव होता है।
  - **योग्यता :** 25 वर्ष आयु, 7 वर्षों से नागरिक, चुनाव के समय राज्य का निवासी।
- **प्रतिनिधित्व :** प्रतिनिधि सभा का प्रत्येक सदस्य अपने राज्य के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे 'कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट' कहा जाता है (औसत जनसंख्या 7,00,000)। सीनेट के सदस्य पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- **महत्त्वपूर्ण तथ्य**
  - प्रथम राष्ट्रपति : जॉर्ज वाशिंगटन (1789-1797)
  - गृहयुद्ध के दौरान राष्ट्रपति : अब्राहम लिंकन (1861-1865) (16वें)

- सबसे युवा राष्ट्रपति : थियोडोर रूजवेल्ट (1901-1909) 42 वर्ष की आयु में (26वें)
- प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान राष्ट्रपति : वुडरो विल्सन (1913-1921) (28वें)
- द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान राष्ट्रपति : फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट (1933-1945) (32वें)
- प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति : बराक ओबामा (2009-2017) (44वें)
- अमेरिका में अभी तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं चुनी गई है।

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया

चुनाव से एक वर्ष पूर्व

- अमेरिका में बहुदलीय व्यवस्था है किंतु मुख्यत: दो राजनीतिक दलों 'डेमोक्रेटस' एवं 'रिपब्लिकन' का वर्चस्व है। इन प्रमुख दलों से राष्ट्रपति पद के लिए इच्छुक उम्मीदवार चुनाव से 1 वर्ष पूर्व अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करते हैं।
- चुनाव में उतरने के लिए पार्टी के भीतर भी दावेदारों को उम्मीदवारी जीतनी होती है, इसलिए ये उम्मीदवार अपने पार्टी के सदस्यों का पक्ष जीतने के लिए पूरे देश में प्रचार शुरू करते हैं।
- इसके बाद चुनाव प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू होती है।

चरण 1 : प्राइमरी और कॉकस

- अमेरिका में चुनाव प्रक्रिया प्राइमरी और कॉकस से शुरू होती है, जिसमें प्रत्येक राज्य में प्रत्येक पार्टी के लिए अलग-अलग चुनाव होता है।
- प्राइमरी और कॉकस चुनावों का उद्देश्य प्रत्येक पार्टी से राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए दर्जनों दावेदारों में से केवल एक का चुनाव कर आधिकारिक रूप से उसे पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में उतारना है।
- अमेरिका के 41 राज्यों में प्राइमरी द्वारा और 3 राज्यों में कॉकस द्वारा तथा 6 राज्यों में दोनों तरीकों से प्राथमिक चुनाव कराया जाता है।

दोनों में अंतर

- **कॉकस (Caucuses)** : कॉकस राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित बैठकें हैं जो काउंटी एवं ज़िला स्तर पर आयोजित की जाती हैं।
    - कॉकस के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होता है।
    - इसमें सभी प्रतिभागी (राजनीतिक दलों के मतदाता) अपने द्वारा समर्थित उम्मीदवार के अनुसार स्वयं को समूहों में विभाजित करते हैं।
    - अंत में, प्रत्येक समूह में मतदाताओं की संख्या से उम्मीदवार निर्धारित होते हैं।
- **प्राइमरी (Primaries)** : प्राइमरी का संचालन राज्य और स्थानीय सरकारें करती हैं।
    - प्राइमरी के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होता है।
    - मतदान गुप्त मतदान के माध्यम से होता है।
    - कुछ राज्य 'क्लोज़ प्राइमरी' आयोजित करते हैं जिसमें केवल पार्टी के पंजीकृत सदस्य ही भाग ले सकते हैं।
    - 'ओपन प्राइमरी' में सभी मतदाता भाग ले सकते हैं, चाहे उनकी पार्टी से संबंधित हो या न हो।

चरण 2 : राष्ट्रीय सम्मेलन (National Conventions)

- प्रत्येक पार्टी राष्ट्रपति पद के अंतिम उम्मीदवार का चयन करने के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करती है।
- लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए प्राइमरी एवं कॉकस के राज्य प्रतिनिधि अब अपने पसंदीदा उम्मीदवारों का समर्थन करते हैं और सम्मेलनों के अंत में प्रत्येक पार्टी से राष्ट्रपति पद के अंतिम उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा की जाती है।
- राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार एक रनिंग मेट (उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार) भी चुनता है।
- इसके बाद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार आम जनता का समर्थन जीतने के लिए पूरे देश में प्रचार करते हैं।

चरण 3 : आम चुनाव (General Election)

- इस चरण में देश के प्रत्येक राज्य में लोग अपने पसंदीदा राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए अप्रत्यक्ष रूप से वोट करते हैं। आम जनता अपना वोट लोगों के एक समूह 'निर्वाचक मंडल' के लिए करते हैं।

निर्वाचकों (Electors) के बारे में

- आम चुनाव से पहले दोनों राजनीतिक दल प्रत्येक राज्य में पसंदीदा निर्वाचक उम्मीदवारों की एक सूची चुनते हैं।
- यह चयन स्थापित परंपराओं पर आधारित होता है जो राज्य दर राज्य और पार्टी दर पार्टी अलग-अलग होता है।
- अमेरिकी संविधान के अनुसार, कांग्रेस का सदस्य या संयुक्त राज्य अमेरिका के तहत ट्रस्ट या लाभ का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकता है।
- यदि कोई व्यक्ति देश के विरुद्ध विद्रोह या बगावत में शामिल रहा है, तो वह भी निर्वाचक पद के लिए अयोग्य होता है।

- निर्वाचकों (Electors) का चुनाव राज्यों में लोकप्रिय जनादेश (Popular Vote) द्वारा किया जाता है अर्थात् अगर किसी उम्मीदवार को किसी राज्य में बहुमत (सर्वाधिक मत प्रतिशत) प्राप्त होता है तो उम्मीदवार को उस राज्य के सभी इलेक्टॉरल

वोट प्राप्त हो जाते हैं। इसे अमेरिका में 'विजेता सभी प्राप्त करता है' (Winner Takes All) प्रणाली के रूप में जाना जाता है।

- हालाँकि, सभी राज्यों से कुल सर्वाधिक मत प्राप्त करने के बाद भी राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनाव में हार सकता है अर्थात् निर्वाचकों का बहुमत प्राप्त करना अनिवार्य है।

- दो राज्य 'मेइन' (4 निर्वाचक) एवं 'नेब्रास्का' (5 निर्वाचक) 'विजेता सभी प्राप्त करता है' प्रणाली के अपवाद हैं।
  - दोनों ही राज्यों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व का एक विशिष्ट रूप लागू होता है जिसमें राज्य के विजेता को दो निर्वाचक मिलते हैं और प्रत्येक 'कांग्रेसनल ज़िले' के विजेता को एक-एक निर्वाचक मिलता है।
- आम चुनाव में आधे से अधिक (270) निर्वाचक मत (Electoral Vote) प्राप्त करने वाला उम्मीदवार अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है, हालाँकि उसका आधिकारिक रूप से चुनाव निर्वाचक मंडल के मतदान द्वारा दिसंबर माह में किया जाता है।

चरण 4 : निर्वाचक मंडल मतदान (Electoral College Voting)

- निर्वाचक मंडल मतदान वह प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक राज्य से आम चुनाव में चुने गए निर्वाचक अपना वोट डालते हैं और अंतिम रूप से राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं।
- ऐसा कोई संघीय कानून या संवैधानिक प्रावधान नहीं है जो निर्वाचकों को अपने राज्य में लोकप्रिय वोट के परिणाम के अनुसार मतदान करने की अनिवार्यता रखता हो। ऐसे निर्वाचकों को 'विश्वासघाती निर्वाचक' (Faithless Electors) कहा जाता है अर्थात् ये दल-बदल कर सकते हैं।
- प्रत्येक राज्य को अमेरिकी संसद में उसके प्रतिनिधित्व के आधार पर एक निश्चित संख्या में निर्वाचक (Electors) मिलते हैं और इनकी संख्या भिन्न-भिन्न होती है।
  - उदाहरण के लिए, कैलिफोर्निया राज्य से प्रतिनिधि सभा में 52 सदस्य एवं सीनेट में 2 सदस्य हैं, इसलिए इसके निर्वाचक मंडल में भी इसी अनुपात में कुल 54 सदस्य हैं।
- वर्तमान में सभी 50 राज्यों से कुल 538 निर्वाचक (Electors) चुने जाते हैं जिनका अनुपात इस प्रकार है :
  - अर्थात् 435 प्रतिनिधि सभा + 100 सीनेट + 3 वाशिंगटन डी.सी. = निर्वाचकों की कुल संख्या 538
  - कैलिफोर्निया राज्य में सर्वाधिक 54 निर्वाचक हैं।
  - 6 राज्यों– अलास्का, डेलावेयर, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, वर्मोंट एवं व्योमिंग और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया को 3-3 निर्वाचक आवंटित किए गए हैं, जो न्यूनतम निर्वाचकों की संख्या वाला राज्य है।
- इस मतदान प्रक्रिया में प्रत्येक निर्वाचक अपना एक मत देता है और जिस राष्ट्रपति उम्मीदवार को आधे से ज़्यादा (270) मत मिलते हैं, वह आधिकारिक रूप से विजेता घोषित किया जाता है।

आकस्मिक चुनाव प्रक्रिया

- आकस्मिक चुनाव प्रक्रिया का उल्लेख अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद II और 12वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है।
- यदि किसी भी उम्मीदवार को 270 निर्वाचक मत नहीं मिलते हैं तो आकस्मिक चुनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
- ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पद का निर्णय नव-निर्वाचित प्रतिनिधि सभा द्वारा किया जाता है जबकि सीनेट उपराष्ट्रपति को नामित करती है।
- प्रतिनिधि सभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधिमंडल (Group of Representatives) को एक-एक मत मिलता है अर्थात् कुल 50 राज्यों से 50 मत होते हैं।
  - प्रत्येक राज्य में जिस दल के सांसदों का बहुमत होता है, उस दल का उम्मीदवार उस राज्य का एक मत प्राप्त कर लेता है।
- इसके लिए राज्यों के सांसदों को आंतरिक मतदान करना होता है ताकि यह तय किया जा सके कि किस उम्मीदवार का समर्थन करना है।
- चूँकि अमेरिका में 50 राज्य हैं, इसलिए किसी उम्मीदवार को कम-से-कम 26 राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है।
  - यद्यपि वाशिंगटन डी.सी. के पास राष्ट्रपति चुनाव के लिए 3 निर्वाचक मत हैं, लेकिन आकस्मिक चुनाव में इसका मत नहीं होता है क्योंकि यह एक राज्य नहीं है।
- 1800 ई. के आकस्मिक राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस ने जॉन एडम्स के स्थान पर थॉमस जेफरसन को चुना था, जो अमेरिकी इतिहास में तीसरे राष्ट्रपति थे।
- आकस्मिक चुनाव में उपराष्ट्रपति का चुनाव सीनेट के पूर्ण मत द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रत्येक सीनेटर सबसे अधिक निर्वाचक मत प्राप्त करने वाले उपराष्ट्रपति पद के 2 उम्मीदवारों में से किसी एक को अपना मत देता है।

निर्वाचक मंडल प्रणाली के पक्ष में तर्क

- **कम आबादी वाले राज्यों का प्रतिनिधित्व :** निर्वाचक मंडल प्रणाली की शुरुआत अमेरिका के संस्थापकों द्वारा की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कम आबादी वाले राज्यों का प्रतिनिधित्व कम न हो और उम्मीदवारों को केवल अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में प्रचार करने से हतोत्साहित किया जा सके।
- **देश की एकता :** समर्थकों का तर्क है कि निर्वाचक मंडल प्रणाली राष्ट्रपति चुने जाने के लिए लोकप्रिय जनादेश (Popular Vote) के वितरण की आवश्यकता के द्वारा देश की एकजुटता में योगदान देती है।

- **क्षेत्रीय समानता :** इस तरह के तंत्र के बिना राष्ट्रपतियों का चयन या तो अधिक आबादी वाले किसी क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों पर प्रभुत्व के माध्यम से या बड़े महानगरीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों पर प्रभुत्व के माध्यम से किया जाएगा।

इस प्रणाली की कुछ प्रमुख आलोचनाएँ

- **व्यक्तिगत मत मूल्य में कमी :** इलेक्टॉरल कॉलेज बड़े राज्यों में प्रत्येक व्यक्तिगत मत के मूल्य को कम कर देता है। उदाहरण के लिए, कैलिफोर्निया में व्योमिंग की तुलना में लगभग 68 गुना अधिक लोग हैं किंतु इलेक्टॉरल कॉलेज के मत केवल 18 गुना अधिक हैं।
- **विजेता-सभी-प्राप्त करता है :** यह तंत्र अंतिम परिणाम में स्विंग राज्यों के महत्त्व को बढ़ाता है और उन अमेरिकियों के मतों को प्रतिबिंबित नहीं करता है जो पारंपरिक रूप से रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक प्रभुत्त्व वाले राज्य में अन्य दल को वोट देते हैं।
- **मतदान की बाध्यता :** यह प्रणाली प्रभावी रूप से मतदाताओं को चुनिंदा विकल्पों में से ही चुनाव के लिए बाध्य करती है जिससे अनुपयुक्त उम्मीदवार भी शीर्ष पद पर पहुँच सकते हैं।
- **प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मांग :** आलोचकों का तर्क है कि आधुनिक प्रतिनिधि लोकतंत्र में निर्वाचक मंडल का कोई स्थान नहीं है। वास्तव में राष्ट्रपति पद हेतु प्रत्यक्ष चुनावों के लिए सभी अन्य लोकतंत्रों द्वारा इस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है।

हालिया अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव के बारे में

- 5 नवंबर, 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को हराकर दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में जीत दर्ज की।
- 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में जेडी वेंस ने टिम वाल्ज़ को हराकर जीत दर्ज की।
  - उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा चिलुकुरी वेंस एक भारतीय अमेरिकी महिला हैं और उनके माता-पिता आंध्र प्रदेश के निवासी थे।
- ग्रोवर क्लीवलैंड (22वें व 24वें राष्ट्रपति) के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक कार्यकाल के अंतराल के बाद दोबारा चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए हैं।
- निर्वाचक मंडल द्वारा औपचारिक चुनाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप का 20 जनवरी, 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ समारोह होगा।
- **प्रमुख स्विंग राज्य :** राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रमुख स्विंग राज्यों में एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवादा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन शामिल थे। इन सभी में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत दर्ज की है।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग

संदर्भ

महिलाओं की सुरक्षा में सुधार लाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने विभिन्न उपायों का प्रस्ताव दिया है।

प्रस्तावित उपाय

- इस प्रस्ताव में पुरुष दर्जियों द्वारा महिलाओं की माप लेने पर रोक तथा पुरुषों द्वारा जिम व योग केंद्रों में महिलाओं को प्रशिक्षण देने पर प्रतिबंध शामिल है। महिलाओं को सेवा प्रदान करने के लिए इन सभी सेवा प्रदाताओं का महिला होना आवश्यक है।
- स्कूल बसों में महिला सुरक्षाकर्मियों और महिलाओं के कपड़ों की दुकानों में भी महिला कर्मचारियों का प्रावधान शामिल है। सैलून में केवल महिला हेयर ड्रेसर ही महिला ग्राहकों को सेवा प्रदान कर सकती हैं।
  - सेवा प्रदाताओं के पंजीकरण एवं पुलिस सत्यापन का भी प्रस्ताव है।
- आयोग के अनुसार, ये सिफारिशें व्यावसायिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने और उनके लिए अधिक सहायक वातावरण का निर्माण करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं।
- आयोग राज्य सरकार से इन प्रस्तावों के आधार पर नियम बनाने का अनुरोध कर सकता है।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के बारे में

- **परिचय :** महिलाओं के सांविधिक अधिकारों के संरक्षण और उनके विकास एवं कल्याण के लिए गठित यह एक अर्द्ध-न्यायिक वैधानिक निकाय है।
- **स्थापना :** उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001 के तहत वर्ष 2002 में महिला आयोग का गठन किया गया था।
  - हालाँकि, अपने उद्देश्यों की पूर्ति में विफल होने के कारण वर्ष 2004 में एक अध्यादेश के द्वारा इस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया और नया अधिनियम पारित किया गया।
- **आधिकारिक गठन :** वर्ष 2004 में आयोग के उद्देश्यों की पूर्ति एवं क्रियाकलापों को कानूनी आधार प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2004 पारित कर इस आयोग का आधिकारिक रूप से गठन किया गया।
- **पुनर्गठन :** वर्ष 2007 एवं 2013 में मूल अधिनियम में कतिपय संशोधन कर आयोग का पुनर्गठन किया गया।
- **कुल सदस्य :** 28 (1 अध्यक्ष + 2 उपाध्यक्ष + 25 अन्य सदस्य)
  - **वर्तमान अध्यक्ष :** बबीता सिंह चौहान
  - **वर्तमान उपाध्यक्ष :** अपर्णा यादव एवं चारु चौधरी

- अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को क्रमशः राज्य के राज्यमंत्री व उपमंत्री का दर्जा प्राप्त होता है।

- **कार्यकाल :** 2 वर्ष (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सभी सदस्यों का कार्यकाल)

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के सदस्यों की योग्यता

- **आयु :** अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सहित सभी सदस्य 25 वर्ष की आयु से कम होने पर पद धारण नहीं कर सकेंगे।
- **अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष :** महिला कल्याण के लिए कार्य करने वाली महिलाएँ होंगी।
- **25 सदस्य :** महिला कल्याण के लिए कार्य करने वाली महिलाएँ होंगी।
  - हालाँकि, कम-से-कम 1 सदस्य का निम्नलिखित 3 वर्गों से होना अनिवार्य है–
    1. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग
    2. अन्य पिछड़ा वर्ग
    3. अल्पसंख्यक वर्ग

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का उद्देश्य

- महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा, संरक्षण के अधिकारों की रक्षा करना
- महिलाओं के शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहना
- महिलाओं को प्रदान किए गए संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों से संबद्ध उपचारी उपायों के लिए अनुश्रवण के उपरांत राज्य सरकार को सुझाव एवं संस्तुतियाँ प्रेषित करना

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की शक्तियाँ

- किसी वाद पर विचार करने के लिए सिविल न्यायालय को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार
- किसी व्यक्ति को समन करना, हाजिर कराना और शपथ पर उसकी जाँच करना
- दस्तावेज़ मंगाना एवं लोक अभिलेख प्राप्त करना
- साक्ष्यों एवं अभिलेखों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना आदि

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का कार्यक्षेत्र

- महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना
- बाल विवाह, दहेज एवं भ्रूण हत्या रोकना
- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर रोक
- कानून में आवश्यकतानुसार संशोधन के लिए शासन को संस्तुतियाँ करना
- महिलाओं से संबंधित योजनाओं का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करना
- महिला कारागारों, चिकित्सालयों, छात्रावासों, संरक्षण गृहों का निरीक्षण करना

निजता का अधिकार

संदर्भ

केरल उच्च न्यायालय ने अपने कुछ हालिया निर्णयों में महिलाओं की निजता का अधिकार एवं सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के प्रति किए गए व्यवहार एवं कृत्यों के कानूनी पक्ष के संबंध में कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णय दिए हैं, जिनके प्रभाव समाज में वृहद् स्तर पर परिलक्षित होंगे।

निजता का अधिकार के बारे में

- **क्या है :** निजता का अधिकार (Right to Privacy) से तात्पर्य किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी एवं गतिविधियों या व्यक्तिगत स्थान को निजी रखने के अधिकार से है जो वैध सार्वजनिक हित या चिंता का विषय नहीं है।
- **उद्देश्य :** इस अधिकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोग समाज में अवांछित व्यवधानों या अनुचित हस्तक्षेप के बिना शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें।
- **अवधारणा की उत्पत्ति :** गोपनीयता की अवधारणा को सर्वप्रथम वर्ष 1890 में दो अमेरिकी विद्वानों 'सैमुअल डी. वॉरेन' एवं 'लुइस डी. ब्रैंडिस' ने हार्वर्ड लॉ रिव्यू में प्रकाशित अपने लेख 'गोपनीयता का अधिकार' में सामने रखी थी।

निजता के अधिकार में शामिल चार पहलू

(i) शांतिपूर्ण जीवन जीने का अधिकार : प्रत्येक व्यक्ति को शांत एवं शांतिपूर्ण तरीके से रहने का अधिकार होगा।
- उदाहरण के लिए, उसका निजी जीवन अवैध जासूसी व उत्पीड़न से मुक्त होना चाहिए; और उसका घर अवैध निगरानी, मॉनीटरिंग या फोटोग्राफी से मुक्त होना चाहिए।

(ii) व्यक्तिगत जानकारी पर नियंत्रण का अधिकार : प्रत्येक व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे– उसके स्वास्थ्य, जीवन के अनुभव, धार्मिक विश्वास, वैवाहिक स्थिति, वित्तीय स्थिति और सामाजिक संबंधों आदि के बारे में जानकारी संगृहीत करने, संरक्षित करने व प्रसारित करने का विशेष अधिकार होगा।

(iii) संचार एवं पत्राचार की गोपनीयता का अधिकार : प्रत्येक व्यक्ति को पत्राचार, टेलीफोन संचार, मेल, ई-मेल, केबल एवं अन्य संचार की गोपनीयता का अधिकार होगा।

(iv) अपनी निजता का उपयोग करने का अधिकार : प्रत्येक व्यक्ति को वाणिज्यिक या गैर-वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए अपनी निजता का उपयोग करने का अधिकार होगा।
- हालाँकि, उसकी अपनी निजता का उपयोग कानून का उल्लंघन नहीं करेगा या सार्वजनिक हित को नुकसान नहीं पहुँचाएगा।

भारत में निजता का अधिकार की स्थिति

- सर्वोच्च न्यायालय की जे.एस. खेहर की अध्यक्षता वाली 9 जजों की बेंच ने 24 अगस्त, 2017 को फैसला सुनाया था कि संविधान के भाग III और अनुच्छेद 21 के तहत 'निजता का अधिकार' भारतीय नागरिकों के लिए प्रदत्त एक मौलिक अधिकार है।
- अन्य मूल अधिकारों की तरह ही निजता के अधिकार में भी युक्तियुक्त निर्बंधन की व्यवस्था लागू रहेगी किंतु, निजता का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को उचित व तर्कसंगत होना चाहिए।
- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, निजता के अधिकार की श्रेणी के अंतर्गत समाहित बिंदु :
  - व्यक्तिगत स्वायत्तता एवं गोपनीयता
  - व्यक्तिगत रुझान एवं पसंद को सम्मान देना
  - पारिवारिक जीवन की पवित्रता
  - विवाह करने का फैसला
  - शिशु को जन्म देने का निर्णय
  - अकेले रहने का अधिकार इत्यादि

केरल उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय

अजित पिल्लई बनाम केरल राज्य वाद (2022)

- अजित पिल्लई बनाम केरल राज्य वाद में केरल उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के अनुसार, 'यदि कोई महिला किसी सार्वजनिक या निजी स्थान पर दिखाई देती है, जहाँ उसे आमतौर पर गोपनीयता की उम्मीद नहीं होती है, तो कोई भी व्यक्ति जो ऐसी स्थिति में उसकी छवि देखता है या कैप्चर करता है, तो इसे उसकी गोपनीयता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा और ऐसी स्थिति में आई.पी.सी. की धारा 354 (c) दृश्यरतिकता (Voyerism) के तहत कोई अपराध लागू नहीं होगा।'
- न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन ने स्पष्ट किया है कि किसी महिला को केवल ऐसे वातावरण में निजी कृत्य करते हुए देखना या उसकी तस्वीरें लेना ही दंडनीय है जहाँ वह निजता की अपेक्षा करती हो।
- हालाँकि, न्यायालय ने कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर ऐसी हरकतें संभावित रूप से यौन उत्पीड़न के आरोपों (धारा 354ए) और महिला की गरिमा का अपमान (धारा 509) के अंतर्गत आ सकती हैं।

श्रीकुमार मेनन बनाम केरल राज्य वाद (2019)

- एक वाद में केरल उच्च न्यायालय ने अपने हालिया निर्णय में फिल्म निर्देशक श्रीकुमार मेनन के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज कर दिया है जिन पर एक प्रमुख मलयालम अभिनेत्री ने उसे गाली देने और बदनाम करने का आरोप लगाया था।
  - मलयालम अभिनेत्री की शिकायत के आधार पर आई.पी.सी. की धारा 354 (d) (पीछा करना), धारा 294 (b) (सार्वजनिक स्थान पर अश्लील शब्दों का प्रयोग) और धारा 509 (किसी महिला की विनम्रता का अपमान करने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य) के तहत वर्ष 2019 में मेनन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी और पुलिस द्वारा अपनी जाँच पूरी करने के बाद मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय में लंबित था।
- इस वाद में न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि किसी महिला के खिलाफ अप्रिय शब्दों का उच्चारण मात्र उसके सम्मान का अपमान नहीं होगा।
- न्यायालय के अनुसार, 'महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुँचाने या उनकी निजता में दखल देने के इरादे के बिना केवल अप्रिय या अपमानजनक शब्दों का उच्चारण करना शब्दों, हाव-भाव या कृत्य के माध्यम से किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाना अपराध नहीं माना जाएगा।'

भर्ती प्रक्रिया में बदलाव पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के अनुसार, सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती से संबंधित कानून, नियम एवं प्रक्रिया को समानता व गैर-भेदभाव के मौलिक अधिकारों के व्यापक सिद्धांतों द्वारा शासित होनी चाहिए।

पृष्ठभूमि

- यह मामला राजस्थान उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के लिए 13 अनुवादक पदों की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित था। उम्मीदवारों को एक लिखित परीक्षा और उसके बाद व्यक्तिगत साक्षात्कार देना था।
- इस परीक्षा में 21 अभ्यर्थी शामिल हुए। उनमें से केवल 3 को ही उच्च न्यायालय (प्रशासनिक पक्ष) द्वारा सफल घोषित किया गया। बाद में पता चला कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने आदेश दिया था कि इन पदों के लिए केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का चयन किया जाना चाहिए जिन्होंने कम-से-कम 75% अंक प्राप्त किए हों।
- अपीलकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय में तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा न्यूनतम 75% अंक का मानदंड लागू करने का निर्णय 'खेल समाप्त होने के बाद खेल के नियमों को बदलने' के समान है, जो कि अस्वीकार्य है।

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दा

- सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामले में यह कानूनी प्रश्न था कि क्या किसी सार्वजनिक पद पर नियुक्ति के मानदंडों को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा चयन प्रक्रिया के बीच में या उसके शुरू होने के बाद बदला जा सकता है।

- दूसरे शब्दों में, सवाल यह था कि क्या 'खेल' (नौकरी चयन प्रक्रिया) के नियमों को बीच में बदला जा सकता है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में के. मंजूश्री आदि बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2008) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय की सत्यता पर ज़ोर दिया है, जिसमें कहा गया था कि भर्ती प्रक्रिया के नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता है।
- संविधान पीठ ने आगे कहा कि के. मंजूश्री निर्णय अच्छा कानून है और इसे केवल इसलिए गलत नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसमें हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंद्र मारवाह एवं अन्य में सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 1973 के फैसले पर विचार नहीं किया गया।
- **मारवाह मामला :** इस मामले में न्यायालय ने माना था कि सार्वजनिक सेवा परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को चयनित होने का पूर्ण अधिकार नहीं है।
  - न्यायालय ने मरवाहा निर्णय में कहा था कि सरकार उच्च मानकों को बनाए रखने के हित में उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करने के लिए पात्रता के लिए 'न्यूनतम अंकों से अधिक अंक' निर्धारित कर सकती है।

दो श्रेणियों पर निर्णय

भर्ती प्रक्रिया के 'नियम' मोटे तौर पर दो श्रेणियों में आते हैं :

- एक, जो रोज़गार चाहने वाले उम्मीदवारों की पात्रता मानदंड या आवश्यक योग्यताएँ निर्धारित करता है।
- दूसरा, जो योग्य उम्मीदवारों में से चयन करने की विधि और तरीके को निर्धारित करता है।

हालिया फैसले में संविधान पीठ के प्रमुख निष्कर्ष

- भर्ती प्रक्रिया आवेदन आमंत्रित करने से शुरू होती है और रिक्तियों को भरने के साथ समाप्त होती है।
- चयन सूची में शामिल होने के लिए भर्ती प्रक्रिया के प्रारंभ में अधिसूचित पात्रता मानदंड को भर्ती प्रक्रिया के बीच में तब तक नहीं बदला जा सकता है जब तक कि मौजूदा नियम इसकी अनुमति न दें, या विज्ञापन (जो मौजूदा नियमों के विपरीत न हो) इसकी अनुमति न दे।
- यदि मानदंडों में बदलाव करना भी पड़े तो यह बदलाव संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोज़गार में भेदभाव न करना) के मानक के अनुरूप होने चाहिए; वैधानिक शक्ति वाले मौजूदा नियम मनमाने नहीं होने चाहिए।
- चयनित सूची में स्थान मिलने से उम्मीदवार को रोज़गार पाने का पूर्ण अधिकार नहीं मिल जाता है।
- चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति देने से इनकार करने को उचित ठहराना राज्य का दायित्व होगा।
- के. मंजूश्री निर्णय तार्किक एवं न्यायसम्मत कानून है और केवल इसलिए गलत नहीं है क्योंकि यह मारवाह निर्णय को ध्यान में नहीं रखता है।
- भर्ती प्रक्रिया के नियमों के बारे में न्यायालय ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया और पात्रता दोनों के संदर्भ में विज्ञापन में प्रकाशित नियम भर्ती निकाय पर बाध्यकारी है।
- भर्ती प्रक्रिया या पात्रता मानदंड में ऐसे बदलाव नहीं किए जाने चाहिए जिससे उम्मीदवार/परीक्षक/साक्षात्कारकर्ता के लिए आश्चर्य (Surprise) की स्थिति उत्पन्न हो।
- न्यायालय ने कहा कि खेल के नियमों को खेल के बीच में या खेल के बाद नहीं बदला जाना चाहिए।

विकिमीडिया फाउंडेशन और विकिपीडिया

संदर्भ

- भारत सरकार ने कथित तौर पर विकिमीडिया फाउंडेशन को एक आधिकारिक नोटिस भेजा है जिसमें विकिपीडिया की संपादकीय प्रक्रिया की आलोचना की गई है और पक्षपात करने, भ्रम फैलाने तथा अशुद्धियों का आरोप लगाया गया है।
- हालाँकि, फाउंडेशन ने अपनी सामग्री के बारे में भारत सरकार से कोई आधिकारिक नोटिस प्राप्त होने से इनकार किया है। यह घटनाक्रम एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल (ANI) को विकिपीडिया द्वारा गलत तरीके से चित्रित किए जाने को लेकर जारी मुकदमे के बीच हुआ है।

एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल (ANI) बनाम विकिमीडिया फाउंडेशन मामला

- दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर वाद में एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल (ANI) ने कहा कि विकिपीडिया पर प्रकाशित लेख में ए.एन.आई. पर 'केंद्र सरकार के लिए एक प्रचार उपकरण' और 'फर्जी समाचार वेबसाइटों से सामग्री वितरित करने' का झूठा आरोप लगाया गया है। ए.एन.आई. ने इस लेख को हटाने की मांग की है।
- विकिपीडिया का कहना है कि वेबसाइट की सामग्री का प्रबंधन पूर्णतया स्वयंसेवकों (Volunteers) द्वारा किया जाता है और फाउंडेशन का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है।
- न्यायालय ने विकिपीडिया को ए.एन.आई. के संबंध में कथित अपमानजनक संपादन करने वाले का खुलासा करने का आदेश दिया था और आदेश का अनुपालन न होने पर वेबसाइट को बंद करने की धमकी दी थी।
- विकिपीडिया ने उपयोगकर्ताओं के बारे में बुनियादी जानकारी सीलबंद लिफाफे में न्यायालय के साथ साझा करने पर सहमति

व्यक्त की है और 'एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल बनाम विकिमीडिया फाउंडेशन' शीर्षक वाला लेख हटा लिया है।

- विकिपीडिया के इतिहास में यह पहला मामला है जब इस फाउंडेशन द्वारा अंग्रेज़ी विकिपीडिया के किसी लेख को हटाया गया है। जम्मू एवं कश्मीर के संबंध में भी इस पर आपत्तिजनक सामग्री डाली गई थी।
- विकिपीडिया विवादों से अछूता नहीं रहा है। इसे कम-से-कम 13 देशों में विभिन्न प्रकार की सेंसरशिप का सामना करना पड़ा है। चीन ने वर्ष 2019 में और म्यांँमार ने वर्ष 2021 में इस पर प्रतिबंध लगा चुका है।

विकिमीडिया फाउंडेशन के बारे में

- **क्या है :** विकिमीडिया एक वैश्विक गैर-लाभकारी संगठन है। यह मुक्त पहुँच वाली विभिन्न ज्ञान परियोजनाओं का समर्थन करता है जिनमें सबसे उल्लेखनीय विकिपीडिया है।
  - फाउंडेशन स्वयं इन परियोजनाओं पर न तो कोई भी सामग्री लिखता है, न ही क्यूरेट करता है बल्कि यह कार्य विकिपीडिया जैसे स्वयंसेवक (Volunteers) संपादकों द्वारा किया जाता है।
- **स्थापना :** 20 जून, 2003 में जिमी वेल्स द्वारा
- **मुख्यालय :** सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया (अमेरिका)
- **संचालन :** एक न्यासी बोर्ड द्वारा
  - यह संगठन और इसकी परियोजनाओं की रणनीतिक दिशा की देखरेख करता है।
- **वित्तपोषण :** मुख्यत: व्यक्तियों के दान एवं संगठनों के अनुदान से वित्तपोषित
- **प्रमुख फोकस क्षेत्र :** खुली सामग्री (Open Content), वैश्विक ज्ञान साझाकरण, सांस्कृतिक संरक्षण एवं शिक्षा
- **मिशन :** सार्वजनिक डोमेन में शैक्षिक सामग्री एकत्र करने व विकसित करने के लिए लोगों को सशक्त बनाना और उन्हें शामिल करना तथा सामग्री को प्रभावी रूप से विश्व स्तर पर प्रसारित करना
- यह 14 खुले सहयोग परियोजनाओं की भी मेज़बानी करता है–
  - विकिपीडिया (Wikipedia), मीडियाविकि (MediaWiki), विकिबुक्स (Wikibooks), विकिडाटा (Wikidata), विकिफंक्शन (Wikifunctions), विकिमीडिया कॉमन्स (Wikimedia Commons), विकिन्यूज़ (Wikinews), विकिक्वोट (Wikiquote), विकिसोर्स (Wikisource), विकिस्पीशीज़ (Wikispecies), विकिवर्सिटी (Wikiversity), विकिवॉइज (Wikivoyage), विक्षनरी (Wiktionary), विकि सॉफ्टवेयर (Wiki Software)

विकिपीडिया (Wikipedia) के बारे में

- **क्या है :** यह स्वयंसेवकों द्वारा निर्मित एक नि:शुल्क, बहुभाषी विश्वकोश होने के साथ-साथ विकिमीडिया की सबसे प्रसिद्ध परियोजना है। यह विविध विषयों पर सहयोगात्मक एवं तटस्थ रूप से लिखे गए लेखों पर केंद्रित है।
  - विकिपीडिया दुनिया की सातवीं सबसे अधिक विजिट की जाने वाली वेबसाइट है।
- **स्थापना :** वर्ष 2001 में जिमी वेल्स एवं लैरी सेंगर द्वारा
- **वित्तपोषण :** मूलत: वेल्स के लाभ-प्राप्त उद्यम बोमिस (Bomis) द्वारा
- **मुख्य कार्य :** यह एक ऐसा मंच है जहाँ कोई भी लेख पढ़ सकता है, संपादित कर सकता है और योगदान दे सकता है।
- **वैश्विक प्रभाव :**
  - वर्ष 2024 के अगस्त माह में भारत में विकिपीडिया के उपयोगकर्ताओं की संख्या 78 करोड़ के साथ दुनिया भर में पाँचवीं सबसे अधिक है। इस सूची में अमेरिका पहले स्थान पर है, उसके बाद जापान, ब्रिटेन व जर्मनी हैं।
  - वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक लेख अंग्रेज़ी भाषा में थे और उसके बाद सेबुआनो भाषा (फिलीपींस की क्षेत्रीय भाषा) में थे।
  - विकिपीडिया में भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में से दो (बोडो व डोगरी) को छोड़कर सभी भाषाओं में लेख शामिल हैं। इनमें सबसे ज़्यादा लेख उर्दू में थे, उसके बाद तमिल, हिंदी व बंगाली का स्थान था।

चुनौतियाँ

- **गुणवत्ता नियंत्रण :** विकिमीडिया परियोजनाओं की सहयोगात्मक प्रकृति तीव्र विकास में लाभकारी है किंतु इससे सामग्री की सटीकता व गुणवत्ता के साथ समझौता हो सकता है।
  - उदाहरण के लिए, समय-समय पर इसे बर्बरता, पक्षपात व अविश्वसनीय स्रोतों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है।
- **प्रतिनिधित्व अंतराल :** विकिपीडिया समेत विकिमीडिया परियोजनाओं की कुछ क्षेत्रों में कम प्रतिनिधित्व के लिए आलोचना की गई है।
  - उदाहरण के लिए, महिलाओं, रंग विशेष के लोगों और गैर-पश्चिमी संस्कृतियों पर लेख कम संख्या में लिखे जाते हैं और योगदानकर्ताओं की जनसांख्यिकी में भी असमानताएँ हैं।

निष्कर्ष

- विकिमीडिया डिजिटल दुनिया में एक शक्तिशाली ताकत है, जो ज्ञान सृजन और प्रसार के लिए मुक्त पहुँच व सहयोगी मंच प्रदान करता है। विकिपीडिया से लेकर विकिडाटा, विकिमीडिया

कॉमन्स और अन्य कई तरह की परियोजनाओं का समर्थन करके यह मुफ्त, विश्वसनीय व विविध सामग्री तक वैश्विक पहुँच को सक्षम बनाता है।

- विकिमीडिया की सफलता का मूल इसका समुदाय-संचालित मॉडल है किंतु यह मॉडल इसके आलोचना का कारण बनता है। अत: फाउंडेशन को अपनी साख को मज़बूत व प्रामाणिक बनाने के लिए और ज्ञान के मुक्त प्रवाह को सतत् बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने की ज़रूरत है।

विकिपीडिया बनाम विकिमीडिया

विषय	विकिपीडिया	विकिमीडिया
क्या है	एक नि:शुल्क ऑनलाइन विश्वकोश, जिसे कोई भी संपादित कर सकता है। यह कई विषयों पर ध्यान केंद्रित करती है और इसमें कई भाषाओं में लाखों लेख हैं।	एक गैर-लाभकारी संगठन जो विकिपीडिया सहित कई तरह की परियोजनाएँ संचालित करता है और बुनियादी ढाँचा व संसाधन प्रदान करता है।
उद्देश्य	मुख्यत: एक स्वतंत्र, सहयोगी विश्वकोश के रूप में कार्य करता है जिसका उद्देश्य सटीक, तटस्थ व सत्यापन योग्य जानकारी प्रदान करना है।	इसका उद्देश्य विभिन्न ज्ञान-साझाकरण परियोजनाओं (विकिपीडिया सहित) के लिए उपकरण और संसाधन प्रदान करके ज्ञान तक मुक्त पहुँच का समर्थन और प्रचार करना है।
स्वामित्व	इसका संचालन विकिमीडिया फाउंडेशन द्वारा किया जाता है किंतु, इसकी सामग्री का निर्माण और संपादन विश्व भर के स्वयंसेवकों द्वारा किया जाता है।	यह सभी विकिमीडिया परियोजनाओं की देखरेख करता है तथा इन प्लेटफॉर्मों के तकनीकी, कानूनी व वित्तीय पहलुओं का प्रबंधन करता है।
सामग्री	इसमें ऐसे लेख हैं जिन्हें कोई भी संपादित कर सकता है या जिनमें योगदान दे सकता है तथा जो विविध विषयों को कवर करते हैं।	यह विविध प्रकार की परियोजनाओं की मेज़बानी करता है, जैसे विकिमीडिया कॉमन्स (मुक्त मीडिया संग्रह), विक्षनरी (शब्दकोश) और विकिडाटा (संरचित डाटा)।

सिविल डेथ एवं संबंधित मुद्दे

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने 7 नवंबर, 2024 को वेतनभोगी ननों (Salaried Nuns) को आयकर से छूट देने के लिए विभिन्न मिशनरियों द्वारा दायर 93 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। देश में ननों एवं पादरियों को आयकर में छूट देने का नियम चालीस के दशक में शुरू हुआ और तर्क दिया गया कि यह तबका सामाजिक कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। अत: उनके लिए छूट होनी ही चाहिए। बाद में इसे औपचारिक स्वरूप प्रदान कर दिया गया।

मिशनरियों का तर्क

- मिशनरियों ने तर्क दिया था कि जब नन एवं पादरी 'धनहीनता की शपथ' (Vow of Poverty) लेते हैं तो वे 'सिविल डेथ' (Civil Death) की स्थिति में आ जाते हैं और उन्हें कर देने की आवश्यकता नहीं होती है।
- ये न तो विवाह कर सकते हैं, न ही स्वयं की संपत्ति बना सकते हैं। उन्हें प्राप्त होने वाले वेतन को वे धार्मिक संस्थाओं को भेज देते हैं, ताकि चैरिटी हो सके। इसलिए उन्हें कर के दायरे से अलग रखा जाना चाहिए।
- सिविल डेथ की स्थिति में नन या पादरी के परिवार की मौत होने पर भी वह अपनी विरासत पर कोई अधिकार नहीं दिखा सकते हैं। वे स्वयं को परिवार से अलग एवं एकाकी मान लेते हैं। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ इससे सहमत नहीं हुई।

सिविल डेथ के बारे में

- सिविल डेथ से तात्पर्य किसी व्यक्ति की ऐसी कानूनी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति शरीरिक रूप से जीवित होता है किंतु, वह नागरिक या सामाजिक सदस्य के रूप में प्रदत्त अधिकारों एवं विशेषाधिकारों से वंचित होता है।
  - सामान्य शब्दों में, किसी व्यक्ति को उसके नागरिक अधिकारों से वंचित करना उसकी 'सिविल डेथ' कहलाता है। आजीवन कारावास की सज़ा पाए व्यक्ति की कानूनी स्थिति ऐसी ही होती है।

भारतीय कानून में सिविल डेथ की स्थिति

- भारत में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 108 के तहत 7 वर्ष से अधिक समय से लापता व्यक्ति की 'सिविल डेथ' की धारणा है।
  - हालाँकि, यदि कोई अन्य व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के लापता होने से प्रभावित होता है तो वह अन्य व्यक्ति कानूनी उत्तराधिकारी

के रूप में लापता व्यक्ति की मृत्यु की घोषणा के लिए मुकदमा भी दायर कर सकता है।

- किसी व्यक्ति की सिविल डेथ की घोषणा होने पर मृत घोषित व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारियों को कानूनी लाभ प्राप्त हो जाते हैं।

- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 107 का संबंध 30 वर्षों के भीतर किसी व्यक्ति की मृत्यु को सिद्ध करने के दायित्व के बारे में है, जिसके बारे में ज्ञात है कि वह जीवित था।

सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के बारे में

- **वाद क्या है :** 1 दिसंबर, 2014 को आयकर विभाग ने शिक्षा अधिकारियों एवं ज़िला कोषागार अधिकारियों को एक निर्देश दिया। इस निर्देश में सरकार से वेतन प्राप्त करने वाले धार्मिक मंडलों के सदस्यों की आय के स्रोत पर कर कटौती (TDS) करने के लिए कहा गया।
- **केरल उच्च न्यायालय में चुनौती :** इस आदेश के विरोध में ईसाई धार्मिक मंडलों द्वारा केरल उच्च न्यायालय में आयकर विभाग के इस फैसले को चुनौती दी गई किंतु इसमें सफलता नहीं मिली।
- **ईसाई संप्रदायों का मत :** फ्रांसिस्कन से लेकर कार्मेलाइट तक ईसाई मिशनरी संप्रदायों ने न्यायालय में तर्क दिया है कि नन एवं पादरी जब धनहीनता की शपथ लेते हैं तो वे सिविल डेथ की स्थिति में चले जाते हैं और इसलिए उन्हें कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है।
    - एक नन कठोर प्रशिक्षण से गुज़रने के बाद आज्ञाकारिता, शुद्धता एवं निर्धनता (Obedience, Chastity & Poverty) की तीन पवित्र प्रतिज्ञाएँ लेती है।
    - नन संपत्ति की मालिक नहीं हो सकती है, कभी विवाह नहीं करती है और तपस्वी का जीवन जीती हैं।
    - वे जो आय अर्जित करती हैं, वह उनकी मंडली की होती है। यदि आवश्यक हो, तो मंडली द्वारा आय स्रोत पर कर रिटर्न जमा किया जाता है।
- **केरल उच्च न्यायालय का मत :** उच्च न्यायालय के अनुसार, धार्मिक मंडली के कैनन कानून (Canon Laws) के सिद्धांतों का उस मंडली के सदस्यों पर अधिभावी अधिकार (Overriding Title) होता है किंतु यह नागरिक कानून (Civil Law) पर प्रभावी नहीं हो सकता है और इस मामले में आयकर विभाग के निर्देशों की वैधता को बनाए रखा गया।
- **सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती :** केरल उच्च न्यायालय के निर्णय को ईसाई संप्रदायों ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी।
    - सर्वोच्च न्यायालय में तर्क दिया गया कि जो व्यक्ति सिविल डेथ की स्थिति में है, वह आय अर्जित नहीं कर सकता है।
    - तर्क के अनुसार, पादरी/नन धनहीनता की शपथ लेते हैं तो वे सिविल डेथ की स्थिति में आ जाते हैं और उन्हें कर नहीं देना होता है।
    - मिशनरियों ने तर्क दिया कि प्राप्त वेतन का उपयोग ननों के व्यक्तिगत व्यय के लिए नहीं किया जाता है बल्कि संबंधित मंडलियों को दिया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एवं तर्क

- सर्वोच्च न्यायालय ने 7 नवंबर, 2024 को वेतनभोगी ननों को आयकर से छूट देने के लिए विभिन्न मिशनरियों की 93 याचिकाओं को खारिज कर दिया।
- न्यायालय के अनुसार, कानून सभी नागरिकों के लिए समान है और जो भी नागरिक आय प्राप्त करता है, चाहे वह नन हो या न हो, उसे कर देना ही होगा।
- साथ ही, जब कोई संगठन वेतन का भुगतान करता है, चाहे वह वेतन व्यक्ति ने स्वयं रखा हो या कहीं अलग, इसका कर देयता से कोई लेना देना नहीं है।
- कर देना कानूनी अनिवार्यता है और धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। यदि वेतन खाते में आ रहा है तो कर देना होगा।
- अगर कोई सिविल डेथ की स्थिति में पहुँच चुका है तो वो नियमित गतिविधि भी नहीं कर सकता है, जैसे– नौकरी करना। किंतु ननों एवं पादरियों को वेतन मिलता है। यद्यपि वे इसका प्रयोग स्वयं के लिए न करते हो तो भी टी.डी.एस. काटा जाएगा।

भारत में कालाज़ार

संदर्भ

- अक्तूबर 2024 में बांग्लादेश कालाज़ार उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है। भारत भी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कालाज़ार को समाप्त करने के निकट पहुँच सकता है।
- भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानकों के अनुसार इसके उन्मूलन के लिए लगातार 2 वर्षों से इसके मामलों की संख्या प्रति 10,000 पर एक से कम रखने में सफलता प्राप्त की है। यदि यह स्थिति एक और वर्ष तक जारी रहती है तो भारत कालाज़ार उन्मूलन के लिए डब्ल्यू.एच.ओ. प्रमाणन प्राप्त कर सकता है।

कालाज़ार के बारे में

- कालाज़ार को विसरल लीशमैनियासिस (Visceral leishmaniasis: VL) भी कहा जाता है। कालाज़ार शब्द को भारत में 19वीं सदी के अंत में गढ़ा गया था, जिसका अर्थ है 'काला रोग'।
    - इस संक्रमण के दौरान त्वचा का रंग भूरा या काला और मलिन हो जाता है।
- **कारक :** यह लीशमैनिया वंश (Genus) का हिस्सा प्रोटोज़ोआ परजीवी लीशमैनिया डोनोवानी के कारण होता है।
- **प्रभावित अंग :** मुख्यत: रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम (Reticulo- endothelial System : प्लीहा, यकृत एवं अस्थि मज्जा जैसे प्रतिरक्षा प्रणाली अंग) को प्रभावित करता है।
- **संचरण :** संक्रमित मादा सैंडफ्लाई (Female Sandfly) के काटने से इसका संचरण होता है जो इसका वाहक है।
    - भारत में संचरण के लिए ज़िम्मेदार प्राथमिक प्रजाति मुख्यत: फ्लेबोटोमस अर्जेंटिप्स (Phlebotomus Argentipes) है।
- **प्रेरक कारक :** कुपोषण, कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली (एच.आई.वी./ एड्स, मधुमेह आदि से ग्रसित व्यक्ति), जनसंख्या विस्थापन व उच्च घनत्व, निम्न आवास सुविधा आदि।
- **लक्षण :** तेज़ बुखार, वज़न घटना, हेपेटोसप्लेनोमेगाली (Hepatosplenomegaly : यकृत एवं प्लीहा में सूजन), एनीमिया, पेट में दर्द, दस्त एवं अस्वस्थता आदि।
- **गंभीरता :** अनुपचारित स्थिति में 95% से अधिक मामलों में घातक।
- **निदान :** नैदानिक निदान; परजीवी परीक्षण; सीरोलॉजिकल परीक्षण (जैसे– rK39 रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट), आणविक परीक्षण (जैसे– पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन : पी.सी.आर.)

कालाज़ार उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदंड

- किसी देश को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कालाज़ार को समाप्त करने वाला तब माना जाता है जब प्रत्येक उप-ज़िले में इसकी घटना दर कम-से-कम लगातार तीन वर्षों तक प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1 मामले से कम हो।
- साथ ही, देश में यह सुनिश्चित करने के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए कि रोग फिर से न उभरे।

- **उपचार :** निम्नलिखित एंटीपैरासिटिक दवाएँ–
    - पेंटावेलेंट एंटीमोनियल्स (Pentavalent Antimonials), जैसे– सोडियम स्टिबोग्लुकोनेट (Sodium Stibogluconate)
    - एम्फोटेरिसिन बी (Amphotericin B)
    - मिल्टेफोसिन (Miltefosine)
    - पैरोमोमाइसिन (Paromomycin)
        - हालाँकि, वर्तमान में कालाज़ार के लिए कोई प्रभावी टीका मौजूद नहीं है।

भारत में कालाज़ार संबंधित आँकड़े

- वर्ष 2023 में देश में कुल 595 मामले दर्ज किए गए और 4 मौतें हुई। वर्ष 2024 में अब तक 339 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से अब तक केवल 1 मौत हुई है।
- ऐतिहासिक रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से भारत में कालाज़ार के केंद्र रहे हैं। केवल बिहार में भारत के कुल कालाज़ार मामलों के 70% से अधिक मामले हैं।
- इसके प्रसार का कारण कई ग्रामीण व अविकसित क्षेत्रों में स्वच्छता की कमी और जलवायु परिस्थितियाँ हैं क्योंकि मानसूनी बारिश व आर्द्रता आदि स्थितियाँ सैंडफ्लाई के प्रजनन के लिए अनुकूल हैं।

कालाज़ार उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास

- **भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2002) :** इसमें वर्ष 2010 तक कालाज़ार को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। हालाँकि, इसमें कई बार संशोधन किया गया और नया संशोधित लक्ष्य वर्ष 2015, 2017 और फिर 2020 कर दिया गया।
    - विभिन्न संशोधनों के बावजूद डब्ल्यू.एच.ओ. के उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (NTD) रोडमैप के अनुसार, वर्ष 2020 तक यह लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका।
- **नया लक्ष्य (वर्ष 2030) :** डब्ल्यू.एच.ओ. अब वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर कालाज़ार को समाप्त करने के प्रयासों में तेज़ी ला रहा है।

कालाज़ार नियंत्रण के लिए भारत की रणनीतियाँ

- **सक्रिय मामले का पता लगाना :** लक्षणों के पूर्णतया विकसित होने से पहले ही मामलों की पहचान करना
- **सैंडफ्लाई की आबादी पर नियंत्रण :** कीटनाशक से उपचारित जाल, अवशिष्ट छिड़काव एवं सैंडफ्लाई प्रजनन स्थलों को समाप्त करने के लिए पर्यावरण प्रबंधन आदि
- **सामुदायिक जागरूकता :** लोगों को लक्षणों, रोकथाम के तरीकों एवं त्वरित उपचार लेने के महत्त्व के बारे में शिक्षित करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान शुरू करना

- **प्रारंभिक निदान एवं उपचार :** मृत्यु दर को कम करने के लिए समय पर और सटीक निदान तथा पूर्ण उपचार प्रदान करने के महत्त्वपूर्ण प्रयास
- **एकीकृत दृष्टिकोण :** भारत सरकार द्वारा केस प्रबंधन, वेक्टर प्रबंधन, निगरानी एवं सामाजिक लामबंदी को शामिल करते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना
- **अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण :** स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों से निपटने के लिए विभिन्न क्षेत्रों (स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा) के बीच समन्वय

कालाज़ार उन्मूलन में चुनौतियाँ

- गरीबी और स्वच्छता की खराब स्थिति
- अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना
- वेक्टर नियंत्रण में स्थिरता और निवेश की कमी

सुझाव

- जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी प्रणाली की व्यवस्था करना
- दूरदराज़ के क्षेत्रों में भी निदान एवं उपचार पहुँच सुनिश्चित करना
- स्वच्छता में दीर्घकालिक निवेश और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता

इसे भी जानिए!

पोस्ट कालाज़ार डर्मल लीशमैनियासिस (PKDL) एक ऐसी स्थिति है जो तब विकसित होती है जब लीशमैनिया डोनोवानी त्वचा कोशिकाओं पर आक्रमण करता है और फैलता है। इससे त्वचा पर घाव, चकत्ते व गाँठ की समस्या हो जाती है। यह स्थिति प्रारंभिक कालाज़ार संक्रमण के उपचार के वर्षों बाद दिखाई दे सकती है।

विश्व शौचालय दिवस एवं भारत में स्वच्छता की स्थिति

संदर्भ

संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व शौचालय दिवस की स्थापना अपर्याप्त स्वच्छता के कारण विश्व भर में लोगों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालने के लिए की गई थी। यह दिवस हैज़ा जैसी घातक बीमारियों के प्रसार को रोककर सार्वजनिक और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को बनाए रखने में उचित शौचालय सुविधाओं की प्रमुख भूमिका को दर्शाता है।

विश्व शौचालय दिवस, 2024 के बारे में

- **परिचय :** विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने के लिए कार्रवाई को प्रेरित करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है।
- **उद्देश्य :** स्वच्छता संकट को तत्काल रूप से दूर करने के लिए वैश्विक जागरूकता एवं कार्रवाई को बढ़ावा देना।
- **शुरुआत :** वर्ष 2013 से
- **समर्पित :** यह प्रयास सतत् विकास लक्ष्य- 6 : '2030 तक सभी के लिए पानी एवं स्वच्छता सुनिश्चित करना' के हिस्से के रूप में सुरक्षित और सुलभ शौचालय सुविधाओं के महत्त्व पर ज़ोर देने के लिए समर्पित है।
- **इस वर्ष की थीम :** शौचालय- शांति के लिए एक स्थान
  - यह थीम युद्ध, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और व्यवस्थागत उपेक्षाओं के कारण अरबों लोगों को स्वच्छता के लिए बढ़ते खतरों का सामना करने पर केंद्रित है।

भारत में आयोजन और वैश्विक अभियान

- भारत में विश्व शौचालय दिवस देश की खुले में शौचमुक्त (ODF) स्थिति को बनाए रखने की दिशा में प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण अवसर के तौर पर मनाया जाता है।
- सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को मौजूदा अंतरालों की पहचान करने और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण में तेज़ी लाने के लिए ज़मीनी स्तर पर सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है।
- इसके अतिरिक्त, ग्राम-स्तरीय पंजीकरण अभियान और शिविर आयोजित किए जाते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पात्र लाभार्थियों को शौचालय निर्माण के लिए समय पर मंज़ूरी आदेश प्राप्त हों।
- इस वर्ष भारत ने 19 नवंबर से 'हमारा शौचालय : हमारा सम्मान' अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है जो 10 दिसंबर, 2024 तक मानवाधिकार दिवस के मौके पर समाप्त हो रहा है।
  - यह अभियान स्वच्छता को मानवाधिकारों और विशेष रूप से महिलाओं व बालिकाओं के लिए गरिमा एवं गोपनीयता की वैश्विक आवश्यकता से जोड़ेगा।

स्वच्छ भारत मिशन का योगदान

- स्वच्छ भारत मिशन (SBM) स्वच्छता में सुधार और खुले में शौच को समाप्त करने के भारत के प्रयासों की आधारशिला रहा है जो वर्ष 2014 में इसकी शुरुआत के बाद से एक परिवर्तनकारी यात्रा को दर्शाता है।

- एस.बी.एम.-ग्रामीण के तहत 11.73 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों के निर्माण के साथ पर्याप्त प्रगति हुई है, जिसके नतीजतन 5.57 लाख से अधिक 'ओ.डी.एफ. प्लस' गाँव बन गए हैं।
    - इस पहल ने सार्वजनिक स्वास्थ्य में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। डब्ल्यू.एच.ओ. के मुताबिक, वर्ष 2014 की तुलना में, वर्ष 2019 तक डायरिया से होने वाली मौतों में 300,000 की कमी आई।
- मिशन का आर्थिक प्रभाव भी समान रूप से प्रभावशाली दिखा, जिसके ज़रिए ओ.डी.एफ. गाँवों को स्वास्थ्य सेवा पर प्रति परिवार औसतन 50,000 रुपए की बचत हुई।
- इसके समकक्ष शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन-शहरी ने भी अपने लक्ष्यों को पूरा किया और 63.63 लाख से अधिक घरेलू शौचालयों तथा 6.36 लाख से अधिक सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण की सुविधा प्रदान की।
- इन प्रयासों के कारण 4,576 शहरों को ओ.डी.एफ. का स्थान मिला, जिनमें से कई 'ओ.डी.एफ.+' एवं 'ओ.डी.एफ.++' पहचान के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
- इस मिशन ने महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को भी अंदरूनी तौर पर प्रभावित किया है। ओ.डी.एफ. क्षेत्रों में 93% महिलाओं ने सुरक्षा भावना में बढ़ोतरी ज़ाहिर की है।
- सामूहिक रूप से एस.बी.एम. ने विश्व शौचालय दिवस और एस.डी.जी.-6 के व्यापक लक्ष्यों के साथ एकरूपता दर्शाते हुए एक स्वच्छ, स्वस्थ एवं अधिक न्यायसंगत भारत की नींव रखी है।

बेहतर स्वच्छता की आवश्यकता

- वर्तमान में बेहतर स्वच्छता सेवाओं की सख्त ज़रूरत है क्योंकि 3.5 अरब लोग अभी भी सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता से वंचित हैं और दुनिया भर में 419 मिलियन खुले में शौच करने के लिए विवश हैं।
- स्वच्छता सेवाएँ एक सुरक्षात्मक अवरोधक के रूप में कार्य करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि मानव अपशिष्ट को पारिस्थितिक तंत्र में प्रवेश करने से रोका जा सके व समुदायों को खतरे से बचाया जा सके।
- वर्ष 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, असुरक्षित जल, साफ-सफाई एवं स्वच्छता की कमी से प्रतिदिन 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 1,000 बच्चों की मौत हो जाती है।
- 2.2 बिलियन लोगों के पास अभी भी सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल की कमी है और 2 बिलियन लोगों के पास बुनियादी स्वच्छता सेवाओं की कमी है जिनमें 653 मिलियन लोग बिना किसी सुविधा के रह रहे हैं।
- संवेदनशील स्थितियों में रहने वाले बच्चे विशेष रूप से कमज़ोर हैं, क्योंकि उनकी खुले में शौच करने की संभावना 3 गुना अधिक होती है और बुनियादी पेयजल सेवाओं की कमी की संभावना 8 गुना अधिक होती है।
- संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रत्यक्ष हिंसा की तुलना में, खराब स्वच्छता से जुड़ी बीमारियों से मरने की संभावना लगभग 3 गुना अधिक होती है, जो अपर्याप्त स्वच्छता के विनाशकारी प्रभाव को रेखांकित करता है।
- बेहतर स्वच्छता की वजह से संभावित रूप से सालाना 1.4 मिलियन लोगों की जान बचाई जा सकती है जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में त्वरित कार्रवाई करने की ज़रूरत है।

आगे की राह

यह दिवस दर्शाता है कि सुरक्षित और बेहतर स्वच्छता व्यवस्था तक पहुँच केवल बुनियादी ढाँचे का मुद्दा नहीं, बल्कि गरिमा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ा एक मौलिक मानव अधिकार है।

केंद्रीय हिंदी समिति

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की।

- केंद्र सरकार के अनुसार, हिंदी को सशक्त बनाने के लिए पिछले 5 वर्ष में 3 बड़े कार्य किए गए हैं। इसमें शामिल हैं–
    - हिंदी शब्द सिंधु शब्दकोश का निर्माण
    - भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना
    - देश के विभिन्न हिस्सों में राजभाषा सम्मेलन आयोजित करना

केंद्रीय हिंदी समिति के बारे में

- **क्या है :** हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा प्रगामी प्रयोग के संबंध में दिशा-निर्देश देने वाली सर्वोच्च समिति
- **पुनर्गठन :** 9 नवंबर, 2021
- **कार्यकाल :** सामान्यत: 3 वर्ष
- **अध्यक्ष :** प्रधानमंत्री
- **सदस्य :** कुल 21
    - इनमें नौ केंद्रीय मंत्री, छह मुख्यमंत्री, संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष, राजभाषा विभाग के सचिव और तीन संयोजक शामिल होते हैं।
- **कार्य :** हिंदी के विकास और प्रचार-प्रसार के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे कार्यों व कार्यक्रमों का समन्वय करना

❑❑❑

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

G20 शिखर सम्मेलन

संदर्भ

युद्ध एवं संघर्ष की वैश्विक परिस्थितियों के मध्य ब्राज़ील में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन का समापन जलवायु वित्त को बढ़ाने एवं नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करने के आह्वान के साथ हुआ। साथ ही, गाज़ा व लेबनान में तत्काल युद्ध विराम और यूक्रेन में व्यापक शांति पर भी ज़ोर दिया गया।

G20 शिखर सम्मेलन, 2024 के बारे में

- **आयोजन** : 18-19 नवंबर, 2024 को रियो डी जेनेरियो (ब्राज़ील) में
    - यह ब्राज़ील में आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन था।
- **थीम** : एक न्यायसंगत विश्व एवं एक संधारणीय ग्रह का निर्माण (Building a Just World and a Sustainable Planet)
- **अध्यक्षता** : ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा द्वारा
- **संस्करण** : 19वाँ
- **भागीदार** : 19 सदस्य देश, अफ्रीकी संघ एवं यूरोपीय संघ
- **मुख्य एजेंडा प्राथमिकताएँ**
    - सामाजिक समावेशन एवं भूख के विरुद्ध संघर्ष
    - ऊर्जा परिवर्तन एवं सतत् विकास
    - वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार
- **प्रमुख निष्कर्ष** : अंत में G20 नेताओं में 'रियो घोषणापत्र' पर आम सहमति बनी।

रियो घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदु

संघर्ष एवं युद्ध

- इस घोषणापत्र में सभी राज्यों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करने की मांग की।
- यूक्रेन की तुलना में गाज़ा युद्ध पर अधिक जोर दिया गया है तथा मध्य-पूर्व में युद्ध विराम का प्रस्ताव किया गया।
- लेबनान में भी ब्लू लाइन के दोनों ओर नागरिकों को सुरक्षित रूप से घर लौटने की अनुमति देने के लिए चर्चा की गई।
    - ब्लू लाइन लेबनान को इज़रायल एवं गोलन हाइट्स से अलग करने वाली एक सीमांकन रेखा है। इसे संयुक्त राष्ट्र ने जून 2000 में निर्धारित किया था।
- गाज़ा क्षेत्र में मानवीय सहायता बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया। इज़रायल एवं फिलिस्तीन के द्वि-राज्य समाधान के दृष्टिकोण की प्रतिबद्धता को दोहराया गया।

अति-धनी व्यक्तियों पर कराधान

- घोषणापत्र में राजकोषीय संप्रभुता का सम्मान करते हुए अति धनी व्यक्तियों पर प्रभावी रूप से कर लगाने का उल्लेख किया गया है।
- यह घोषणापत्र अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग पर G20 रियो डी जेनेरियो मंत्रिस्तरीय घोषणा का समर्थन करता है और प्रगतिशील कराधान की वकालत करता है।

बहुपक्षीय सहयोग

- दुनिया में बढ़ते राजनीतिक एवं भू-राजनीतिक तनाव विश्व में सतत् विकास को बढ़ावा देने, गरीबी को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने जैसी चुनौतियों को सुलझाने की क्षमता को खतरे में डालते हैं।
- इन चुनौतियों के समाधान के लिए बहुपक्षीय सहयोग तथा वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के लिए वैश्विक शासन को मज़बूत करने की चर्चा की गई।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की तीव्र प्रगति से समृद्धि एवं वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार सुनिश्चित होगा।
- ए.आई. के सुरक्षित एवं भरोसेमंद विकास, तैनाती व उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए मानवाधिकार संरक्षण, पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाबदेही, विनियमन, सुरक्षा, उचित मानव निरीक्षण, नैतिकता, पूर्वाग्रह, गोपनीयता, डाटा संरक्षण तथा डाटा शासन पर ध्यान देने की मांग की गई।

लैंगिक समानता

- G20 ने 2030 एजेंडा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि सतत् विकास लक्ष्यों के केवल 17% लक्ष्य ही सही दिशा में हैं।
- लैंगिक समानता और सभी महिलाओं के सशक्तीकरण के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता का भी उल्लेख किया गया है।

जलवायु कार्रवाई और ऊर्जा संक्रमण

- इस घोषणापत्र में सदी के मध्य तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने और वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा एवं वैश्विक ऊर्जा दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है।
- इस शिखर सम्मेलन में जलवायु वित्तपोषण को मज़बूत करने के लिए वैश्विक जलवायु परिवर्तन कार्यबल (Global Task Force for Climate Change Mobilization) की शुरुआत की गई।
- सभी देश वनों के लिए सभी स्रोतों से नए एवं अतिरिक्त वित्तपोषण जुटाने का प्रयास करेंगे, जिसमें विकासशील देशों के लिए रियायती वित्तपोषण भी शामिल है।

- यह पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के भुगतान के लिए वित्तपोषण के नवीन एवं विविध स्रोतों को जुटाने के उद्देश्य से अभिनव तंत्र को प्रोत्साहित करता है।
- यह वर्ष 2040 तक स्वैच्छिक रूप से भूमि क्षरण को 50% तक कम करने की G20 की महत्त्वाकांक्षा की भी पुष्टि करता है।

गरीबी एवं भुखमरी

- G20 शिखर सम्मेलन ने 'भूख एवं गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन' की शुरुआत की है, जिसमें आय हस्तांतरण, स्कूल भोजन कार्यक्रम और माइक्रोक्रेडिट तक पहुँच जैसी रणनीतियों को बढ़ावा दिया जाएगा।

वैश्विक व्यापार

- यह दस्तावेज़ विश्व व्यापार संगठन (WTO) के आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर बल देता है तथा नियम-आधारित, निष्पक्ष एवं टिकाऊ बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को बढ़ावा देता है।
- G20 सभी सदस्यों के लिए सुलभ विवाद समाधान प्रणाली में सुधार का समर्थन करता है तथा समावेशी आर्थिक विकास में व्यापार की भूमिका पर प्रकाश डालता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

- इस दस्तावेज़ में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को 21वीं सदी की वास्तविकताओं एवं मांगों के साथ संरेखित करने और इसे अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, समावेशी, कुशल, प्रभावी, लोकतांत्रिक व जवाबदेह बनाने की मांग की गई।
- अफ्रीका, एशिया-प्रशांत और लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन जैसे निम्न प्रतिनिधित्व वाले व गैर-प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों तथा समूहों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए सुरक्षा परिषद की विस्तारित संरचना की चर्चा की गई।

स्वास्थ्य

- लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों, टिकाऊ वित्तपोषण तथा टीकों, निदान व उपचारों तक समान पहुँच की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है।

G20 के बारे में

- **स्थापना :** वर्ष 1999 में
- **उद्देश्य :** वैश्विक आर्थिक विकास के लिए सदस्यों के बीच स्थिरता एवं सतत् विकास के लिए नीतिगत समन्वय स्थापित करना; वित्तीय संकटों को रोकने वाले नियमों को बढ़ावा देना; एक नई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना का निर्माण करना
- **सदस्य :** 19 देश (अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांँस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम व अमेरिका) और यूरोपीय संघ एवं अफ्रीकी संघ

- **अध्यक्षता :** वार्षिक रूप से रोटेशन के आधार पर
- **ट्रोइका :** अध्यक्षता को वर्तमान-पिछले-अगले मेज़बान देशों के समूह से बने 'ट्रोइका' द्वारा समर्थित किया जाता है। (वर्ष 2024 के ट्रोइका में भारत-ब्राज़ील-दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं)
- **सम्मेलन :** पहला सम्मेलन वर्ष 2008 में वाशिंगटन DC अमेरिका में हुआ था।
  - वर्तमान संस्करण 19वाँ था जिसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया।
  - 18वाँ संस्करण वर्ष 2023 में भारत में आयोजित किया गया था।
  - 20वाँ संस्करण वर्ष 2025 में दक्षिण अफ्रीका में और 21वाँ संस्करण वर्ष 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाएगा।
- **सचिवालय :** इस समूह का स्थायी सचिवालय नहीं है।
- **वैश्विक प्रतिनिधित्व :** G20 के सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और दुनिया की लगभग दो-तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भूख एवं गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन

- **प्रारंभ :** ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में 'भूख एवं गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन' (Global Alliance Against Hunger and Poverty) की आधिकारिक शुरुआत की गई।
- **उद्देश्य :** यह गठबंधन भूख एवं गरीबी को समाप्त करने के उद्देश्य से एक-दूसरे की सार्वजनिक नीतियों का समर्थन करने के लिए सदस्य देशों को एक मंच प्रदान करेगा।
- **सदस्य :** वर्तमान में 81 देश (भारत सहित), 26 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, 9 वित्तीय संस्थान और 31 परोपकारी संस्थाएँ एवं गैर-सरकारी संगठन इसमें शामिल हैं।
- **कार्यप्रणाली :** कोई भी सदस्य देश अन्य सदस्यों की सफल सर्वोत्तम प्रथाओं तक पहुँच प्राप्त कर सकता है और अपने स्वयं के राष्ट्रीय मॉडल के विकास में सहायता करने के इच्छुक संभावित भागीदारों की पहचान कर सकता है।
- **सहायता क्षेत्र :** गठबंधन ने साक्ष्य-आधारित नीति टोकरी में 50 से अधिक नीतिगत साधन शामिल किए हैं जिनके लिए सदस्य देश सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
  - विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण 6 'स्प्रिंट 2030' हैं, ये ऐसे उच्च प्रभाव वाले क्षेत्र हैं जो सबसे कमज़ोर लोगों की सेवा करने के लिए लक्ष्य-उन्मुख पहल करेंगे।
    - इनमें शामिल हैं : स्कूल भोजन; नकद हस्तांतरण; छोटे एवं पारिवारिक खेती सहायता कार्यक्रम; सामाजिक-आर्थिक समावेशन कार्यक्रम; एकीकृत मातृ व प्रारंभिक बचपन हस्तक्षेप और जल पहुँच समाधान।
- **धन आवंटन :** कई पहलों के विपरीत इस गठबंधन के पास कोई विशेष निधि नहीं है, बल्कि यह ज़रूरतमंद देशों को 'प्रेरित दाताओं' एवं 'तकनीकी सहायता' से जोड़ने में एक भूमिका निभाने की कल्पना करता है।
  - इसके संचालन के लिए वार्षिक 2-3 मिलियन डॉलर की ज़रूरत सदस्य देशों और खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO), यूनिसेफ तथा विश्व बैंक जैसे संस्थानों से आएगी।
- **मुख्यालय :** गठबंधन का तकनीकी मुख्यालय FAO के रोम मुख्यालय में होगा, हालाँकि इसे कार्यात्मक मुख्यालय की स्वायत्तता प्राप्त होगी।

इस पहल की आवश्यकता

- वर्ष 2015 में सभी 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों ने 'सतत् विकास के लिए 2030 एजेंडा' को अपनाया, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक गरीबी एवं भुखमरी को समाप्त करना तथा खाद्य सुरक्षा व बेहतर पोषण प्राप्त करना था।
- कोविड-19 महामारी के कारण इन लक्ष्यों की दिशा में की गई प्रगति में बदलाव हुआ क्योंकि अत्यधिक गरीबी में वृद्धि हुई और पोषण मानकों में गिरावट आई।
- वर्तमान अनुमानों से पता चलता है कि वर्ष 2030 तक 622 मिलियन लोग प्रति दिन 2.15 डॉलर की अत्यधिक गरीबी रेखा से नीचे रहेंगे।
- यदि वर्तमान रुझान जारी रहता है तो वर्ष 2030 तक 582 मिलियन लोग भूखे रहेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी की ब्राज़ील यात्रा

- प्रधानमंत्री मोदी ने 18-19 नवंबर, 2024 को रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया और 10 विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की।
- इनमें ब्राज़ील, इंडोनेशिया, पुर्तगाल, इटली, नॉर्वे, फ्राँस, ब्रिटेन, चिली, अर्जेंटीना एवं ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें शामिल हैं।
- ब्राज़ील में भारतीय समुदाय ने यहाँ पहुँचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संस्कृत मंत्रों के साथ स्वागत किया।
- G20 के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की उल्लेखनीय प्रगति और 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' विषय के अंतर्गत वैश्विक प्राथमिकताओं के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।

G20 में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के मुख्य बिंदु

- प्रधानमंत्री मोदी ने G20 समूह से सभी के लिए स्वच्छ एवं अधिक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने के प्रयासों में तेज़ी लाने का आग्रह किया।
- भारत पहला G20 देश है, जिसने पेरिस समझौते के तहत की गई प्रतिबद्धताओं को समय से पहले पूरा किया है।
- नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने सतत् विकास लक्ष्यों की उपलब्धियों में तेज़ी लाने के लिए वाराणसी कार्य योजना को अपनाया था।
- प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, एक विश्व-एक सूर्य-एक ग्रिड और वैश्विक जैव-ईंधन गठबंधन जैसी पहलों के माध्यम से सभी के लिए अधिक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया।
- भारत ने वैश्विक स्तर पर टिकाऊ जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए मिशन लाइफ या पर्यावरण के लिए जीवनशैली पहल शुरू की है।

भारत की निम्न उपलब्धियों की चर्चा

- पिछले एक दशक में भारत में 40 मिलियन परिवारों के लिए घर निर्माण
- पिछले 5 वर्षों में 12 करोड़ घरों में स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित
- 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालना
- 800 मिलियन से अधिक नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा

- 550 मिलियन से अधिक नागरिकों के पास किफायती स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच
- 300 मिलियन से अधिक महिला सूक्ष्म उद्यमियों को संस्थागत ऋण तक पहुँच

भारत-ब्राज़ील द्विपक्षीय बैठक

- प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुईस इनासियो लूला दा सिल्वा को वर्ष 2025 में BRICS और COP 30 में ब्राज़ील के नेतृत्व के लिए भारत के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया।
- बैठक के दौरान भारत-ब्राज़ील रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई जिसमें कृषि, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, पर्यटन, जैव ईंधन, फार्मास्यूटिकल्स और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

भारत-जर्मनी संबंध

संदर्भ

जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने 25-26 अक्तूबर, 2024 के मध्य भारत की दो दिवसीय यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने 7वीं भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श वार्ता एवं 18वें एशिया-प्रशांत कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस में भाग लिया।

जर्मन चांसलर की हालिया भारत यात्रा

- जर्मनी चांसलर ओलाफ स्कोल्ज की यह भारत की तीसरी आधिकारिक यात्रा थी। जर्मनी चांसलर की भारत की यात्रा पर से पूर्व, पहली बार जर्मन सरकार ने दो भारत-विशिष्ट नीति दस्तावेज़ जारी किए हैं।
  - **भारत पर ध्यान (Focus on India) :** यह जर्मनी द्वारा किसी भी देश के बारे में जारी की गई दूसरी ऐसी रिपोर्ट है।
  - **भारत कुशल श्रम रणनीति (India Skilled Labour Strategy) :** यह नीति पत्र भारत से कुशल श्रमिकों को आकर्षित करने पर केंद्रित है, जो जर्मनी द्वारा किसी भी देश के बारे में जारी की गई पहली ऐसी रिपोर्ट है।
- जर्मनी चांसलर की यात्रा का प्रमुख उद्देश्य 7वीं भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श में भाग लेना था।

7वीं भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श वार्ता (IGC)

- **सह-अध्यक्षता :** चांसलर स्कोल्ज और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा
- **मुख्य विषय :** नवाचार, गतिशीलता व स्थिरता के साथ आगे बढ़ना
- **मुख्य फोकस :** प्रौद्योगिकी एवं नवाचार
- **परामर्श के प्रमुख बिंदु :** विदेश नीति एवं सुरक्षा, अर्थव्यवस्था व वाणिज्य, हरित सतत् विकास सहयोग, महत्त्वपूर्ण व उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ एवं नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, गतिशीलता तथा प्रवासन, लोगों-से-लोगों के बीच संबंध।
- **महत्त्वपूर्ण समझौते :** आतंकवाद के अपराधों सहित अपराधियों की जाँच और उन पर मुकदमा चलाने के लिए, घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, इस यात्रा के दौरान दो बहुत ही महत्त्वपूर्ण समझौते हुए हैं–
  - 'पारस्परिक कानूनी सहायता संधि'
  - 'वर्गीकृत सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं पारस्परिक संरक्षण पर समझौता'
- **भारत-जर्मनी नवाचार और प्रौद्योगिकी भागीदारी रोडमैप :** दोनों नेताओं ने भारत-जर्मनी नवाचार और प्रौद्योगिकी भागीदारी रोडमैप लॉन्च किया जो अक्षय ऊर्जा, स्टार्टअप, सेमीकंडक्टर, ए.आई., क्वांटम कंप्यूटिंग और कौशल विकास के क्षेत्रों में दोनों देशों के प्रयासों का मार्गदर्शन करेगा।
- **ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप :** सतत् विकास और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में, दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप के शुभारंभ का स्वागत किया, जो ग्रीन हाइड्रोजन में उत्पादन और व्यापार को सुविधाजनक बनाएगा और जिससे जर्मनी सहित कई साझेदार देशों के स्वच्छ ऊर्जा उद्देश्यों को लाभ होगा।
- **त्रिपक्षीय भागीदारी :** भारत और जर्मनी त्रिपक्षीय भागीदारी के ढाँचे के तहत तीसरे देशों में भी सहयोग कर रहे हैं और तीन पायलट परियोजनाएँ हैं जो वर्तमान में अफ्रीकी देशों में चल रही हैं और इस IGC के दौरान मेडागास्कर और इथियोपिया में बाजरा पर नई परियोजनाओं की घोषणा की गई है।
- IGC के दौरान, दोनों पक्षों ने श्रम और रोज़गार पर संयुक्त आशय घोषणा तथा कौशल विकास पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- इस अवसर पर एक हरित और सतत् विकास भागीदारी डैशबोर्ड लॉन्च किया गया।
- इस अवसर पर भारत और जर्मनी के बीच पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान प्रशिक्षण समूह स्थापित किया गया।

अन्य महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ

- गुरुग्राम में हिंद महासागर क्षेत्र सूचना संलयन केंद्र में एक जर्मन संपर्क अधिकारी की नियुक्ति।
- यूरोड्रोन कार्यक्रम में भारत की पर्यवेक्षक स्थिति के लिए जर्मनी का समर्थन।
- इंडो-पैसिफिक महासागर पहल के तहत 20 मिलियन यूरो की जर्मन परियोजनाएँ और वित्तपोषण प्रतिबद्धताएँ।
- विभिन्न क्षेत्रीय मामलों पर भारत और जर्मनी के विदेश कार्यालयों के बीच क्षेत्रीय परामर्श की स्थापना।
- मेडागास्कर और इथियोपिया में मिलेट पायलट परियोजना।

भारत-जर्मनी द्विपक्षीय संबंध

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- 19 वीं और 20वीं शताब्दी में, कई जर्मन विद्वानों ने भारतीय संस्कृति की खोज और संस्कृत के अध्ययन में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

- सबसे प्रमुख जर्मन भाषाविद और प्राच्यविद मैक्स मूलर (1823-1900 ई.) थे, उन्होंने भारतीय एवं पूर्वी ग्रंथों पर आधारित 50 खंडों की पुस्तक श्रृंखला 'सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट' (Sacred books of the east) का संपादन किया।
- प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान, लगभग 60,000 से अधिक भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश भारत के अंतर्गत जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया।
- प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत की आज़ादी के लिए जर्मनी से सहायता मांगी, जिसके परिणामस्वरूप 'हिंदू-जर्मन षड्यंत्र' हुआ था।
- द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान, मित्र राष्ट्रों के युद्ध प्रयासों से धुरी शक्तियों के खिलाफ भारत से 25 लाख से अधिक सैनिक भेजे गए थे।
- सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के नेतृत्व वाली धुरी शक्तियों से सैन्य सहायता प्राप्त करके ब्रिटेन से भारत की स्वतंत्रता का दृढ़ प्रयास किया था।

एशिया-पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस

- **क्या है :** APK भारत को जर्मन निवेशकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने, विविधीकरण और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लचीलेपन, अर्थव्यवस्था के हरित परिवर्तन जैसे मौजूदा मेगा-ट्रेंड पर चर्चा करने और भारत-जर्मनी व्यापार संबंधों को मज़बूत करने के लिए एक प्रभावी मंच है।
- **आयोजन :** 18वें एशिया-पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस (APK) 25-26 अक्तूबर, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
  - पिछला सम्मेलन वर्ष 2022 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था।
- **प्रारंभ :** वर्ष 1986 से शुरू (2 वर्ष में एक बार आयोजित)।
- **आयोजनकर्ता :** जर्मन बिजनेस की एशिया-प्रशांत समिति (ए.पी.ए.), जर्मन संघीय आर्थिक एवं जलवायु कार्रवाई मंत्रालय (बी.एम.डब्ल्यू.के.) तथा एशिया-प्रशांत में जर्मन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स अब्रॉड द्वारा संयुक्त रूप से।
- **उद्देश्य :** जर्मनी और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना।
- **लाभ :** यह सम्मेलन भारत की कंपनियों को लगभग 500 जर्मन कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है।

कूटनीतिक संबंध

- भारत द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद वर्ष 1951 में जर्मनी के संघीय गणराज्य के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था।
- मई 2000 से, भारत और जर्मनी के बीच एक 'रणनीतिक साझेदारी' स्थापित हुई।
- वर्ष 2011 में शासनाध्यक्षों के स्तर पर अंतर-सरकारी परामर्श (IGC) के शुभारंभ के साथ इस साझेदारी को और अधिक मज़बूत किया गया है।

संस्थागत सहयोग व्यवस्था

- **संस्थागत तंत्र :** भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कई संस्थागत व्यवस्थाएँ मौजूद हैं, जैसे- विदेश कार्यालय परामर्श, उच्च रक्षा समिति, भारत-जर्मन ऊर्जा मंच, भारत-जर्मन पर्यावरण मंच, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति और कौशल विकास, मोटर वाहन, कृषि, पर्यटन, जल और अपशिष्ट प्रबंधन सहित विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त कार्य समूह।
- **भारत-जर्मन ट्रैक 1.5 वार्ता :** भारत और जर्मनी के थिंक टैंक और नीति निर्माताओं के बीच संवाद को मज़बूत करने के उद्देश्य से वर्ष 2019 में भारत-जर्मन ट्रैक 1.5 वार्ता शुरू की गई थी।
- **बहुपक्षीय सहयोग :** दोनों देश एक-दूसरे से बहुपक्षीय मुद्दों पर परामर्श करते हैं और जलवायु परिवर्तन तथा सतत् विकास जैसे वैश्विक मुद्दों पर जी20 तथा संयुक्त राष्ट्र सहित बहुपक्षीय मंचों पर अपनी स्थिति का समन्वय करते हैं।
- **UNSC का विस्तार :** जर्मनी तथा भारत G4 के ढाँचे के भीतर ब्राज़ील एवं जापान के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (UNSC) के विस्तार पर एक-दूसरे का समर्थन करते हैं।

आर्थिक संबंध

- **व्यापार :** जर्मनी के संघीय सांख्यिकी कार्यालय डेस्टाटिस के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 में भारत के साथ जर्मनी का कुल व्यापार 33.33 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर तक पहुँच गया है।
  - जिसमें भारत से निर्यात 15.48 बिलियन डॉलर और जर्मनी से भारत में आयात 17.85 बिलियन डॉलर रहा।
- भारत वर्ष 2023 में जर्मनी का 23वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था।
- **जर्मनी को प्रमुख भारतीय निर्यात :** इलेक्ट्रिकल उत्पाद और ऑटोमोबाइल, कपड़ा और परिधान, रसायन, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, धातु/धातु उत्पाद, खाद्य/पेय पदार्थ और तंबाकू और चमड़ा/चमड़े के सामान, ऑप्टिकल और चिकित्सा उपकरण।
- **जर्मनी द्वारा भारत को प्रमुख निर्यात :** जर्मनी एक निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्था है और भारत को मशीनरी, ऑटोमोबाइल, विमान और विमानन भाग, रसायन, डाटा प्रोसेसिंग उपकरण और इलेक्ट्रिक उपकरण निर्यात किया जाता है।

निवेश

- जर्मनी भारत में 9वाँ सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक है, जिसका अप्रैल 2000 से दिसंबर 2023 तक भारत में संचयी FDI 14.5 बिलियन डॉलर है।

- वर्ष 2023 में भारत में जर्मनी का कुल निवेश लगभग 15 बिलियन डॉलर है।
- वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में जर्मन निवेश 507 मिलियन डॉलर था।
  - वित्त वर्ष 2022-23 में 547 मिलियन डॉलर और वित्त वर्ष 2021-22 में 728 मिलियन डॉलर था।
- इंडो-जर्मन चैंबर ऑफ कॉमर्स के अनुसार, भारत में 2000 से अधिक जर्मन कंपनियाँ सक्रिय हैं।
  - भारत में जर्मन निवेश मुख्य रूप से परिवहन, विद्युत उपकरण, धातुकर्म उद्योग, सेवा क्षेत्र, रसायन, निर्माण गतिविधि, व्यापार और ऑटोमोबाइल में रहा है।
- जर्मनी में 215 से अधिक भारतीय कंपनियाँ विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं।

सुरक्षा सहयोग

- वर्ष 2015 में दिल्ली में आयोजित तीसरे IGC में सुरक्षा सहयोग पर हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन भारत-जर्मनी के मध्य सुरक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को परिभाषित करता है।
- सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर संवाद तंत्र : आतंकवाद निरोध पर संयुक्त कार्य समूह; साइबर परामर्श; संयुक्त राष्ट्र परामर्श आदि।
- रक्षा वार्ता तंत्र में रक्षा सचिव स्तर पर उच्च रक्षा समिति की बैठकें, सैन्य सहयोग उप-समूह बैठक और रक्षा तकनीकी उप-समूह समिति की बैठक शामिल हैं।
- जर्मनी और भारत के बीच रक्षा उद्योग और रक्षा सहयोग को और बढ़ाने के लिए, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समझौता, 2006 को फरवरी 2019 में बर्लिन में हस्ताक्षर के बाद लागू किया गया है।

कृषि

- कृषि क्षेत्र में भारत-जर्मनी सहयोग भारत में कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने, कृषि मशीनीकरण, पशुधन प्रजनन, खाद्य प्रसंस्करण बुनियादी ढाँचा, खाद्य सुरक्षा और जोखिम मूल्यांकन, बीज विकास, पशु चिकित्सा सहयोग, डेयरी अनुसंधान, कृषि क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण, घरेलू वितरण की दक्षता बढ़ाना और भारत के कृषि क्षेत्र की निर्यात क्षमता में सुधार करने आदि क्षेत्रों में कार्यरत हैं।
- जर्मनी ने कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटलीकरण पर आगे के सहयोग के लिए भारतीय विशेषज्ञों को जर्मनी आने के लिए आमंत्रित किया है।

उभरते क्षेत्र

- भारत और जर्मनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल प्रौद्योगिकियों, स्वास्थ्य, कृषि, विनिर्माण क्षेत्र, सेवाओं और सामाजिक क्षेत्र के अनुप्रयोग के क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ा रहे हैं।
- अन्य क्षेत्रों में शहरी कचरे का प्रबंधन, शहरी गतिशीलता के पर्यावरण के अनुकूल साधन और पर्यावरण का संरक्षण शामिल हैं।

विकास सहयोग

- जर्मन विकास सहयोग पिछले 60 वर्षों से द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों का एक महत्त्वपूर्ण घटक रहा है।
- वर्ष 2023 तक द्विपक्षीय तकनीकी और वित्तीय सहयोग की कुल मात्रा लगभग 24 बिलियन यूरो थी।
- जर्मनी वर्तमान में ऊर्जा, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और सतत् शहरी विकास के क्षेत्रों में तकनीकी और वित्तीय सहायता के रूप में द्विपक्षीय सहायता प्रदान करता है।
- जर्मनी के साथ सहयोग के कुछ उदाहरण हैं– नागपुर मेट्रो रेल परियोजना, विभिन्न राज्यों में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजनाएँ (जैसे– गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु), भारत-जर्मन सौर ऊर्जा साझेदारी वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य का समर्थन कर रही है।
- ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पर भारत-जर्मन साझेदारी सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के लिए परियोजनाओं को वित्तपोषित करने का एक महत्त्वपूर्ण प्रमुख कार्यक्रम है।
- भारत और जर्मनी के बीच रेलवे के क्षेत्र में लंबे समय से सहयोग चल रहा है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- वर्ष 2024 में, भारत और जर्मनी भारत-जर्मन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग की 50वीं वर्षगाँठ मना रहे हैं।
  - इसकी शुरुआत मई 1974 में 'वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास में सहयोग' पर एक अंतर-सरकारी समझौते के तहत हुई थी।
- वर्ष 1994 में स्थापित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर एक शीर्ष भारत-जर्मन समिति सहयोग के कार्यान्वयन का समन्वय और समीक्षा करती है।

प्रवासी समुदाय

- दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और लोगों-से-लोगों के मध्य संबंध बहुत पुराने हैं।
- लगभग 50,000 भारतीय छात्र जर्मनी में विदेशी छात्रों का सबसे बड़ा समूह हैं।
- आज जर्मनी में भारतीय समुदाय की संख्या 25 लाख है और यह आकार में पिछले चार वर्षों में दोगुना हो गया है।

निष्कर्ष

- भारत-जर्मनी सामरिक साझेदारी के 25 वर्ष जर्मनी और भारत के संबंध आपसी सम्मान, साझा मूल्यों और साझेदारी की भावना में समर्थन पर आधारित हैं।

- दोनों देशों का लोकतांत्रिक मूल्यों, नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और बहुपक्षवाद के साथ-साथ बहुपक्षीय संस्थानों के सुधार को बनाए रखने में साझा हित है।
- दुनिया में क्रमश: तीसरी और पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में, जर्मनी और भारत एक मज़बूत आर्थिक और विकासात्मक साझेदारी साझा करते हैं, जो भविष्य में वैश्विक स्तर पर एक महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी।

जर्मनी : देशनामा

- **राजधानी :** बर्लिन
- **मुद्रा :** यूरो
- **वित्तीय केंद्र :** फ्रेंकफर्ट
- **GDP :** 4.42 ट्रिलियन डॉलर (तीसरे स्थान पर)
- **भौगोलिक स्थिति :** उत्तर में बाल्टिक और उत्तरी सागर और दक्षिण में आल्प्स पर्वतमाला के मध्य स्थित है।
- **क्षेत्रफल :** 3,57,596 km²
- **जनसंख्या :** लगभग 8.46 करोड़।
    - यह रूस के बाद यूरोप में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और यूरोपीय संघ का सर्वाधिक जनसंख्या वाला सदस्य राज्य है।
- **सीमा साझा :** जर्मनी की सीमाएँ उत्तर में डेनमार्क, पूर्व में पोलैंड और चेक गणराज्य, दक्षिण में ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड तथा पश्चिम में फ्राँस, लक्सम्बर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड से लगती हैं।
- **प्रमुख खनिज क्षेत्र :** वेस्टफेलिया क्षेत्र खनिजों के लिए विश्व प्रसिद्ध है।
    - इसी क्षेत्र में प्रसिद्ध रूर (Ruhr) कोयला क्षेत्र स्थित है, जहाँ प्रति वर्ष लगभग 8,00,00,000 टन कोयले का उत्खनन होता है।

भारत-स्पेन संबंध

संदर्भ

प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर 28-29 अक्तूबर, 2024 को स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। इस यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को ताज़ा गति प्रदान की है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच अधिक सहयोग के एक नए युग की शुरुआत हुई है। 18 वर्ष बाद स्पेन के किसी राष्ट्रपति ने पहली बार भारत की यात्रा की है।

यात्रा के प्रमुख निष्कर्ष

- **सी-295 विमान संयंत्र की स्थापना :** राष्ट्रपति सांचेज एवं प्रधानमंत्री मोदी ने वडोदरा में एयरबस स्पेन तथा टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा सह-निर्मित सी-295 विमान के फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया।
    - यह प्लांट वर्ष 2026 में भारत में निर्मित होने वाले कुल 40 विमानों में से पहला 'मेड इन इंडिया' सी-295 विमान तैयार करेगा।
    - एयरबस स्पेन भारत को 'फ्लाई-अवे' स्थिति में 16 विमान भी प्रदान कर रहा है जिनमें से 6 पहले ही भारतीय वायुसेना को सौंपे जा चुके हैं।
- **नए दूतावास की स्थापना :** बेंगलुरु में स्पेनिश वाणिज्य दूतावास की स्थापना और बार्सिलोना में भारतीय वाणिज्य दूतावास के संचालन की घोषणा की गई।
- **निवेश फास्ट ट्रैक तंत्र :** भारत एवं स्पेन में पारस्परिक निवेश की सुविधा के लिए फास्ट ट्रैक तंत्र की स्थापना की जाएगी।
- **संयुक्त तंत्र :** 'ऑडियो विजुअल को-प्रोडक्शन एग्रीमेंट' के तहत फिल्म निर्माण आदि के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच संयुक्त तंत्र (आयोग) के निर्माण की घोषणा की गई।
- **सीमा शुल्क एवं सहायता समझौता :** सीमा शुल्क मामलों में सहयोग एवं पारस्परिक सहायता पर समझौता किया गया।
- **रेल सहयोग समझौता :** दोनों देशों के मध्य रेल परिवहन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन किया गया।
- **वर्ष 2026 भारत-स्पेन संस्कृति, पर्यटन एवं ए.आई. का वर्ष :** दोनों पक्षों ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत-स्पेन वर्ष मनाने पर सहमति व्यक्त की है।
- **सांस्कृतिक कार्यक्रम :** वर्ष 2024-2028 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम की घोषणा की गई।

भारत-स्पेन द्विपक्षीय वार्ता

राष्ट्रपति सांचेज ने गुजरात के वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। उन्होंने मुंबई में प्रमुख व्यापारिक नेताओं, सांस्कृतिक हस्तियों एवं भारतीय फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की।

दोनों देशों के बीच वार्ता के प्रमुख बिंदु

- **राजनीतिक सहयोग :** लोकतंत्र, स्वतंत्रता, कानून के शासन, निष्पक्ष व न्यायसंगत वैश्विक अर्थव्यवस्था, अधिक टिकाऊ एवं लचीले ग्रह, नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और सुधारित बहुपक्षवाद के प्रति साझा प्रतिबद्धता
- **आर्थिक सहयोग :** भारत में मौजूद लगभग 230 स्पेनिश कंपनियों के कार्यों के माध्यम से 'मेक इन इंडिया' पहल के प्रति स्पेन की प्रतिबद्धता
- **व्यापार-अनुकूल निवेश :** दोनों नेताओं द्वारा मुक्त व नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली और दोनों देशों में व्यापार-अनुकूल निवेश परिदृश्य के लिए समर्थन
- **बहुआयामी सहयोग :** दोनों नेताओं में ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और स्मार्ट ग्रिड, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सेवाएँ, ऑटोमोटिव एवं परिवहन अवसंरचना क्षेत्रों में आगामी सहयोग पर चर्चा
- **भारत-यूरोपीय संघ संबंध :** भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी को मज़बूत करने के साथ-साथ व्यापक मुक्त व्यापार समझौते, निवेश संरक्षण समझौते एवं भौगोलिक संकेतक समझौते के संबध में यूरोपीय संघ-भारत वार्ता को आगे बढ़ाने की पुष्टि
- **IMEEC :** भारत एवं यूरोप के बीच संपर्क (कनेक्टिविटी) को बढ़ाने के लिए भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा परियोजना (IMEEC) की संभावना को स्वीकारोक्ति
- **जारी संघर्षों पर चिंता :** रूस-यूक्रेन संघर्ष पर गहरी चिंता और संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान सहित संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र के उद्देश्यों व सिद्धांतों के समान एक व्यापक, न्यायसंगत और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप स्थायी शांति की आवश्यकता का समर्थन
- **पश्चिम एशिया में शांति :** पश्चिम एशिया में शांति एवं स्थिरता के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता और इज़रायल पर हुए आतंकवादी हमलों की स्पष्ट निंदा
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र :** स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी, शांतिपूर्ण व समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया, जो नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान और प्रभावी क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा समर्थित विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर आधारित हो।
- **लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में सहयोग :** भारत और लैटिन अमेरिकी क्षेत्र के बीच बढ़ते राजनीतिक और वाणिज्यिक संबंधों तथा स्पेन के साथ इसके ऐतिहासिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को देखते हुए, दोनों नेताओं ने इस क्षेत्र में निवेश और विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग की अपार संभावनाओं की पहचान की।
- **इबेरो-अमेरिकन शिखर सम्मेलन-2026 :** स्पेन ने पर्यवेक्षक के रूप में इबेरो-अमेरिकन सम्मेलन-2026 में शामिल होने के लिए भारत के आवेदन का स्वागत किया, जो लैटिन अमेरिकी देशों के साथ संबंधों को मज़बूत करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
- **नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था :** दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अन्य बहुपक्षीय मंचों सहित संयुक्त राष्ट्र के भीतर सहयोग और समन्वय बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की और वैश्विक शांति सुनिश्चित करने के लिए नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के महत्त्व पर ज़ोर दिया।
- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समर्थन :** भारत ने 2031-32 की अवधि में स्पेन की यू.एन.एस.सी. उम्मीदवारी के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया, जबकि स्पेन ने 2028-29 की अवधि के लिए भारत की उम्मीदवारी के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया।
- **बहुपक्षवाद पर ज़ोर :** दोनों पक्षों ने बहुपक्षवाद को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई जो वर्तमान वास्तविकताओं को दर्शाता है, जिससे यू.एन.एस.सी. सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठन अधिक प्रतिनिधियुक्त, प्रभावी, लोकतांत्रिक, जवाबदेह और पारदर्शी बन सकें।
- **जलवायु परिवर्तन :** दोनों नेताओं ने दीर्घकालिक ऊर्जा को बढ़ावा देने में सहयोग को मज़बूत करने और जलवायु परिवर्तन को अनुकूल बनाने पर सहमति जताई और बाकू में आगामी जलवायु शिखर सम्मेलन (COP 29) के संदर्भ में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्धता जताई।
- **अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन :** स्पेन ने भारत को, वर्ष 2022 में गठित अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन (IDRA) में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।
- **आतंकवाद की निंदा :** दोनों नेताओं ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की।

भारत-स्पेन द्विपक्षीय संबंध

राजनयिक संबंध

- भारत और स्पेन के बीच राजनयिक संबंध वर्ष 1956 में नई दिल्ली में स्पेनिश दूतावास के उद्घाटन के साथ स्थापित हुए थे।
- वर्ष 1958 में लंदन में भारतीय उच्चायुक्त को स्पेन में राजदूत के रूप में समवर्ती मान्यता दी गई थी। इसी वर्ष मैड्रिड में एक भारतीय मिशन भी खोला गया।
- वर्ष 1965 में जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय को स्पेन में भारत के पहले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था।
- स्पेन के राजा जुआन कार्लोस-I ने 24-27 अक्तूबर, 2012 को भारत की पहली राजकीय यात्रा की।
- प्रधानमंत्री मोदी ने मई 2017 को स्पेन की आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा की।
- भारत और स्पेन के प्रधानमंत्रियों ने वर्ष 2018 और वर्ष 2021 में जी-20 शिखर सम्मेलनों के दौरान मुलाकात की।

महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौते और संधियाँ

- व्यापार और आर्थिक सहयोग पर समझौता (1972)
- सांस्कृतिक सहयोग पर समझौता (1982)
- नागरिक उड्डयन समझौता (1986)
- दोहरे कराधान से बचाव का समझौता (1993)
- द्विपक्षीय निवेश संरक्षण और संवर्द्धन समझौता (1997)
- प्रत्यर्पण संधि (2002)
- आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (2006)
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता (2007)
- पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर समझौता (अप्रैल 2009)
- रक्षा सहयोग पर समझौता (अक्तूबर 2012)

आर्थिक संबंध

- स्पेन यूरोप में भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
- **कुल व्यापार :** वर्ष 2023 में द्विपक्षीय व्यापार 9.9 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है।
  - इस अवधि के दौरान भारत का निर्यात 7.17 बिलियन डॉलर रहा, जबकि आयात 2.74 बिलियन डॉलर रहा।
- **भारत द्वारा स्पेन को शीर्ष निर्यात :** खनिज ईंधन, रासायनिक उत्पाद, लोहा और इस्पात, वस्त्र, मशीन और यांत्रिक उपकरण, समुद्री भोजन और चमड़ा।
- **भारत के स्पेन से प्रमुख आयात :** यांत्रिक उपकरण, रसायन, प्लास्टिक, खनिज, ईंधन।
- **निवेश :** स्पेन भारत में 16वाँ सबसे बड़ा निवेशक है जिसका संचयी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) स्टॉक 4.2 बिलियन डॉलर (अप्रैल 2000 – जून 2024) है।
- भारत में लगभग 230 स्पेनिश कंपनियाँ और स्पेन में लगभग 80 भारतीय कंपनियाँ कार्यरत हैं।
- **भारत-स्पेन संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग (JCEC) :** वर्ष 1972 में स्थापित; इसकी 12वीं बैठक अप्रैल 2023 में नई दिल्ली में आयोजित हुई थी।

रक्षा सहयोग

- हाल के वर्षों में रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी में तेज़ी से वृद्धि देखी गई है।
- एयरबस स्पेन से 2.5 बिलियन डॉलर के अनुबंध में 56 C295 विमानों की खरीद, जिनमें से 40 भारत में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स द्वारा बनाए जाएंगे, रक्षा विमान क्षेत्र में पहली मेक इन इंडिया परियोजना का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- चौथा भारत-स्पेन रक्षा संयुक्त कार्य समूह जून 2022 में मैड्रिड में आयोजित किया गया।
- भारतीय नौसेना के जहाज स्पेनिश तटों पर विभिन्न अभ्यास और पोर्ट कॉल में अक्सर भाग लेते हैं।
  - इनमें सबसे हालिया अगस्त 2024 में INS तबर एवं 2023 में INS सिंधुरत्न, INS तर्कश, INS चेन्नई व INS सुमेधा शामिल हैं।

सांस्कृतिक संबंध

- सांस्कृतिक आदान-प्रदान भारत-स्पेन द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्त्वपूर्ण घटक है।
- स्पेन में भारतीय प्रवासियों की संख्या लगभग 75,000 है, जो कैटेलोनिया, वालेंसिया, मैड्रिड और कैनरी द्वीपसमूह में केंद्रित है।
- कांसुलर सेवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए, बार्सिलोना में भारत का महावाणिज्य दूतावास 13 अगस्त, 2024 को खोला गया।
- भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् (ICCR) स्पेन में सांस्कृतिक समूहों को प्रायोजित करती है और भारत में अध्ययनरत स्पेनिश छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है।
- भारतीय सांस्कृतिक केंद्र 'कासा डे ला इंडिया' की स्थापना 17 मार्च, 2003 को स्पेन के वलाडोलिड में एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में की गई थी।
- स्पेन-भारत परिषद फाउंडेशन (एक निजी गैर-लाभकारी संगठन जो स्पेन के विदेश मंत्रालय के समन्वय में काम करता है) ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से 22 नवंबर, 2023 को नई दिल्ली में तीसरा स्पेन-भारत फोरम आयोजित किया।
- वर्ष 2023 में वलाडोलिड विश्वविद्यालय और ICCR ने हिंदी भाषा पर एक पीठ की स्थापना की है।

देशनामा : स्पेन

- **राजधानी :** मेड्रिड
- **राष्ट्र प्रमुख :** राजा फिलिप VI (संवैधानिक राजतंत्र प्रणाली)
- **क्षेत्रफल :** 505,990 km², स्पेन यूरोपीय संघ में दूसरा सबसे बड़ा देश है।
- **जनसंख्या :** 4.74 करोड़ (2019), चौथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूरोपीय संघ का सदस्य।
- **भौगोलिक स्थिति :** मुख्य रूप से दक्षिण-पश्चिमी यूरोप में अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के पार स्थित।
- **सीमा साझा :** दक्षिण में जिब्राल्टर; दक्षिण और पूर्व में भूमध्य सागर; उत्तर में फ्राँस, अंडोरा और बिस्के की खाड़ी; पश्चिम में पुर्तगाल और अटलांटिक महासागर से।
- स्पेन संसार का दूसरा सबसे बड़ा कॉर्क उत्पादक है। स्पेन का सर्वप्राचीन विश्वविद्यालय सालामान्का (Salamanca) है।
  - इसकी स्थापना 1250 ई. में हुई थी।
- स्पेन में विश्व की चौथी सबसे बड़ी संख्या में विश्व धरोहर स्थल (49) हैं।
- यह विश्व का दूसरा सबसे अधिक भ्रमण किया जाने वाला देश है।

भारत-नाइजीरिया संबंध

संदर्भ

प्रधानमंत्री मोदी ने 17-18 नवंबर, 2024 के मध्य नाइजीरिया की दो दिवसीय यात्रा की। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत और अफ्रीका के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में नाइजीरिया विगत 66 वर्षों में स्वाभाविक अंतर्राष्ट्रीय साझेदार बन गए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी की नाइजीरिया यात्रा के बारे में

- प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नाइजीरिया की हालिया यात्रा 17 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। अक्तूबर 2007 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यात्रा की थी।
- प्रधानमंत्री मोदी को नाइजीरिया के सर्वोच्च सम्मान 'ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर' से सम्मानित किया गया। इस प्रकार वे वर्ष 1969 के बाद से यह पुरस्कार पाने वाले पहले विदेशी नेता बन गए।
    - वर्ष 1969 में ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ को यह सम्मान प्रदान किया जा चुका है।
- प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी हालिया यात्रा में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टीनूबू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।

द्विपक्षीय वार्ता के प्रमुख बिंदु

- रक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित
- आतंकवाद, अलगाववाद, समुद्री डकैती और कट्टरपंथ से संयुक्त रूप से लड़ने तथा वैश्विक दक्षिण (Global South) की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता
- गिनी की खाड़ी और हिंद महासागर में बढ़ते खतरों के मद्देनज़र दोनों देशों में समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा एवं समुद्री डकैती से निपटने के लिए समन्वित कार्रवाई पर सहमति
- भारत द्वारा नाइजीरिया को कृषि, परिवहन, सस्ती दवा, नवीकरणीय ऊर्जा एवं डिजिटल परिवर्तन में भारत के अनुभव की पेशकश
- सांस्कृतिक आदान-प्रदान, सीमा शुल्क में सहयोग और सर्वेक्षण सहयोग पर तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर
- पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्र आर्थिक समुदाय (ECOWAS) के अध्यक्ष के रूप में नाइजीरिया की भूमिका की सराहना
    - ECOWAS पश्चिम अफ्रीका के 15 देशों का एक क्षेत्रीय राजनीतिक एवं आर्थिक संघ है।

भारत-नाइजीरिया द्विपक्षीय संबंध

राजनयिक संबंध

- दोनों देशों की स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में उपनिवेशवाद एवं रंगभेद के खिलाफ संघर्ष ने दोनों देशों के बीच संबंधों की मज़बूत नींव रखी।
- भारत ने वर्ष 1960 में नाइजीरिया के स्वतंत्र होने से दो वर्ष पूर्व नवंबर 1958 में लागोस में अपना राजनयिक मिशन स्थापित किया था।
- 1960 के दशक से 1980 के दशक तक भारतीय प्रशिक्षकों एवं चिकित्सकों ने नाइजीरिया की स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- भारत ने कडुना में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और पोर्ट हरकोर्ट में नौसेना युद्ध महाविद्यालय की भी स्थापना की।
- अक्तूबर 2007 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री की नाइजीरिया यात्रा के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' के रूप में स्थापित किया।

महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय यात्राएँ

- प्रधानमंत्री नेहरू की सितंबर 1962 में नाइजीरिया की यात्रा के दौरान नाइजीरिया के प्रथम प्रधानमंत्री तफवा बलेवा के साथ वार्ता ने दोनों देशों के बीच आपसी सद्‌भावना, सम्मान व मित्रता का निर्माण किया।
- अभी तक दो नाइजीरियाई राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए हैं।
    - वर्ष 1983 में राष्ट्रपति शेहु शगारी और वर्ष 2000 में राष्ट्रपति ओलुसेगुन ओबासान्जो
- प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिसंबर 2003 में अबुजा का दौरा किया था।
- अक्तूबर 2007 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यात्रा के दौरान भारत एवं नाइजीरिया ने रणनीतिक साझेदारी के लिए अबूजा घोषणा को अपनाया।
- नाइजीरियाई राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी ने तीसरे भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अक्तूबर 2015 में भारत का दौरा किया।
- 5-10 सितंबर, 2023 तक नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टीनूबू G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन, 2023 में भाग लेने के लिए भारत आए।

संस्थागत सहयोग तंत्र

- **विदेश कार्यालय परामर्श (FoC) :** FoC की शुरुआत दिसंबर 2003 में राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन के दौरान अबुजा में की गई थी।
- **संयुक्त आयोग की बैठक (JCM) :** दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी।
- **संयुक्त व्यापार समिति (JTC) :** भारत एवं नाइजीरिया ने द्विपक्षीय व्यापार व वाणिज्यिक संबंधों की समीक्षा के लिए JTC स्थापित की है।

रक्षा संबंध

- भारत एवं नाइजीरिया के बीच रक्षा सहयोग वर्ष 1960 में नाइजीरिया की स्वतंत्रता के बाद से ही स्थापित हो गए थे।
- अक्तूबर 2007 में रक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद से पिछले कुछ वर्षों में रक्षा सहयोग के लिए द्विपक्षीय संपर्क बढ़ा है।
- दोनों देशों की सशस्त्र सेनाओं ने एक साथ सैन्य प्रशिक्षण एवं आदान-प्रदान कार्यक्रमों में भाग लिया है और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सेवा की है।
- सहयोग के क्षेत्रों में आतंकवाद, उग्रवाद एवं समुद्री डकैती-रोधी अभियान और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच यात्राओं का आदान-प्रदान शामिल है।
- संयुक्त रक्षा समन्वय समिति (JDCC) द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए मार्ग प्रशस्त करती है।

व्यापार एवं निवेश संबंध

- वर्ष 2023 में भारत-नाइजीरिया के शीर्ष 5 व्यापारिक साझेदारों में शामिल रहा है।
- नाइजीरिया एवं भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2021-22 में 14.95 बिलियन डॉलर से घटकर वर्ष 2023-24 में 7.89 बिलियन डॉलर रह गई है।
  - इसका मुख्य कारण नाइजीरिया से खरीदे गए तेल की मात्रा में कमी है।
- 200 से अधिक भारतीय कंपनियाँ नाइजीरिया के विनिर्माण उद्योगों में लगभग 27 बिलियन डॉलर का निवेश कर रही हैं और संघीय सरकार के बाद दूसरे सबसे बड़े नियोक्ता हैं।
- भारत ने नाइजीरिया को 395.44 मिलियन डॉलर के 5 ऋण-पत्रों की पेशकश की है।
  - अभी तक नाइजीरिया द्वारा 3 बिजली परियोजनाओं के लिए केवल 100 मिलियन डॉलर के ऋण-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

शिक्षा

- नाइजीरियाई छात्रों के लिए वर्ष 1955 से ही भारत उच्च शिक्षा प्राप्त करने का गंतव्य रहा है।
- भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) द्वारा स्थापित छात्रवृत्ति कार्यक्रम 1960 के दशक से नाइजीरियाई छात्रों के लिए भारत में अध्ययन करने का मुख्य साधन है।
  - भारतीय शैक्षणिक संस्थान प्रणाली अपनी गुणवत्ता एवं लागत प्रभावी शिक्षा के लिए लोकप्रिय है।
  - बड़ी संख्या में नाइजीरियाई छात्र विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं।
- **प्रमुख छात्रवृत्ति योजनाएँ :** ICCR अफ्रीका छात्रवृत्ति योजना, सी.वी. रमन अंतर्राष्ट्रीय फैलोशिप, हिंदी छात्रवृत्ति, आयुष छात्रवृत्ति।
- **अन्य शैक्षिक सहयोग :** स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम, ई-विद्या भारती और ई-आरोग्य भारती समझौता ज्ञापन, iLearn पोर्टल।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- भारत वर्ष 1964 से भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत नाइजीरिया के क्षमता निर्माण के प्रयासों का समर्थन कर रहा है।
- भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन के प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत भारत, नाइजीरिया को कृषि, स्वास्थ्य, जल-विद्युत, जल संसाधन आदि जैसे विविध विषयों में अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान कर रहा है।
- भारत एवं नाइजीरिया के बीच वर्ष 2020 में अबुजा में बाह्य अंतरिक्ष में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- वर्ष 2022 में नाइजीरिया में वैक्सीन के उत्पादन के लिए बायो वैक्सीन नाइजीरिया लिमिटेड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) के बीच एक संयुक्त उद्यम साझेदारी व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए।

मानवीय सहायता

- भारत ने जुलाई 2020 में नाइजीरिया को HCQS एवं एंटीबायोटिक्स सहित आवश्यक दवाओं की 7.8 टन खेप दान की।
- मार्च 2021 में भारत सरकार ने GAVI की कोवैक्स योजना के तहत कोविशील्ड वैक्सीन की 3.92 मिलियन खुराक की खेप नाइजीरिया को आपूर्ति की है।
- भारत ने मार्च 2021 में नाइजीरिया को कोविशील्ड वैक्सीन की 100,000 खुराक भी उपहार में दी।
- जनवरी 2022 में भारत ने कोवैक्स योजना के तहत नाइजीरिया को कोविशील्ड वैक्सीन की अतिरिक्त 5.742 मिलियन खुराकें निर्यात कीं।

सांस्कृतिक संबंध

- **सांस्कृतिक कार्यक्रम :** भारतीय उच्चायोग नाइजीरिया में विभिन्न भारतीय सांस्कृतिक संघों के साथ मिलकर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करता है।
  - भारतीय मिशन ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष एवं मिशन लाइफ के तहत विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए।
  - भारतीय सांस्कृतिक संघ नाइजीरिया के विभिन्न शहरों में भारतीय त्योहारों को मनाने के लिए अलग से कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं।
- **प्रवासी समुदाय :** नाइजीरिया में भारतीय समुदाय की संख्या लगभग 60,000 है।
- भारतीय सांस्कृतिक संघ (ICA) नाइजीरिया के प्रमुख शहरों, जैसे- लागोस, अबुजा, कानो, कडुना, पोर्ट हरकोर्ट एवं इबादान में मौजूद हैं।
  - जनवरी 2021 में भारतीय संस्कृति संघ, लागोस को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

भारत एवं नाइजीरिया दक्षिण-दक्षिण सहयोग में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बहुपक्षीय संगठनों, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र, G77 एवं गुट निरपेक्ष आंदोलन (NAM) में, दोनों देश समन्वित व प्रभावी तरीके से विकासशील दुनिया की आवाज़ को मुखर कर रहे हैं।

निष्कर्ष

भारत एवं नाइजीरिया दोनों बहु-धार्मिक, बहु-जातीय और बहु-भाषीय समाज वाले विकासशील और लोकतांत्रिक देश हैं। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया यात्रा से दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा, खुफिया जानकारी और आतंकवाद निरोध में सहयोग को मज़बूत करने पर सहमति जताई है। इससे चीन के अफ्रीका महाद्वीप में बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में भी मदद मिलेगी।

भारत-जापान यूनिकॉर्न मस्तूल समझौता

भारत एवं जापान के मध्य 15 नवंबर, 2024 को टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में नौसेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

भारत-जापान यूनिकॉर्न मस्तूल समझौते के बारे में

- इस समझौते के तहत भारतीय नौसेना के जहाज़ों पर प्रयोग के लिए 'यूनिकॉर्न मस्तूल' के सह-विकास के लिए दोनों देशों के मध्य कार्यान्वयन ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- इस समझौते का क्रियान्वयन भारत एवं जापान के बीच रक्षा उपकरणों के सह-उत्पादन का पहला अवसर होगा।
- इन यूनिकॉर्न मस्तूल को भारत में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा जापान के सहयोग से विकसित किया जाएगा।
- जापान की तीन कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ये यूनिकॉर्न एंटीना वर्तमान में जापान समुद्री सेल्फ डिफेंस फोर्स के मोगामी श्रेणी के फ्रिगेट (युद्धपोत) पर लगे हैं।
- इस आधुनिक प्रणाली को भारतीय नौसेना अपने जहाज़ों पर लगाने का प्रयास कर रही है जिससे भारतीय नौसेना जहाज़ों की स्टील्थ क्षमता में वृद्धि होगी।

क्या होता है यूनिकॉर्न मस्तूल प्रणाली

- **यूनिकॉर्न प्रणाली :** यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना (UNICORN) मस्तूल अगली पीढ़ी की नौसैनिक मस्तूल प्रणाली है, जो एकाधिक संचार प्रणालियों को एकीकृत करती है तथा एंटीना के रडार क्रॉस-सेक्शन (RCS) को कम करके नौसैनिक प्लेटफॉर्मों की गुप्त विशेषताओं (Stealth Capabilites) को बढ़ाती है।
  - पारंपरिक मस्तूलों के विपरीत यूनिकॉर्न विभिन्न एंटीना को एक मस्तूल पर कई बिंदुओं पर एक सिंगल सपोर्टेड पिलर में जोड़ता है ताकि इसके 'रडार सिग्नेचर' को कम किया जा सके।
- **मस्तूल (Mast) :** पानी के जहाज़ों में मस्तूल स्थिरता से खड़े हुए लंबे खंभे को कहते हैं। विशेषकर नौकाओं में उन खंभों को जिन पर पाल (Sail) लगाया जाता है, मस्तूल कहा जाता है।
  - इन्हें सहारा देने के लिए गाई तारों (Guy Wires) का प्रयोग किया जाता है। मस्तूल लकड़ी या धातु के बने हुए होते हैं।

मेट्स योजना

ऑस्ट्रेलिया ने 'मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली-प्रोफेशनल्स स्कीम (MATES)' नामक एक नई योजना प्रारंभ की है जो भारत के प्रतिभाशाली युवाओं को कुछ समय के लिए ऑस्ट्रेलिया में कार्य करने की अनुमति प्रदान करेगी।

क्या है मेट्स

- ऑस्ट्रेलिया के गृह विभाग के अनुसार, MATES भारतीय विश्वविद्यालय के स्नातकों एवं प्रारंभिक करियर वाले पेशेवरों को दो वर्ष के लिए ऑस्ट्रेलिया में कार्य करने का मौका प्रदान करने की योजना है।
- 23 मई, 2023 को ऑस्ट्रेलिया तथा भारत ने प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी व्यवस्था (MMPA) पर हस्ताक्षर किए।
  - एम.एम.पी.ए. एक द्विपक्षीय ढाँचा है जो अवैध एवं अनियमित प्रवास से संबंधित मुद्दों को संबोधित करते हुए दोनों देशों के बीच दो-तरफा प्रवासन व गतिशीलता का समर्थन तथा प्रचार करता है।
- एम.एम.पी.ए. के तहत ही मेट्स की स्थापना की गई है। यह योजना संभवत इस वर्ष दिसंबर से पेशेवरों के लिए खुल जाएगी।

मेट्स के अंतर्गत वीज़ा के लिए आवेदन कर सकने वाले देश

- मेट्स उन भारतीय नागरिकों के लिए खुला है जो आवेदन के समय 30 वर्ष या उससे कम आयु के हैं और जिन्होंने पहले कभी मेट्स में भाग नहीं लिया हो।
- अंग्रेज़ी भाषा कौशल में निपुणता (IELTS या समकक्ष स्कोर के आधार पर) आवश्यक है।
  - इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम (IELTS) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेज़ी भाषा परीक्षण प्रणाली है।
- आवेदन के समय 2 वर्षों के अंदर किसी योग्य शैक्षणिक संस्थान से स्नातक की उपाधि प्राप्त की हुई होनी चाहिए और निम्नलिखित में से किसी एक में योग्यता (स्नातक डिग्री या उच्चतर) रखते हों–
  - नवीकरणीय ऊर्जा, खनन, इंजीनियरिंग, सूचना संचार प्रौद्योगिकी (ICT), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), वित्तीय प्रौद्योगिकी (FinTech) और कृषि प्रौद्योगिकी (AgriTech)
- नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) की वर्ष 2024 की रैंकिंग के अनुसार, भारत के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों के स्नातक इस योजना के लिए पात्र होंगे।

आर्थिक घटनाक्रम

मुद्रास्फीति आँकड़े जारी करने के समय में परिवर्तन

संदर्भ

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने प्रत्येक माह की 12 तारीख को शाम 5:30 बजे खुदरा मुद्रास्फीति से संबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index : CPI) एवं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production : IIP) आँकड़ों को जारी करने के समय में बदलाव करते हुए इसे शाम 4 बजे जारी करने की घोषणा की है।

पूर्व में आँकड़े जारी करने का समय

- जून 2013 तक CPI एवं IIP आँकड़े हर महीने की 12 तारीख को सुबह 11-11:30 बजे के आसपास जारी किए जाते थे।
    - CPI आँकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्त्वपूर्ण संकेतक हैं जो विशेष रूप से विदेशी मुद्रा एवं सरकारी बॉन्ड बाज़ारों में ट्रेडिंग को प्रभावित कर सकते हैं।
- इस वर्ष आँकड़ों के आधिकारिक रूप से जारी होने से पहले लीक होने की कुछ रिपोर्ट्स आई थीं। इसके कारण मंत्रालय को विशेष रूप से CPI आँकड़े जारी करने के समय को बाज़ार के समय के बाद रखने के लिए कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।
- इस अभ्यावेदन के बाद MoSPI ने जुलाई 2013 से CPI एवं IIP आँकड़ो के जारी करने का समय बदलकर शाम 5:30 बजे कर दिया क्योंकि विदेशी मुद्रा बाज़ार व सरकारी बॉन्ड बाज़ार शाम 5 बजे बंद हो जाते हैं।
    - CPI से संबंधित आँकड़े हमेशा मासिक आधार पर जारी किए जाते रहे हैं।
- थोक मुद्रास्फीति (Wholesale Inflation) के आँकड़े दिसंबर 2012 तक साप्ताहिक आधार पर जारी किए जाते थे। वर्तमान में इसे हर महीने की 14 तारीख को दोपहर के आसपास जारी किया जाता है।

नवीनतम संशोधन की आवश्यकता

- MoSPI के अनुसार, आँकड़े जारी करने के समय में संशोधन CPI एवं IIP डाटा तक पहुँच के लिए अधिक समय प्रदान करने के लिए किया जा रहा है।
- नया समय भारत में प्रमुख वित्तीय बाज़ारों के बंद होने के समय के साथ संरेखित है।
    - हालाँकि, मुद्रास्फीति के आँकड़ों के प्रति संवेदनशील सरकारी बॉन्ड बाज़ार एवं विदेशी मुद्रा वायदा बाज़ार जैसे कुछ वित्तीय बाज़ार शाम 5 बजे तक खुले रहते हैं।
- CPI एवं IIP देश में ग्रामीण, शहरी व संयुक्त क्षेत्रों और औद्योगिक विकास में मुद्रास्फीति के रुझान को दर्शाकर आर्थिक नीति तथा वित्तीय बाज़ारों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- समय का यह समायोजन आँकड़ों के प्रसार में पारदर्शिता और आँकड़ों तक पहुँच के लिए MoSPI की प्रतिबद्धता का भी पालन करता है।

CPI एवं IIP आँकड़ों का महत्त्व

CPI आँकड़े

- CPI उन वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों के सामान्य स्तर में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को मापता है जिन्हें परिवार उपभोग के लिए खरीदते हैं।
- इसका उपयोग मुद्रास्फीति के एक व्यापक आर्थिक संकेतक के रूप में और सरकारों तथा केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण एवं मूल्य स्थिरता की निगरानी के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है।
    - इसका उपयोग राष्ट्रीय खातों में अपस्फीति के रूप में भी किया जाता है।
- मुद्रास्फीति वह दर है जिस पर चयनित वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में एक निश्चित समयावधि में वृद्धि होती है। इसका सबसे प्रसिद्ध संकेतक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) है जिसकी गणना CPI में साल-दर-साल परिवर्तन को मापकर की जाती है।
- वर्तमान में CPI खुदरा मुद्रास्फीति के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण संकेतक है। वर्ष 2015 से इसके आधार वर्ष में परिवर्तन करते हुए इसे वर्ष 2010 के स्थान पर वर्ष 2012 कर दिया गया था।

IIP आँकड़े

- IIP आँकड़े किसी अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादन में होने वाले परिवर्तनों की मात्रा को मापता है जो देश में औद्योगिक गतिविधि के सामान्य स्तर को दर्शाता है।
    - वर्तमान में इसका आधार वर्ष 2011-12 है।
- यह तीन क्षेत्रों 'खनन, विनिर्माण एवं विद्युत' और विभिन्न उपयोग-आधारित श्रेणियों, जैसे- आधारभूत वस्तुएँ, पूंजीगत वस्तुएँ, मध्यवर्ती वस्तुएँ, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ व उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं के औद्योगिक विकास को कवर करता है।
- वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण एवं राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी जारी होने तक IIP को औद्योगिक विकास के लिए महत्त्वपूर्ण अल्पकालिक संकेतक के रूप में देखा जाता है।

ग्लोबल एक्सेस टू न्यूट्रिशन इंडेक्स और भारत

संदर्भ

गैर-लाभकारी वैश्विक संस्था एक्सेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव (ATNi) ने 'ग्लोबल एक्सेस टू न्यूट्रिशन इंडेक्स' का पाँचवां संस्करण जारी किया।

ग्लोबल एक्सेस टू न्यूट्रिशन इंडेक्स, 2024 के बारे में

- ग्लोबल एक्सेस टू न्यूट्रिशन इंडेक्स के पाँचवें संस्करण में दुनिया के 30 सबसे बड़े खाद्य एवं पेय पदार्थ (Food - Beverages : F-B) निर्माताओं का 'पौष्टिक खाद्य पदार्थों तक पहुँच में सुधार के लिए उनके प्रदर्शन' के आधार पर मूल्यांकन किया गया है।
  - ये 30 कंपनियाँ वैश्विक F-B बाज़ार के 23% का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- यह सूचकांक पोषण से संबंधित विषयों, सुधार के क्षेत्रों की एक श्रृंखला में कंपनियों की सापेक्ष प्रगति को प्रस्तुत करता है और बदलाव के लिए एक रोडमैप प्रदान करता है।
- हालिया सूचकांक में स्वास्थ्य स्टार रेटिंग प्रणाली का उपयोग करते हुए 52,414 उत्पादों का विश्लेषण किया गया।

स्वास्थ्य स्टार रेटिंग प्रणाली

- इस प्रणाली के अंतर्गत उत्पादों को उनके स्वास्थ्यप्रदता के आधार पर 5 के स्कोर में से रैंक किया जाता है, जिसमें 5 सर्वश्रेष्ठ और 3.5 से ऊपर के स्कोर को स्वास्थ्यप्रद विकल्प माना जाता है।
- यह रेटिंग प्रणाली शरीर में जोखिम बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों के घटकों (ऊर्जा, संतृप्त वसा, शर्करा एवं सोडियम) का आकलन करती है और जोखिम कम करने वाले घटकों (प्रोटीन, फाइबर एवं फल, सब्ज़ी, मेवा व फलियाँ) के खिलाफ इनका समायोजन करके अंतिम स्कोर की गणना करती है, जिसे स्टार रेटिंग में बदल दिया जाता है।

सूचकांक के प्रमुख निष्कर्ष

- अग्रणी F&B कंपनियाँ निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों (Low & Middle Income Countries : LMIC) में ऐसे खाद्य उत्पाद बेचती हैं जो उच्च आय वाले देशों (HIC) के उत्पादों की तुलना में कम स्वास्थ्यवर्द्धक होते हैं।
- LMIC में 'पोर्टफोलियो स्वास्थ्यप्रदता' (Portfolio Healthiness) सबसे कम पाई गई, जो विभिन्न बाज़ारों में पेश किए जाने वाले उत्पादों में असमानताओं को उजागर करता है।
  - LMIC में खाद्य उत्पाद स्वास्थ्यप्रदता का स्कोर बहुत कम 1.8 रहा।
  - HIC में खाद्य उत्पाद स्वास्थ्यप्रदता का स्कोर LMIC से अधिक 2.3 रहा।
- इस इंडेक्स में सभी हितधारकों के लिए आवश्यक कदमों का उल्लेख भी किया गया है :
  - **खाद्य एवं पेय पदार्थ निर्माता के लिए सुझाव**
    - बच्चों के लिए विपणित उत्पादों की उपयुक्तता और पोर्टफोलियो की स्वास्थ्यप्रदता पर कंपनी की रणनीतियों का मूल्यांकन करना
    - स्वास्थ्यवर्द्धक उत्पादों की बिक्री का अनुपात बढ़ाने के लिए विशिष्ट, मापनीय एवं समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करना और विपणन पद्धतियों में सुधार करना
    - स्वास्थ्यवर्द्धक उत्पादों की बिक्री और ज़िम्मेदार विपणन नीतियों के अनुपालन पर महत्त्वपूर्ण डाटा को सार्वजनिक करना
  - **निवेशकों के लिए सुझाव**
    - पोषण पर कंपनी के प्रदर्शन का आकलन करने और उसे बढ़ावा देने के लिए मौजूदा पोषण ढाँचे का उपयोग करना
    - कंपनियों को अपने उत्पाद पोर्टफोलियो की स्वास्थ्यप्रदता के बारे में जानकारी प्रकट करने की आवश्यकता
    - शेयरधारक प्रस्तावों, जैसे- रणनीतिक निवेश कार्यों के माध्यम से पोषण पर कंपनी की जवाबदेही को आगे बढ़ाना
    - सरकारों एवं पर्यावरण, सामाजिक व शासन डाटाप्रदाताओं और उद्योग निकायों के साथ सक्रिय रूप से कार्य करना
  - **नीति निर्माता एवं सरकारों के लिए सुझाव**
    - स्वैच्छिक उद्योग विनियमनों को अनिवार्य नीतियों और वित्तीय उपायों के साथ समर्थित करना
    - स्वास्थ्यवर्द्धक उत्पाद विकल्पों को प्रोत्साहित करने के लिए करों और सब्सिडी की एक प्रणाली लागू करना
    - स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के लिए अस्वास्थ्यकर उत्पादों पर करों से प्राप्त राजस्व का उपयोग करना
    - विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों का उपयोग करते हुए बच्चों के लिए अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों के विपणन को प्रतिबंधित करने के लिए अनिवार्य राष्ट्रीय नीतियों को अपनाना तथा उनके क्रियान्वयन के लिए एक तंत्र बनाना
    - अस्वास्थ्यकर उत्पादों को चिह्नित करने के लिए लेबलिंग प्रणाली के उपयोग को अनिवार्य बनाना

भारत के दृष्टिकोण से इसका महत्त्व

- भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, भारत में कुल रोग बोझ का 56.4% का कारण अस्वास्थ्यकर आहार (Unhealthy Diets) है।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आँकड़ों के अनुसार, महिलाओं में मोटापा 24% और पुरुषों में 23% है। साथ ही, कुपोषण, एनीमिया एवं सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी गंभीर समस्याएँ बनी हुई हैं।
- संयुक्त राष्ट्र के आँकड़ों के अनुसार 50% से अधिक भारतीय स्वस्थ आहार का खर्च नहीं उठा सकते।
- भारत विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA) के प्रस्तावों का एक पक्षकार है, जो बच्चों को जंक फूड के हानिकारक विपणन से बचाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
- भारत में पैकेज्ड खाद्य सामग्री पर अनिवार्य चेतावनी लेबलिंग की आवश्यकता है, जिससे उपभोक्ता को खाद्य पदार्थों में शामिल सभी घटकों से होने वाले लाभ एवं नुकसान की जानकारी मिल सके।
  - उदाहरण के लिए, चिली एवं मैक्सिको में इस तरह की अनिवार्य लेबलिंग के बाद चीनी युक्त पेय पदार्थों की खपत कम हो गई।

एसेट रिकवरी इंटरएजेंसी नेटवर्क-एशिया पैसिफिक

- भारत को एसेट रिकवरी इंटरएजेंसी नेटवर्क-एशिया पैसिफिक (ARIN-AP) की संचालन समिति में शामिल किया गया है। भारत वर्ष 2026 में ARIN-AP की अध्यक्षता ग्रहण करेगा।
- ARIN-AP में भारत का प्रतिनिधित्व प्रवर्तन निदेशालय (ED) करता है।

एसेट रिकवरी इंटरएजेंसी नेटवर्क-एशिया पैसिफिक के बारे में

- **परिचय :** ARIN-AP अवैध गतिविधियों की आय का पता लगाने और वसूली को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तियों, कंपनियों एवं संपत्तियों पर सूचनाओं का आदान-प्रदान करता है।
- **स्थापना :** 19 नवंबर, 2013 सियोल (दक्षिण कोरिया) में संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एवं अपराध कार्यालय (United Nations Office on Drugs and Crime : UNODC) के समर्थन से
- **सचिवालय :** सियोल (दक्षिण कोरिया)
- **लक्ष्य :** अपराध की आय से निपटने में पेशेवरों के नेटवर्क के केंद्र के रूप में स्वयं को स्थापित कर अपराधियों को उनके अवैध लाभ से वंचित करने में सदस्यों के प्रयासों की प्रभावशीलता को बढ़ाना
- **क्षेत्राधिकार :** एशिया प्रशांत क्षेत्र के 28 सदस्य देश और 9 पर्यवेक्षक देश
- **नेटवर्क :** यह CARIN (Camden Asset Recovery Inter-agency Network) के हिस्से के रूप में एक अनौपचारिक, किंतु मज़बूत नेटवर्क के रूप में कार्य करता है।
  - CARIN संपत्ति का पता लगाने, उसे फ्रीज़ करने और ज़ब्त करने के क्षेत्र में कानून प्रवर्तन व न्यायिक पेशेवरों का एक अनौपचारिक नेटवर्क है।

उद्देश्य

- अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के ढाँचे के भीतर सभी अपराधों की आय पर ध्यान देना
- अपराध की आय से निपटने के सभी पहलुओं में विशेषज्ञता के केंद्र के रूप में स्वयं को स्थापित करना
- सूचना के आदान-प्रदान और सर्वोत्तम पद्धति को बढ़ावा देना
- संपर्क बिंदुओं का एक नेटवर्क स्थापित करना
- अन्य संबंधित संगठनों, जैसे- UNODC व CARIN के साथ एक ठोस अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क तैयार करना
- परिसंपत्ति वसूली की पद्धतियों व प्रणालियों का अनुसंधान एवं विकास करना
- अपराध की आय से निपटने के सभी पहलुओं में प्रशिक्षण को सुगम बनाना और बढ़ावा देना
- अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों के लिए एक सलाहकार समूह के रूप में कार्य करना
- लक्ष्यों को प्राप्त करने में निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करना

बीमा सुगम

भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बीमा उत्पादों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए 'बीमा सुगम' का शुभारंभ किया।

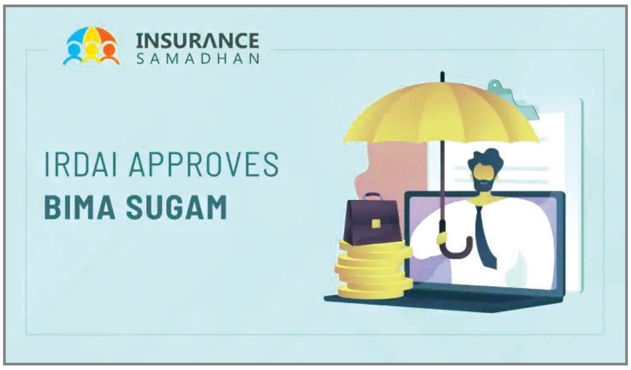

बीमा सुगम के बारे में

- **क्या है :** बीमा सुगम ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के समान एक ऑनलाइन बीमा बाज़ार है, जिसे दावा निपटान (Claim Settlement) सहित बीमा पॉलिसियों को खरीदने, बेचने एवं सेवा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **नियामकीय अनुमोदन :** IRDAI ने बीमा के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने के उद्देश्य से मार्च 2024 में बीमा सुगम पहल को मंज़ूरी दी।
    - यह IRDAI के बीमा त्रयी (Trinity) का हिस्सा है जिसमें शामिल बीमा विस्तार, बीमा वाहक एवं बीमा सुगम हैं।
- **लक्ष्य :** 'वर्ष 2047 तक सभी के लिए बीमा'

मुख्य विशेषताएँ

- यह सभी बीमा कंपनियों को एक-साथ लाता है तथा ग्राहकों, बीमाकर्ताओं, मध्यस्थों एवं एजेंटों के लिए एकल इंटरफेस प्रदान करता है।
- बीमा सुगम पॉलिसी खरीद से लेकर दावा निपटान तक की संपूर्ण डिजिटल सुविधा प्रदान करेगा, जिससे पारदर्शिता व सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
- ग्राहक अपनी सभी बीमा पॉलिसियों (जीवन, स्वास्थ्य, गैर-जीवन) को एक ही एप्लीकेशन में प्रबंधित कर सकते हैं।
- बीमा सुगम के माध्यम से प्रत्यक्ष खरीद से कमीशन लागत कम हो सकती है।
- यह एक ही स्थान पर ग्राहकों को अधिक विकल्प एवं लचीलापन प्रदान करेगा।

RBI द्वारा KYC निर्देशों में संशोधन

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपने ग्राहक को जानो (Know Your Customer : KYC) मानदंडों में बदलाव किए हैं।
- इसका उद्देश्य KYC मानदंडों को धन शोधन निवारण (रिकॉर्ड का रखरखाव) नियमों में हाल ही में किए गए संशोधनों के साथ संरेखित करना और कुछ मौजूदा निर्देशों को संशोधित करना है।
    - नवीनतम संशोधन KYC निर्देश, 2016 में संशोधन का प्रावधान करता है।
- इसके अनुसार, विनियमित संस्थाओं को 'विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड' स्तर पर ग्राहक की उचित जाँच प्रक्रिया लागू करनी होगी।
- आर.बी.आई. के परिपत्र के अनुसार, संशोधित प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
- धन शोधन निवारण (संशोधन) नियम, 2023 के अनुसार, प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि खाता-आधारित संबंध या लेनदेन प्रारंभ करते समय 'ट्रस्टी' अपनी स्थिति का खुलासा करें।

भारत ब्रांड योजना

हाल ही में, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने भारत ब्रांड योजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया।

भारत ब्रांड योजना के बारे में

- **परिचय :** इस योजना में सरकार द्वारा 'भारत ब्रांड' लेबल के अंतर्गत मध्यम वर्ग को रियायती मूल्य पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है।
- **प्रथम चरण :** इस योजना के प्रथम चरण का प्रारंभ वर्ष 2023 में किया गया था।
    - इसमें सरकार ने आटा, चावल, चना एवं दालों को रियायती दरों पर आम जनता को उपलब्ध कराया था।
- **द्वितीय चरण :** वर्तमान में सरकार द्वारा इस योजना के द्वितीय चरण को प्रारंभ किया गया है।
    - द्वितीय चरण में उपभोक्ताओं को 30 रुपए प्रति किग्रा. के अधिकतम खुदरा मूल्य की दर से 'भारत आटा' और 34 रुपए प्रति किग्रा. की दर से 'भारत चावल' उपलब्ध कराया जा रहा है।
- **भारत ब्रांड :** इससे पूर्व वर्ष 2022 में सरकार ने 'एक राष्ट्र, एक उर्वरक' योजना शुरू की थी, जिसके तहत सभी कंपनियों के लिए एकल ब्रांड नाम 'भारत ब्रांड' के तहत सब्सिडी वाले उर्वरक बेचना अनिवार्य कर दिया गया था।
    - इस नीति के अनुसार, यूरिया एवं डी.ए.पी. जैसे सभी सब्सिडी वाले उर्वरकों की पैकेजिंग डिज़ाइन व लेबल नाम एकसमान होंगे, जैसे– भारत यूरिया व भारत डी.ए.पी.।

❑❑❑

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

GSAT-N2 सैटेलाइट

संदर्भ

एलन मस्क के स्वामित्व वाली स्पेसएक्स कंपनी के 'फाल्कन 9' रॉकेट ने 19 नवंबर, 2024 को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के GSAT-N2 सैटेलाइट (कृत्रिम उपग्रह) को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया।

GSAT-N2 के बारे में

- **क्या है :** एक संचार सैटेलाइट
  - इसे GSAT-20 भी कहा जाता है।
- **निर्माण :** इसरो के सैटेलाइट सेंटर तथा लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर द्वारा विकसित।
- **उद्देश्य :** भारत की बढ़ती कनेक्टिविटी आवश्यकताओं की पूर्ति
- **जीवन काल :** 14 वर्ष
- **वज़न :** 4,700 किग्रा.
- **स्थिति :** भूस्थिर कक्षा (35,786 किमी. की ऊँचाई पर)

GSAT-N2 की प्रमुख विशेषताएँ

- **उच्च डाटा क्षमता :** 32 उपयोगकर्ता बीम्स (User Beams) पर 48 जी.बी.पी.एस. की थ्रूपुट (किसी प्रणाली या प्रक्रिया से गुज़रने वाली सामग्री या वस्तुओं की मात्रा) के साथ यह सैटेलाइट मज़बूत ब्रॉडबैंड कवरेज सुनिश्चित करता है जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीपसमूह जैसे दूरदराज़ के क्षेत्रों तक विस्तारित सेवा प्रदान करेगा।
  - 32 उपयोगकर्ता बीम में से पूर्वोत्तर क्षेत्र पर 8 नैरो स्पॉट बीम (Narrow Spot Beam) और शेष भारत पर 24 वाइड स्पॉट बीम (Wide Spot Beam) शामिल हैं।
- **Ka-बैंड प्रौद्योगिकी :** Ka-बैंड (Ka-Band) आवृत्ति का उपयोग करते हुए GSAT-20 को उड़ान के दौरान (In-Flight) इंटरनेट सेवाओं एवं स्मार्ट सिटी पहलों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **स्थायित्व एवं दक्षता :** इस सैटेलाइट को 14 वर्ष के मिशन काल के लिए तैयार किया गया है और इसमें कार्बन फाइबर वाली पॉलिमर संरचनाओं एवं लिथियम आयन बैटरियों सहित उन्नत सामग्री का उपयोग किया गया है।
- **मांग-संचालित मॉडल :** यह प्रक्षेपण भारत सरकार के वर्ष 2020 अंतरिक्ष क्षेत्र सुधारों का हिस्सा है जिसके तहत NSIL को सेवा मांग के आधार पर सैटेलाइट विकसित करने का अधिकार दिया गया है।

इसरो-स्पेसएक्स सहयोग

- यह पहला अवसर है जब इसरो द्वारा निर्मित कोई सैटेलाइट स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किया गया है।
- इसरो एवं स्पेसएक्स के बीच इस प्रक्षेपण सहयोग का उद्देश्य भारत में दूरदराज़ के क्षेत्रों के साथ-साथ इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी सहित इंटरनेट सेवाओं को बढ़ाना है।
- ऐतिहासिक रूप से भारत भारी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए फ्राँसीसी एरियनस्पेस रॉकेट पर निर्भर रहा है।
- हालाँकि, 4,700 किग्रा. का GSAT-20 भारत के लॉन्च वाहनों की क्षमता से अधिक था, जिसके कारण NSIL को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 को चुनना पड़ा।
  - फाल्कन 9 रॉकेट स्पेसएक्स द्वारा निर्मित एक पुनर्प्रयोग (Reusable) रॉकेट है।
  - फाल्कन 9 से सैटेलाइट के साथ-साथ लोगों को भी स्पेस में ले जा सकते हैं।
  - इसके पुनर्प्रयोग होने से कंपनी के प्रोजेक्ट्स की लागत काफी कम हो जाती है।

NSIL के बारे में

- न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) इसरो की वाणिज्यिक शाखा है।
- इसकी स्थापना 6 मार्च, 2019 (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत) को हुई थी।
- इसकी प्राथमिक ज़िम्मेदारी भारतीय उद्योगों को उच्च प्रौद्योगिकी वाली अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों को शुरू करने में सक्षम बनाना है।
- यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के उत्पादों एवं सेवाओं के प्रचार व वाणिज्यिक दोहन के लिए भी ज़िम्मेदार है।
- जून 2022 में NSIL ने अपना पहला मांग-संचालित सैटेलाइट मिशन GSAT-24 (जिसे अब GSAT-N1 कहा जाता है) सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसे पूरी तरह से केवल एक कंपनी टाटा प्ले द्वारा पट्टे पर लिया गया है।
- हालाँकि, GSAT-24 के विपरीत GSAT-20 कई उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करेगा।

इस प्रक्षेपण के निहितार्थ

- GSAT-N2 का सफल प्रक्षेपण अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए भारत के उभरते दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसमें घरेलू विशेषज्ञता को वैश्विक भागीदारी के साथ जोड़ा गया है।
- स्पेसएक्स के साथ साझेदारी न केवल NSIL के लिए एक नया अध्याय शुरू करती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को भी दर्शाती है।
- स्मार्ट सिटीज़, इन-फ्लाइट इंटरनेट एवं दूरदराज़ के क्षेत्रों के लिए कनेक्टिविटी लगातार महत्त्वपूर्ण होती जा रही है, ऐसे में GSAT-20 भविष्य में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

प्लैनिटेरी परेड

संदर्भ

वैज्ञानिकों के अनुसार, जनवरी 2025 में एक दुर्लभ प्लैनिटेरी परेड (ग्रहों की परेड) की घटना होगी।

प्लैनिटेरी परेड के बारे में

- प्लैनिटेरी परेड एक दुर्लभ खगोलीय घटना को संदर्भित करती है जिसमें हमारे सौरमंडल में कई ग्रह (सामान्यत: चार या उससे अधिक) सूर्य के एक ही तरफ संरेखित होते हैं। इससे एक आकर्षक दृश्य का निर्माण होता है।
- परेड के दौरान रात्रि के समय आकाश में कई ग्रहों को एक पंक्ति में देखा जा सकता है। ग्रह या तो एक ही क्षेत्र में होते हैं या एक-दूसरे के अपेक्षाकृत निकट होते हैं।

प्लैनिटेरी परेड की मुख्य विशेषताएँ

- **संरेखण (Alignment) :** यद्यपि 'संरेखण' का अर्थ पूर्ण व सटीक स्थिति का होना नहीं है किंतु, प्लैनिटेरी परेड के दौरान ग्रह आकाश में एक-साथ समूहबद्ध दिखाई देते हैं, जो आमतौर पर क्षितिज के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से में फैले होते हैं।
- **दृश्यता (Visibility) :** इसमें शामिल कुछ ग्रहों को नग्न आँखों से देखा जा सकता है और दिखाई देने वाले विशिष्ट ग्रह देखने के समय तथा स्थान पर निर्भर करेंगे।
- **घटना का समय (Time of Incident) :** प्लैनिटेरी परेड कोई दैनिक घटना नहीं है। आमतौर पर यह कुछ दशकों के अंतराल में घटित होती है जो ग्रहों की सापेक्ष स्थिति और उनकी कक्षाओं पर निर्भर करती है।

प्लैनिटेरी परेड को प्रभावित करने वाले कारक

- **कक्षीय स्थितियाँ (Orbital Positions) :** हमारे सौरमंडल में ग्रह अलग-अलग अवधि के साथ अंडाकार कक्षाओं का अनुसरण करते हैं। बाह्य ग्रहों (बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून) की तुलना में आंतरिक ग्रह (बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल) तेज़ी से गतिमान होते हैं और इस प्रकार,समय के साथ एक-दूसरे के सापेक्ष उनकी स्थितियाँ बदलती रहती हैं।
- **क्रांतिवृत्त तल (Ecliptic Plane) :** सभी ग्रह आकाश में एक संकीर्ण पट्टी के भीतर परिक्रमा करते हैं, जिसे 'क्रांतिवृत्त तल' कहते हैं। इससे ग्रहों की परेड इस तल पर होने की अधिक संभावना होती है।
- **दृश्यता की स्थिति (Visibility Conditions) :** प्लैनिटेरी परेड हमेशा दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि कई बार ग्रह सूर्य के बहुत निकट स्थित हो सकते हैं (और इसलिए सूर्य के प्रकाश से अस्पष्ट या अदृश्य हो सकते हैं) या पृथ्वी से बहुत दूर हो सकते हैं जिससे उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता।

जनवरी 2025 में होने वाले प्लैनिटेरी परेड के बारे में

- जनवरी 2025 में हमारे सौरमंडल के छह ग्रह एक पंक्ति में होंगे और रात्रि के आकाश में दिखाई देंगे। इनके नाम इस प्रकार हैं–
  - शुक्र
  - मंगल
  - बृहस्पति
  - शनि
  - यूरेनस
  - नेपच्यून
- सातवाँ ग्रह बुध भी कुछ ही समय बाद इस पंक्ति में शामिल हो जाएगा। इस प्रकार, यह एक उल्लेखनीय खगोलीय घटना बन जाएगी।
- **नग्न आँखों से दिखाई देने वाले ग्रह :** शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि को नग्न आँखों से (दूरबीन की आवश्यकता के बिना) आसानी से देखा जा सकेगा।
- **दूरबीन की आवश्यकता वाले ग्रह :** यूरेनस एवं नेपच्यून को स्पष्ट रूप से देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता होगी क्योंकि वे पृथ्वी से अधिक दूर व मंद प्रकाश वाले हैं।
- **सर्वोत्तम दृश्य अवधि :** 21 जनवरी, 2025 से 21 फरवरी, 2025 तक
  - हालाँकि, ग्रह इस अवधि से पहले और बाद में भी कुछ समय के लिए दिखाई देंगे। सबसे अच्छी दृश्यता नव चंद्रमा या अमावस्या (29 जनवरी, 2025) के आसपास होगी।
- **भौगोलिक स्थान :** प्लैनिटेरी परेड की यह घटना उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया एवं दुनिया के अन्य हिस्सों में देखी जा सकेगी।

प्रसिद्ध प्लैनिटेरी परेड

- **प्लैनिटेरी परेड (2004) :** सबसे हाल ही में घटित प्रमुख ग्रह संरेखणों में से एक दिसंबर 2004 में हुआ था। इस संरेखण में पाँच ग्रह थे– बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति एवं शनि।
- **वर्ष 2011 का संरेखण :** एक अन्य प्लैनिटेरी परेड में शुक्र, बृहस्पति एवं बुध ग्रह शामिल थे, जो नग्न आँखों से दिखाई दे रहे थे।

एवियन बोटुलिज़्म

संदर्भ

सांभर झील में उच्च तापमान एवं निम्न लवणता ने एवियन बोटुलिज़्म के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा कर दी हैं। सेंटर फॉर एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कम-से-कम 600 प्रवासी पक्षियों की मौत की सूचना दी है।

एवियन बोटुलिज़्म

- 'एवियन बोटुलिज़्म' बोटॉक्स (Botox) से होने वाला तंत्रिका तंत्र संबंधी (Neuromuscular) एक रोग है। बोटॉक्स एक प्राकृतिक विष है जो 'क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम' (Clostridium Botulinum) जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है।
- बोटॉक्स पक्षियों (विशेषकर जलीय पक्षी) तथा मनुष्यों दोनों को प्रभावित करता है। ये विष लगभग आठ प्रकार के होते हैं। बोटॉक्स 'C' पक्षियों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जो पक्षियों में पक्षाघात का कारण बनता है।
- क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम सामान्यतः मृदा, नदी व समुद्री जल में पाया जाता है। इसके लिए एनारोबिक (ऑक्सीजन की अनुपस्थिति) स्थितियाँ अनुकूल होती हैं जबकि अम्लीय परिस्थितियों में यह वृद्धि नहीं करता है।
- ये जीवाणु बीजाणु आर्द्रभूमि तलछट में व्यापक रूप से फैले हुए होते हैं और अधिकांश आर्द्रभूमि आवासों के साथ-साथ कीड़े, मोलस्क व क्रस्टेशियन जैसे अकशेरुकी और स्वस्थ पक्षियों सहित कई कशेरुकी में भी पाए जाते हैं।
- इस बीमारी का कोई उपचार नहीं है किंतु, प्रभावित पक्षियों को एकाकी (Isolate) करने और उनका निपटान करने की सिफारिश की जाती है।
- यूनाइटेड किंगडम स्थित वाइल्डफाउल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट (WWT) के अनुसार, अपेक्षाकृत उच्च तापमान, निम्न ऑक्सीजन स्तर और कार्बनिक पोषक तत्वों की प्रचुरता जैसी स्थितियाँ पक्षियों में इस महामारी के प्रकोप में योगदान कर सकती हैं।
- नवंबर 2019 में सांभर झील के आसपास 18,000 से अधिक पक्षियों की मौत हो गई थी, जिनमें प्रवासी पक्षी भी शामिल थे। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली ने इस घटना में एवियन बोटुलिज़्म की पुष्टि की थी।

सांभर झील में एवियन बोटुलिज़्म के प्रसार का कारण

- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, सांभर झील और आसपास के क्षेत्र में अक्तूबर माह में तापमान औसत से अधिक रहा।
- चूँकि, सांभर झील खारे जल की झील है, इसलिए अक्तूबर में वर्षा की कमी के कारण इसमें ऑक्सीजन का स्तर कम हो गया होगा।
- बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) के अनुसार, झील के पानी की गुणवत्ता में अचानक परिवर्तन से यह प्रकोप शुरू हुआ हो सकता है। खारे पानी की झील सांभर में ताज़े पानी के आने से पानी की गुणवत्ता में बदलाव आ रहा है।

कण त्वरक

संदर्भ

भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग थोरियम के लिए 1 गीगा इलेक्ट्रॉन-वोल्ट (GeV) कण त्वरक (Particle Accelerator) के निर्माण की योजना बना रहा है।

क्या है कण त्वरक

- कण त्वरक बंदूक के समान एक उपकरण होता है जिसमें उप-परमाणु कण (इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन) होते हैं।
- इन कणों की बमबारी का उपयोग थोरियम को यूरेनियम-233 (U-233) में बदलने के लिए किया जाता है।
  - यूरेनियम-233 का उपयोग परमाणु रिएक्टर में विद्युत निर्माण के लिए किया जा सकता है।
- भारत में कई कण त्वरक (साइक्लोट्रॉन एवं सिंक्रोट्रॉन) उपलब्ध हैं किंतु ये 30 मेगा इलेक्ट्रॉन-वोल्ट (MeV) तक ही सीमित हैं।
- नया कण त्वरक भारत के विशाल थोरियम संसाधनों के दोहन का एक साधन है जो भारत को ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी दे सकता है।
- कण त्वरक भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थोरियम को परमाणु ईंधन में बदलने में मदद करेगी।

ईंधन के रूप में थोरियम

- परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए थोरियम के उपयोग के कई तरीके हैं। पहली विधि में परमाणु रिएक्टर में थोरियम के विकिरण (Irradiation) से यूरेनियम-233 का उत्पादन करना शामिल है।
  - फास्ट-ब्रीडर रिएक्टर में उपभोग की तुलना में अधिक विखंडनीय सामग्री का उत्पादन किया जा सकता है।
  - अधिशेष विखंडनीय सामग्री का उपयोग अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लिए किया जा सकता है।
  - यह तरीका भारत की त्रि-चरणीय परमाणु ऊर्जा रणनीति का हिस्सा है।
- दूसरे तरीके में परमाणु संयंत्र में उच्च ताप विन्यास (High Burn-up Configuration) में यूरेनियम के साथ थोरियम का उपयोग करना शामिल है, ताकि इसके माध्यम से उत्पन्न यूरेनियम-233 के इन-सीटू (In-situ) विखंडन से थोरियम से अधिशेष ऊर्जा प्राप्त की जा सके।

- इस विधि का श्रेय 'क्लीन कोर थोरियम एनर्जी' कंपनी को जाता है, जो 14-15% तक संवर्द्धित यूरेनियम-238 एवं थोरियम से युक्त परमाणु ईंधन विकसित कर रही है। इसका ANEEL ईंधन वर्तमान में अमेरिका के इडाहो प्रयोगशालाओं में विकिरण परीक्षणों से गुज़र रहा है।

- तीसरी कार्यप्रणाली में थोरियम से विखंडनीय यूरेनियम-233 के उत्पादन हेतु न्यूट्रॉन निर्माण के लिए उच्च-ऊर्जा (1 GeV से अधिक) व उच्च-विद्युत धारा प्रोटॉन त्वरक का भी उपयोग किया जाता है।
  - इसीलिए, परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) 1 GeV त्वरक के निर्माण की योजना बना रहा है।

ऑस्टियोपोरोसिस

संदर्भ

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के आँकड़ों के अनुसार, भारत में 61 मिलियन लोग ऑस्टियोपोरोसिस (Osteoporosis) से पीड़ित हैं जिसमें लगभग 80% महिलाएँ हैं।

ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में

- ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो अस्थियों को कमज़ोर बनाती है जिससे अस्थियों का घनत्व कम हो जाता है और फ्रैक्चर होने की संभावना बहुत अधिक होती है।

- अस्थियाँ प्रायः इतनी सघन एवं मज़बूत होती हैं कि वे शरीर का सारा वज़न सहन कर लेती हैं।
  - हालाँकि, आयु बढ़ने के साथ-साथ स्वाभाविक रूप से अस्थियों का घनत्व कुछ कम हो जाता है और उनकी स्वयं को फिर से विकसित (पुनः आकार देने) करने की क्षमता समाप्त हो जाती है।

- ऑस्टियोपोरोसिस के कारण किसी भी अस्थि के टूटने की संभावना बढ़ जाती है। सर्वाधिक प्रभावित होने वाली अस्थियों में कूल्हे (Hips), कलाई (Wrists) एवं रीढ़ की अस्थि (Spine) शामिल हैं।

- वैश्विक स्तर पर, ऑस्टियोपोरोसिस के कारण प्रतिवर्ष लगभग 9 मिलियन फ्रैक्चर होते हैं।

ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण

- ऑस्टियोपोरोसिस में अन्य स्वास्थ्य स्थितियों की तरह किसी प्रकार के स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। यही कारण है कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कभी-कभी इसे एक 'मूक विकार' या 'साइलेंट किलर' (Silent Disease or Silent Killer) भी कहते हैं।

- इस रोग का सबसे सामान्य लक्षण मामूली चोट या दुर्घटना के बाद भी अस्थि का अचानक टूट जाना है।

- ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को बढ़ाने वाले कारकों में महिलाओं में रजोनिवृत्ति (Menopause) के बाद की स्थिति, निम्न बॉडी मास इंडेक्स (BMI), असंतुलित आहार, गतिहीन जीवन शैली, धूम्रपान एवं शराब का सेवन आदि को शामिल किया जा सकता है।

- यद्यपि ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण स्पष्ट तौर पर नहीं दिखाई देते है किंतु इससे शरीर मे होने वाले कुछ बदलावों को देखा जा सकता है—
  - लंबाई में एक इंच या उससे अधिक की कमी होना
  - प्राकृतिक मुद्रा (Natural Posture) में परिवर्तन (जैसे– आगे की ओर अधिक झुकना)
  - साँस लेने में तकलीफ (यदि आपकी रीढ़ की अस्थि की डिस्क इतनी संकुचित हो गई हो कि आपके फेफड़ों की क्षमता कम हो जाए)।
  - पीठ के निचले हिस्से में दर्द

ऑस्टियोपोरोसिस का निदान एवं परीक्षण

ऑस्टियोपोरोसिस का निदान अस्थि घनत्व परीक्षण (Bone Density Test) द्वारा किया जाता है। यह एक इमेजिंग परीक्षण है इसमें अस्थियों में कैल्शियम एवं अन्य खनिजों की मात्रा को मापने के लिए एक्स-रे का उपयोग किया जाता है।

- अस्थि घनत्व परीक्षण को Dual-Energy X-ray Absorptiometry (DXA) स्कैन भी कहा जाता है।
- यह एक आउटपेशेंट प्रक्रिया है, जिसका अर्थ है कि आपको अस्पताल में रहने की आवश्यकता नहीं होगी।

ऑस्टियोपोरोसिस का प्रबंधन व उपचार

- **स्वस्थ जीवन शैली :** यद्यपि ऑस्टियोपोरोसिस को पूर्णतया ठीक नहीं किया जा सकता है किंतु, जीवन शैली एवं आहार संबंधी कुछ कारक इसके जोखिम को कम कर सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का प्रबंधन एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसके लिए जीवन शैली में निरंतर बदलाव की आवश्यकता होती है।
- **खनिज व विटामिन :** कैल्शियम और विटामिन 'डी' अस्थियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। कैल्शियम अस्थियों को मज़बूत बनाए रखने में मदद करता है जबकि विटामिन 'डी' कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है।
  - ऐसे में 50 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं और 70 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को भोजन से प्रतिदिन कम-से-कम 1,200 मिलीग्राम कैल्शियम लेना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो पूरक आहार भी लेना चाहिए।
- **नियमित व्यायाम :** नियमित व्यायाम अस्थियों और उनसे संबंधित सभी ऊतकों, जैसे– माँसपेशियों, टेंडन एवं लिगामेंट्स को मज़बूत कर सकता है। वज़न उठाने वाले व्यायाम, तेज़ चलना, जॉगिंग व नृत्य अस्थियों के घनत्व को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे हैं।
- **उपचार :** ऑस्टियोपोरोसिस के उपचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुछ हॉर्मोन थेरेपी में रिप्लेसमेंट एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन और बिसफॉस्फोनेट्स (Bisphosphonates) आदि शामिल हैं। गंभीर ऑस्टियोपोरोसिस या फ्रैक्चर के उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए पैराथाइरॉइड हॉर्मोन (PTH) एनालॉग, डेनोसुमैब (Denosumab) एवं रोमोसोजुमाब (Romosozumab) सहित विभिन्न दवाओं का उपयोग किया जाता है। ये दवाएँ प्राय: इंजेक्शन के रूप में दी जाती हैं।

एनालॉग अंतरिक्ष मिशन

संदर्भ

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा भारत का पहला अंतरग्रहीय (मंगल एवं चंद्रमा) 'एनालॉग' अंतरिक्ष मिशन लेह (लद्दाख) में शुरू किया गया।

एनालॉग अंतरिक्ष मिशन के बारे में

- **उद्देश्य :** अंतरग्रहीय आवास स्थितियों का अनुकरण करना है।
  - इससे वैज्ञानिकों को पृथ्वी से परे एक स्थायी बेस स्टेशन स्थापित करने की व्यवहार्यता का पता लगाने में मदद मिलेगी।
  - यह मिशन मंगल एवं चंद्रमा पर चरम स्थितियों का अनुकरण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिससे भारत अपनी मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं को बढ़ा सकेगा।
- **शामिल भागीदार :** इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र द्वारा शुरू किए गए इस मिशन में AAKA स्पेस स्टूडियो, लद्दाख विश्वविद्यालय, आई.आई.टी. बॉम्बे शामिल हैं।
  - इसके अलावा यह मिशन लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद् द्वारा भी समर्थित है।
- **विशेषताएँ :** मानव-केंद्रित आवास प्रोटोटाइप के परीक्षण पर केंद्रित है।
  - यह आवास, एयरलॉक एवं एक्स्ट्रा-व्हीक्युलर गतिविधियों (EVA), सर्केडियन प्रकाश व्यवस्था, हाइड्रोपोनिक्स, पर्यावरण निगरानी प्रणाली और स्टैंड-अलोन पावर सिस्टम जैसी कई नवीन प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करता है।
  - EVA पृथ्वी की ऊपरी कक्षा में अपने अंतरिक्ष यान के बाहर अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ हैं।
  - एयरलॉक और EVA ज़ोन आवास की समग्रता को बनाए रखते हुए EVA की तैयारी के लिए एक समर्पित स्थान है।
  - सर्केडियन प्रकाश व्यवस्था अंतरिक्ष यात्रियों के सोने-जागने के पैटर्न का समर्थन करने के लिए प्राकृतिक दिन के प्रकाश चक्रों का अनुकरण करती है।
  - हाइड्रोपोनिक्स ताज़ा भोजन उत्पादन का समर्थन करता है।
  - स्टैंड-अलोन पावर सिस्टम निर्बाध बिजली सुनिश्चित करने के लिए अक्षय ऊर्जा का उपयोग करता है।
  - पर्यावरण निगरानी प्रणाली इष्टतम कामकाज के लिए आवास की स्थिति पर नज़र रखती है।

एनालॉग अंतरिक्ष मिशन के लिए लद्दाख के चुनाव का कारण

- लद्दाख में स्थित इस मिशन स्थल को इसके अद्वितीय वातावरण के लिए चुना गया था जो मंगल एवं चंद्रमा की सतहों से काफी मिलता-जुलता है।
- यह आवास संधारणीयता, जीवन समर्थन प्रणालियों और अलगाव (Isolation) के मानवीय अनुभव के परीक्षण के लिए एक प्राकृतिक प्रयोगशाला है।
- यहाँ का दैनिक तापमान 15°C से -10°C तक बदलता है जो बाहरी वातावरण की चुनौतियों का अनुकरण करता है जिससे आवास के तापीय इन्सुलेशन का परीक्षण संभव हो पाता है।
- समुद्र तल से 3,500 मीटर से अधिक की ऊँचाई पर स्थित लद्दाख का ऑक्सीजन स्तर समुद्र तल का केवल 40% है जिससे शोधकर्ताओं को मंगल ग्रह के समान निम्न दाब की स्थितियों के लिए जीवन समर्थन प्रणालियों का परीक्षण करने में सहायता मिलती है।

- इस क्षेत्र की रेतीली एवं चट्टानी मिट्टी मंगल ग्रह व चंद्रमा की मिट्टी से मिलती-जुलती है जो रोवर की गतिशीलता और संसाधनों के उपयोग पर अनुसंधान के लिए आदर्श है।

इसे भी जानिए!

- नासा के अनुसार, एनालॉग मिशन सुदूर पृथ्वी के वातावरण में किए जाने वाले क्षेत्र परीक्षण हैं, जिनका उद्देश्य चरम अंतरिक्ष स्थितियों का अनुकरण करना है। इससे शोधकर्ताओं को अंतरिक्ष जैसी चुनौतियों के प्रति मानव एवं रोबोट की प्रतिक्रिया के अध्ययन का अवसर मिलता है।
  - दुनिया भर में ऐसे परीक्षण स्थल मौजूद हैं जो रेगिस्तान से लेकर ज्वालामुखीय परिदृश्यों तक कठोर अंतरिक्ष स्थितियों का अनुकरण करते हैं।

TOI-6651b

भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (Physical Research Laboratory : PRL) अहमदाबाद के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने सौरमंडल के बाहर एक नए ग्रह 'TOI-6651b' की खोज की है।

TOI-6651b की विशेषताएँ

- यह पृथ्वी से पाँच गुना बड़ा एवं 60 गुना भारी है जो उप-शनि वर्ग (Sub-Saturn Class) का एक ग्रह है।
  - उप-शनि वर्ग के ग्रहों का आकार वरुण एवं शनि के मध्य का होता है।
- इसकी खोज 'PRL एडवांस्ड रेडियल वेलोसिटी अबू स्काई सर्च-2' (PARAS-2) का उपयोग करके की गई है।
  - PARAS-2 राजस्थान के माउंट आबू में PRL के 2.5 मीटर दूरबीन पर लगा एक उच्च-स्तरीय स्पेक्ट्रोस्कोप है।
- सूर्य से 690 प्रकाश वर्ष दूर स्थित TOI-6651b ग्रह नेपच्यूनियन डेजर्ट के किनारे पर स्थित उप-शनि वर्ग का तीसरा सबसे सघन ग्रह है।
  - नेपच्यून डेजर्ट ज्ञात एक्सोप्लैनेट पिंड का एक क्षेत्र है जहाँ तारों के समीप घूमने वाले ग्रह दुर्लभ होते हैं।
- जर्नल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, TOI-6651b अपने मेज़बान सूर्य जैसे तारे की परिक्रमा मात्र 5 दिनों में करता है।
- यह अपने मूल तारे के बहुत करीब से चक्कर लगा रहा है, इसलिए इस क्षेत्र को तारे से ही मज़बूत विकिरण प्राप्त होता है।
  - ऐसे में निकटवर्ती ग्रह वाष्पित होने के कारण अपने गैसीय वातावरण को लंबे समय तक बनाए रखने में असमर्थ होंगे और अवशेष में केवल एक चट्टानी कोर ही रह जाएगा।
- लोहे जैसी समृद्ध धातुओं से बना TOI-6651b एक्सोप्लैनेट का कोर बहुत बड़ा है (ग्रह के कुल द्रव्यमान का लगभग 87%) जबकि शेष द्रव्यमान में हाइड्रोजन और हीलियम का कम घनत्व वाला आवरण शामिल है।
  - TOI-6651b भी पूर्व में एक विशालकाय गैसीय ग्रह था, लेकिन कुछ ज्वारीय प्रक्रियाओं के कारण पिछले कुछ वर्षों में यह अपनी वर्तमान स्थिति में पहुँच गया है।
- इसका सतही तापमान 1,500 डिग्री केल्विन (लगभग 1,200) मापा गया, जिससे TOI-6651b के रहने योग्य होने की संभावना समाप्त हो गई।

इसे भी जानिए!

- PARAS-2 माउंट आबू के गुरुशिखर में PRL की वेधशाला में 2.5 मीटर दूरबीन से लैस है।
- 380-690 नैनोमीटर बैंड में सबसे बेहतर संचालन करने वाला यह फाइबर-फेड स्पेक्ट्रोग्राफ एशिया में स्पेक्ट्रोग्राफ के बीच उच्चतम रिज़ॉल्यूशन प्रदान करता है।
- इसे सुपर-अर्थ जैसी दुनिया की खोज के लिए डिज़ाइन किया गया है।

हाशिमोटो

- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिज़ीज़ (NIDDK) के अनुसार, हाशिमोटो विकार एक स्व-प्रतिरक्षी विकार (Autoimmune Disorders) है जो हाइपोथायरायडिज़्म या अल्पसक्रिय थायरॉयड का कारण बन सकता है।
  - हालाँकि, कुछ मामलों में यह हाइपरथायरायडिज़्म या अतिसक्रिय थायरॉयड का कारण भी बन सकता है।
- इसको 'हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस' या 'क्रोनिक लिम्फोसाईटिक थायरॉयडाइटिस' के नाम से भी जाना जाता है। यह तब होता है जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली थायरॉयड ग्रंथि पर हमला करती है।
- थायरॉयड हॉर्मोन शरीर के ऊर्जा उपयोग को नियंत्रित करते हैं जो लगभग प्रत्येक अंग को प्रभावित करते हैं। इसमें हृदय गति पर प्रभाव भी शामिल है।
- इसका कोई विशिष्ट उपचार नहीं हैं किंतु, समग्र रूप से थायरॉयड स्वास्थ्य को बेहतर करने से इसके जोखिम को कम किया जा सकता है। बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर हाशिमोटो रोग (Hashimoto's Disease) से पीड़ित हैं।

- हाशिमोटो रोग महिलाओं एवं महिला शरीर रचना वाले लोगों में अधिक सामान्य है और यह प्राय: मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं में देखा जाता है। यह किसी भी आयु में हो सकता है।
- हाशिमोटो रोग के विकास के कुछ कारकों में थायरॉइड रोग का पारिवारिक इतिहास, रुमेटॉइड गठिया, ल्यूपस या टाइप 1 मधुमेह जैसी अन्य स्व-प्रतिरक्षी विकार शामिल हैं।

NIDDK के अनुसार हाशिमोटो रोग के सामान्य लक्षण

- थकान व कब्ज़
- वज़न में वृद्धि एवं वज़न कम करने में कठिनाई
- ठंड के प्रति संवेदनशीलता
- जोड़ों एवं माँसपेशियों में दर्द
- शुष्क त्वचा या शुष्क व पतले बाल
- अत्यधिक या अनियमित मासिक धर्म या प्रजनन संबंधी समस्याएँ
- हृदय गति का मंद होना
- अवसाद एवं फूला हुआ चेहरा

FK-4000 वायु रक्षा प्रणाली

हाल ही में, चीन ने झुहाई शहर में आयोजित विशाल एयर शो में नए उन्नत हथियारों का प्रदर्शन किया। इसमें प्रमुख रूप से FK-4000 वायु रक्षा प्रणाली आकर्षण का केंद्र रही।

FK-4000 वायु रक्षा प्रणाली के बारे में

- **निर्माता :** FK-4000 मोबाइल वायु रक्षा हथियार प्रणाली का निर्माण चाइना एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन ने किया है।
- **कार्य :** यह रक्षा प्रणाली छोटे व हल्के ड्रोन से लेकर सूक्ष्म मानवरहित हवाई विमानों तक को रोकने के लिए उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव (HPM) का उपयोग करता है।
- **क्षमता :** FK-4000 में लगभग 8 मीटर चौड़ा एंटीना लगा है जो 1 सेकंड से भी कम समय में 3 किमी. (लगभग 2 मील) की दूरी तक माइक्रोवेव विस्फोट करने में सक्षम है।
  - यह मोबाइल अर्थात् चालित रक्षा प्रणाली है, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है।

माइक्रोवेव हथियारों का महत्त्व

- माइक्रोवेव हथियार पारंपरिक जवाबी हमले के साधनों की तुलना में अधिक तीव्र होते हैं।
- ये मूलत: अदृश्य होते हैं और विशाल सतह क्षेत्र पर हमला कर सकते हैं जिससे वे बड़े क्षेत्रों के लिए लेज़र की तुलना में अधिक प्रभावी उपकरण माने जाते हैं।
- लेज़र एक समय में एक ड्रोन को निशाना बनाते हैं जबकि माइक्रोवेव हथियार पूरे क्षेत्र को निशाना बना सकते हैं।

लेज़र एवं माइक्रोवेव हथियारों में अंतर

विशेषताएँ	लेज़र हथियार	माइक्रोवेव हथियार
कार्य	यह लेज़र का उपयोग करके सीधे लक्ष्य तक ऊर्जा पहुँचाता है।	यह उच्च शक्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग करके सीधे लक्ष्य तक ऊर्जा पहुँचाता है, इसलिए इन्हें उच्च शक्ति माइक्रोवेव हथियार भी कहा जाता है।
वायुमंडलीय प्रभाव	लेज़र हथियारों का प्रदर्शन वायुमंडलीय घटनाओं, जैसे– बादल, वर्षा, वाष्प आदि से प्रभावित होता है।	माइक्रोवेव हथियारों का प्रदर्शन वायुमंडलीय घटनाओं से प्रभावित नहीं होता है क्योंकि माइक्रोवेव बादल, धूल एवं जलवाष्प कणों को भेद सकते हैं। इसलिए इनका प्रयोग किसी भी वायुमंडलीय परिस्थितियों में किया जा सकता है।
मारक क्षमता	लक्ष्य को भेदने के लिए इनकी तुलनात्मक रेंज अधिक होती है।	उच्च ऊर्जा वाले लेज़र हथियारों की तुलना में इनकी रेंज कम होती है।
लक्ष्य भेदन	इन्हें एक बिंदु पर लक्षित (To the Point) हथियार माना जाता है।	इन्हें क्षेत्रीय स्तर का हथियार माना जाता है जो बड़े क्षेत्र के लक्ष्य को नष्ट कर सकते हैं।
आवृत्ति/ तरंगदैर्ध्य	लेज़र हथियार उच्च ऊर्जा प्रकाश का उपयोग करता है। अर्थात् विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त से पराबैंगनी भाग की तरंगदैर्ध्य। इन हथियारों की आवृत्ति माइक्रोवेव हथियारों से बहुत अधिक होती है।	माइक्रोवेव हथियार विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के रेडियो फ्रीक्वेंसी भाग का उपयोग करता है। माइक्रोवेव हथियार की तरंगदैर्ध्य लेज़र हथियार से लगभग हज़ार गुना अधिक होती हैं।
ऊर्जा उपभोग	यह लगभग 50 किलोवाट से कई मेगावाट तक विद्युत का उपयोग करता है।	यह 100 मेगावाट से 100 गीगावाट तक की विद्युत का उपयोग करता है।

हाइपोक्सिक-इस्केमिक एन्सेफैलोपैथी

उत्तर प्रदेश के झाँसी में एक अस्पताल में आग लगने से कुछ नवजात शिशु 'हाइपोक्सिक-इस्केमिक एन्सेफैलोपैथी' नामक बीमारी से पीड़ित हो गए हैं।

हाइपोक्सिक-इस्केमिक एन्सेफैलोपैथी के बारे में

- हाइपोक्सिक-इस्केमिक एन्सेफैलोपैथी (Hypoxic-Ischemic Encephalopathy : HIE) एक प्रकार का मस्तिष्क क्षति रोग है।
- यह जन्म से पहले या तुरंत बाद मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है।
- HIE से पीड़ित शिशुओं में न्यूरोलॉजिकल या विकास संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं। ऐसा अनुमान है कि HIE प्रति 1,000 जीवित जन्मों में 2 से 9 के बीच होता है।

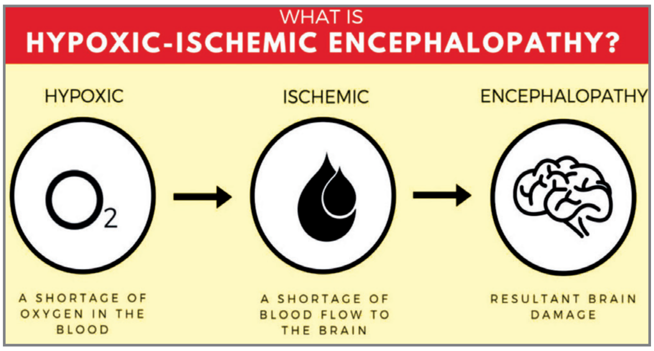

नवजात शिशु में HIE के लिए ज़िम्मेदार प्रमुख कारक

- माँ में अति निम्न या बहुत उच्च रक्तचाप
- शिशु में हृदय संबंधी समस्याएँ
- गर्भाशय या प्लेसेंटा से संबंधित समस्याएँ
- प्रसव और डिलीवरी के दौरान समस्याएँ, जैसे– गर्भनाल में चोट लगना
- जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क में रक्त प्रवाह की कमी

नवजात शिशु में HIE के लक्षण

- जागृत एवं सजग रहने की असामान्य स्थिति, जैसे– अत्यधिक सतर्क होना या बहुत निम्न ऊर्जा
- साँस लेने में तकलीफ एवं सुनने में परेशानी
- दौरे या तंत्रिका संबंधी अन्य समस्याएँ
- धीमी हृदय गति एवं अंग विफलता
  - गंभीर मामलों में बच्चे की वृद्धि या विकास में देरी हो सकती है। उन्हें सेरेब्रल पाल्सी या मानसिक विकलांगता भी हो सकती है। इन लक्षणों की गंभीरता 3 से 4 वर्ष की आयु तक पता नहीं चलती है।

नवजात शिशु में HIE का निदान

- रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा की जाँच द्वारा
- गर्भनाल से रक्त की जाँच या प्लेसेंटा की जाँच द्वारा
- शिशु के सिर का अल्ट्रासाउंड परीक्षण द्वारा
- इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी (EEG) से शिशु के मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि की जाँच
- मस्तिष्क एम.आर.आई. परीक्षण द्वारा मस्तिष्क क्षति की जाँच द्वारा

उपचार विधियाँ

- **चिकित्सीय हाइपोथर्मिया :** यह उपचार मध्यम से गंभीर नवजात शिशु HIE के लिए उपयोग किया जाता है।
  - इसे जन्म के बाद पहले 6 घंटों के भीतर दिया जाना चाहिए।
  - इसके दौरान एक शीतलन प्रणाली बच्चे के शरीर के तापमान को 72 घंटों तक 91.4°F से 95°F (33°C से 35°C) तक कम कर देती है।
  - ऐसा करने से बच्चे के बचने की संभावना बढ़ सकती है।
  - यह जीवन में बाद में विकास संबंधी समस्याओं या विकलांगता के जोखिम को भी कम कर सकता है।

उच्च रक्तचाप के खिलाफ दवाओं का संयोजन

क्रॉनिक डिज़ीज़ कंट्रोल सेंटर (CCDC) ने भारत में रक्तचाप के लिए दवा उपचार अनुकूलन पर एक अध्ययन पूरा होने की घोषणा की है। सी.सी.डी.सी. क्रॉनिक (दीर्घकालिक) बीमारियों पर केंद्रित एक गैर-लाभकारी संगठन है। यह अनुसंधान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और इंपीरियल कॉलेज, लंदन के सहयोग से दो वर्षों तक किया गया।

अध्ययन में शामिल संयोजन

- इस अध्ययन में अनियंत्रित उच्च रक्तचाप से पीड़ित दक्षिण एशियाई आबादी में तीन दोहरे एंटी-हाइपरटेंसिव गोली संयोजनों की प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया।
- रक्तचाप को कम करने के लिए डिज़ाइन की गई दो औषधियों का संयोजन हैं–
  - एम्लोडिपिन व पेरिंडोप्रिल (Amlodipine and Perindopril)
  - एम्लोडिपिन व इंडापामाइड (Amlodipine and Indapamide)
  - पेरिंडोप्रिल व इंडापामाइड (Perindopril and Indapamide)

प्रभावशीलता पर निष्कर्ष

- इस अध्ययन में रक्तचाप नियंत्रण दर लगभग 70% थी। यह नियंत्रण दर (70%) एकल-गोली उपचार का उपयोग करते समय भारत में वर्तमान नियंत्रण दरों से पाँच गुना अधिक थी।

- उपर्युक्त सभी दवा संयोजनों ने उत्कृष्ट सुरक्षा का प्रदर्शन किया जिसमें 3% से भी कम प्रतिभागियों ने दुष्प्रभावों के कारण अध्ययन से नाम वापस लिया।
- दक्षिण एशियाई लोग वैश्विक जनसंख्या का 25% हिस्सा हैं और भारत में 30 करोड़ से अधिक लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं।

रक्तचाप

- रक्तचाप (BP) हृदय द्वारा रक्त पंप किए जाने के दौरान धमनियों की दीवारों पर रक्त के दबाव का बल है। इसे आमतौर पर मिलीमीटर ऑफ मर्करी (mmHg) में मापा जाता है।
- सामान्य रक्तचाप आमतौर पर 120/80 mmHg के आसपास होता है।
- **रक्तचाप की रीडिंग में दो संख्याएँ होती हैं–**
  - **सिस्टोलिक प्रेशर (पहली या सबसे ऊपर वाली संख्या) :** यह आपके हृदय के धड़कने और रक्त पंप करने के दौरान आपकी धमनियों में दबाव को मापता है।
  - **डायस्टोलिक दबाव (दूसरी या निचली संख्या) :** यह आपकी धमनियों में दबाव को मापता है जब आपका हृदय धड़कनों के बीच आराम की स्थिति में होता है।

वन डे वन जीनोम

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद् (BRIC) ने भारत की विशाल सूक्ष्मजीवीय क्षमता को दर्शाने के लिए 'वन डे वन जीनोम' पहल की शुरुआत की है।

वन डे वन जीनोम पहल के बारे में

- दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान (NII) में आयोजित ब्रिक (BRIC) के पहले स्थापना दिवस पर 'वन डे वन जीनोम पहल' की शुरुआत की घोषणा की गई थी।
- यह पहल भारत में पाए जाने वाले जीवाणुओं की अलग-अलग प्रजातियों को उजागर करेगी और पर्यावरण, कृषि एवं मानव स्वास्थ्य में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को दर्शाएगी।
- जीनोम अनुक्रमण से सूक्ष्मजीवों की छिपी हुई क्षमता को बड़े पैमाने पर सामने लाया जा सकेगा। अनुक्रमण आँकड़ों (Sequencing Data) का विश्लेषण करके विभिन्न महत्त्वपूर्ण एंज़ाइमों, रोगाणु-रोधी प्रतिरोध, जैव सक्रिय यौगिकों आदि के लिए जीनोम एन्कोडेड क्षमताओं की पहचान की जा सकती है।
- इस पहल का समन्वय जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद् और राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक्स संस्थान (BRIC-NIBMG) द्वारा किया गया है। इस पहल का उद्देश्य देश में पृथक किए गए पूर्ण रूप से एनोटेट जीवाणु जीनोम (Annotated Bacteriological Genome) को जन सामान्य के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराना है।

सूक्ष्मजीवों का महत्त्व

- सूक्ष्मजीव पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। वे सभी प्रकार के जैव-रासायनिक चक्रों, मृदा निर्माण, खनिज शोधन, जैविक कचरे के अपघटन और मीथेन उत्पादन के साथ-साथ विषाक्त प्रदूषकों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- संचयी रूप से ये पृथ्वी पर समान स्थिति को बनाए रखने में मदद करते हैं। कृषि में ये पोषक चक्रण, नाइट्रोजन के निर्धारण, मृदा की उर्वरता बनाए रखने, कीट एवं खरपतवारों तथा अवांछनीय प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।

इसे भी जानिए!

जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद् (BRIC)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने 13 स्वायत्त संस्थानों को सम्मिलित करके एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में एक स्वायत्त निकाय 'जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद्' का सृजन किया है।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान (NII)

इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (1860 के XXI) के तहत 24 जून, 1981 को स्वायत्त सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। 31 मार्च, 1982 को 'आई.सी.एम.आर.-डब्ल्यू.एच.ओ. अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र' का विलय औपचारिक रूप से 'राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान' के साथ कर दिया गया। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के भवन को औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 6 अक्तूबर, 1986 को राष्ट्र को समर्पित किया।

राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक्स संस्थान (NIBMG)

राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक्स संस्थान (NIBMG) को भारत सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तत्त्वावधान में एक स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है। यह भारत का पहला संस्थान है जो बायोमेडिकल जीनोमिक्स में अनुसंधान, प्रशिक्षण, अनुवाद एवं सेवा तथा क्षमता निर्माण के लिए समर्पित है। जो कोलकाता के पास कल्याणी में स्थित है।

❑❑❑

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

वन एवं वन्यजीव

गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिज़र्व

संदर्भ

- केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार, उत्तरी छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिज़र्व को देश के 56वें टाइगर रिज़र्व के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अक्तूबर 2021 में गुरु घासीदास-तमोर पिंगला बाघ अभयारण्य को अधिसूचित करने के लिए अंतिम मंज़ूरी दी थी। इसकी सलाह पर छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे टाइगर रिज़र्व अधिसूचित किया।
- प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक केंद्र-प्रायोजित योजना है। यह नामित बाघ अभयारण्यों में बाघ संरक्षण के लिए बाघ राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करती है।

गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिज़र्व के बारे में

- घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिज़र्व मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर एवं बलरामपुर ज़िलों में फैला हुआ है।
- यह आंध्र प्रदेश के नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिज़र्व और असम के मानस टाइगर रिज़र्व के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिज़र्व बन गया है।
- अधिसूचित बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश में संजय दुबरी बाघ अभयारण्य से सटा हुआ है। साथ ही, यह अभयारण्य पश्चिम में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य और पूर्व में झारखंड के पलामू बाघ अभयारण्य से जुड़ा हुआ है।
- यह हसदेव व गोपद नदियों का उद्गम क्षेत्र और बनास व रिहंद जैसी नदियों का जलग्रहण क्षेत्र है। यह बाघ अभयारण्य छोटानागपुर पठार एवं आंशिक रूप से बघेलखंड पठार में स्थित है।
- इस अधिसूचना के साथ छत्तीसगढ़ में अब 4 टाइगर रिज़र्व हो गए हैं जिससे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मिल रही तकनीकी व वित्तीय सहायता से इस प्रजाति के संरक्षण को मज़बूती मिलेगी।
- वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में तीन टाइगर रिज़र्व उदंती-सीतानदी, अचानकमार एवं इंद्रावती हैं।

बाघ अभयारण्य को अधिसूचित या गैर-अधिसूचित करना

- **अधिसूचना :** वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर राज्य सरकार किसी क्षेत्र को बाघ अभयारण्य अधिसूचित कर सकती है।
- **परिवर्तन एवं अधिसूचना रद्द करना :** वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38W के अनुसार,
  - एन.टी.सी.ए. की अनुशंसा एवं राष्ट्रीय वन्य जीवन बोर्ड (NBWL) की मंज़ूरी से ही बाघ अभयारण्य की सीमाओं में बदलाव किया जा सकता है।
  - राज्य सरकार एन.टी.सी.ए. एवं एन.बी.डब्ल्यू.एल. की मंज़ूरी के बाद ही केवल सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए बाघ अभयारण्य को गैर-अधिसूचित कर सकती है।
  - एन.बी.डब्ल्यू.एल. वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत गठित एक वैधानिक बोर्ड है जो वन्यजीव एवं वनों के विकास व संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ज़िम्मेदार है।

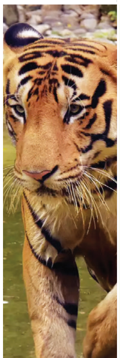

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

पृष्ठभूमि

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। इसका गठन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया है।
- इसका अध्यक्ष पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री होते हैं जबकि उपाध्यक्ष पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में राज्यमंत्री होते हैं।

उद्देश्य

- निर्देशों का कानूनी रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को वैधानिक प्राधिकार प्रदान करना
- संघीय ढाँचे के भीतर राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन के लिए आधार प्रदान करके बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन में केंद्र-राज्य की जवाबदेही को बढ़ाना
- संसद द्वारा निगरानी की व्यवस्था करना और बाघ अभयारण्यों के आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के आजीविका से संबंधित हितों को संबोधित करना

ब्रायोस्पिलस भरतिकस

जीव वैज्ञानिकों द्वारा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में जलपिस्सू (Waterflea) की एक नई प्रजाति की खोज की गई है।

खोजी गई नई प्रजाति के बारे में

- **परिचय :** जलपिस्सू छोटे क्रस्टेशियन जीव होते हैं जो पानी में मौजूद शैवाल को खाते हैं। यह जीव आमतौर पर झीलों, नदियों व तालाबों में रहते हैं किंतु, इनमें से कुछ ने अपने आप को ज़मीन पर पानी की पतली परतों में पनपने और विकसित करने के लिए अनुकूलित कर लिया है।
- **खोज स्थल :** य ळंपदमे ह प्रजाति महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में पुराने किलों की दीवारों और सीढ़ियों पर काई लगे गीले स्थानों पर देखी गई है।
- **नामकरण :** इस प्रजाति का नामकरण भारत के नाम पर 'ब्रायोस्पिलस भरतिकस' (Bryospilus Bharaticus) किया गया है।
  - यह ओरिएंटल क्षेत्र में वर्णित अपनी वंश (Genus) की पहली प्रजाति है।
- **विशेषताएँ :** शोध के मुताबिक यह काई पर मोटे, मलबे भरे पानी में रेंगने के लिए अपने एंटीना का सहारा लेती है। इन एंटीना में बड़े-बड़े कांटे होते हैं, जो इसे आगे बढ़ने में मदद करती हैं।
  - खोजी हुई इस प्रजाति ने अन्य जलपिस्सूओं के विपरीत अपने तैरने की क्षमता खो दी है। हालाँकि यह तैरने की जगह काई जमा पानी की पतली परतों के माध्यम से रेंगती है।
  - चूँकि यह जीव बेहद कम रोशनी में रहते हैं, इसलिए इनके पास मुख्य आँखें नहीं होती हैं। इसलिए इन्हें अपना भोजन खोजने के लिए रंगों को देखने की आवश्यकता नहीं होती।
- **जोखिम :** शोधकर्ताओं के अनुसार, हड्डीरहित यह जीव अपने पर्यावरण में होने वाले बड़े बदलावों के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं।

महत्त्व

- वैज्ञानिकों के अनुसार, यह संभवत: गोंडवाना से जुड़ा एक पुरातन जीव है, जिसके करीबी अन्य प्रजातियाँ अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, न्यूज़ीलैंड और अब भारत जैसे स्थानों में मौजूद हैं।
- शोध के मुताबिक, यह भारत में अब तक खोजे गए सबसे छोटे जीवों में से एक हैं।

डिक्लिप्टेरा पॉलीमोर्फा

पश्चिमी घाट में एक नई अग्निरोधी व दो बार खिलने वाली (Dual Blooming) पुष्पीय प्रजाति की खोज की गई है। यह घास के मैदानों में लगी आग के कारण पुष्पित होती है तथा इसमें पुष्पों की संरचना ऐसी है जो भारतीय प्रजातियों में दुर्लभ है। इसका नाम डिक्लिप्टेरा पॉलीमोर्फा (Dicliptera Polymorpha) है।

डिक्लिप्टेरा पॉलीमोर्फा के बारे में

- डिक्लिप्टेरा पॉलीमोर्फा एक विशिष्ट प्रजाति है जो अपनी अग्निरोधी, पायरोफाइटिक प्रकृति (Pyrophytic Habit) और अपने असामान्य दोहरे खिलने वाली प्रकृति के लिए उल्लेखनीय है।
  - पायरोफाइट्स वे पौधे हैं जो आग को सहन करने के लिए अनुकूलित हैं।
- यह प्रजाति वर्गीकरण की दृष्टि से अद्वितीय है जिसमें पुष्पक्रम इकाइयाँ (Simulus) होती हैं जो स्पाइकेट पुष्पक्रम में विकसित होती हैं।
  - यह स्पाइकेट पुष्पक्रम संरचना वाली एकमात्र ज्ञात भारतीय प्रजाति है जिसका सबसे निकट सहयोगी अफ्रीका में पाया जाता है।
- इस प्रजाति का नाम इसके विविध रूपात्मक लक्षणों को दर्शाने के लिए ही डिक्लिप्टेरा पॉलीमोर्फा रखा गया है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला शोध-पत्र केव बुलेटिन जर्नल में प्रकाशित किया गया था।
- डिक्लिप्टेरा पॉलीमोर्फा उत्तरी पश्चिमी घाट के खुले घास के मैदानों में ढलानों पर पनपता है। यह क्षेत्र गर्मियों में सूखे एवं प्राय: मानव-प्रेरित आग जैसी चरम जलवायु स्थितियों के संपर्क में आता है। इन कठोर परिस्थितियों के बावजूद इस प्रजाति ने अस्तित्व में रहने और वर्ष में दो बार खिलने के लिए स्वयं को अनुकूलित किया है।
  - पहला पुष्प चरण मानसून के बाद (नवंबर की शुरुआत) से मार्च या अप्रैल तक होता है, जबकि मई और जून में दूसरा पुष्प चरण आग से शुरू होता है। इस दूसरे चरण के दौरान, काष्ठीय मूलवृंत (Woody Rootstock) छोटे पुष्पों की टहनियाँ पैदा करते हैं।
- डिक्लिप्टेरा पॉलीमोर्फा की खोज संरक्षण के लिए महत्त्वपूर्ण है। आग के प्रति इस प्रजाति का अनूठा अनुकूलन और पश्चिमी घाट में इसका सीमित उत्पत्ति स्थान घास के मैदानों के पारिस्थितिकी तंत्र के सावधानीपूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है।

जलवायु परिवर्तन

COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन

संदर्भ

अज़रबैजान के बाकू में COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। विकसित देशों ने जलवायु वित्त के लिए वर्ष 2035 से विकासशील दुनिया को प्रतिवर्ष 300 बिलियन डॉलर प्रदान करने के लिए एक समझौते पर सहमति व्यक्त की। हालाँकि, भारत एवं अन्य विकासशील देशों ने इस समझौते को अस्वीकार कर दिया है।

COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के बारे में

- **आयोजन स्थल :** बाकू (अज़रबैजान)
  - आगामी संस्करण COP30 ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा

- **अध्यक्षता :** मुख्तार बहादुर ओग्लू बाबायेव (अज़रबैजान के पारिस्थितिकी एवं प्राकृतिक संसाधन मंत्री)
- **सम्मेलन की अवधि :** 11 से 22 नवंबर, 2024 तक
- **थीम :** 'सभी के लिए रहने योग्य ग्रह में निवेश करना'
- **भागीदारी :** संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ढाँचा अभिसमय (UNFCCC) के 198 सदस्य देशों एवं सहयोगी संगठनों के प्रतिनिधि
- **प्रमुख लक्ष्य :** ग्लोबल वार्मिंग को 1.5°C तक सीमित रखने के लिए उपायों को लागू करना और जलवायु कार्रवाई में निवेश की तत्काल आवश्यकता पर बल देना।
- **उद्देश्य :** जलवायु कार्रवाई का समर्थन करने के लिए व्यापार भागीदारी को बढ़ाने और निवेश निर्णयों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मंच प्रदान करना।
- **सम्मेलन का एजेंडा :**
  - कमज़ोर समुदायों, विशेष रूप से छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों और अल्प विकसित देशों को समर्थन देने के लिए हानि एवं क्षति कोष को चालू करने के महत्त्व पर बल।
  - 1.5°C के लक्ष्य के अनुरूप राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) बढ़ाने का आह्वान।

COP एवं UNFCCC

- **COP (कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज) :** जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) का प्राथमिक शासी निकाय है।
- **UNFCCC :** वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक जलवायु वार्ता का मार्गदर्शन करने के लिए बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
  - **उद्देश्य :** गंभीर मानवजनित जलवायु व्यवधानों से बचने के लिए ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को सुरक्षित स्तर पर स्थिर करना है।
  - **सदस्यता :** UNFCCC में 198 पक्षकार शामिल हैं जिनमें 197 देश एवं यूरोपीय संघ शामिल हैं। यह जलवायु कार्रवाई के लिए लगभग सार्वभौमिक वैश्विक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
  - महत्त्वपूर्ण समझौते
    - क्योटो प्रोटोकॉल (1997)
    - कोपेनहेगन समझौता (2009)
    - पेरिस समझौता (2015)
    - ग्लासगो जलवायु समझौता (2021)

  - सभी देशों से वर्ष 2025 तक अपनी राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाएँ तैयार करने एवं प्रस्तुत करने का आह्वान।
  - वैश्विक वित्तीय संस्थानों एवं निजी क्षेत्र को जलवायु वित्त बढ़ाने और हरित नवाचार में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन।
- **परिणाम :** अंतिम समझौते में धनी देशों ने निर्धन देशों को जलवायु वित्तीय सहायता के लिए वर्ष 2035 तक प्रतिवर्ष 300 बिलियन डॉलर की पेशकश की है जिसे भारत समेत कई विकासशील देशों ने खारिज कर दिया है।
  - इस समझौते में बढ़ते तापमान और आपदाओं से निपटने के लिए प्रति वर्ष 1.3 ट्रिलियन डॉलर का बड़ा समग्र लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अधिकांश धन निजी स्रोतों से आएगा।

COP29 सम्मेलन के प्रमुख निष्कर्ष

- **वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन :** इस गठबंधन को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने COP29 में लॉन्च किया, जो COP28 के दौरान 'UAE सर्वसम्मति' के आधार पर स्थापित किया गया।
  - यह पहल वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देकर कार्बन उत्सर्जन को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए UAE की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।
- **जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक-2025 का प्रकाशन :** जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) 63 देशों एवं यूरोपीय संघ के जलवायु प्रदर्शन की तुलना करने के लिए एक मानकीकृत ढाँचे का उपयोग करता है।
- **जलवायु पारदर्शिता पर बाकू घोषणापत्र :** इस घोषणा-पत्र में संवर्द्धित पारदर्शिता ढाँचे (ETF) के पूर्ण संचालन के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता का आह्वान किया गया है।
- **वैश्विक कार्बन बाज़ार :** पेरिस समझौते के अनुच्छेद-6.4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाज़ार मानकों पर एक समझौता हुआ है।
  - यह देशों एवं कंपनियों को 'कार्बन ऑफसेट' का व्यापार करने के लिए दो मार्ग प्रदान करता है जो उनकी जलवायु कार्य योजनाओं में निर्धारित उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों की प्राप्ति या राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान का समर्थन करते हैं।
  - यह ढाँचा विकासशील देशों को संसाधन उपलब्ध कराने में मदद कर सकता है तथा सीमा पार सहयोग को सक्षम बनाकर प्रतिवर्ष 250 बिलियन डॉलर तक की बचत कर सकता है।
- **हानि एवं क्षति कोष को लागू करना :** COP 29 ने हानि एवं क्षति कोष को क्रियान्वित करने में प्रगति की है जो जलवायु प्रभावों के प्रति संवेदनशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- **वैश्विक ऊर्जा भंडारण और ग्रिड संबंधी प्रतिज्ञा :** यह प्रतिज्ञा हस्ताक्षरकर्ताओं को वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर 1,500 गीगावाट ऊर्जा भंडारण करने के सामूहिक लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध करती है।
- **हाइड्रोजन घोषणा का शुभारंभ :** यह घोषणा नवीकरणीय, शून्य-उत्सर्जन एवं निम्न कार्बन वाले हाइड्रोजन उत्पादन को

बढ़ाने तथा निरंतर जीवाश्म ईंधन से मौजूदा हाइड्रोजन उत्पादन के डीकार्बोनाइजेशन में तेज़ी लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

- **हाइड्रो-4 नेटज़ीरो-LAC (Hydro4 NetZero-LAC) :** इस पहल के शुभारंभ का उद्देश्य स्थायी जल-विद्युत अवसंरचना का विकास एवं आधुनिकीकरण करना है।
- **बाकू हार्मोनिया जलवायु पहल :** खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के सहयोग से शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य अनुकूलन एवं शमन के माध्यम से कृषि में जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए विभिन्न प्रयासों को एकजुट करना है।
- **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (NDC) को मज़बूत करना :** देशों की प्रतिबद्धताओं को अद्यतन करने के लिए वर्ष 2025 की समय-सीमा के साथ अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (NDC) को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
- **अन्य प्रमुख पहल**
  - COP29 युद्ध-विराम अपील
  - COP29 हरित ऊर्जा क्षेत्र एवं गलियारा प्रतिज्ञा
  - हरित डिजिटल कार्रवाई पर COP29 घोषणा
  - जैविक अपशिष्ट से मीथेन को कम करने पर COP29 घोषणा
  - लचीले एवं स्वस्थ शहरों के लिए COP29 बहुक्षेत्रीय कार्रवाई मार्ग घोषणा
  - पर्यटन में वृद्धि संबंधी COP29 घोषणा
  - जलवायु कार्रवाई के लिए जल पर COP29 घोषणा

COP29 में भारत का पक्ष

- भारत ने विकसित देशों द्वारा जलवायु वित्त पर अंतिम समझौते के रूप में विकाशील देशों के लिए दिए गए 300 बिलियन डॉलर निधि की तीव्र आलोचना की है।
- भारत ने जलवायु वित्त एवं शमन कार्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विकसित देशों की अनिच्छा पर असंतोष व्यक्त किया है।
- भारत के अनुसार, वित्त से ध्यान हटाकर शमन पर बार-बार ज़ोर देने के किसी भी प्रयास को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
- भारत एवं चीन ने यूरोपीय संघ के प्रस्तावित कार्बन सीमा कर का विरोध किया है। उनका तर्क है कि यह कर संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर अनुचित रूप से बोझ डालता है।
- भारत ग्लोबल स्टॉक टेक परिणामों के अनुसरण के लिए सहमत नहीं है।

भारत और ग्लोबल वार्मिंग

- भारत में एक व्यक्ति औसतन 2.9 टन कार्बन डाइ-ऑक्साइड के बराबर (tCO2e) उत्सर्जन करता है जो वैश्विक औसत (6.6 tCO2e) से काफी कम है।
- भारत ने वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन और वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है।

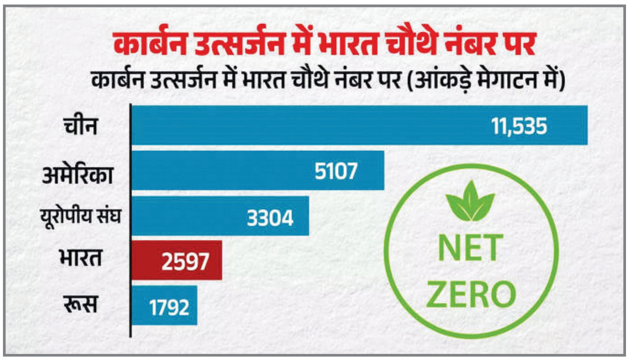

COP29 के बाद की चुनौतियाँ

- **जलवायु वित्त की मांग :** संयुक्त राष्ट्र की वर्ष 2023 की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2030 तक विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचाने के लिए प्रतिवर्ष 2.4 ट्रिलियन डॉलर निवेश की ज़रूरत है।
  - सऊदी अरब, मिस्र जैसे अरब देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र को प्रति वर्ष 1.1 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य सुझाया है।
  - भारत, अफ्रीकी देशों एवं छोटे द्वीपीय देशों के अनुसार, प्रति वर्ष 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक धन जुटाया जाना चाहिए।
- **नए जलवायु वित्त लक्ष्य पर गतिरोध :** विकसित देशों ने जलवायु वित्त के लिए नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG) के रूप में वर्ष 2035 तक 300 बिलियन डॉलर की पेशकश की है। इसे भारत सहित कई विकासशील देशों ने अस्वीकार्य माना है।
- **हानि एवं क्षति कोष प्रबंधन :** हानि एवं क्षति कोष का संचालन अभी भी एक जटिल मुद्दा बना हुआ है।
- **समझौतों का क्रियान्वयन :** COP29 के अंतर्गत महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, किंतु वास्तविक चुनौती समझौतों को कार्रवाई में बदलने में है।
- **वैश्विक सहयोग की कमी :** विकसित देशों द्वारा आवश्यक समर्थन न होने के कारण जलवायु सम्मेलन के लक्ष्यों की पूर्ति में वैश्विक सहयोग की कमी बनी हुई है।
- **निगरानी एवं जवाबदेही :** जलवायु कार्यों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

- **कार्यान्वयन में असमानता :** राष्ट्रों ने शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य का वादा किया है, किंतु विशेष रूप से विकसित व विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच कार्यान्वयन एवं महत्त्वाकांक्षा में असमानताएँ बनी हुई हैं।
- **भू-राजनीतिक संघर्ष :** इज़रायल एवं हमास युद्ध, रूस-यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक स्तर पर जलवायु सुरक्षा व ऊर्जा सुरक्षा की ओर ध्यान आकर्षित किया है।
- **अस्तित्व का संकट :** ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ने के साथ ही संवेदनशील देशों के समक्ष अस्तित्व का संकट भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे देशों के लिए न्यायसंगत संक्रमण (Just Tansition) सुनिश्चित करना एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है।

आगे की राह

- विकसित देशों को अपनी ऐतिहासिक ग्लोबल वार्मिंग की ज़िम्मेदारी लेते हुए अपने वित्त दायित्वों की पूर्ति करने की आवश्यकता है।
- वैश्विक स्तर पर चल रहे भू-राजनीतिक संघर्षों को दूर करने के लिए सक्षम देशों को जलवायु परिवर्तन पर सहयोगात्मक कार्रवाई को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।
- COP29 में अनेक नवीन पहल एवं घोषणाओं को दस्तावेज़ से बाहर धरातल पर उतारने और वित्त जुटाने पर समझौतों को सुगम बनाने के लिए कूटनीतिक प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण पर अधिक ज़ोर दिया जाना चाहिए।
- वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहलों को बढ़ाया जाना चाहिए।
- हानि एवं क्षति कोष को संचालित करने के लिए वित्तपोषण मानदंड, स्पष्ट आवंटन तंत्र के लिए मानदंड विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

COP16 : जैव-विविधता अभिसमय

संदर्भ

जैव-विविधता अभिसमय का 16वाँ संस्करण (CBD COP16) कोलंबिया के कैली में 21 अक्तूबर से 1 नवंबर, 2024 तक आयोजित किया गया।

- COP16 में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्द्धन सिंह ने किया, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जैव-विविधता चर्चाओं में भारत की सक्रिय भागीदारी पर प्रकाश डाला है।
  - इस अभिसमय में लगभग 190 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

जैव-विविधता अभिसमय (CBD)

- **क्या है :** जैव-विविधता अभिसमय (CBD) "जैव-विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के संधारणीय उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों के निष्पक्ष एवं न्यायसंगत बंटवारे" के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी साधन है।
- **स्थापना :** सी.बी.डी. पर 5 जून, 1992 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान देशों द्वारा हस्ताक्षर किया गया।
  - यह अभिसमय 29 दिसंबर, 1993 को लागू हुआ।
- **अनुसमर्थन :** 196 देशों द्वारा
- **सचिवालय :** मॉन्ट्रियल, कनाडा में
- **शासी निकाय :** पार्टियों का सम्मेलन (COP)
  - इसकी बैठक प्रत्येक दो वर्ष में होती है।
  - इसमें सभी अनुमोदित सरकारें (पार्टियाँ) शामिल हैं।
- **समग्र लक्ष्य :** जैव-विविधता के लिए एक स्थायी भविष्य की ओर ले जाने वाले कार्यों को प्रोत्साहित करना।
- **सी.बी.डी. का दायरा :** सभी स्तरों पर जैव-विविधता को कवर करता है, जिसमें शामिल हैं–
  - पारिस्थितिकी तंत्र
  - प्रजातियाँ
  - आनुवंशिक संसाधन
- इसके अतिरिक्त, इसमें जैव प्रौद्योगिकी भी शामिल है, जिसमें जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल भी शामिल है।
- **मुख्य कार्य :**
  - सी.बी.डी. और इसके कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सरकारों की सहायता करना
  - बैठकें आयोजित करना और प्रासंगिक दस्तावेज़ों का मसौदा तैयार करना
  - अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय करना
  - सूचना एकत्रित करना और उन्हें प्रसारित करना

पृष्ठभूमि

- **पिछली बैठक :** COP16, कनाडा के मॉन्ट्रियल में दिसंबर 2022 में COP15 में कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव-विविधता ढाँचे को अपनाने के बाद पहला जैव-विविधता COP है।
- **30×30 समझौता :** मॉन्ट्रियल बैठक के प्रमुख परिणामों में से एक समझौता
  - वर्ष 2030 तक विश्व के 30% भूमि और समुद्री क्षेत्रों को संरक्षित करने पर सहमति व्यक्त की थी, जिसे 30×30 समझौता के रूप में जाना जाता है।

- वर्ष 2022 में केवल 17% से भी कम भूमि और 10% समुद्री क्षेत्र संरक्षित थे।

- **कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव-विविधता रूपरेखा :** इस रूपरेखा ने जैव-विविधता संरक्षण के उद्देश्य से 23 वैश्विक कार्रवाई-उन्मुख लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इन लक्ष्यों को तत्काल कार्रवाई और वर्ष 2030 तक पूरा करने की आवश्यकता है।
- **इसमें शामिल हैं :**
  - **आक्रामक प्रजातियों पर नियंत्रण :** आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रवेश में 50% तक की कमी लाना तथा उनके प्रभावों को कम करना।
  - **प्रदूषण नियंत्रण :** सभी स्रोतों से प्रदूषण के जोखिम को स्वीकार्य स्तर तक कम करने का लक्ष्य।
  - **लाभ-साझाकरण तंत्र :** आनुवंशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान से संबंधित डिजिटल अनुक्रम सूचना से लाभ साझा करने के लिए एक प्रणाली विकसित करना।
  - **नीति एकीकरण :** व्यापक नीतियों, विनियमों, नियोजन और विकास प्रक्रियाओं में जैव-विविधता संबंधी विचारों को शामिल करने पर ज़ोर देना।

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव-विविधता ढाँचा (KMGBF) के बारे में

- के.एम.जी.बी.एफ. को दिसंबर 2022 में जैव-विविधता अभिसमय के पक्षों के सम्मेलन की 15वीं बैठक में अपनाया गया था। हालाँकि, यह बाध्यकारी नहीं है।
- **उद्देश्य :** वर्ष 2030 तक जैव-विविधता के नुकसान को रोकना और पुन: बहाल करना।

COP16 के प्रमुख उद्देश्य

- **कार्यान्वयन तंत्र पर बातचीत :** के.एम.जी.बी.एफ. में निर्धारित लक्ष्यों को कार्यान्वित करने के लिए विशिष्ट रणनीतियों पर सहमति बनाना।
- **वित्तपोषण पर चर्चा :** महत्त्वपूर्ण वित्तपोषण अंतराल पर विचार-विमर्श करना।
  - अनुमानों से पता चलता है कि जैव-विविधता लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 200 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान प्रतिबद्धताएँ काफी कम (10% से भी कम) हैं।

COP16 में लिए गए प्रमुख निर्णय

- **एक नई सहायक संस्था :** इस निकाय की कार्यप्रणाली अगले दो वर्षों में स्थापित की जाएगी। यह संस्था जैव-विविधता संरक्षण के संबंध में होने वाली चर्चाओं में स्वदेशी समूहों को शामिल करेगी।
  - यह स्थानीय समुदायों की आवाज़ को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल करने के प्रयास को दर्शाता है।
- **कैली फंड लॉन्च :** डिजिटल अनुक्रम सूचना से लाभान्वित होने वाली प्रमुख कंपनियों को अपने लाभ/राजस्व का एक प्रतिशत कैली फंड में योगदान करना होगा।
  - हालाँकि, शैक्षणिक एवं सार्वजनिक अनुसंधान संस्थानों को अंशदान से छूट दी गई है।
- **डिजिटल अनुक्रम सूचना (DSI) समझौता :** यह समझौता एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। इसमें फार्मास्युटिकल्स जैसे वाणिज्यिक उत्पादों के लिए उपयोग किए जाने वाले जैविक डाटा के संबंध में लाभ-साझाकरण पर चर्चा शामिल है।
  - बातचीत बहुपक्षीय व्यवस्था बनाने पर केंद्रित रही है, लेकिन इसमें शामिल देशों या निगमों के योगदान पर अभी तक कोई आम सहमति नहीं बन पाई है।

अपनाए गए औपचारिक विषय

- जैव-विविधता को जलवायु परिवर्तन से जोड़ने वाले समझौते
- विभिन्न क्षेत्रों में जैव-विविधता को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य की पहल
- आक्रामक प्रजातियों को नियंत्रित करने के प्रावधान
- के.एम.जी.बी.एफ. के कार्यान्वयन के समर्थन हेतु तकनीकी आवश्यकताएँ

COP16 में भारत का योगदान

वित्तीय प्रतिबद्धताएँ

- भारत ने एक अद्यतन (Updated) जैव-विविधता योजना प्रस्तुत की है, जिसमें वर्ष 2025 - 2030 तक जैव-विविधता और संरक्षण पहलों के लिए लगभग 81,664 करोड़ रुपए के अपेक्षित व्यय की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।
  - वर्ष 2018 एवं 2022 के बीच भारत ने इसी तरह के उद्देश्यों के लिए ₹32,207 करोड़ आवंटित किए, जिसका व्यय पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा किया गया।
- भारतीय अधिकारियों ने इन महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त की आवश्यकता पर बल दिया तथा के.एम.जी.बी.एफ. के लक्ष्य 19 और डी.एस.आई. से वित्तीय संसाधनों सहित कार्यान्वयन के साधन प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया।
  - के.एम.जी.बी.एफ. के लक्ष्य 19 का उद्देश्य प्रतिवर्ष 200 बिलियन डॉलर जुटाना है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्त के माध्यम से 30 बिलियन डॉलर शामिल हैं।

प्रमुख पहलों पर प्रकाश

- **इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस :** भारत ने अप्रैल 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस की स्थापना की। इसका उद्देश्य दुनिया की सात प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों की रक्षा करना है।
  - यह प्रयास वन्यजीव संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए व्यापक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **रामसर स्थलों का विस्तार :** भारत ने अपने रामसर स्थलों (अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के आर्द्रभूमि) की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की है।
  - ये स्थल वर्ष 2014 में 26 से बढ़कर वर्तमान समय में 85 हो गए हैं।

निष्कर्ष

- COP16 वैश्विक जैव-विविधता प्रयासों के लिए एक महत्त्वपूर्ण आयोजन है, जो आवश्यक लक्ष्यों को लागू करने और संरक्षण के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- चर्चाओं में भारत की सक्रिय भूमिका, इसकी महत्त्वपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धताओं और अभिनव पहलों के साथ, जैव-विविधता के नुकसान से निपटने एवं टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्त्व पर ज़ोर देती है।
- स्वदेशी आवाज़ों को शामिल करना और विवादास्पद डी.एस.आई. चर्चाएँ, वार्ता के महत्त्वपूर्ण तत्त्व हैं जो वैश्विक जैव-विविधता संरक्षण प्रयासों के भविष्य को आकार देंगे।

भारत में प्रकृति पुनर्स्थापन कानून की मांग

संदर्भ

- हाल ही में, यूरोपीय संघ ने प्रकृति पुनर्स्थापन (The Nature Restoration Law : NRL) को अपनाया है। वर्तमान में प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण एक गंभीर वैश्विक मुद्दा है और भारत भी अपनी विशाल भौगोलिक एवं पारिस्थितिक विविधता के साथ इसका अपवाद नहीं है।
- भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30% हिस्सा भूमि क्षरण की समस्या से ग्रसित है। फलत: भारत के लिए एक व्यापक प्रकृति पुनर्स्थापन कानून अपनाना महत्त्वपूर्ण है। इस संदर्भ में यूरोपीय संघ प्रकृति पुनर्स्थापन कानून एक मॉडल हो सकता है।

यूरोपीय संघ का प्रकृति पुनर्स्थापन कानून (NRL)

पृष्ठभूमि

- यूरोपीय संघ ने 17 जून, 2024 को प्रकृति पुनर्स्थापन कानून को अपनाया। यह संपूर्ण यूरोप में पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापन के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करता है।
  - यूरोप के 80% से ज़्यादा पर्यावास उपयुक्त स्थिति में नहीं हैं जिससे जैव-विविधता का तीव्र ह्रास हो रहा है।
- यह वर्ष 2030 के लिए यूरोपीय संघ की जैव-विविधता रणनीति एवं यूरोपीय ग्रीन डील का हिस्सा है।

पुनर्स्थापना लक्ष्य

- वर्ष 2030 तक 20% क्षरित भूमि एवं समुद्री क्षेत्रों को पुनर्स्थापित करना
- वर्ष 2050 तक आवश्यकता वाले सभी पारिस्थितिकी तंत्रों की पूर्ण पुनर्स्थापन का लक्ष्य प्राप्त करना
  - इनमें जंगल, आर्द्रभूमि, नदियाँ, कृषि भूमि एवं शहरी हरित स्थान शामिल हैं।

मुख्य विशिष्ट लक्ष्य

- 25,000 किमी. लंबी नदियों को उनकी प्राकृतिक, मुक्त-प्रवाह स्थिति में पुनर्स्थापन करना
- वर्ष 2030 तक पूरे महाद्वीप में 3 अरब वृक्षारोपण करना

भारत के समक्ष पर्यावरणीय चुनौतियाँ

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण एटलस के अनुसार, वर्ष 2018-19 में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 97.85 मिलियन हेक्टेयर (29.7%) भूमि क्षरण से प्रभावित हुआ।
  - यह वर्ष 2003-05 में 94.53 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा है।
- गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं राजस्थान जैसे प्रमुख राज्यों में भूमि क्षरण अधिक है। इन राज्यों में कुल मिलाकर भारत के मरुस्थलीकृत भूमि क्षेत्र का 23.79% है।
- गंगा व यमुना जैसी प्रमुख नदियाँ गंभीर जल गुणवत्ता समस्याओं व अवरोधों का सामना कर रही हैं। वस्तुत: जल की कमी तथा प्रदूषण दोनों में वृद्धि हुई है।

मौजूदा कार्यक्रम एवं पहल

- ग्रीन इंडिया मिशन
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
- एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वाटरशेड कार्यक्रम)
- राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम
- हालाँकि, इन प्रयासों के बावजूद क्षरण के पैमाने और तेज़ गति में व्यवस्थित परिवर्तन लाने के लिए एक व्यापक, राष्ट्रव्यापी व कानूनी रूप से बाध्यकारी ढाँचे की आवश्यकता है।

पुनर्स्थापना के लाभ

विश्व आर्थिक मंच के अनुसार, प्रकृति की पुनर्स्थापना से वैश्विक स्तर पर वर्ष 2030 तक 10 ट्रिलियन डॉलर वार्षिक तक का आर्थिक लाभ हो सकता है।

आर्थिक लाभ

- **कृषि उत्पादकता में वृद्धि :** मृदा स्वास्थ्य एवं जल संसाधनों को बहाल करने से फसल उत्पादन में सुधार होगा जिससे बेहतर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
- **रोज़गार सृजन :** पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली लाखों नौकरियों का सृजन कर सकती है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ बड़े पैमाने पर बहाली के प्रयासों के लिए मैनुअल श्रम, तकनीकी विशेषज्ञता एवं निगरानी की आवश्यकता होगी।
- **सतत् विकास को बढ़ावा :** एस.डी.जी. 15 (भूमि पर जीवन) में सीधे योगदान करना, जो वनों के प्रबंधन, मरुस्थलीकरण से निपटने और भूमि क्षरण को रोकने पर केंद्रित है।

सामाजिक लाभ

- पुनर्स्थापना प्रयासों से जल सुरक्षा में सुधार
- बाढ़ और सूखे के प्रभाव में कमी
- जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन में वृद्धि की संभावना
- स्थानीय आजीविका को बढ़ावा
  - इससे विशेषकर खेती, वानिकी एवं मत्स्ययन पर निर्भर ग्रामीण समुदायों को लाभ होगा।

जलवायु परिवर्तन शमन

- पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, विशेष रूप से वन एवं आर्द्रभूमि को बहाल करने से कार्बन अवशोषण में वृद्धि होगी। इससे भारत को पेरिस समझौते के तहत अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
- क्षरित भूमि से वर्तमान में जितना कार्बन अवशोषण होता है, उससे अधिक उत्सर्जन होता है। इसलिए इन भूमियों को बहाल करने से कार्बन सिंक में वृद्धि होगी, जो जलवायु के प्रति सहनशीलता में योगदान देगा।

भारत के लिए संभावित प्रकृति पुनर्स्थापन कानून संबंधी सुझाव

यूरोपीय संघ के एन.आर.एल. से प्रेरणा लेते हुए भारत में एकसमान कानून देश की पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए बनाया जा सकता है, जो दीर्घकालिक पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापना सुनिश्चित करता है।

पुनर्स्थापना लक्ष्य

- भारत को वर्ष 2030 तक अपनी क्षरित भूमि के 20% को बहाल करने का लक्ष्य रखना चाहिए।
- दीर्घकालिक लक्ष्य वर्ष 2050 तक देश भर में क्षरित सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को पूरी तरह से पुनर्स्थापित करने का होना चाहिए।
  - इसमें जंगल, आर्द्रभूमि, नदियाँ, कृषि भूमि एवं शहरी हरित क्षेत्र जैसे महत्त्वपूर्ण पारितंत्र शामिल हैं।

आर्द्रभूमि बहाली

- विशेष रूप से सुंदरबन एवं चिल्का झील जैसी आर्द्रभूमियाँ जैव-विविधता के लिए महत्त्वपूर्ण हैं और प्रभावी कार्बन सिंक के रूप में काम करती हैं।
- वर्ष 2030 तक क्षरित आर्द्रभूमि के 30% को बहाल करना, जल की गुणवत्ता को संरक्षित करना, जैव-विविधता को बढ़ावा देना और स्थानीय आजीविका के समर्थन का लक्ष्य रखा जा सकता है।

कृषि परिदृश्य एवं जैव-विविधता

- कृषि, भारत की अर्थव्यवस्था में केंद्रीय भूमिका निभाती है। कृषि वानिकी एवं संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देने से कृषि भूमि को बहाल किया जा सकता है।
- यूरोपीय संघ में प्रयोग किए जाने वाले तितली या पक्षी सूचकांक (Butterfly or Bird index) जैसे संकेतक प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं।
  - ग्रासलैंड बटरफ्लाई इंडेक्स एवं कॉमन बर्ड इंडेक्स का उपयोग यूरोप में प्रजातियों की प्रचुरता में परिवर्तन की निगरानी के लिए किया जाता है।

नदी पुनरुद्धार

गंगा, यमुना एवं गोदावरी जैसी नदियाँ प्रदूषण, अतिक्रमण व मार्ग विचलन जैसी चुनौतियों से जूझ रही हैं। इस कानून द्वारा मुक्त-प्रवाह वाली नदियों को बहाल करने पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है तथा प्रदूषण व अवरोधों को दूर किया जा सकता है।

शहरी हरित क्षेत्र

- भारत के तेज़ी से बढ़ते शहरी क्षेत्र (जैसे– दिल्ली, बेंगलुरु एवं मुंबई) अर्बन हीट आइलैंड व वायु प्रदूषण की दोहरी चुनौतियों का सामना करते हैं।
- ताप को कम करने, प्रदूषण में कमी लाने और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शहरी वनों एवं हरित बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देना आवश्यक है।

❑❑❑

भूगोल

भू-भौतिकी घटनाएँ

DANA मौसमी घटना एवं परिणाम

संदर्भ

अक्तूबर 2024 में स्पेन में घातक बाढ़ से कई लोगों की मौत हो गई है जबकि दर्जनों लोग लापता हैं। फ्लैश फ्लड की यह घटना स्पेन के आधुनिक इतिहास में सबसे घातक बाढ़ है। यह आपदा वर्ष 1967 के बाद से बाढ़ से संबंधित यूरोप की सबसे गंभीर त्रासदी बन गई है, जब पुर्तगाल में कम-से-कम 500 लोगों की मौत हो गई थी।

स्पेन में फ्लैश फ्लड की घटना

- हाल ही में स्पेन में फ्लैश फ्लड (Flash Flood) का कारण मूसलाधार वर्षा को माना गया है और इस भारी वर्षा का मुख्य कारण एक वार्षिक मौसमी परिघटना है जिसे 'DANA' के रूप में जाना जाता है।
    - दक्षिणी और पूर्वी स्पेन के वैलेंसिया, मर्सिया, अंडालूसिया व मालागा शहरों में एक दिन में ही एक महीने से अधिक मात्रा की वर्षा हुई।
- स्पेन में DANA एक आम परिघटना है जो प्राय: पश्चिमी भूमध्य सागर में शरद ऋतु व बसंत के आगमन के साथ होती है।
- हालाँकि, विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के वर्षों में DANA की तीव्रता एवं बारंबारता में वृद्धि हुई है और इसका विस्तार भौगोलिक रूप से अधिक विस्तृत क्षेत्र में हो गया है।

क्या है DANA

- **परिचय :** DANA स्पेनिश भाषा के वाक्यांश 'डिप्रेशन ऐसलाडा एन निवेल्स अल्टोस' (Depresión Aislada en Niveles Altos) का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ है 'अत्यधिक ऊँचाई पर अवदाब में भिन्नता।'
- **अन्य नाम :** इसे 'गोटा फ्रिया' (Gota fría) या 'कोल्ड ड्रॉप' (Cold Drop) के नाम से भी जाना जाता है।
- **अवधारणा की उत्पत्ति :** इसकी उत्पत्ति वर्ष 1886 में हुई थी, जब जर्मन वैज्ञानिकों ने 'काल्टलुफ्ट्रॉफेन' या 'कोल्ड ड्रॉप' का विचार प्रस्तुत किया था। इसका उपयोग अत्यधिक ऊँचाई पर होने वाले विक्षोभ को दर्शाने के लिए किया जाता था किंतु सतह पर इसका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होता।
- वर्तमान में 'कोल्ड ड्रॉप' की अवधारणा पुरानी हो चुकी है और अब मौसम वैज्ञानिक DANA को अत्यधिक ऊँचाई वाले एक बंद अवदाब के रूप में परिभाषित करते हैं जो एक संबद्ध जेट स्ट्रीम से पृथक हो गया है।

DANA परिघटना निर्माण की प्रक्रिया

- DANA परिघटना का निर्माण तब होता है जब भूमध्य सागर के गर्म जल पर शीतल ध्रुवीय वायु उतरती है।
- समुद्र की सतह पर यह बदलाव वायुमंडलीय अस्थिरता उत्पन्न करता है जिससे समुद्र की सतह पर स्थित गर्म एवं आर्द्र वायु तेज़ी से ऊपर की ओर उठती है।
- कुछ ही घंटों में इस प्रक्रिया से सघन व उच्च क्यूम्यलोनिम्बस बादल या कपास वर्षी मेघ (Cumulonimbus Clouds) का निर्माण होता है। ये बादल भारी वर्षा करते हैं जिसके परिणामस्वरूप फ्लैश फ्लड जैसी आपदा आती है।
- सामान्य तूफानों या झंझावतों के विपरीत DANA ध्रुवीय या उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम से स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हो सकता है।
- **जेट स्ट्रीम की भूमिका :** मौसम प्रतिरूप की यह घटना जेट स्ट्रीम से संबंधित है।
    - जेट स्ट्रीम पवनें क्षोभमंडल के उच्च स्तरों पर तेज़ गति से प्रवाहित होने वाली एक वायु धारा होती है जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तथा ध्रुवीय शीतल वायु को उष्ण उष्णकटिबंधीय वायु से अलग करती है।
    - शीतल वायु का एक समूह ध्रुवीय जेट स्ट्रीम से अलग हो जाता है और भूमध्य सागर के ऊपर उष्ण वायु से टकराता है जिसके परिणामस्वरूप DANA का निर्माण होता है।

फ्लैश फ्लड के बारे में

- फ्लैश फ्लड (Flash Flood) को 'प्राय: सूखे क्षेत्र का अचानक अत्यधिक वर्षा, उफनती नदी या झील, पिघलती बर्फ या असाधारण रूप से उच्च ज्वार के कारण अत्यधिक जलमग्न होना' के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
    - उदाहरण के लिए, अमेरिका की मौसम विज्ञान एजेंसी 'नेशनल वेदर सर्विस' के अनुसार, फ्लैश फ्लड तब आती है जब 6 घंटे से कम समय की वर्षा बाढ़ का कारण बनती है।
- फ्लैश फ्लड की घटना प्राय: उन स्थानों पर अधिक होती है जहाँ नदियाँ संकरी एवं अत्यधिक ढालयुक्त होती हैं। यह घटना छोटी नदियों के पास स्थित शहरी क्षेत्रों में हो सकती हैं क्योंकि सड़कें एवं कंक्रीट जैसी कठोर सतहें पानी को भूमि में समाहित नहीं होने देती हैं।

भारत में बाढ़ की स्थिति

- असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक परियोजना से प्राप्त सरकारी आँकड़ों के अनुसार, बांग्लादेश के बाद भारत दुनिया में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है तथा बाढ़ के कारण होने वाली वैश्विक मृत्यु का पाँचवां हिस्सा भारत में होता है।

- भारत में चेन्नई व मुंबई जैसे शहरों में फ्लैश फ्लड सामान्य है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों के तटीय क्षेत्रों में दबाव और चक्रवाती तूफान भी फ्लैश फ्लड का कारण बनते हैं।
- भारत में फ्लैश फ्लड प्रायः बादल फटने (Cloud Burst) से संबंधित होती है अर्थात् कम समय में अचानक तीव्र वर्षा।
- हिमालयी राज्यों को ग्लेशियरों के पिघलने के कारण बनने वाली ग्लेशियल झीलों के उफान की चुनौती का भी सामना करना पड़ता है और पिछले कुछ वर्षों में इनकी संख्या में वृद्धि हुई है।

बाढ़ से उत्पन्न बाधाओं को रोकने के उपाय

बुनियादी ढाँचे में सुधार

- शहरों में कंक्रीट के अत्यधिक निर्माण से पानी के रिसने एवं बहने के लिए स्थान की कमी आती जा रही है। शहरी जंगलों, आर्द्रभूमि, नदियों व झीलों का संरक्षण एवं सुरक्षा जलवायु परिवर्तन से प्रेरित बाढ़, पानी की कमी और हीटवेव से निपटने तथा रहने की स्थिति में सुधार के लिए महत्त्वपूर्ण है।
  - उदाहरण के लिए, चीन अपने 30 मेगासिटी को 'स्पंज सिटी' में बदलने का प्रयास कर रहा है जो नालियों में तीव्र वर्षा जल प्रवाह को धीमा करने के लिए ग्रीन रूफ का उपयोग करते हैं और शहरी आर्द्रभूमियों को अपने दो-तिहाई पानी को अवशोषित करने और पुनः उपयोग करने के लिए प्रयोग करते हैं।
- लंबे समय से पूर्वी कोलकाता की वेटलैंड्स एक प्रभावी बाढ़ बचाव तंत्र रही हैं जो शहर के सीवेज के एक बड़े हिस्से को साफ करने, शहर में ताज़ी सब्ज़ियों के कुल उपभोग का आधा हिस्सा पैदा करने और एक लाख लोगों को आजीविका प्रदान करने में मदद करती हैं।

सड़क संरचना में सुधार

- नियोजित जल निकास प्रणालियों की तुलना में शहरी क्षेत्रों का तेज़ी से विस्तार होने का अर्थ है कि कई सड़कें प्रभावी रूप से घातक जल निकास नालियाँ बन जाती हैं। स्थानीय बाढ़ को कम करने के लिए शहर की सड़कों के निर्माण व मरम्मत के तरीके में सुधार की आवश्यकता है।
- समय के साथ सड़क का स्तर आसपास के क्षेत्रों, इमारतों व नालियों से ऊँचा हो जाता है, जो भारी बारिश के दौरान जलमग्न हो जाता है।
- यह स्थिति तब अधिक बदतर हो जाती है जब अधिकांश फ्लाईओवर, अंडरपास एवं मेट्रो लाइनें मौजूदा जल निकास प्रणाली को बाधित करती हैं जिससे बाढ़ के बाद यातायात में अत्यधिक रुकावट आती है।
- इसे सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रभावी बुनियादी ढाँचे के नियोजन एवं समन्वय के साथ संबोधित करने की आवश्यकता है।

पूर्व चेतावनी सेवाओं में सुधार

- 2000 के दशक की शुरुआत में मुंबई व सूरत जैसे शहरों में शहरी बाढ़ की विनाशकारी शृंखला के बाद भारत ने कई बड़े शहरों में पूर्वानुमान, पूर्व चेतावनी एवं निकासी प्रणालियों में सुधार किया है।
- इसका प्रसार जोखिम वाले अधिकांश स्थानों तक किया जाना चाहिए। साथ ही, सेलफोन, बिजली व पानी की महत्त्वपूर्ण आपूर्ति सेवाओं को मज़बूत करना चाहिए, ताकि वे लचीले हों और चरम घटनाओं से तेज़ी से उबरने में सक्षम हो सकें।

अल-जौफ क्षेत्र

संदर्भ

सऊदी अरब के इतिहास में पहली बार अल-जौफ (Al-Jawf) क्षेत्र के आसपास के रेगिस्तानी इलाके में अत्यधिक हिमपात (Snowfall) जैसी अप्रत्याशित मौसमी परिघटना देखने को मिल रही है।

संबंधित बिंदु

- अत्यधिक वर्षा एवं ओला गिरने के कारण सऊदी अरब के अल-जौफ क्षेत्र के कई पहाड़ी हिस्सों में बर्फबारी की शीतलहर देखने को मिल रही है। यद्यपि यह क्षेत्र वर्षभर शुष्क जलवायु (Arid Climate) के लिए जाना जाता है।
- इस अप्रत्याशित मौसमी परिघटना ने अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित किया है। यह अप्रत्याशित शीतकालीन मौसम पश्चिम एशिया में विकसित हो रहे जलवायु प्रतिरूप को प्रदर्शित करता है जहाँ सबसे शुष्क क्षेत्र में भी महत्त्वपूर्ण बदलाव हो सकता है।
- संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, इन असामान्य ओलावृष्टि का कारण अरब सागर से ओमान तक विस्तारित हो रही निम्न दबाव प्रणाली है।
  - इस मौसम प्रतिरूप से प्रायः शुष्क क्षेत्र में आर्द्रतायुक्त वायु का प्रवेश होने के कारण सऊदी अरब और पड़ोसी देश संयुक्त अरब अमीरात में आंधी, ओलावृष्टि व वर्षा हो रही है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, रेगिस्तानों में बर्फबारी सहित ऐसी असामान्य मौसमी घटनाएँ वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बदलती वायुमंडलीय स्थितियों के कारण अधिक होती जा रही हैं।

रेगिस्तानी क्षेत्र में बर्फबारी के अन्य उदाहरण

- यद्यपि सऊदी अरब में बर्फबारी दुर्लभ है किंतु रेगिस्तानी क्षेत्र में बर्फबारी की यह पहली घटना नहीं है।
- कुछ वर्ष पहले सहारा रेगिस्तान के अत्यधिक तापमान (प्रायः 58°C से अधिक) वाले एक कस्बे में तापमान में नाटकीय गिरावट आई और यह –2°C तक पहुँच गया, जिसके परिणामस्वरूप अप्रत्याशित बर्फबारी हुई।
  - ऐसी घटनाओं के लिए प्रायः जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभावों को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है।

- विश्व बैंक के अनुसार, पश्चिम एशिया जलवायु संबंधी प्रभावों के लिए सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। औसत तापमान में वृद्धि से मौसम के प्रतिरूप में त्वरित अनियमितता और चरम स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

चर्चित स्थल

माउंट लेवोटोबी लाकी-लाकी

हाल ही में, इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी 'माउंट लेवोटोबी लाकी-लाकी' (Mount Lewotobi Laki-Laki) में हुए विस्फोट से कई लोगों की मौत हो गई है।

माउंट लेवोटोबी लाकी-लाकी के बारे में

- यह पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत के फ्लोरेस द्वीप में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है।
- यह ज्वालामुखी एक जुड़वाँ ज्वालामुखी प्रणाली का हिस्सा है जिसे स्थानीय निवासी नर एवं नारी पर्वत मानते हैं।
  - वर्तमान ज्वालामुखी विस्फोट इस प्रणाली के नर हिस्से (लेवोटोबी लाकी-लाकी) में हुआ है जबकि नारी पर्वत को लेवोटोबी पेरेम्पुआन (Lewotobi Perempuan) के नाम से जाना जाता है।
- इन दोनों पर्वतों को स्ट्रेटोवॉल्कैनो के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो विश्व भर में सबसे अधिक पाए जाने वाले ज्वालामुखी हैं।
  - इनका निर्माण ज्वालामुखी के क्रेटर से बार-बार निकलने वाले लावा की परतों से होता है।

इंडोनेशिया के बारे में

- इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीपसमूह राष्ट्र है और इस देश में 120 सक्रिय ज्वालामुखी हैं।
- यह प्रशांत महासागर के चारों ओर विवर्तनकी भ्रंश रेखाओं की एक 'घोड़े की नाल' के आकार की श्रृंखला 'रिंग ऑफ फायर' के किनारे स्थित है।
  - रिंग ऑफ फायर जापान से दक्षिण-पूर्व एशिया और प्रशांत महासागर बेसिन तक विस्तृत है।
    - यह क्षेत्र सक्रिय ज्वालामुखियों से घिरा है, जो शक्तिशाली टेक्टॉनिक प्लेटों के ऊपर स्थित हैं, जो प्राय: टकराते हैं और भूकंपीय गतिविधि उत्पन्न करते हैं।

स्कारबोरो शोल

- चीन ने दक्षिण चीन सागर में विवादित स्कारबोरो शोल (Scarborough Shoal) के आसपास आधार रेखाओं (Baseline) को चिह्नित करते हुए भौगोलिक निर्देशांक जारी किए हैं।
- स्कारबोरो शोल दक्षिण चीन सागर में छोटी चट्टानों एवं द्वीपों की एक श्रृंखला है। यह फिलीपींस के मुख्य द्वीप लूज़ोन के काफी निकट है और उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित है। यह शोल वर्ष 2012 से चीन के नियंत्रण में है।
- स्कारबोरो शोल पर कोई संरचना निर्मित नहीं की गई है किंतु इस स्थान पर चीन का प्रभावी नियंत्रण है, जिसने वर्ष 2012 से इस स्थान पर तटरक्षक बल की निरंतर उपस्थिति बनाए रखी है।
- स्कारबोरो शोल एक एटॉल संरचना है। एटॉल वलयाकार की मूंगा चट्टान, द्वीप या टापुओं की श्रृंखला है। एटॉल जल निकाय को घेरे रहता है जिसे लैगून कहा जाता है।
- स्कारबोरो शोल को विभिन्न देशों द्वारा दिए गए नाम-
  - **अमेरिकी भौगोलिक नाम बोर्ड :** स्कारबोरो शोल
  - **चीन :** हुआंगयान दाओ
  - **फिलीपींस :** लोअर मासिनलोक/सीज़न शोल
  - **ताइवान :** हुआंगयान दाओ

चर्चित समुदाय

थाडौ समुदाय

मणिपुर के थाडौ समुदाय (Thadou Community) ने राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लागू करने के कदम का समर्थन किया है।

थाडौ समुदाय के बारे में

- थाडौ समुदाय मणिपुर की सबसे पुरानी और सबसे विशाल गैर-नागा जनजातियों में से एक है।
- थाडौ समुदाय मुख्यत: पूर्वोत्तर भारत, बर्मा, बांग्लादेश में रहने वाले थाडौ भाषी कुकी लोग हैं।
  - इन्हें थाडौ कुकी भी कहा जाता है।
- इनके अन्य कुलों में हाओकिप, किपगेन, डोंगेल, हैंगशिंग, मंगवुंग आदि शामिल हैं।
- मणिपुर के साथ ही मेघालय व असम में भी थाडौ भाषी लोगों की काफी संख्या निवास करती है।
- इसके अलावा, कई थाडौ भाषी जनगणना में अपनी भाषा को 'कुकी' के रूप में सूचीबद्ध करते हैं।
  - हालाँकि, वर्तमान में वे कुकी से अलग अपनी पहचान का दावा कर रहे हैं, जिनकी अलग भाषा, संस्कृति, परंपराएँ एवं इतिहास है।
- यह मणिपुर की 29 मूल या स्वदेशी जनजातियों में से एक हैं और इन्हें वर्ष 1956 के राष्ट्रपति आदेश के तहत एक स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी।
- वर्ष 1881 में भारत की पहली जनगणना से लेकर वर्ष 2011 की जनगणना तक यह जनजाति लगातार मणिपुर में सबसे बड़ी जनजाति रही है।
- मई 2023 से मैतेई एवं कुकी-जो समुदायों के बीच जातीय संघर्ष में थाडौ समुदाय फंस गए हैं।

कृषि

ग्रामीण भारत में श्री अन्न का कायाकल्प

संदर्भ

हैदराबाद स्थित भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान के अनुसार, ग्रामीण भारत में श्री अन्न जैसे पारंपरिक अनाजों के कम उपभोग की धारणा गलत है और ग्रामीण उपभोक्ता शहरी उपभोक्ताओं के समान ही श्री अन्न (मोटे अनाज या कदन्न) का उपभोग कर रहे हैं। इससे ग्रामीण परिवारों के मुख्य खाद्यान्न के रूप में श्री अन्न 'स्टार्ट-अप्स एवं स्थानीय व्यवसायों के लिए एक विशाल मूल्यवर्द्धन' का अवसर प्रस्तुत करता है।

श्री अन्न के बारे में

- **परिचय :** श्री अन्न (Millets) छोटे बीज वाली घास प्रजातियों का एक विविध समूह है जो दुनिया भर में चारे एवं खाद्यान्न के रूप में उगाया जाता है।
- **वर्गीकरण :** श्री अन्न के दाने के आकार के आधार पर इसे दो श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है–
  - **मुख्य श्री अन्न :** इसमें ज्वार (Sorghun) एवं बाजरा (Pearl millet) शामिल हैं।
  - **गौण श्री अन्न :** इनमें फिंगर मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, कोदो मिलेट, प्रोसो मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट एवं लिटिल मिलेट आदि शामिल हैं।
- **प्राचीन साक्ष्य :** श्री अन्न के सबसे पुराने साक्ष्य सिंधु सभ्यता में पाए गए हैं और ये खाद्यान्न के लिए जंगली से घरेलू बनाए गए प्रारंभिक खाद्य पौधों में से एक थे।
  - यजुर्वेद के कुछ ग्रंथों में विभिन्न श्री अन्न का उल्लेख किया गया है जिसमें फॉक्सटेल मिलेट (प्रियंगु), बार्नयार्ड मिलेट (अनु) एवं फिंगर मिलेट (श्यामका) की पहचान की गई है।
- **कृषि जलवायु :** इनकी खेती मुख्यत: समशीतोष्ण, उपोष्णकटिबंधीय एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के शुष्क इलाकों की सीमांत भूमि पर की जाती है।
- **प्रमुख उत्पादक देश :** भारत > नाइजर > चीन > नाइजीरिया
- **मोटा अनाज (श्री अन्न) वर्ष :** खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने मोटे अनाज के उत्पादन व उपभोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 को 'अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष' के रूप में मनाया।
- **महत्त्व :**
  - श्री अन्न में भोजन, पोषण, चारा, फाइबर, स्वास्थ्य, आजीविका एवं पारिस्थितिकी की सुरक्षा प्रदान करने की अपार क्षमता है।
  - मोटे अनाजों में कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस और पोटैशियम जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं।
  - अन्य प्रमुख अनाजों (चावल, गेहूँ, मक्का) की तुलना में मोटे अनाज फेनोलिक यौगिकों जैसे फाइटो-केमिकल्स का एक बेहतरीन स्रोत हैं, जो एंटीएजिंग, कैंसर-रोधी, एंटी-एथेरोस्क्लेरोजेनिक, जीवाणु-रोधी और एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव जैसे कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं।
  - ये ग्लूटेन-मुक्त होते हैं और उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो उन्हें सीलिएक रोग या मधुमेह पीड़ितों के लिए आदर्श बनाता है।
  - श्री अन्न की खेती कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करती है।
  - श्री अन्न विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिकीय परिस्थितियों के प्रति अत्यधिक अनुकूल होता है तथा वर्षा-आधारित, शुष्क जलवायु में भी अच्छी तरह पनपता है। इसे पानी, उर्वरकों व कीटनाशकों की न्यूनतम आवश्यकता होती है।

भारत में श्री अन्न के उत्पादन की स्थिति

- **वैश्विक उत्पादन में भागीदारी :** भारत दुनिया में श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है।
  - इसके वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 20% तथा एशिया के उत्पादन में 80% है।
  - वर्ष 2022 में वैश्विक श्री अन्न उत्पादन में भारत की तीन किस्मों 'बाजरा (Pearl Millet), ज्वार (Sorghum), कूट्टू (Buckwheat)' का हिस्सा 18% से अधिक था।
- **उत्पादक क्षेत्र :** भारत में वर्ष 2023-24 के दौरान लगभग 69.70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र श्री अन्न के अंतर्गत कवर किया गया था।
- **प्रमुख उत्पादक राज्य :** राजस्थान > उत्तर प्रदेश > कर्नाटक एवं महाराष्ट्र > हरियाणा > मध्य प्रदेश > तमिलनाडु > गुजरात > आंध्र प्रदेश > उत्तराखंड।
  - वर्तमान में ये 10 राज्य मिलकर वर्ष 2023-24 (द्वितीय अग्रिम अनुमान) की अवधि के दौरान भारत में श्री अन्न के उत्पादन में लगभग 98% का योगदान देते हैं।
  - राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हरियाणा अर्थात् 6 राज्य कुल श्री अन्न उत्पादन में 79.6% से अधिक हिस्सेदारी रखते हैं।

ग्रामीण भारत में श्री अन्न का कायाकल्प

- **अवसर का विस्तार :** ग्रामीण बाज़ारों में अवसरों का विस्तार करने के लिए श्री अन्न उत्पादक शहरी क्षेत्रों की तरह सभी उपभोग अवसरों व प्रारूपों पर विचार किया जाना चाहिए।
- **जागरूकता बढ़ाना :** बाज़ार में बिक्री होने वाले उत्पादों की बेहतर विपणन (Marketing) द्वारा उनके पोषण मूल्य के बारे में जागरूकता को बढ़ाया जाना चाहिए।

- **पारंपरिक प्रथाओं को प्रोत्साहन :** ग्रामीण उपभोक्ताओं को श्री अन्न उपभोग की अपनी पारंपरिक प्रथाओं को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
  - इसमें स्थानीय उद्यमियों का समर्थन करना शामिल है जो श्री अन्न-आधारित ऐसे उत्पाद विकसित कर रहे हैं जो स्थानीय स्वाद के अनुकूल हों।
- **किफायती उत्पाद :** ग्रामीण बाज़ारों के लिए श्री अन्न उत्पादों की कीमत को लेकर संवेदनशीलता होनी चाहिए।
- **बहुहितधारक संतुलन :** श्री अन्न उद्योग के सतत् विकास के लिए विभिन्न हितधारकों की आवश्यकताओं में संतुलन बनाए रखना महत्त्वपूर्ण है।

मोटे अनाज में चोकर का पोषण महत्त्व

- **हालिया शोध :** नेचर स्प्रिंगर पत्रिका में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, मोटे अनाज से चोकर निकालने से इसके खाने के फायदे खत्म हो सकते हैं।
  - मोटे अनाज से चोकर (Bran) निकालने से उसमें मौजूद प्रोटीन, आहार फाइबर, वसा, खनिज और फाइटेट की मात्रा कम हो जाती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट और एमाइलोज़ की मात्रा बढ़ जाती है।
  - इस विशेष अध्ययन में मोटे अनाज की 5 छोटी किस्मों फॉक्सटेल, लिटिल, कोडो, बार्नयार्ड और प्रोसो पर शोध किया गया।
  - बाज़ार में उपलब्ध मोटे अनाज की किस्म अत्यधिक पॉलिश की हुई होती है और इसे खाने से इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उच्च हो जाता है, जो वांछनीय नहीं है।
  - बाजरे को देश में मूल रूप से उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करने चाहिए, ताकि वे मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए भी लाभकारी हों।
- **मोटे अनाज को पॉलिश क्यों किया जाता है?**
  - मोटे अनाज से चोकर को हटाने से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है।
  - चोकर में वसा की मात्रा बहुत अधिक होती है, और इसे न निकालने से यह जल्दी खराब हो सकता है।
  - चोकर निकालने से खाना पकाने का समय भी कम हो जाता है, जिससे अनाज नरम और कम चबाने योग्य हो जाता है।
- **समाधान :** नवीन पैकेजिंग प्रौद्योगिकी जैसे; वैक्यूमिंग में काफी प्रगति हुई है जिससे चोकर सहित साबुत मोटे अनाज के जीवन को बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

- **खपत प्रतिरूप का ज्ञान :** श्री अन्न के उपभोग को बढ़ावा देने और प्रत्येक क्षेत्र की ज़रूरतों के अनुरूप सतत् कृषि प्रथाओं का समर्थन करने के उद्देश्य से लक्षित रणनीति विकसित करने के लिए उपभोग प्रतिरूप को समझने की आवश्यकता है।
- **सरकारी समर्थन :** पर्याप्त उत्पादन एवं खरीद सुनिश्चित करके सरकारें सार्वजनिक वितरण प्रणाली और निजी उद्यमों दोनों का समर्थन कर सकती हैं जिससे श्री अन्न पारितंत्र को बढ़ावा मिलेगा।
- **गैर-सरकारी समर्थन :** किसान उत्पादक संगठन (FPO) और स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता व खपत को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

सरकारी पहल

- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली :** ओडिशा व कर्नाटक जैसे राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की पहल काफी सफल रही है, जहाँ श्री अन्न को खरीदकर इन्हें सब्सिडीकृत दरों पर वितरित किया जाता है।
- **राष्ट्रीय श्री अन्न मिशन :** श्री अन्न के उत्पादन एवं उपभोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2007 में राष्ट्रीय श्री अन्न मिशन प्रारंभ किया गया था।
- **मूल्य समर्थन योजना :** यह योजना किसानों को श्री अन्न की खेती के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **मूल्य-संवर्द्धित उत्पादों का विकास :** इसमें श्री अन्न की मांग एवं उपभोग बढ़ाने के लिए मूल्य-संवर्द्धित श्री अन्न-आधारित उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाता है।

आगे की राह

ग्रामीण भारत में श्री अन्न का भविष्य आशाजनक है क्योंकि इनके पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता प्रसार एवं टिकाऊ कृषि पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हालाँकि, कंपनियों एवं स्टार्ट-अप को ग्रामीण बाज़ार की अनूठी चुनौतियों व अवसरों को समझना होगा। स्थानीय रूप से किफायती एवं प्रासंगिक उत्पादों की पेशकश करके, स्थानीय उद्यमियों को सशक्त बनाकर और सरकारी पहलों के साथ सहयोग करके उद्यमी इस बढ़ते बाज़ार का लाभ उठा सकते हैं व ग्रामीण भारत में श्री अन्न की खपत को पुनर्जीवित करने में योगदान दे सकते हैं।

ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI)

- यह खाद्यान्न में मौजूद कार्बोहाइड्रेट की गुणवत्ता का मापक है जो भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट द्वारा रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाने की गति को दर्शाता है।
- तुलनात्मक आधार के लिए, ग्लूकोज़ का GI 100 माना जाता है और अन्य खाद्य पदार्थों के GI को ग्लूकोज़ के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है।
- निम्न GI वाले खाद्य पदार्थों में फल, अनाज, दालें, स्टार्चरहित सब्ज़ियाँ, फलियाँ, डेयरी उत्पाद व ब्राउन राइस शामिल हैं।
- उच्च GI वाले खाद्य पदार्थों में चीनी, शर्करायुक्त पेय, सफेद पॉलिश चावल, आलू एवं सफेद ब्रेड शामिल हैं।

भारत एवं विश्व मत्स्यन की स्थिति

संदर्भ

21 नवंबर को भारत सहित दुनिया भर में विश्व मात्स्यिकी दिवस (WFD) का आयोजन किया गया। इस दौरान भारत ने कुछ पहलों की शुरुआत की है।

विश्व मात्स्यिकी दिवस के बारे में

- विश्व मात्स्यिकी दिवस की शुरुआत वर्ष 1997 में नई दिल्ली में 'विश्व मत्स्यपालन मंच' की बैठक के परिणामस्वरूप हुई थी।
- इसके आयोजन का उद्देश्य मत्स्यपालन, मछुआरों, मत्स्य किसानों तथा पशुपालन हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करना है।
- यह उत्सव स्थायी स्टॉक एवं स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक मत्स्यपालन के प्रबंधन के तरीके को बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- यह दिवस अत्यधिक मत्स्यन, आवास की क्षति और समुद्री एवं मीठे पानी के संसाधनों की स्थिरता के लिए अन्य गंभीर खतरों की ओर ध्यान आकर्षित करता है।

भारत एवं विश्व मात्स्यिकी दिवस, 2024

- भारत में मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्यपालन विभाग द्वारा 21 नवंबर, 2024 को विश्व मात्स्यिकी दिवस का आयोजन किया गया।
- **उद्देश्य :** मत्स्यपालन क्षेत्र की उपलब्धियों एवं अप्रयुक्त क्षमताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इस क्षेत्र में साझेदारी व सर्वोत्तम अभ्यासों को बढ़ावा देना।
- **भारत द्वारा निर्धारित इस वर्ष की थीम :** 'भारत का नीला परिवर्तन : लघु-स्तरीय एवं टिकाऊ मत्स्यपालन को मज़बूत करना' (India's Blue Transformation: Strengthening Small-Scale and Sustainable Fisheries)
  - इस थीम का उद्देश्य सतत् मत्स्यपालन एवं जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई नई पहल शुरू करना है।
- भारतीय शास्त्रों में विष्णु के अवतारों में मत्स्य अवतार का वर्णन भी मिलता है।
- **महत्त्व :** विश्व मत्स्यपालन दिवस पर भारत टिकाऊ मत्स्यपालन के अभ्यासों को बढ़ावा देने, समुद्री पर्यावरण की रक्षा करने और मछली पकड़ने वाले समुदायों को सशक्त बनाने के लिए वैश्विक कार्रवाई आह्वान में शामिल होता है, जिससे इस क्षेत्र में उसका नेतृत्व एवं वैश्विक समुद्री खाद्य उत्पादन के भविष्य की सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता मज़बूत होती है।

विश्व मात्स्यिकी दिवस 2024 पर शुरू प्रमुख पहल

- डाटा-संचालित नीति निर्माण के लिए 5वीं समुद्री मत्स्य जनगणना
- शार्क संरक्षण के लिए शार्क पर राष्ट्रीय कार्य योजना
- अवैध, अप्रतिबंधित एवं अनियमित मत्स्यन से निपटने के लिए बंगाल की खाड़ी-क्षेत्रीय कार्य योजना
- समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए नया प्रोजेक्ट
- तटीय जलकृषि फार्मों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए नवीन एकल खिड़की प्रणाली
- मत्स्यपालन क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्बन बाज़ार ढाँचा स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर
- प्रगतिशील राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों, व्यक्तियों एवं उद्यमियों को भारतीय मत्स्यपालन और जलीय कृषि के विकास में उनके योगदान के लिए सम्मानित करना

वैश्विक मत्स्यपालन में भारत की भूमिका

भारत में मत्स्यपालन की स्थिति

- भारत की वैश्विक मत्स्यपालन में महत्त्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि-
  - भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है।
  - चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि राष्ट्र है।
  - भारत झींगा का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है।
- भारतीय मत्स्यपालन क्षेत्र न केवल लगभग 30 मिलियन लोगों की आजीविका का समर्थन करता है बल्कि इसमें विकास, रोज़गार सृजन एवं ग्रामीण विकास की अपार संभावनाएँ भी हैं।
- हाल के वर्षों में, भारतीय मत्स्यपालन समुद्री-प्रधान क्षेत्र से अंतर्देशीय मत्स्यपालन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की ओर बढ़ रहा है।
- खारे पानी की जलीय कृषि में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, विशेष रूप से झींगा पालन में, जो भारत के समुद्री खाद्य निर्यात आय में एक प्रमुख योगदानकर्ता है।
  - भारत में लगभग 1.42 मिलियन हेक्टेयर खारे/लवणीय क्षेत्र हैं। हालाँकि, वर्तमान में केवल 13% का ही उपयोग किया जाता है।

मत्स्यपालन क्षेत्र में बढ़ता निवेश

- मत्स्यपालन विभाग को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ऐतिहासिक 2,584.50 करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ, जो वार्षिक बजट में 15% की वृद्धि दर्शाता है।
  - यह धनराशि विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन का समर्थन करेगी, जिनका उद्देश्य टिकाऊ एवं ज़िम्मेदार मत्स्यपालन प्रथाओं को बढ़ावा देना है।

- वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक विभिन्न मत्स्यपालन विकास गतिविधियों के लिए कुल 6,378 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

सतत् मत्स्यपालन के लिए सरकारी पहल

- **नीली क्रांति योजना :** नीली क्रांति एकीकृत विकास एवं प्रबंधन मत्स्यपालन योजना या नीली क्रांति योजना वित्त वर्ष 2015-16 में शुरू की गई थी।
  - इस योजना का मुख्य उद्देश्य मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना है।
- **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)**
  - मई 2020 में शुरू की गई PMMSY भारत के मत्स्यपालन क्षेत्र में बदलाव लाने के उद्देश्य से एक प्रमुख पहल है।
  - यह योजना जलीय कृषि उत्पादकता बढ़ाने, मत्स्य प्रबंधन में सुधार लाने और इस क्षेत्र में 55 लाख नए रोज़गार सृजित करने के साथ-साथ पाँच एकीकृत जल पार्कों की स्थापना के बड़े बुनियादी ढाँचे में बदलाव लाने पर केंद्रित है।
  - इससे मत्स्य निर्यात दोगुना होकर 1 लाख करोड़ रुपए होने की परिकल्पना है।
  - PMMSY का एक मुख्य लक्ष्य जलीय कृषि उत्पादकता को वर्तमान में 3 टन प्रति हेक्टेयर (Ha) से बढ़ाकर 5 टन प्रति हेक्टेयर करना है।
  - इसका उद्देश्य मत्स्यपालन के बुनियादी ढाँचे में सुधार करना और समुद्री खाद्य उत्पादन अपशिष्ट को कम करना भी है।
- **मत्स्यपालन एवं जलकृषि अवसंरचना विकास निधि (FIDF)**
  - इसको वर्ष 2018-19 में समुद्री एवं अंतर्देशीय मत्स्यपालन दोनों में बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तुत किया गया था।
  - FIDF ऋण परियोजना लागत का 80% तक कवर कर सकता है जिसमें 3% तक की ब्याज छूट शामिल है।
  - यह वित्तीय सहायता मछली पालन वाले किसानों, उद्यमियों एवं सहकारी समितियों के लिए आवश्यक है जो उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे में सुधार चाहते हैं।
- **आई.सी.ए.आर.-केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान**
  - वर्ष 1961 में मुंबई में स्थापित केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान (CIFE) मत्स्यपालन के क्षेत्र में उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान करने के लिए भारत का अग्रणी संस्थान है।
  - CIFE ने 4,000 से अधिक मत्स्यपालन विस्तार कार्यकर्ताओं व पेशेवरों को प्रशिक्षित किया है।

भारत में सतत् मत्स्यपालन

- सतत् मत्स्य प्रबंधन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता समुद्री संसाधनों, विशेष रूप से इसके प्रादेशिक जल एवं अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के भीतर विनियमन एवं संरक्षण के लिए इसके व्यापक दृष्टिकोण में परिलक्षित होती है।
- तट से 12 समुद्री मील के भीतर मत्स्यपालन का विषय संविधान की 'राज्य सूची' के अंतर्गत आता है, जिसमें तटीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश मछली पकड़ने की गतिविधियों के प्रबंधन एवं विनियमन के लिए समुद्री मत्स्यपालन विनियमन अधिनियम (MFRA) को अधिनियमित करते हैं।

सतत् मत्स्यपालन हेतु प्रयास

- **राष्ट्रीय समुद्री मत्स्यपालन नीति (NPMF 2017) :** भारत सरकार ने NPMF की शुरुआत की है जो सभी समुद्री मत्स्यपालन कार्यों के लिए मुख्य सिद्धांत के रूप में स्थिरता पर ज़ोर देती है।
- **विनियमन एवं संरक्षण उपाय :** समुद्री मछली भंडार की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कई संरक्षण उपायों को लागू किया है, जैसे–
  - एक साथ अधिक मात्रा में मत्स्यन पर प्रतिबंध
  - विनाशकारी मत्स्ययन के तरीकों पर प्रतिबंध
  - टिकाऊ अभ्यासों को बढ़ावा देना
  - राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों द्वारा मत्स्यपालन का विनियमन

मत्स्यपालन में ड्रोन प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग

केंद्रीय राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन ने कोच्चि में मत्स्यपालन एवं जलीय कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग व प्रदर्शन पर कार्यशाला का उद्घाटन किया।

भारत में मत्स्यपालन क्षेत्र

- भारत दुनिया के सबसे बड़े मत्स्य उत्पादक देशों में से एक है और वैश्विक उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 7.58% है।
- भारत में मत्स्यपालन और जलीय कृषि लाखों लोगों के लिए भोजन, पोषण, आय एवं आजीविका का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है।
- भारत सरकार मत्स्यपालन क्षेत्र को समग्र रूप से रूपांतरित करने और देश में नीली क्रांति के माध्यम से आर्थिक सुधार एवं समृद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत रही है।
- पिछले दशक में भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 38,572 करोड़ रुपए के संचयी निवेश की घोषणा की है।
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने मत्स्यपालन व जलीय कृषि क्षेत्र में टिकाऊ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है।

- इसमें आधुनिक जलीय कृषि पद्धतियाँ, उपग्रह-आधारित निगरानी, मत्स्य परिवहन एवं पर्यावरणीय निगरानी के लिए ड्रोन तकनीक का प्रयोग शामिल हैं।

ड्रोन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग

- जल के नमूने एकत्र करना
- जलीय जीवों में बीमारियों की पहचान करना
- मछलियों के लिए चारा प्रबंधन
- जलीय कृषि क्षेत्रों का प्रबंधन
- मछली विपणन की निगरानी
- बुनियादी ढाँचे को हुए नुकसान का आकलन
- प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव कार्य
- सटीक तरीके से मत्स्यन और स्टॉक मूल्यांकन जैसी प्रमुख गतिविधियाँ
- अंडरवाटर ड्रोन से मछलियों के प्राकृतिक आवासों में उनके व्यवहार की निगरानी
- तैराकी प्रतिरूप में अनियमितता जैसे संकट के संकेतों की निगरानी

इसे भी जानिए!

जलवायु लचीला तटीय मछुआरा गाँव परियोजना

- केंद्र सरकार ने देश भर में 100 जलवायु लचीले तटीय मछुआरा गाँवों को विकसित करने के लिए एक परियोजना शुरू करने की घोषणा की है।
- इस पहल का उद्देश्य मछली सुखाने के यार्ड, प्रसंस्करण केंद्र और आपातकालीन बचाव सुविधाओं जैसी सहूलियत प्रदान करके जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लचीलापन में सुधार करना है।
  - साथ ही, इसका उद्देश्य समुद्री शैवाल की खेती और हरित ईंधन पहल जैसी जलवायु-लचीली प्रथाओं का समर्थन करना है।

पोल्ट्री क्षेत्र में प्रथम जीन प्रोफाइल अध्ययन

भारतीय वैज्ञानिकों ने पहली बार केरल एवं तेलंगाना के पोल्ट्री में रोगाणु-रोधी प्रतिरोध (AMR) जीन प्रोफाइल की रिपोर्ट तैयार की है।

पोल्ट्री जीन प्रोफाइल अध्ययन के बारे में

- **शोध-पत्र :** आई.सी.एम.आर.-राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद के वैज्ञानिकों द्वारा 'मध्य एवं दक्षिणी भारत के पोल्ट्री में रोगाणु-रोधी प्रतिरोध प्रोफाइल का विशिष्ट विशेषताओं के साथ विकास' शीर्षक वाला एक शोध-पत्र प्रकाशित किया गया।
- **शोध प्रक्रिया :** इन क्षेत्रों में पोल्ट्री फॉर्मो से मुर्गियों का मल एकत्र किया और जीनोमिक डी.एन.ए. को अलग किया।

शोध के प्रमुख निष्कर्ष

- शोध के नमूनों में ग्राम-नेगेटिव एनारोबिक प्रजातियों (Gram-Negative and Anaerobic Species) के बैक्टीरिया की अधिक व्यापकता देखी गई।
- भारत में एंटीबायोटिक उपचार के लिए चुनौती प्रस्तुत करने वाले उच्च प्राथमिकता वाले रोगाणु, जैसे– ई.कोली, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, क्लेबसिएला न्यूमोनिया स्टैफिलोकोकस ऑरियस, एंटरोकोकस फेकेलिस, स्यूडोमोनस एरुगिनोसा, बैक्टीरियोडेस फ्रैजिल्स भी पोल्ट्री में पाए गए हैं और उनमें ए.एम.आर. जीन उपस्थित थे।
- अध्ययन में पाया गया कि मध्य भारत की तुलना में दक्षिणी भारत में ए.एम.आर. जीन की बहुतायत सर्वाधिक थी। भारत के सुदूर दक्षिणी क्षेत्र में ई.कोली अन्य स्थानों की तुलना में काफी अधिक प्रचलित था।
- आई.सी.एम.आर. डाटा में यूरोपीय संघ (EU) के पोल्ट्री फॉर्म्स की कई सामान्य ए.एम.आर. प्रोफाइल विशेषताएँ थीं किंतु mcr-1 जीन की कमी थी।
  - mcr-1 जीन कोलिस्टिन के प्रति प्रतिरोध पैदा करता है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की आवश्यक दवाओं की सूची में अंतिम विकल्प एंटीबायोटिक है।
- EU में पाया गया एक नया उभरा प्रतिरोधी जीन optrA भारतीय पोल्ट्री नमूनों में नहीं पाया गया है, जबकि EU में अत्यधिक मौजूद qnr जीन दक्षिण भारतीय नमूनों में कम स्तरों पर उभर रहा है।
- शोध के अनुसार, भारत में खतरे की गंभीरता यूरोपीय संघ की तुलना में कम है।
- यह शोध स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र में ए.एम.आर. के प्रसार को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता का संकेत देता है।

ग्राम-नेगेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया प्रजातियों के बारे में

- इन घातक प्रजातियों के बैक्टीरिया में कोशिका झिल्ली की एक अतिरिक्त परत होती है जो इन्हें मारने वाली दवाओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है।
- इनके द्वारा प्राप्त ए.एम.आर. निमोनिया, हैज़ा, खाद्य विषाक्तता आदि जैसी गंभीर संक्रामक बीमारियों के चिकित्सा उपचार के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करता है।
- भारत में आमतौर पर देखे जाने वाले श्वसन संक्रमण (निमोनिया, ब्रोंकाइटिस), मूत्र मार्ग में संक्रमण, जठरांत्र संबंधी संक्रमण, पेट के अंदर के संक्रमण और कई क्लोस्ट्रीडियल संक्रमण ग्राम-नेगेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया प्रजातियों के कारण होते हैं।

उद्योग

उद्योगों को पर्यावरणीय मंज़ूरी से छूट

संदर्भ

केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 39 श्वेत श्रेणी के उद्योगों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (State Pollution Control Board : SPCB) से अनुमति लेने की अनिवार्य आवश्यकता से छूट दे दी है।

छूट प्राप्त उद्योग

- एस.पी.सी.बी. की अनुमति से छूट प्राप्त करने वाले प्रमुख उद्योगों में शामिल हैं–
  - सौर सेल एवं मॉड्यूल बनाने वाली विनिर्माण इकाइयाँ
  - पवन एवं जल-विद्युत इकाइयाँ
  - फ्लाई ऐश ईंटें/ब्लॉक निर्माण
  - चमड़े की कटाई एवं सिलाई
  - एयर कूलर/कंडीशनर की असेंबलिंग, मरम्मत एवं सर्विसिंग
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board : CPCB) द्वारा वर्ष 2016 के वर्गीकरण के अनुसार, इन सभी क्षेत्रों को 'श्वेत श्रेणी' के उद्योगों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  - श्वेत श्रेणी में वे उद्योग शामिल होते हैं जो प्रकृति में सबसे कम प्रदूषण उत्सर्जित करते हैं।
- सी.पी.सी.बी. द्वारा यह छूट जल अधिनियम, 1974 और वायु अधिनियम, 1981 के तहत दी गई है।
- पर्यावरण में अपशिष्टों को या प्रदूषकों को उत्सर्जित करने वाले उद्योगों को विनियमित करने के लिए संचालन के लिए सहमति (Consent to Operate : CTO) परमिट के साथ स्थापना के लिए सहमति (Consent to Establish : CTE) परमिट दिया जाता है।

उद्योगों का रंग-कोडित वर्गीकरण

- सी.पी.सी.बी. के वर्गीकरण के अनुसार, उद्योगों की चार रंग-कोडित श्रेणियाँ हैं–
  - **लाल श्रेणी :** 60 और उससे अधिक प्रदूषण सूचकांक वाले औद्योगिक क्षेत्र
  - **नारंगी श्रेणी :** 41 से 59 प्रदूषण सूचकांक वाले औद्योगिक क्षेत्र
  - **हरी श्रेणी :** 21 से 40 प्रदूषण सूचकांक वाले औद्योगिक क्षेत्र
  - **सफेद श्रेणी :** 0 से 20 तक प्रदूषण सूचकांक वाले औद्योगिक क्षेत्र
- 'लाल' श्रेणी के उद्योग सबसे सख्त जाँच के दायरे में आते हैं क्योंकि इनके द्वारा निर्मित किए जा रहे सामान से विषाक्त अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं।
- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और (सी.पी.सी.बी.) ने वर्ष 2016 में उद्योगों के वर्गीकरण की समीक्षा करते हुए उद्योगों की 'श्वेत श्रेणी' शुरू की थी।

इसे भी जानिए!

- किसी भी औद्योगिक क्षेत्र का प्रदूषण सूचकांक (Pollution Index : PI) 0 से 100 के मध्य होता है।
- सी.पी.सी.बी. के मानदंडों के अनुसार, PI के मान में वृद्धि औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण भार की बढ़ते स्तर को दर्शाता है।
- प्रदूषण सूचकांक स्कोर उत्सर्जन, अपशिष्ट निर्वहन, खतरनाक अपशिष्ट के उत्पादन और प्राकृतिक संसाधनों की खपत के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

लाभ

- केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के इस निर्णय से उद्योगों के 'अनुपालन बोझ' में कमी आएगी।
- इससे गैर-प्रदूषणकारी श्वेत श्रेणी के उद्योगों की स्थापना एवं संचालन की सहमति लेने की बिलकुल भी आवश्यकता नहीं होगी। इससे अनुमोदन के दोहराव को भी रोका जा सकेगा।

कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों का विनियमन

संदर्भ

उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा एवं कोचिंग क्षेत्र में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों के मुद्दे को हल करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों का विनियमन के बारे में

- कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए जनवरी 2024 में सी.सी.पी.ए. के तत्कालीन मुख्य आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी।
  - इस समिति में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, शिक्षा मंत्रालय, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, विधि फर्म और उद्योग हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल थे।
- इस समिति द्वारा फरवरी 2024 में विभिन्न हितधारकों से सार्वजनिक सुझाव के उद्देश्य से 'कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश, 2024' जारी किए थे। इन्हें नवंबर 2024 में सी.सी.पी.ए. द्वारा लागू कर दिया गया है।

भ्रामक विज्ञापन रोकथाम दिशा-निर्देश, 2024 की प्रमुख बातें

- **विज्ञापनों का विनियमन :** ये दिशा-निर्देश कोचिंग संस्थानों को निम्नलिखित बिंदुओं से संबंधित झूठे दावे करने से स्पष्ट रूप से रोकते हैं–
  - प्रस्तावित पाठ्यक्रम, उनकी अवधि, फैकल्टी की योग्यता, शुल्क व धन वापसी नीतियाँ
  - चयन की दर, सफलता की कहानियाँ, परीक्षा में रैंकिंग एवं नौकरी की सुरक्षा के वादे
  - प्रवेश की सुनिश्चितता, परीक्षा में उच्च अंक की गारंटी, गारंटीकृत चयन या पदोन्नति
- **केवल सत्य प्रस्तुति :** कोचिंग की सेवाओं की गुणवत्ता या मानक के बारे में भ्रामक प्रस्तुतिकरण सख्त वर्जित होगा। कोचिंग संस्थानों को अपने बुनियादी ढाँचे, संसाधनों एवं सुविधाओं का सही विवरण देना चाहिए।
- **छात्रों की सफलता की कहानियाँ :** ये दिशा-निर्देश कोचिंग केंद्रों को छात्रों की लिखित सहमति के बिना विज्ञापनों में उनके नाम, फोटो या प्रशंसापत्र छापने से रोकते हैं और छात्र की सफलता के बाद ही यह सहमति प्राप्त की जानी चाहिए।
- **पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण :** कोचिंग सेंटरों को विज्ञापन में छात्र की तस्वीर के साथ-साथ नाम, रैंक एवं कोर्स का विवरण जैसी महत्त्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करना होगा।
  - छात्र ने किस कोर्स के लिए भुगतान किया था, इसका भी स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।
  - किसी भी अस्वीकरण को अन्य महत्त्वपूर्ण विवरणों के शब्दों का आकार (same font size) के साथ प्रमुखता से प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी, ताकि उपभोक्ता छोटे प्रिंट से गुमराह न हों।
- **झूठी तात्कालिकता का निर्माण न करना :** ये दिशा-निर्देश कोचिंग क्षेत्र में कार्यरत किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रचार के लिए सामान्य रणनीति का प्रयोग निर्धारित करता है और सीमित सीटें या अत्यधिक मांग जैसी रणनीति पर प्रतिबंध लगाता है जिससे छात्रों पर त्वरित निर्णय के लिए दबाव न पड़े।
- **राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के साथ अभिसरण :** प्रत्येक कोचिंग सेंटर को एन.सी.एच. के साथ साझेदारी करना आवश्यक होगा, जिससे छात्रों के लिए भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के संबंध में चिंताएँ या शिकायतें दर्ज करना आसान हो जाएगा।
- **निष्पक्ष अनुबंध :** दिशा-निर्देशों में अनुचित अनुबंधों के मुद्दे को संबोधित करने की बात भी कही गई है, जिसे छात्रों द्वारा प्राय: कोचिंग सेंटरों के साथ किया जाता है।
  - कोचिंग संस्थानों को अब चयन के बाद की सहमति के बिना सफल उम्मीदवारों की तस्वीरों, नामों या प्रशंसापत्रों का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
  - इस प्रावधान का उद्देश्य कोचिंग सेंटरों में दाखिला लेने के दौरान कई छात्रों पर पड़ने वाले दबाव को समाप्त करना है।
- **प्रवर्तन एवं दंड :** इन दिशा-निर्देशों का कोई भी उल्लंघन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का उल्लंघन माना जाएगा।
  - केंद्रीय प्राधिकरण के पास अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की शक्ति है जिसमें दंड लगाना, जवाबदेही सुनिश्चित करना और इस तरह की भ्रामक प्रथाओं की आगे होने वाली घटनाओं को रोकना शामिल है।

दिशा-निर्देशों में कुछ महत्त्वपूर्ण परिभाषाएँ

- **कोचिंग :** कोचिंग में शैक्षणिक सहायता, शिक्षा प्रदान करना, मार्गदर्शन, निर्देश, अध्ययन कार्यक्रम या ट्यूशन या समान प्रकृति की कोई अन्य गतिविधि शामिल है।
  - किंतु इसमें परामर्श, खेल, नृत्य, रंगमंच एवं अन्य रचनात्मक गतिविधियाँ शामिल नहीं हैं।
- **कोचिंग सेंटर :** कोचिंग सेंटर का अर्थ 50 से अधिक छात्रों को कोचिंग प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित, संचालित या प्रशासित केंद्र शामिल है।
- **प्रचारक :** प्रचारक का वही अर्थ होगा जो भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम एवं भ्रामक विज्ञापनों के लिए अनुमोदन, 2022 के दिशा-निर्देश के खंड 2(f) के तहत निश्चित किया गया है।

नए दिशा-निर्देशों का महत्त्व

- **उपभोक्ता हितों की रक्षा :** कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापन के लिए दिशा-निर्देश उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार शासित होंगे और दिशा-निर्देश हितधारकों के लिए स्पष्टता लाएंगे तथा उपभोक्ता हितों की रक्षा करेंगे।
- **शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार :** ये दिशा-निर्देश छात्रों के शोषण को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम हैं कि उन्हें झूठे वादों से गुमराह नहीं किया जाए या अनुचित अनुबंधों के लिए मजबूर न किया जाए जिससे उपभोक्ताओं और व्यापक शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र दोनों को लाभ हो।
- **पारदर्शिता एवं निष्पक्षता :** कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापन रोकथाम दिशा-निर्देश, 2024 से इस क्षेत्र में आवश्यक पारदर्शिता व निष्पक्षता की उम्मीद है जिससे यह सुनिश्चित होगा कि छात्र एवं उनके परिवार सटीक जानकारी के आधार पर सूचित निर्णय ले सकें।
- **समग्र नियामक ढाँचे में सुधार :** ये दिशा-निर्देश किसी भी मौजूदा विनियमन के अतिरिक्त होंगे, जो कोचिंग क्षेत्र में

विज्ञापनों को नियंत्रित करने वाले समग्र नियामक ढाँचे में वृद्धि करेंगे।

- **प्रचारक का उत्तरदायित्व :** ये दिशा-निर्देश कोचिंग से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति पर अर्थात् केवल कोचिंग सेंटर ही नहीं, बल्कि विज्ञापन के ज़रिए अपनी सेवाओं का प्रचार करने वाले किसी भी प्रचारक या सार्वजनिक हस्ती पर भी लागू होंगे।
  - कोचिंग सेंटर को अपना नाम या प्रतिष्ठा देने वाले प्रचारक अब यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे कि उनके द्वारा समर्थित दावे सटीक व सत्य हैं।
  - अगर वे झूठी सफलता दर या भ्रामक गारंटी का समर्थन करते हैं तो उन्हें कोचिंग सेंटर के साथ-साथ जवाबदेह ठहराया जाएगा।

नए दिशा-निर्देशों की आवश्यकता

- ये दिशा-निर्देश झूठे/भ्रामक दावों, अतिरंजित सफलता दरों और कोचिंग संस्थानों द्वारा छात्रों पर अक्सर थोपे जाने वाले अनुचित अनुबंधों के बारे में बढ़ती चिंताओं के मद्देनज़र तैयार किए गए हैं।
- इस तरह की प्रथाओं द्वारा छात्रों को गुमराह करने, महत्त्वपूर्ण जानकारी छुपाने, झूठी गारंटी देने आदि के माध्यम से उनके निर्णयों को प्रभावित करने के लिए ज़िम्मेदार पाया गया है।

अभी तक सी.पी.सी.ए. द्वारा उठाए गए कदम

- सी.पी.सी.ए. ने अभी तक कोचिंग सेंटरों द्वारा भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है।
- इस संबंध में सी.पी.सी.ए. ने भ्रामक विज्ञापन के लिए विभिन्न कोचिंग सेंटरों को 45 नोटिस जारी किए हैं।
- सी.पी.सी.ए. ने 18 कोचिंग संस्थानों पर ₹54,60,000 का जुर्माना लगाया है और उन्हें भ्रामक विज्ञापन बंद करने का निर्देश दिया है।
- उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) के माध्यम से सिविल सेवा, आई.आई.टी. और अन्य प्रवेश परीक्षाओं के लिए नामांकित छात्रों व उम्मीदवारों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए मुकदमेबाज़ी के पहले चरण में सफलतापूर्वक हस्तक्षेप किया है।
- छात्रों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों की कुल संख्या वर्ष 2021-2022 में 4,815, वर्ष 2022-2023 में 5,351 और 2023-2024 में 16,276 रही।
  - यह वृद्धि उपभोक्ता आयोग जाने से पहले एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र के रूप में एन.सी.एच. में छात्रों के बढ़ते विश्वास व भरोसे को दर्शाती है।
- वर्ष 2024 में मुकदमेबाज़ी से पहले के चरण में अपनी शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए अभी तक 6,980 छात्र एन.सी.एच. से संपर्क कर चुके हैं।

संस्कृति IAS
जहाँ एक नहीं,
हर शिक्षक हैं श्रेष्ठ
इतिहास
वैकल्पिक विषय
कार्यक्रम विशेषताएँ
इतिहास में मानचित्र द्वारा अध्ययन के लिए वैज्ञानिक प्रविधि का प्रयोग
क्लास के तुरंत बाद प्रत्येक विद्यार्थी की विषय संबंधी शंकाओं का निवारण
प्रत्येक विद्यार्थी की पर्सनल मेंटरिंग व टेस्ट का मूल्यांकन फैकल्टी द्वारा
मुख्य परीक्षा में पूछे गए विगत 25 वर्षों के प्रश्नों का उत्तर लेखन अभ्यास

द्वारा- श्री अखिल मूर्ति
हेड ऑफिस: 636, भू-तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
प्रयागराज केंद्र: महाराणा प्रताप चौराहा, स्टैनली रोड, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, उ.प्र.
9555-124-124
sanskritiias.com

अवसंरचना

CO_2 कैप्चर संयंत्र एवं CO_2-से-मेथनॉल संयंत्र

संदर्भ

हाल ही में, भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी 'राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (NTPC)' ने अपने 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर विंध्याचल संयंत्र (सिंगरौली, मध्य प्रदेश) में दुनिया के पहले CO_2 कैप्चर संयंत्र और CO_2-से-मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र का उद्घाटन किया। इनका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन एवं स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों की आवश्यकता जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है।

CO_2 कैप्चर संयंत्र के बारे में

- CO_2 कैप्चर संयंत्र को बिजली संयंत्रों द्वारा उत्सर्जित फ्लू गैसों से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) को कैप्चर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  - CO_2 ग्रीनहाउस गैस का एक प्रमुख स्रोत है।
- कैप्चर की गई CO_2 को संगृहीत कर इसका विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग किया जा सकता है। इसमें मेथनॉल जैसे टिकाऊ ईंधन में रूपांतरण भी शामिल है।

राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (NTPC) लिमिटेड

- **क्या है :** भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी
- **विशिष्टता :** विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत महारत्न श्रेणी का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
- **स्थापना :** वर्ष 1975
- **मुख्यालय :** नई दिल्ली
- **मुख्य कार्य :** भारत के राज्य विद्युत बोर्डों के लिए विद्युत उत्पादन करना और वितरित करना

CO_2-से-मेथनॉल संयंत्र के बारे में

- CO_2-से-मेथनॉल संयंत्र को कैप्चर किए गए CO_2 को मेथनॉल में परिवर्तित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह संयंत्र अपशिष्ट CO_2 को एक उपयोगी उत्पाद में बदलकर कार्बन न्यूनीकरण में मदद करता है।
- कैप्चर की गई CO_2 को मेथनॉल में बदलने के लिए एक रासायनिक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जिसके लिए हाइड्रोजन के स्रोत महत्त्वपूर्ण हैं।
- नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (NTPC) एक प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (PEM) इलेक्ट्रोलाइज़र द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन का उपयोग करता है जो पानी को हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए विद्युत (विशेषत: पवन या सौर जैसे नवीकरणीय स्रोतों से) का उपयोग करता है।
- फिर, हाइड्रोजन को मेथनॉल संश्लेषण प्रक्रिया में कैप्चर की गई CO_2 के साथ जोड़ा जाता है जहाँ यह मेथनॉल बनाने के लिए प्रतिक्रिया करता है।

मुख्य विशेषताएँ एवं लाभ

- **संधारणीयता :** CO_2 को कैप्चर करना और मेथनॉल में परिवर्तित करना औद्योगिक संचालन, विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में सहायक है।
  - यह उद्योगों को कार्बनमुक्त करने के वैश्विक प्रयासों (जैसे– पेरिस समझौते के तहत लक्ष्यों में निर्धारित) के साथ संरेखित है और एन.टी.पी.सी. के सतत् ऊर्जा के लिए प्रतिबद्धता का समर्थन करता है।
  - इस तकनीक को शुद्ध-शून्य उत्सर्जन को प्राप्त करने के लिए महत्त्वपूर्ण माना जाता है, विशेष रूप से उन उद्योगों के लिए जहाँ डीकार्बोनाइज़ेशन कठिन है, जैसे– ऊर्जा, सीमेंट, स्टील उद्योग आदि।
- **नवाचार :** ये संयंत्र अत्याधुनिक नवाचार हैं जो ऊर्जा प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरणीय स्थिरता में एन.टी.पी.सी. के नेतृत्व को प्रदर्शित करते हैं। मेथनॉल उत्पादन के साथ CO_2 कैप्चर का एकीकरण कार्बन प्रबंधन के क्षेत्र में एक नया दृष्टिकोण है।
- **चक्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान :** अपशिष्ट CO_2 को व्यावसायिक रूप से मूल्यवान उत्पाद (मेथनॉल) में परिवर्तित करने से चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।
  - इस प्रकार जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो जाती है और औद्योगिक प्रक्रियाओं को हरित बनाने में योगदान मिलता है।
- **स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण का समर्थन :** यह स्वच्छ ईंधन की ओर संक्रमण और भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
  - यह हरित मेथनॉल के निर्माण का समर्थन करता है जिसका उपयोग परिवहन एवं विमानन सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक सतत् ईंधन के रूप में किया जा सकता है।

निष्कर्ष

- एन.टी.पी.सी. का CO_2 कैप्चर संयंत्र एवं CO_2-से-मेथनॉल संयंत्र कंपनी की टिकाऊ और निम्न कार्बन ऊर्जा भविष्य की यात्रा में महत्त्वपूर्ण मील के पत्थर हैं। ये अग्रणी संयंत्र न केवल CO_2 उत्सर्जन को कम करने में मदद करते हैं, बल्कि कैप्चर किए गए कार्बन को एक मूल्यवान संसाधन में परिवर्तित करते हैं जो स्वच्छ

ईंधन उत्पादन एवं जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक संघर्ष में योगदान देता है।
- इन अभिनव कदमों के साथ एन.टी.पी.सी. कार्बन प्रबंधन में एक वैश्विक उदाहरण स्थापित कर रहा है और ऐसी तकनीकों को आगे बढ़ा रहा है जो ऊर्जा व सतत् भविष्य को नया आकार दे सकती हैं।

मेथनॉल के बारे में

- मेथनॉल (CH_3OH) एक सरल अल्कोहल है जिसे मिथाइल अल्कोहल या वुड अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग कई तरह की औद्योगिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं में किया जाता है।
- यह एक रंगहीन व ज्वलनशील तरल है जिसमें हल्की गंध होती है और यह अपनी रासायनिक संरचना के संदर्भ में सरलतम अल्कोहल है।
- इसमें एकल कार्बन परमाणु होता है जो तीन हाइड्रोजन परमाणुओं व एक हाइड्रॉक्सिल समूह (–OH) से बंधा होता है।

मेथनॉल के स्रोत

- **प्राकृतिक स्रोत :** मेथनॉल प्राकृतिक स्रोतों में कम मात्रा में पाया जाता है जिसमें लकड़ी, कुछ फल व सब्ज़ियाँ शामिल हैं। मेथनॉल पौधे के चयापचय के उपोत्पाद के रूप में प्राप्त होती हैं।
- **औद्योगिक उत्पादन :** मेथनॉल का उत्पादन मुख्यत: प्राकृतिक गैस (मीथेन) के स्टीम रिफॉर्मिंग नामक सिंथेटिक प्रक्रिया के माध्यम से या कोयले, बायोमास अथवा बायोगैस से किया जाता है।

मेथनॉल के उपयोग

- **रासायनिक फीडस्टॉक :** मेथनॉल विभिन्न रसायनों के उत्पादन में एक बुनियादी फीडस्टॉक है जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, मिथाइल एस्टर, प्लास्टिक व फार्मास्युटिकल्स शामिल हैं।
- **ईंधन एवं ऊर्जा :** मेथनॉल का उपयोग अकेले या गैसोलीन के साथ मिश्रित (M85 या M100 के रूप में) करके आंतरिक दहन इंजनों में वैकल्पिक ईंधन के रूप में किया जा सकता है।
- **जैव ईंधन :** नवीकरणीय संसाधनों (जैसे– बायोमास या अपशिष्ट पदार्थ) से प्राप्त मेथनॉल का उपयोग परिवहन एवं ऊर्जा क्षेत्रों में जैव ईंधन या हरित ईंधन के रूप में तेज़ी से किया जा रहा है।
- **विलायक :** मेथनॉल का व्यापक रूप से विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है जिसमें पेंट, रोगन, वार्निश, स्याही व प्राकृतिक पदार्थों के निष्कर्षण शामिल हैं।
- **एंटीफ्रीज़ एवं डी-आइसिंग एजेंट :** इसके निम्न हिमांक (–97.6°C) के कारण इसका उपयोग ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स के लिए एंटीफ्रीज़ मिश्रण में तथा विमान के पंखों एवं रनवे के लिए डी-आइसिंग एजेंट के रूप में किया जाता है।
- **फॉर्मेल्डिहाइड का उत्पादन :** मेथनॉल का उपयोग फॉर्मेल्डिहाइड के बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है।
  - यह प्लास्टिक, रेजिन एवं चिपकने वाले पदार्थों के उत्पादन में एक प्रमुख घटक है।
- **संधारणीय मेथनॉल (ग्रीन मेथनॉल) :** उद्योगों एवं परिवहन में उभरते स्वच्छ ईंधन के रूप में ग्रीन मेथनॉल का उत्पादन अक्षय ऊर्जा स्रोतों (जैसे– हवा या औद्योगिक उत्सर्जन से प्राप्त CO_2) का उपयोग करके किया जाता है।
  - इसे संभावित कार्बन-तटस्थ ईंधन के विकल्प के रूप में देखा जाता है।

पर्यावरण एवं सुरक्षा संबंधी चिंताएँ

- **विषाक्तता :** मेथनॉल विषाक्तता गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है जिससे अंधापन, अंग विफलता एवं मृत्यु तक हो सकती है।
- **ज्वलनशीलता :** मेथनॉल अत्यधिक ज्वलनशील होता है। वस्तुत: गर्मी, चिंगारी या खुली लपटों के संपर्क में आने पर आसानी से जल सकता है।
- **कार्बन फुटप्रिंट :** जब ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, तो मेथनॉल दहन के समय स्वयं CO_2 उत्सर्जन करता है किंतु, इसका हरित उत्पादन (कैप्चर किए गए CO_2 और नवीकरणीय हाइड्रोजन का उपयोग करके) कार्बन-तटस्थ चक्र का परिणाम हो सकता है।
  - इस प्रकार यह टिकाऊ ऊर्जा संक्रमण में एक आकर्षक विकल्प बन जाता है।

❑❑❑

इतिहास, कला एवं संस्कृति

भारत में जनजातीय कल्याण की स्थिति

संदर्भ

भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता में भारतीय जनजातीय समुदायों का बराबर का योगदान है। इनके योगदान को सम्मानित करने के लिए जनजातीय नेता और स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया था।

जनजातीय गौरव दिवस, 2024

- जनजातीय गौरव दिवस, 2024 के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का एवं डाक टिकट का भी अनावरण किया गया।
- केंद्र सरकार ने दिल्ली में सराय काले खाँ चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया है।
- प्रधानमंत्री द्वारा ग्रामीण एवं दूरदराज़ के क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे में सुधार और आदिवासी समुदायों के उत्थान के उद्देश्य से 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी किया गया।

प्रधानमंत्री द्वारा प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन

- **गृह उद्घाटन :** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पी.एम.-जनमन) के तहत 11,000 घरों का उद्घाटन किया गया।
- **मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ (MMU) :** जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल पहुँच बढ़ाने के लिए, पी.एम.-जनमन के तहत 23 MMU और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 30 अतिरिक्त MMU का उद्घाटन किया गया।
- **जनजातीय उद्यमिता एवं शिक्षा :** 300 वन धन विकास केंद्रों (VDVK) का उद्घाटन, आदिवासी छात्रों के लिए 10 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और 25 अन्य एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी गई।
- **सांस्कृतिक संरक्षण :** मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा व जबलपुर में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के दो संग्रहालयों तथा जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर और सिक्किम के गंगटोक में दो जनजातीय अनुसंधान संस्थानों का उद्घाटन किया गया।
- **बुनियादी ढाँचा विकास :** पी.एम.-जनमन के तहत 500 किमी. नई सड़कों और 100 बहुउद्देशीय केंद्रों की आधारशिला रखी गई।

भारत में जनजातीय कल्याण की स्थिति

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की अनुसूचित जनजाति (ST) की आबादी 10.42 करोड़ या कुल आबादी का 8.6% है जिसमें दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में विस्तृत 705 से अधिक विशिष्ट समूह भी शामिल हैं।
- इन समुदायों के उत्थान के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाओं को लागू किया है जो उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक अवसरों में सुधार और आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने, उनके समग्र विकास तथा राष्ट्रीय मुख्यधारा में एकीकरण सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं।

जनजातीय विकास के लिए वित्तीय सहायता

- जनजातीय विकास के लिए भारत सरकार के प्रयास वर्ष 1974-75 में जनजातीय उप-योजना के साथ शुरू हुए, जो अनुसूचित जनजाति घटक और अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के रूप में विकसित हुए।
- वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट में जनजातीय मामलों के मंत्रालय को 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में 73.60% अधिक हैं।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान

- 2 अक्तूबर, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हज़ारीबाग में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की थी।
- 79,156 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ इस महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम का उद्देश्य लगभग 63,843 आदिवासी गाँवों में सामाजिक बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आजीविका विकास की राह आसान बनाना है।
- यह अभियान 30 राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में विस्तृत 549 ज़िलों व 2,911 ब्लॉकों में 5.38 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को लाभान्वित करता है।
- इसके ज़रिए भारत सरकार के 17 मंत्रालयों और विभागों में 25 हस्तक्षेपों को एकीकृत किया गया।

प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान

- पी.एम.-जनमन पहल प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 15 नवंबर, 2023 को झारखंड के खूंटी ज़िले में जनजातीय गौरव दिवस के दौरान शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) का उत्थान करना है।
- सत्र 2023-24 से 2025-26 के लिए 24,104 करोड़ रुपए के बजट के साथ यह पहल आधार नामांकन, सामुदायिक प्रमाण-पत्र, पी.एम.-जनधन योजना और आयुष्मान कार्ड सहित लक्षित समर्थन के माध्यम से पी.वी.टी.जी. समुदायों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने पर केंद्रित है।

प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना

- प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (PM-AAGY) का उद्देश्य सार्थक आदिवासी आबादी वाले गाँवों में बुनियादी ढाँचा प्रदान करना है।
- इस योजना के तहत इन गाँवों में बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए 50% जनजातीय आबादी वाले और 500 अनुसूचित जनजातियों वाले 36,428 गाँवों की पहचान की गई है, जिसमें नीति आयोग द्वारा पहचान किए गए आकांक्षी ज़िलों के गाँव भी शामिल हैं।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय

- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) को वर्ष 2018-19 में दूरदराज़ के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने, उन्हें उच्च शिक्षा और रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था।
- सरकार ने कुल 728 ई.एम.आर.एस. स्कूलों को मंज़ूरी दी है, जिसमें 440 नए स्कूलों को वर्तमान योजना के तहत स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

जनजातीय सशक्तीकरण के लिए आर्थिक सहायता

- **प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएँ :** इन छात्रवृत्तियों का उद्देश्य ड्रॉपआउट दर को कम करना और आदिवासी छात्रों की शिक्षा का समर्थन करना है।
- **एस.टी. छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति :** यह योजना मेधावी आदिवासी छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट एवं पोस्ट-डॉक्टरल अध्ययन करने का अवसर प्रदान करती है।
  - उत्कृष्टता एवं वैश्विक प्रदर्शन पर ज़ोर देने के साथ सरकार 20 पुरस्कार भी देती है।
- **आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप :** यह फेलोशिप योजना पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के ज़रिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले आदिवासी छात्रों की मदद करती है जिससे डिज़िलॉकर एकीकरण के माध्यम से समय पर वित्तीय सहायता एवं शिकायत निवारण सुनिश्चित होता है।
- **आर्थिक सशक्तीकरण के लिए योजनाएँ :**
  - टर्म लोन स्कीम 5 से 10 वर्ष की पुनर्भुगतान शर्तों के साथ व्यावसायिक लागत का 90% तक सॉफ्ट लोन प्रदान करती है।
  - आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना आदिवासी महिलाओं के लिए 4% ब्याज पर 2 लाख रुपए तक का रियायती ऋण प्रदान करती है।
  - माइक्रो क्रेडिट योजना 5 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा के साथ आदिवासी स्वयं सहायता समूहों की मदद करती है।
  - आदिवासी शिक्षा ऋण योजना उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले आदिवासी छात्रों के लिए सॉफ्ट लोन प्रदान करती है।

स्वास्थ्य पहल

- **सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन :** प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 1 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश में शुरू किए गए इस मिशन का उद्देश्य सिकल सेल रोग का उन्मूलन करना है। यह रोग मध्य, पश्चिमी एवं दक्षिणी भारत में आदिवासी आबादी के बीच प्रचलित एक आनुवंशिक रक्त विकार है।
- **मिशन इंद्रधनुष :** यह प्रतिरक्षण अभियान जनजातीय समुदायों पर विशेष ज़ोर देते हुए 2 वर्ष तक की आयु के बच्चों व गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
  - इस मिशन ने कोविड-19 के नि:शुल्क टीके प्रदान करने के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार किया है जिससे आदिवासी आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवा पहुँच सुनिश्चित हो गई है।
- **निक्षय मित्र पहल :** निक्षय मित्र पहल तपेदिक (TB) को लक्षित करती है जो टी.बी. रोगियों, विशेष रूप से आदिवासी समुदायों के लोगों को नैदानिक, पोषण एवं व्यावसायिक सहायता प्रदान करती है।
  - इसका उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में टी.बी. से प्रभावी ढंग से निपटने, स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने व प्रारंभिक पहचान एवं उपचार को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करना है।

बिरसा मुंडा का जीवन परिचय

- **परिचय :** बिरसा मुंडा (15 नवंबर, 1875 – 9 जून, 1900) भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी व मुंडा जनजाति के लोक नायक थे।
- **जन्म :** इनका जन्म रांची (झारखंड) के उलिहातु गाँव में हुआ था।
- **उपनाम :** भारत के आदिवासी उन्हें भगवान मानते हैं और 'धरती आबा' के नाम से पुकारते हैं।
- **माता-पिता :** इनके पिता का नाम सुगना पुर्ती (मुंडा) और माता का नाम करमी पुर्ती (मुंडा) था।
- **उलगुलान विद्रोह :** 1899-1900 ई. के मध्य अंग्रेज़ों की ज़मींदारी प्रथा, राजस्व व्यवस्था एवं जंगल-ज़मीन की लड़ाई के लिए 'उलगुलान' विद्रोह शुरू किया।
  - यह आदिवासी अस्मिता, स्वायतत्ता एवं संस्कृति को बचाने के लिए संग्राम था।
- **मृत्यु :** 1900 ई. में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर रांची जेल में लाया गया, जहाँ हैज़ा रोग से इनकी मृत्यु हो गई।

- **हीमोग्लोबिनोपैथी दिशा-निर्देश :** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने हीमोग्लोबिनोपैथी की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए व्यापक दिशा-निर्देश विकसित किए।
- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना :** यह योजना मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में मदद करती है, आदिवासी महिलाओं को प्रसवपूर्व एवं प्रसवोत्तर देखभाल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

निष्कर्ष

सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक-आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए इन समुदायों को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न पहलों की शुरुआत की है। हालाँकि, जागरूकता बढ़ाने और एकजुटता में वृद्धि के साथ-साथ जनजातीय संस्कृतियों के संरक्षण को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकेगा और भारत की प्रगति की यात्रा में उन्हें साथ लिया जा सकेगा।

नोट्रेडेम कैथेड्रल

फ्राँस ने पेरिस स्थित नोट्रेडम कैथेड्रल में विनाशकारी आग के 5 वर्ष बाद 7 दिसंबर, 2024 से इसे जनता के लिए पुन: खोलने की घोषणा की है।

नोट्रेडम कैथेड्रल के बारे में

- **अवस्थिति :** पेरिस के Île de la Cité नाम के एक छोटे आइलैंड पर स्थित
- **निर्माण :** 1163 ई. में राजा लुइस VII के काल में बिशप मौरिस डी सुली द्वारा निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1345 ई. में यह बनकर तैयार हुआ था।
- **निर्माण शैली :** गोथिक शैली में।
- **विश्व विरासत का दर्जा :** यूनेस्को द्वारा वर्ष 1991 में विश्व विरासत स्थल घोषित।

अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य

- 'नोट्रेडेम' फ्रेंच भाषा का शब्द है, इसका अर्थ 'आवर लेडी ऑफ पेरिस' (Our Lady of Paris) होता है। इसकी ऊँचाई 69 मीटर है। 1804 ई. में इसमें नेपोलियन बोनापार्ट का राजतिलक हुआ था।
- वर्ष 2019 में चर्च में भयंकर आग लगने से यह अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गया था और इसे बंद कर दिया गया था। आग लगने से पूर्व इस चर्च में प्रतिवर्ष 1 करोड़ से अधिक आगंतुक भ्रमण के लिए आते थे।

महासागर सूत्र

- **परिचय :** महासागर सूत्र (Ocean Sutra) 1,500 वर्ष पुरानी महायान बौद्ध पांडुलिपि है जो बौद्ध धर्म पर तांत्रिक कामुकता और जादू या तंत्र के प्रभाव को उजागर करने वाले पहले ग्रंथों में से एक है।
- **रचना काल :** इसकी रचना मध्य एशिया में उस समय की गई थी जब 2,500 वर्ष पहले उभरे बौद्ध धर्म ने वैदिक अनुष्ठान प्रथाओं को पीछे छोड़ दिया था और शिव एवं विष्णु को समर्पित मंदिरों के उदय से उसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था।
  - इसके रचनाकार, भाषा व स्थान के बारे में कोई प्रामाणिक स्रोत उपलब्ध नहीं है। चीनी भाषा के अनुवाद से इसका पता चलता है।
- **प्रभाव :** इस सूत्र पर तांत्रिक शैव विचारधारा का प्रबल प्रभाव दिखाई देता है।

महासागर सूत्र में यमंतक के रूप में पूजनीय

- महासागर सूत्र के अनुसार, तंत्रयान के प्रभाव में बौद्ध धर्म में परिवर्तन हुआ।
- परिवर्तनस्वरूप भावी बुद्ध (बोधिसत्व) के नए रूप महाकाल भैरव के रूप में प्रकट हुए, जो बौद्ध मार्ग के संरक्षक थे।
- महाकाल भैरव की कल्पना रुद्र-शिव की तरह ही हिंसक एवं कामुक रूप में की गई।
- बुद्ध एवं शिव दोनों को यमंतक के रूप में पूजा जाता था।
- यमंतक मृत्यु के देवता के हत्यारे और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्तिदाता माने जाते थे।

चीन में प्रभाव

- महासागर सूत्र आज अपने चीनी अनुवादों के माध्यम से जाना जाता है, जिसका चीन के प्राचीन इतिहास में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा।
- इस सूत्र ने कन्फ्यूशियन दरबार की स्त्री-द्वेष एवं पितृसत्ता को चुनौती देकर राजत्व की नव बौद्ध धारणा के साथ चीन की राजनीति को नया आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- इसने 8वीं सदी में तांग राजवंश की रानी वू के उदय को सक्षम बनाया।
  - वह चीन की सम्राट घोषित होने वाली पहली एवं एकमात्र महिला थीं।
  - रानी वू ने ब्रह्मचर्य की दुनिया में कामुकता की भूमिका को स्वीकार करते हुए बुद्ध एवं बोधिसत्व की भी महिलाओं के रूप में कल्पना की।

गुलाग संग्रहालय

रूस ने पर्म में स्थित सोवियत युग के दमन के पीड़ितों को समर्पित 'गुलाग इतिहास संग्रहालय' (Gulag History Museum) को बंद करने का निर्णय लिया है।

गुलाग संग्रहालय के बारे में

- वर्ष 2001 में स्थापित मध्य मॉस्को में स्थित यह संग्रहालय 'गुलाग पीड़ितों' की पारिवारिक तस्वीरों एवं वस्तुओं के साथ आधिकारिक राज्य दस्तावेज़ों को प्रदर्शित करता है।
- गुलाग सोवियत संघ में स्थापित जेल श्रम शिविरों का एक विशाल नेटवर्क था। इसका निर्माण वर्ष 1946 में सोवियत जबरन श्रम प्रणाली के चरम स्थिति के दौरान किया गया था।
- लाखों कथित देशद्रोहियों को इन शिविरों में रहना पड़ा था जिसे इतिहासकार बड़े पैमाने पर राजनीतिक दमन के दौर के रूप में पहचानते हैं।
- गुलाग संग्रहालय उन लाखों लोगों के लिए एक स्मारक के रूप में कार्य करता है जिन्हें मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर कैद करने के साथ ही पूरे सोवियत संघ में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में काम करने के लिए मजबूर किया गया।

- इस ऐतिहासिक स्थल को वर्ष 2004 में विश्व स्मारक निगरानी सूची में 100 संकट ग्रस्त (Endangered) स्थलों में सूचीबद्ध किया गया है।
- इतिहास को उजागर करने और स्मृति को सक्रिय करने के लिए यूरोपीय परिषद् ने वर्ष 2021 में इसको पुरस्कार प्रदान किया था।

इगास बग्वाल (Igas Bagwal) पर्व

- **क्या है :** उत्तराखंड का एक लोक पर्व
- **आयोजन :** पर्वतीय क्षेत्रों में दीपावली के 11 दिन बाद
    - इसे 'बूढ़ी दीपावली' या 'हरबोधनी एकादशी' भी कहते हैं।
- **उद्देश्य :** उत्तराखंड की पुरानी परंपराओं का सम्मान करना और सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखना
- **प्राचीन मान्यता :** दीपावली के 11 दिन बाद इस पर्व के आयोजन के पीछे प्राचीन मान्यता यह है कि गढ़वाल में भगवान श्रीराम के अयोध्या लौटने का समाचार देरी से पहुँचा था।
- **ऐतिहासिक संदर्भ :** 1632 ई. में गढ़वाल नरेश राजा महिपत शाह के शासनकाल में वीर योद्धा माधो सिंह भंडारी के नेतृत्व में तिब्बत युद्ध में विजय के बाद जब गढ़वाली सैनिक 11 दिन बाद अपने गाँव लौटे, तब दीप जलाकर उत्सव मनाया गया, जो इगास का रूप बन गया।
- **भैलो खेल :** भैलो खेल इस पर्व का मुख्य आकर्षण है। इस खेल में चीड़ की लकड़ी से बने मशाल जैसे भैलो जलाए जाते हैं और उन्हें घुमाते हुए लोक गीतों एवं नृत्य का आनंद लिया जाता है।
- **नृत्य-गीत :** लोग 'भैलो रे भैलो', 'काखड़ी को रैलू' एवं 'उज्यालू आलो अंधेरो भगलू' जैसे पारंपरिक गीत गाते हैं और 'चांछड़ी' व 'झुमेलो' नृत्य करते हैं।
- **पर्यावरण-हितैषी :** यह पर्यावरण-हितैषी उत्सव भी है क्योंकि इसमें पटाखों का उपयोग न के बराबर होता है।
- **आधुनिक प्रासंगिकता :** वर्तमान में इगास बग्वाल न केवल उत्तराखंड की संस्कृति एवं परंपराओं को संजोता है, बल्कि युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़ने व सामुदायिक एकता का महत्त्व समझने का भी अवसर देता है।

रेजांग देवा महोत्सव

इंडोनेशिया के बाली में रेजांग देवा महोत्सव का आयोजन किया गया।

रेजांग देवा महोत्सव के बारे में

- **क्या है :** रेजांग देवा इंडोनेशिया में मनाया जाने वाला पारंपरिक हिंदू त्योहार है।
    - यह महोत्सव 2 सप्ताह तक चलने वाले 'नुगुसाबा गोरेंग' का हिस्सा हैं, जो अच्छी फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने का त्योहार होता है।
        - 'नुगुसाबा' का अर्थ है देवी-देवताओं का एकत्र होना।
- **प्रमुख विशेषता :** इस महोत्सव में रेजांग नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है।
- **रेजांग नृत्य**
    - रेजांग का अर्थ है 'अर्पण' अर्थात् पृथ्वी पर आने वाले देवताओं का अभिवादन करने के लिए किया जाने वाला नृत्य।
    - इस नृत्य को नगेरेमास, सिमी या सुत्री के नाम से भी जाना जाता है।
    - अलग-अलग अनुष्ठानों के दौरान रेजांग नृत्य के विभिन्न रूप प्रस्तुत किए जाते हैं।
    - ये नृत्य केवल वे बालिकाएँ करती हैं जो अभी तक यौवनावस्था को नहीं प्राप्त कर पाई हैं। ऐसी लड़कियों को 'वाह्युनी' कहा जाता है।
- इस दौरान वाह्युनी और उसकी सहेलियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। हालाँकि, बढ़ते शहरी पलायन के कारण यह पारंपरिक नृत्य कला महोत्सव अस्तित्व के संकट से गुज़र रहा है।

'हो' जनजातीय भाषा

ओडिशा एवं झारखंड की सरकारें 'हो' भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रही हैं।

'हो' भाषा के बारे में

- **परिचय :** वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 'हो' भाषा भारत में लगभग 14.22 लाख लोगों द्वारा बोली जाने वाली ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषा परिवार की एक मुंडा भाषा है।
- **प्रमुख समुदाय :** यह झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल एवं असम के 'हो', 'मुंडा', 'कोल्हा' व 'कोल' आदिवासी समुदायों द्वारा बोली जाती है।
- **लिपि :** इसे प्रमुख रूप से वारंग क्षिति लिपि का उपयोग करके लिखा जाता है जिसका आविष्कार 'लाको बोदरा' ने किया था।
    - देवनागरी, लैटिन एवं ओडिया लिपियों का भी लेखन में प्रयोग किया जाता है।
- **प्रयोग**
    - भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 'हो' को एक भाषा और साहित्य के रूप में मान्यता दी है।
    - ओडिशा और झारखंड में प्राथमिक स्तर पर कुछ स्कूलों में 'हो' भाषा में शिक्षा शुरू की गई है।

इसे भी जानिए!

- वर्तमान में आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ शामिल हैं- असमिया, बंगाली, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी।
- **आठवीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान :** संविधान के भाग XVII के अनुच्छेद 344, 344 (1) और 351 में

सामाजिक मुद्दे

भारत में सतत् शहरी विकास में AI की भूमिका

संदर्भ

भारत आर्थिक विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और आगामी 20 वर्षों में भारत के शहरी क्षेत्रों में लगभग 270 मिलियन नागरिकों की वृद्धि की संभावना है। इस तीव्र शहरीकरण से संबंधित विविध चुनौतियों को देखते हुए सतत् विकास के तरीकों की पहचान करना महत्त्वपूर्ण हो जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत प्रत्येक नागरिक के लिए विकसित 'भारत 2047' के सपने को पूरा करने में सक्षम हो सके। ऐसे में भारतीय शहरों के सतत् विकास एवं प्रबंधन से संबंधित मुख्य डाटा संग्रह व समन्वय जैसी कुछ समस्याओं के समाधान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणाली का उपयोग सहायक हो सकता है।

AI द्वारा सतत् विकास में योगदान

संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान

- वर्तमान में किसी शहर की आर्द्रभूमि के किसी हिस्से के लिए ज़ोनिंग में परिवर्तन (Zoning Change) संबंधी आवेदन को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का निर्णय भवन प्राधिकरण को करना होता है जिसके लिए वह पूर्व के उदाहरणों, तर्कों और यहाँ तक कि अनुमानों पर भी निर्भर रहता है।
- हालाँकि, AI-आधारित निर्णय समर्थन प्रणालियाँ भविष्य के लिए त्वरित रूप से एक छद्म या आभासी परिदृश्य तैयार करके संवेदनशील क्षेत्रों में परिवर्तन के निर्णय का शहर के लिए आर्थिक, पर्यावरणीय एवं विकास परिणामों पर पड़ने वाले प्रभावों की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करने में सक्षम है।

सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा

- सार्वजनिक परिवहन को कार स्वामियों के लिए एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने के लिए यह महत्त्वपूर्ण है कि बस व मेट्रो रेल सेवाओं के लिए अंतिम-मील कनेक्टिविटी निर्बाध एवं पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो।
  - समय के साथ बार-बार कई स्रोतों से जानकारी एकत्र करना, बड़ी संख्या में कारकों को शामिल करने वाले निर्णयों में सहायता करना और उच्च विश्वसनीयता एवं सटीकता के साथ नियमित कार्य करना शहर प्रबंधन के ऐसे पहलू हैं जिन्हें मनुष्यों की तुलना में AI प्रणाली ज़्यादा कुशलतापूर्वक कर सकती है।

भारत सरकार द्वारा प्रयास

- भारत सरकार ने शहरी संधारणीयता की पहचान AI-आधारित प्रणालियों के विकास एवं एकीकरण के लिए एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में की है।
- सरकार ने वर्ष 2023-24 की अपनी बजट घोषणा में 990 करोड़ रुपए के समग्र बजट के साथ कृषि, स्वास्थ्य व शहरी स्थिरता के क्षेत्रों में AI के लिए तीन केंद्रों के गठन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य 'भारत में AI बनाना और AI को भारत के लिए उपयोगी बनाना' है।

शहरी विकास के लिए ऐरावत

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर के नेतृत्व में ऐरावत कंसोर्टियम को संधारणीय शहरों के लिए AI के राष्ट्रीय केंद्र के रूप में चुना गया है।
- यह केंद्र आने वाले वर्षों में शहरी संधारणीयता उद्देश्यों के साथ AI प्रणालियों को एकीकृत करने वाली अनुसंधान, शिक्षा एवं अनुवाद संबंधी गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय केंद्र के रूप में काम करेगा।
- पहले 4 वर्षों के दौरान ऐरावत मुख्यत: निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा–
  - भारत के ऊर्जा वितरण नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए AI-आधारित प्रणाली विकसित करना
  - ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर मल्टीमॉडल शहरी पारगमन योजना के लिए सिस्टम तैनात करना
  - ट्रैफिक एवं सड़क अवसंरचना के विकास के लिए निर्णय समर्थन इंटरफेस का निर्माण
  - स्थानीय शासन हस्तक्षेपों के लिए कम लागत वाले, उच्च व सटीक वायु एवं जल गुणवत्ता अनुमान तैयार करना
  - AI उपयोगिताओं (AI Utilities) द्वारा वृद्धिशील नगरपालिका कार्यों के लिए डिजिटल ट्विन के निर्माण एवं उसे अपनाने के माध्यम से स्थानीय प्रशासन को डिजिटल रूप से बदलना

ऐरावत के अनुप्रयोग में वृद्धि

- ऐरावत को अग्रणी भारतीय उद्योग भागीदारों से व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ है। अडानी इंडस्ट्रीज़ ऊर्जा वितरण दक्षता में वृद्धि के अवसरों की पहचान करने के लिए इस परियोजना के साथ मिलकर कार्य कर रही है।
- टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज शहरी मॉडल के निर्माण के लिए ऐरावत के साथ सहयोग कर रही है जो बाढ़, वायु गुणवत्ता और कई अन्य संधारणीयता मापदंडों के जोखिम पर भूमि उपयोग में परिवर्तन (Change in Land Use) के प्रभावों को समझने में सहायक होती है।

- ई-गवर्नेंस फाउंडेशन ने ऐरावत की गतिविधियों के दायरे में शहरी प्रशासन के लिए अपने प्रसिद्ध DIGIT प्लेटफॉर्म की अगली पीढ़ी के निर्माण के लिए एक योजना का सह-विकास किया है।
- आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने ऐरावत की गतिविधियों के लिए लगातार तथा विस्तृत निगरानी व मार्गदर्शन की पेशकश की है।
- IIT दिल्ली एवं एम्स दिल्ली द्वारा सह-संचालित तथा IIT रोपड़ में संचालित इसके दो अन्य केंद्र क्रमश: कृषि व स्वास्थ्य में प्रभावी AI पारिस्थितिकी तंत्र को प्रेरित करेंगे।

वैश्विक शहरों की स्थिति एवं जलवायु कार्रवाई

संदर्भ

यू.एन. हैबिटैट ने विश्व शहर रिपोर्ट-2024: शहर एवं जलवायु कार्रवाई (World Cities Report 2024: Cities and Climate Action) नामक रिपोर्ट जारी की।

विश्व शहर रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **तापमान वृद्धि :** रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में शहरों में रहने वाले 2 बिलियन से अधिक लोगों को वर्ष 2040 तक कम-से-कम 0.5°C की अतिरिक्त तापमान वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है।
  - शहरों में रहने वाली वैश्विक आबादी का 36% हिस्सा 29°C या उससे अधिक औसत वार्षिक तापमान का अनुभव कर सकता है।
- **तटीय शहर :** वर्ष 2040 तक 2,000 से ज़्यादा शहर समुद्र तल से 5 मीटर से भी कम ऊँचाई वाले तटीय क्षेत्रों में स्थित होंगे तथा इसके और बढ़ने की उम्मीद है।
- **बाढ़ का जोखिम :** वर्ष 2030 तक शहरों में रहने वाले कम-से-कम 517 मिलियन आबादी नदी की बाढ़ के संपर्क में होंगे, जो शहरों में रहने वाली वैश्विक आबादी का 14% है।
  - वर्ष 1975 के बाद से शहरों में बाढ़ का जोखिम ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ के जोखिम से 3.5 गुना अधिक बढ़ गया है।
- **आर्थिक लागत :** अनुकूलन एवं जोखिम प्रबंधन में अतिरिक्त निवेश के बिना समुद्र में मध्यम स्तर की वृद्धि को मानते हुए वर्ष 2050 तक 136 सबसे बड़े तटीय शहरों को वार्षिक रूप से 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है।
- **हरित क्षेत्रों की कमी :** औसतन वैश्विक स्तर पर शहरी क्षेत्रों में हरित स्थानों की हिस्सेदारी वर्ष 1990 में 19.5% से घटकर वर्ष 2020 में 13.9% हो गई है।
- **जलवायु संकट का प्रभाव :** जलवायु संकट का प्रभाव आर्थिक, सामाजिक, पारिस्थितिक एवं शहरी बुनियादी ढाँचा प्रणालियों सहित कई अंतर-संबंधित शहरी प्रणालियों पर अभूतपूर्व तरीके से पड़ रहा है।

संबंधित सुझाव

इस रिपोर्ट में शहरों को लचीला बनाने और जलवायु कार्रवाई के संदर्भ में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं–

- रिपोर्ट के अनुसार, शहरों को वैश्विक जलवायु कार्रवाई के केंद्र में होना चाहिए। चूँकि वर्तमान में शहर गंभीर खतरे में हैं। ऐसे में उन्हें तत्काल प्रभाव से नेट-ज़ीरो लक्ष्यों पर प्रगति करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चरम मौसमी घटनाओं के खिलाफ लचीलापन भी विकसित करना होगा।
- शहर के साथ-साथ भूमि उपयोग के संबंध में नियोजन एवं डिज़ाइन जलवायु कार्रवाई के लिए महत्त्वपूर्ण साधन हैं। अनुकूलन को मज़बूत करते हुए नेट-ज़ीरो प्रतिबद्धताओं की दिशा में प्रगति को तेज़ करने के लिए जलवायु उत्तरदायी शहरी एवं भूमि-उपयोग नियोजन का उपयोग किया जाना चाहिए।
- निम्न कार्बन और लचीले आवास तथा बुनियादी सेवाओं को बढ़ावा देना जलवायु कार्रवाई के लिए महत्त्वपूर्ण है। ऐसे में शहरी बुनियादी ढाँचे में निवेश को उनकी योजना, कार्यान्वयन एवं रखरखाव में जलवायु संबंधी विचारों को एकीकृत करना चाहिए।
- प्रभावी जलवायु कार्रवाई के लिए शहरों में हरित स्थानों की कमी को रिवर्स (Reverse) करने की आवश्यकता है। ऐसे में नीतियों व शहरी नियोजन ढाँचों में बदलाव आवश्यक है, ताकि मौजूदा हरित स्थानों को संरक्षित करने और शहरों में नए स्थान बनाने को प्राथमिकता दी जा सके।
- अधिक महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं के लिए शहरी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
- शहरों को प्रभावी शहरी जलवायु कार्रवाई के लिए अत्यधिक वित्तपोषण की आवश्यकता है। ऐसे में शहरों को सार्वजनिक एवं निजी दोनों स्रोतों से शहरी जलवायु वित्त अंतर को कम करने के लिए क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व बहुपक्षीय हितधारकों के साथ रणनीतिक रूप से सहयोग करना चाहिए।
- शहरों में जलवायु कार्रवाई में तेज़ी लाने के लिए वैश्विक से लेकर राष्ट्रीय व स्थानीय स्तर तक मज़बूत और अधिक सहयोगात्मक बहु-स्तरीय शासन की आवश्यकता है।
- शहरी जलवायु डाटा अंतराल को पाटना शहरों में सूचित व प्रभावी जलवायु कार्रवाई के लिए आवश्यक है। यह वित्तपोषण को आकर्षित करने, प्रभाव को बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण है कि जलवायु कार्रवाई सबसे कमज़ोर लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सके।

- सतत् विकास लक्ष्यों, पेरिस समझौते, सेंडाइ फ्रेमवर्क और नए शहरी एजेंडे को प्राप्त करने के लिए लचीला बुनियादी ढाँचा शहरी जलवायु कार्रवाई का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है।

इसे भी जानिए!

UN HABITAT
UNITED NATIONS HUMAN SETTLEMENTS PROGRAMME

संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती कार्यक्रम

(United Nations Human Settlements Programme)

- **संक्षिप्त नाम :** यू.एन. हैबिटेट (UN Habitat)
- **स्थापना :** इसकी स्थापना कनाडा के वैंकूवर में आयोजित मानव बस्तियों और सतत् शहरी विकास (हैबिटेट I) पर पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के परिणामस्वरूप वर्ष 1977 में की गई थी।
- **मुख्यालय :** नैरोबी (केन्या)
- **लक्ष्य :** यू.एन. हैबिटेट को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ कस्बों व शहरों को बढ़ावा देने का दायित्व सौंपा गया है।
    - यह ज्ञान, नीति सलाह, तकनीकी सहायता एवं सहयोगात्मक कार्रवाई के माध्यम से शहरों और मानव बस्तियों में परिवर्तनकारी बदलाव को बढ़ावा देने के लिए 90 से अधिक देशों में काम करता है।
    - यह शहरीकरण की चुनौतियों का समाधान करने में स्थायी परिणाम प्राप्त करने के लिए सरकारों, अंतर-सरकारी मंचों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, नागरिक समाज संगठनों, संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों और निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करता है।

डिजिटल जनसंख्या घड़ी

बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी (Digital Population Clock) का उद्घाटन किया गया।

डिजिटल जनसंख्या घड़ी के बारे में

- यह बेंगलुरु शहर की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी है जो कर्नाटक एवं देश की जनसंख्या का वास्तविक समय अनुमान प्रदर्शित करेगी।
- इस घड़ी को शहर के सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान (ISEC) के प्रवेश द्वार में स्थापित किया गया है।
- इसकी स्थापना देश की जनसंख्या वृद्धि के बारे में जागरूकता पैदा करने और शोधकर्ताओं एवं विद्वानों के लिए प्रामाणिक डाटा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है।
- डिजिटल जनसंख्या घड़ी, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान (ISEC) और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई एक परियोजना है।
    - मंत्रालय द्वारा देश भर में 18 जनगणना अनुसंधान केंद्र (Population Research Centres) में डिजिटल जनसंख्या घड़ियाँ स्थापित की गई हैं।

विशेषताएँ

- यह घड़ी प्रत्येक 1 मिनट एवं 10 सेकेंड (1.10 मिनट) में कर्नाटक की अनुमानित जनसंख्या और हर 2 सेकेंड में देश की जनसंख्या को अपडेट करेगी।
- डिजिटल जनसंख्या घड़ी में सटीक समय-निर्धारण के लिए इसे सैटेलाइट कनेक्शन से सुसज्जित किया गया है। यह सिस्टम में एकीकृत सभी आवश्यक घटकों के साथ स्वायत्त रूप से संचालित होता है।
- इसके अलावा यहाँ जनगणना डाटा अनुसंधान कार्य केंद्र भी स्थापित किया गया है।
    - यह केंद्र शोधकर्ताओं और छात्रों को व्यापक जनगणना डाटा तक पहुँच प्रदान करेगा जिससे जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों और उनके निहितार्थों पर गहन विश्लेषण व शोध संभव होगा।
    - साथ ही, यह विस्तृत जनसांख्यिकीय अध्ययन की सुविधा और नीति नियोजन का समर्थन करने के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर व उपकरणों से लैस है।

महत्त्व

यह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के बारे में लोगों की समझ बढ़ाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है जो तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या और सतत् विकास की आवश्यकता की निरंतर याद दिलाता रहेगा।

❑❑❑

सामाजिक न्याय एवं कल्याण

अपराधी प्रबंधन के लिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली

संदर्भ

भारत में जेल प्रणाली के समक्ष गंभीर चुनौतियाँ हैं तथा जेलों में अत्यधिक कैदियों की संख्या एक ज्वलंत मुद्दा है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसंधान एवं नियोजन केंद्र की एक हालिया रिपोर्ट में जेलों में अत्यधिक कैदियों की संख्या कम करने के लिए विचाराधीन कैदियों (Under Trial Prisoners : UTP) की रिहाई का विचार प्रस्तुत किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की हालिया रिपोर्ट के बारे में

- 'भारत में जेल- जेल नियमावली का मानचित्रण एवं सुधार तथा भीड़भाड़ कम करने के उपाय' शीर्षक वाली रिपोर्ट 5 नवंबर, 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी की गई।
- इस रिपोर्ट में रिहाई के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग उपकरणों का उपयोग करने के लिए पायलट कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया गया है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का एक पायलट कार्यक्रम सर्वप्रथम अच्छे आचरण एवं निम्न जोखिम वाले यू.टी.पी. पर किया जा सकता है, जिन्हें पैरोल या फरलो जैसी जेल छुट्टियों पर रिहा किया जा सकता है।
- अपराधी प्रबंधन में प्रौद्योगिकी के उपयोग की सफलता दर के आधार पर यह कार्यक्रम बाद में अन्य कैदियों तक बढ़ाया जा सकता है।
- अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया एवं अन्य देशों सहित दुनिया भर के विदेशी न्यायालय जेलों में भीड़भाड़ को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं।
- मई 2023 में गृह मंत्रालय ने 'मॉडल जेल एवं सुधार सेवा अधिनियम, 2023' को सभी राज्यों व केंद्र-शासित प्रदेशों को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्रों में अपनाने के लिए भेजा है।
  - इस अधिनियम ने पहली बार कैदियों पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग उपकरणों के उपयोग की शुरुआत की।
- भारत में सुधारात्मक ढाँचे में तनाव कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग स्वागत योग्य है। हालाँकि, इस बारे में कोई दिशा-निर्देश या न्यूनतम मानक नहीं हैं कि इस ट्रैकिंग तकनीक को कैदियों के मौलिक अधिकारों के अनुचित उल्लंघन के बिना कब एवं कैसे नियोजित किया जा सकता है।
- जेलों में भीड़ कम करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा की जाने वाली किसी भी तरह की निगरानी के लिए उचित सुरक्षा उपाय एवं स्पष्ट दिशा-निर्देश होने चाहिए।

इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली के प्रयोग के लिए न्यायालय के निर्णय

- जुलाई 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने जालसाज़ी एवं धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी के लिए ज़मानत आदेश पारित किया था, जिसमें एक शर्त यह थी कि उसे प्रत्येक सप्ताह गूगल मैप्स पर अपना लाइव लोकेशन डालना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुलिस के पास उसकी अवस्थिति उपलब्ध है।
- नवंबर 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक आरोपी को इस शर्त पर ज़मानत पर रिहा कर दिया कि वह राजस्थान के अलवर ज़िले से आगे नहीं जाएगा और 24 घंटे जाँच अधिकारी के मोबाइल फोन के साथ अपने मोबाइल फोन के माध्यम से अपनी स्थिति उपलब्ध कराएगा।
- हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रथा को अस्वीकार करते हुए कहा था कि ज़मानत की शर्त का उद्देश्य ज़मानत पर रिहा किए गए अभियुक्तों की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखना नहीं हो सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के पक्ष में तर्क

- **जेल में भीड़ में कमी :** इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से भारतीय जेलों में अत्यधिक भीड़ की समस्या को कम किया जा सकता है और विचाराधीन कैदियों को बेहतर जीवन उपलब्ध कराया जा सकता है।
  - राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, 31 दिसंबर, 2022 को भारत की सभी जेलों में कुल कैदियों की क्षमता की अपेक्षा 131% कैदी थे जो अत्यधिक बोझिल व्यवस्था को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, 75.7% कैदी यू.टी.पी. हैं।
- **बुनियादी ढाँचे पर कम बोझ :** व्यक्तियों को जेलों में बंद रखने के बजाय उन पर नज़र रखने के लिए ट्रैकिंग डिवाइस का इस्तेमाल करने से जेल के बुनियादी ढाँचे पर बोझ कम होगा।
  - मई 2017 की भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट ने भी माना कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग से भगोड़ों की दर (प्रतिवादी को आसानी से ढूँढने में) और सरकारी व्यय (सरकारी खर्च

पर हिरासत में लिए गए प्रतिवादियों की संख्या को कम करके) दोनों को कम करने की क्षमता है।

- हालाँकि, यदि इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली का उपयोग किया जाता है तो इसे अत्यधिक सावधानी के साथ लागू किया जाना चाहिए।

- **मानसिक तनाव में कमी :** सीमित पारिवारिक संपर्क एवं एकांत के कारण कैदियों को होने वाले मानसिक तनाव को कम करने में भी मदद मिलेगी।
- **पारिवारिक लाभ :** कैदियों के जेल से बाहर अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने से समाज में परिवार के स्तर पर बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे और बच्चों को अपने माता-पिता के साथ एक खुशहाल जीवन का अवसर मिलेगा।

इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के विपक्ष में तर्क

- **दुरुपयोग :** कुछ विशेषज्ञों ने इस प्रथा को सार्वभौमिक रूप से संस्थागत बनाने पर आपत्ति व्यक्त की है। उनके अनुसार इस प्रणाली का प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है।
- **नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन :** कैदियों को जेल परिसर से बाहर आम नागरिकों के मध्य भ्रमण की स्वतंत्रता से नागरिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन होगा और सामान्य लोगों के मन में सदैव सुरक्षा का खतरा बना रहेगा।
- **न्यायिक उद्देश्य की पूर्ति में बाधा :** इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग का विचार सार्वभौमिक नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह ज़्यादातर मामलों में न्यायिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता है और कुछ मामलों में यह व्यावहारिक भी नहीं हो सकता है। इसके सार्वभौमिक अनुप्रयोग का दुरुपयोग उन लोगों के खिलाफ भी किया जा सकता है जिन्हें न्यायालयों ने ज़मानत दे दी है।

निष्कर्ष

अमेरिका जैसे देशों में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी द्वारा जेलों में संख्या वृद्धि को रोकने के लिए एक लोकप्रिय उपकरण के रूप में उभरी है। फरवरी 2024 में जर्नल ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक्स में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी न केवल आपराधिक पुनरावृत्ति को कम करता है बल्कि श्रम आपूर्ति को भी बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उन बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि एवं प्रारंभिक जीवन में सुधार लाता है जिनके माता-पिता इस प्रणाली के संपर्क में थे। अतः भारत में भी इस प्रकार की सुधार प्रणाली को विचारपूर्वक अपनाए जाने की आवश्यकता है।

स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन, 2024 रिपोर्ट

संदर्भ

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) ने विश्व बाल दिवस के अवसर पर 20 नवंबर, 2024 को 'स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन, 2024' रिपोर्ट नई दिल्ली में जारी की।

स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट के बारे में

- **शीर्षक :** 'बदलती दुनिया में बच्चों का भविष्य'
- **उद्देश्य :** 3 दीर्घकालिक वैश्विक शक्तियों का वर्ष 2050 तक बच्चों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव की जाँच करना।
- **वैश्विक शक्तियाँ :**
  - जनसांख्यिकीय बदलाव
  - जलवायु एवं पर्यावरणीय संकट
  - अग्रणी प्रौद्योगिकियाँ

2050 के दशक के लिए रिपोर्ट में प्रस्तुत विश्लेषण अनुमान

- विश्व स्तर पर नवजात शिशुओं की जीवित रहने की दर 2000 के दशक की तुलना में लगभग 4% बढ़कर 98% से अधिक हो जाएगी।
- किसी बच्चे के 5 वर्ष की आयु तक जीवित रहने की संभावना 2000 के दशक में 1% की वृद्धि के साथ 99.5% हो जाएगी।
- 2000 के दशक में जन्मी बालिकाओं की जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष और बालकों की 66 वर्ष से बढ़कर क्रमशः 81 वर्ष एवं 76 वर्ष हो जाएगी।
- अनुमान है कि 2000 के दशक की तुलना में 2050 तक काफी अधिक संख्या में बच्चे चरम जलवायु खतरों के संपर्क में आएंगे।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

जलवायु एवं पर्यावरणीय संकट

- रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में लगभग आधे बच्चे (लगभग 1 बिलियन) ऐसे देशों में रह रहे हैं जो जलवायु एवं पर्यावरणीय खतरों के उच्च जोखिम का सामना कर रहे हैं।
  - बच्चों के जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत 163 देशों में 26वें स्थान पर है।
- रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वर्तमान में बच्चे किसी भी पिछली पीढ़ी की तुलना में अधिक अप्रत्याशित एवं खतरनाक वातावरण का सामना कर रहे हैं।
- चरम मौसम खाद्य उत्पादन व खाद्य पहुँच को सीमित करता है जिससे बच्चों में खाद्य असुरक्षा का जोखिम बढ़ जाता है। जलवायु संबंधी आपदाएँ बच्चों में असहायता, आघात एवं चिंता की भावनाएँ पैदा करती हैं।

- वर्ष 2022 से दुनिया भर में 400 मिलियन छात्रों को खराब मौसम के कारण स्कूल बंद होने का सामना करना पड़ा है।
    - यह घटना बाल अधिकारों का उल्लंघन करने के साथ ही आर्थिक विकास को भी बाधित करती है।
- जलवायु एवं पर्यावरणीय खतरे बच्चों को उनके घरों से विस्थापित करते हैं।

जनसांख्यिकीय बदलाव

- रिपोर्ट के अनुसार, 2050 के दशक तक वैश्विक बाल जनसंख्या लगभग 2.3 बिलियन पर स्थिर हो जाने का अनुमान है।
    - दक्षिण एशिया सबसे बड़ी बाल जनसंख्या वाले क्षेत्रों की श्रेणी में बना रहेगा।
    - इस श्रेणी में पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीका के साथ-साथ पश्चिमी व मध्य अफ्रीका क्षेत्र भी शामिल हो जाएंगे।
- हालाँकि, भारत में वर्ष 2050 तक बच्चों की आबादी 106 मिलियन घटकर 350 मिलियन रह जाएगी, फिर भी यह 2.3 बिलियन की वैश्विक बाल आबादी का 14.9% भाग होगा।

देश	बच्चों की संख्या (मिलियन में)	देश की जनसंख्या में बच्चों भागीदारी (%)	वैश्विक बाल जनसंख्या भागीदारी (%)
भारत	350	20.7	14.9
चीन	141	11.7	6
नाइज़ीरिया	132	35.0	5.6
पाकिस्तान	129	32.9	5.5
कांगो लोकतंत्रात्मक गणराज्य	101	42.0	4.3
इथियोपिया	82	34.1	3.5
अमेरिका	73	18.9	3.1
इंडोनेशिया	72	22.4	3.1
तंज़ानिया	56	39.4	2.4
बांग्लादेश	49	22.5	2.1

अग्रणी प्रौद्योगिकीय प्रभाव

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता, न्यूरोटेक्नोलॉजी, अगली पीढ़ी की नवीकरणीय ऊर्जा और वैक्सीन संबंधी सफलताएँ, भविष्य में बच्चों के बचपन में महत्त्वपूर्ण सुधार ला सकती हैं।
- हालाँकि, चेतावनी भी है कि डिजिटलीकरण बच्चों को सशक्त बना सकता है किंतु यह उन्हें यौन शोषण और दुर्व्यवहार सहित ऑनलाइन जोखिमों के प्रति संवेदनशील भी बना सकता है।

सामाजिक-आर्थिक चिंताएँ

- रिपोर्ट के अनुसार, विश्व के 23% बच्चे वर्तमान में निम्न आय वाले 28 देशों में रहते हैं, जो 2000 के दशक की तुलना में दोगुने से भी अधिक है।
- 2020-2050 के दशक तक पूर्वी एशिया और प्रशांत एवं दक्षिण एशिया में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (GDP) दोगुने से अधिक हो जाएगा।
- 2050 के दशक में वैश्विक स्तर पर लगभग 60% बच्चे शहरी परिवेश में रहेंगे, जबकि 2000 के दशक में यह आँकड़ा 44% था।
    - उच्च आय वाले देशों में 95% से अधिक लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं जबकि निम्न आय वाले देशों में यह संख्या मात्र 26% है।
- वर्तमान में बुनियादी ढाँचे की सीमाएँ, उच्च लागत एवं पहुँच संबंधी बाधाएँ बच्चों की प्रगति में बाधा डालती हैं।

आगे के लिए सुझाव

- आने वाले दशकों में अधिक बच्चे शहरों में रहने लगेंगे, इसलिए शहरी क्षेत्र को अधिक स्वस्थ एवं सुरक्षित करना आवश्यक है।
- बच्चों के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाओं में निवेश की आवश्यकता है।
- बुनियादी ढाँचे, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और अन्य आवश्यक सेवाओं में जलवायु लचीलापन का विस्तार करने की आवश्यकता है।
- नवीकरणीय ऊर्जा एवं भंडारण में निवेश के साथ स्थानीय नवीकरणीय समाधानों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि वर्ष 2030 तक उत्सर्जन में 43% की कटौती हो सके।
- बच्चों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए कानून और प्रभावी शासन प्रणाली को मज़बूत करना चाहिए।
- शासन एवं नई प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अधिकार-आधारित दृष्टिकोण (Rights-based Approach) के उपयोग की आवश्यकता है।

❑❑❑

आंतरिक सुरक्षा

भारत में साइबर सुरक्षा की स्थिति

संदर्भ

कार्मिक प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट- 2023-24 के अनुसार, वर्ष 2023 में एक महत्त्वपूर्ण रक्षा इकाई रैनसमवेयर हमले से प्रभावित हुई थी। इस तरह के रैनसमवेयर हमले में फिरौती का भुगतान होने तक मैलवेयर के माध्यम से कंप्यूटर तक पहुँच को अवरुद्ध कर दिया जाता है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) ने राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थों के साथ जटिल साइबर अपराधों की जाँच की, जिसमें एक महत्त्वपूर्ण रक्षा इकाई पर रैनसमवेयर हमला, लाखों भारतीय उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करने वाला डाटा उल्लंघन, एक मंत्रालय पर मैलवेयर हमला और भारत में महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे एवं हवाई अड्डों पर एक बड़ा DDoS हमला शामिल था।
  - DDoS (वितरित सेवा निषेध) हमला, किसी लक्षित सर्वर, सेवा या नेटवर्क के सामान्य ट्रैफिक को बाधित करने का एक दुर्भावनापूर्ण प्रयास है, जिसके तहत लक्षित बुनियादी ढाँचे पर इंटरनेट ट्रैफिक अत्यधिक हो जाता है।
- रिपोर्ट में उस महत्त्वपूर्ण रक्षा इकाई का स्थान नहीं बताया गया है जिस पर रैनसमवेयर का हमला हुआ। हालाँकि, भारत ने इसी वर्ष जी-20 सम्मेलन की मेज़बानी की थी।
- भारतीय कंपनियों को प्रति सप्ताह 3,000 से अधिक साइबर हमलों का सामना करना पड़ता है जो ताइवान की कंपनियों के बाद दूसरे स्थान पर है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

- रिपोर्ट के अनुसार, सी.बी.आई. ने भारत में कॉल सेंटर धोखाधड़ी नेटवर्क को लक्षित करने और नष्ट करने के लिए संघीय जाँच ब्यूरो (FBI), रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) और सिंगापुर पुलिस जैसे अंतर्राष्ट्रीय समकक्षों के साथ सहयोग किया था।
  - एफ.बी.आई. से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर 2 मिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े एक घोटाले का खुलासा हुआ, जो अमेरिकी नागरिकों को धोखा देने वाले एक फर्जी तकनीकी सहायता कॉल सेंटर से जुड़ा था।
  - पिछले 1 वर्ष में कनाडा के साथ तनावपूर्ण राजनयिक संबंधों के बावजूद सी.बी.आई. ने आर.सी.एम.पी. के साथ मिलकर दिल्ली स्थित एक कॉल सेंटर की पहचान की, जिसने कनाडाई नागरिकों को ठगा, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में नकदी एवं सबूत बरामद हुए।
  - सी.बी.आई. ने ऑस्ट्रेलियाई नागरिक से दिल्ली के एक वॉलेट में बिटकॉइन का पता लगाया जिससे ऑस्ट्रेलिया के कर धोखाधड़ी के एक मामले में क्रिप्टो धोखाधड़ी के अंतर्राष्ट्रीय दायरे का खुलासा हुआ। भारत में एक बड़े पैमाने पर क्रिप्टो माइनिंग घोटाले का पर्दाफाश हुआ, जिसमें भारतीय नागरिकों से धोखे से ₹100 करोड़ निकाले गए।
- इस रिपोर्ट में देश के सामने मौजूद साइबर खतरों के व्यापक दायरे पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि सी.बी.आई. ने पड़ोसी देशों से भारतीय नागरिकों के साथ किए गए निवेश और ऋण ऐप धोखाधड़ी की जाँच की है।
- रिपोर्ट में कहा गया है भारतीय रिज़र्व बैंक के कहने पर सी.बी.आई. ने यूको बैंक में तत्काल भुगतान सेवा धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया, जिसमें कई बैंकों में रिवर्स ट्रांजैक्शन शामिल थे, जिसकी राशि ₹820 करोड़ थी।

भारत में साइबर हमले

- अक्तूबर 2023 में अमेरिकी साइबर सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसी रीसिक्योरिटी ने अलर्ट जारी किया था कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (ICMR) को 81 करोड़ भारतीयों के आधार व पासपोर्ट की जानकारी के साथ-साथ उनके नाम, फोन नंबर तथा पते का डाटा लीक होने का खतरा है।
- भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) की 2023 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वर्ष 15,92,917 सुरक्षा घटनाएँ दर्ज की गईं, जो वर्ष 2017 में दर्ज की गई 53,117 घटनाओं से बहुत अधिक है।
- इन साइबर हमलों की घटनाओं में शामिल हैं–
  - वेबसाइट घुसपैठ (Website Intrusion) एवं मैलवेयर प्रसार (Malware Proliferation)
  - फिशिंग
  - DDoS हमले
  - अनधिकृत नेटवर्क स्कैनिंग
  - रैनसमवेयर अटैक

भारतीय साइबर सुरक्षा एजेंसी

- वर्ष 1999 से सी.बी.आई. कंप्यूटर अपराधों की जाँच के लिए केंद्र सरकार द्वारा नामित नोडल एजेंसी रही है।
- हालाँकि, 29 सितंबर, 2024 को कैबिनेट सचिवालय ने सरकार के कार्य आवंटन नियमों में संशोधन कर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय को साइबर सुरक्षा के लिए समग्र समन्वय एवं रणनीतिक दिशा प्रदान करने वाली एजेंसी के रूप में नामित किया।
    - राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को रिपोर्ट करता है।
- साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा के लिए नोडल निकाय और गृह मंत्रालय को साइबर अपराधों से संबंधित मामलों के लिए नोडल निकाय नामित किया गया।

सागरमाला परिक्रमा

सागर परिक्रमा पहल के तहत सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित एक 'ऑटोनॉमस सरफेस वेसल (Autonomous Surface Vessel : ASVs)' ने बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के मुंबई से थूथुकुडी तक 1,500 किमी. की यात्रा पूरी की है। ASVs एक प्रकार के मानवरहित पोत हैं जो स्वायत्त संचालन में सक्षम होते हैं।

सागरमाला परिक्रमा पहल के बारे में

- सागर परिक्रमा पहल को भारतीय नौसेना के नौसेना नवाचार एवं स्वदेशीकरण संगठन (NIIO), प्रौद्योगिकी विकास त्वरण प्रकोष्ठ (TDAC) और रक्षा नवाचार संगठन (DIO) के तहत रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX) पहल द्वारा समर्थित किया गया है।
- NIIO के वार्षिक कार्यक्रम 'स्वावलंबन' के दौरान 29 अक्तूबर को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'सागरमाला परिक्रमा' यात्रा का शुभारंभ किया था।

सागरमाला परिक्रमा यात्रा की विशेषताएँ

- यह यात्रा स्वायत्त समुद्री प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता को प्रदर्शित करती है।
    - नौसेना ने वर्ष 2047 तक 'पूरी तरह से आत्मनिर्भर बल' बनने का संकल्प लिया है।
- यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक व मानवरहित प्रणालियों के विकास में महत्त्वपूर्ण है।
- सागरमाला परिक्रमा की सफलता भारत की स्वदेशी रूप से ऑटोनॉमस समुद्री प्रणालियों के निर्माण की क्षमता को प्रदर्शित करती है जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- यह यात्रा भारत के रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार, साझेदारी व आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण की शक्ति का प्रमाण है।
- सागरमाला परिक्रमा ऑटोनॉमस सरफेस और पानी के नीचे की प्रणालियों में वैश्विक प्रगति के साथ संरेखित है, जो सैन्य व नागरिक दोनों क्षेत्रों में परिवर्तनकारी अनुप्रयोग प्रदान करती है।
- यह महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गों, तटीय निगरानी और समुद्री डकैती-रोधी अभियानों में ऑटोनॉमस वेसल की भविष्य में तैनाती का मार्ग प्रशस्त करती है।
    - इससे भारतीय नौसेना की परिचालन पहुँच का विस्तार होता है।

पिनाका रॉकेट प्रणाली

फ्राँस अपनी रक्षा खरीद के हिस्से के रूप में भारत की पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर (MBRL) प्रणाली पर विचार कर रहा है। हालाँकि, इससे पहले भारत ने आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट प्रणाली का निर्यात किया है और कई देश इसमें रुचि दिखा रहे हैं।

पिनाका रॉकेट प्रणाली के बारे में

- **क्या है :** पिनाका एक बहुउद्देश्यीय तोपखाना प्रणाली है जो सभी मौसम की स्थिति में और विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों पर भारी मात्रा में हमला करने में सक्षम है।
- **विकास व उत्पादन :** पिनाका एम.बी.आर.एल. को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित किया गया है और उत्पादन सोलर इंडस्ट्रीज़, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा व ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड कंपनियों सहित एजेंसियों द्वारा किया गया है।
    - यह भारत के रक्षा क्षेत्र में पहली सार्वजनिक-निजी भागीदारी है।
- पिनाका एम.बी.आर.एल. में भारत में डिज़ाइन एवं विकसित स्वदेशी महत्त्वपूर्ण उप-प्रणालियाँ सर्वो सिस्टम और फायर कंट्रोल सिस्टम शामिल हैं।

मुख्य विशेषताएँ और प्रदर्शन

- **शूट एवं स्कूट क्षमता :** यह प्रणाली फायरिंग के बाद शीघ्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो सकती है जिससे इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है।
    - इसमें त्वरित तैनाती व पुनःस्थापन (Restoration) के लिए स्वचालित लेवलिंग एवं स्थिरीकरण (Automatic Leveling and Stabilization) की क्षमता है।
- **साल्वो फायरिंग :** 44 सेकेंड में 12 रॉकेटों की एक सैल्वो लॉन्च कर सकता है जो उच्च प्रभाव वाली स्ट्राइक क्षमता प्रदान करता है।
- **मारक क्षमता :** यह रॉकेट सिस्टम अपने कई वैरिएंट के साथ 75 किमी. और उससे भी आगे के लक्ष्यों को भेद सकता है।

- **स्थिति सटीकता :** अज़ीमुथ (AZ) एवं एलिवेशन (EL) दोनों के लिए एक मिलीरेडियन सटीकता व सटीक लक्ष्यीकरण सुनिश्चित करती है।
- **तीव्र प्रोग्रामिंग :** यह प्रणाली तीव्र परिचालन तत्परता के लिए सभी 12 रॉकेटों को अधिकतम 20 सेकेंड में प्रोग्राम कर सकती है।
- **जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली (INS) :** लॉन्चर की सटीक एवं तीव्र स्थापना के लिए ऑनबोर्ड प्रणाली सटीक लक्ष्य निर्धारण सुनिश्चित करती है।
- **प्रथम प्रयोग :** कारगिल युद्ध के दौरान
  - इसने पहाड़ की चोटियों पर पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट किया था।

प्रोजेक्ट शौर्य गाथा

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव (Indian Military Heritage Festival) के दूसरे संस्करण के दौरान प्रोजेक्ट 'शौर्य गाथा' की शुरुआत की।

प्रोजेक्ट शौर्य गाथा के बारे में

- 'प्रोजेक्ट शौर्य गाथा' डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स (DMA) की पहल है। इसे संयुक्त सेवा संस्थान (USI) के अंतर्गत सेंटर फॉर मिलिट्री हिस्ट्री एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ के सहयोग से शुरू किया गया है।
- इस प्रोजेक्ट में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के साथ ही यू.एस.आई., पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, गृह एवं विदेश मंत्रालय भी शामिल हैं।

प्रोजेक्ट शौर्य गाथा का उद्देश्य

- विरासत को संरक्षित करना एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में मिलिट्री टूरिज़्म को बढ़ावा देना
- प्रमुख मिलिट्री लैंडमार्क की पहचान करके उन्हें रीस्टोर करना
  - इनमें किले, बैटलफील्ड, स्मारक एवं म्यूज़ियम आदि शामिल हैं जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में मिलिट्री टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा।
- एक व्यापक राष्ट्रीय सैन्य विरासत संरक्षण नीति (नेशनल मिलिट्री हेरिटेज कंज़र्वेशन पॉलिसी) का विकास करना
  - इसके माध्यम से ऐतिहासिक धरोहरों, जैसे– प्राचीन युद्ध भूमि, युद्ध स्मारक एवं संग्रहालय को संरक्षित किया जा सकेगा।
- मुख्य युद्ध क्षेत्रों, सैन्य संग्रहालयों, स्मारकों एवं भारत के प्राचीन सैन्य इतिहास के बारे में जानकारी वाले विभिन्न स्रोतों को प्रकाशित करना
  - इसके लिए एक वेबसाइट और ऐप का निर्माण किया जाएगा, ताकि सैन्य इतिहास को अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों व श्रोताओं तक भी पहुँचाया जा सके।
- मिलिट्री टूरिज़्म के जरिए बॉर्डर एरिया का समग्र विकास करके आर्थिक विकास सुनिश्चित करना
  - इससे यहाँ के बुनियादी ढाँचे में सुधार होगा और रोज़गार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे।

भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव

- भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव एक प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है जिसमें भारत की समृद्ध सैन्य विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित किया जाता है।
- इसके उद्देश्यों में भारत की सैन्य परंपराओं, समकालीन सुरक्षा और रणनीति के मुद्दों की समझ को बढ़ाना और आत्मनिर्भर भारत पहल के माध्यम से सैन्य क्षमता में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्रयासों को बढ़ावा देना भी शामिल है।
- इसके अलावा यह महोत्सव भारतीय थिंक टैंक, निगमों, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के उपक्रमों, गैर-लाभकारी संस्थाओं, शिक्षाविदों एवं अनुसंधान विद्वानों को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, सैन्य इतिहास और सैन्य विरासत पर ध्यान केंद्रित करता है।

प्रथम महिला CISF बटालियन

गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में पहली बार महिला बटालियन के गठन को मंज़ूरी दी है। 10 मार्च, 2025 को CISF का 55वाँ स्थापना दिवस है।

प्रथम महिला CISF बटालियन के बारे में

- **क्या है :** यह केवल महिलाकर्मियों द्वारा निर्मित पहली CISF बटालियन होगी।
- **क्षमता :** इसमें 1,000 से ज्यादा महिलाकर्मी शामिल होंगी।
- **नेतृत्व :** इसका नेतृत्व कमांडेंट रैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- **आवश्यकता :** यह पहल सुरक्षा बल की बढ़ती मांगों, जैसे– वी.आई.पी. सुरक्षा, हवाई अड्डों और अन्य महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के चलते शुरू की गई है।
- **प्रशिक्षण कार्यक्रम :** इस बटालियन को प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा एक विशिष्ट अर्द्ध-सैन्य बल के रूप में विकसित किया जाएगा, जो वी.आई.पी. सुरक्षा, हवाई अड्डों एवं दिल्ली मेट्रो जैसी प्रमुख सुविधाओं एवं उच्च-स्तरीय सुरक्षा कार्यों को संभालने में सक्षम हो।

महत्त्व

- महिला भागीदारी में वृद्धि
- युवाओं को प्रेरणा और महिलाओं को एक अलग पहचान
- महिला सुरक्षा एवं महिला यात्रियों व पर्यटकों में वृद्धि

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के बारे में

- **परिचय :** CISF संसद द्वारा पारित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के तहत स्थापित संघ का एक सशस्त्र बल है।
- **स्थापना :** 10 मार्च, 1969
- **नेतृत्व :** महानिदेशक के पद वाले भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी द्वारा।
    - वर्तमान में CISF के 31वें महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी हैं।
- **प्रमुख कार्य :** CISF गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक अर्द्धसैनिक बल है, जिसका कार्य सरकारी एवं निजी दोनों प्रकार के महत्त्वपूर्ण स्थलों को सुरक्षा प्रदान करना है।
    - इसमें अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, हवाई अड्डों, दिल्ली मैट्रो, बंदरगाहों, ऐतिहासिक स्मारकों और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, बिजली, कोयला, इस्पात व खनन सहित रणनीतिक प्रतिष्ठान शामिल हैं।
- **महिला भागीदारी :** वर्तमान में CISF के कुल श्रम बल में से लगभग 7% से अधिक महिलाएँ हैं।
    - CISF में वर्तमान में पुरुष एवं महिलाकर्मियों के मिश्रण वाली 12 रिज़र्व बटालियन हैं।
- **9 विभाग :** CISF को 9 विभागों (एयरपोर्ट, उत्तर, उत्तर-पूर्व, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, प्रशिक्षण, दक्षिण-पूर्व, मध्य) में विभाजित किया गया है।
- **अग्निशमन विंग :** एकमात्र ऐसा सशस्त्र बल, जिसके पास अनुकूलित एवं समर्पित अग्निशमन विंग है।

भारत एनसीएक्स 2024

18 नवंबर, 2024 को भारत की साइबर सुरक्षा क्षमता को मज़बूत करने के लिए एक ऐतिहासिक पहल के रूप में 'भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास (भारत NCX 2024)' का उद्घाटन किया गया।

- **आयोजन :** राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय (NSCS) द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सहयोग से
- **अवधि :** 18 नवंबर - 29 नवंबर, 2024
- **उद्देश्य :**
    - भारत की साइबर सुरक्षा लचीलापन को बढ़ाना
    - साइबर सुरक्षा पेशेवरों और नेतृत्व को उभरते खतरों के लिए तैयार करना
    - उन्नत साइबर सुरक्षा, घटना प्रतिक्रिया क्षमताओं और रणनीतिक निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित करना
- **मुख्य विशेषताएँ**
    - **इमर्सिव साइबर डिफेंस प्रशिक्षण :** प्रतिभागियों को साइबर खतरों से बचाव और घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने पर केंद्रित व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
    - **लाइव-फायर सिमुलेशन :** इस अभ्यास में आई.टी. (सूचना प्रौद्योगिकी) और ओटी (परिचालन प्रौद्योगिकी) दोनों प्रणालियों को लक्षित करने वाले साइबर हमलों के यथार्थवादी सिमुलेशन शामिल होंगे।
    - **सहयोग मंच :** सरकार और उद्योग जगत के हितधारकों के लिए साइबर सुरक्षा पर सहयोग करने और अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए मंच उपलब्ध होंगे।
    - **रणनीतिक निर्णय लेने का अभ्यास :** विभिन्न क्षेत्रों के वरिष्ठ प्रबंधन अपने रणनीतिक प्रतिक्रिया कौशल में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के साइबर संकट के दौरान निर्णय लेने का अभ्यास करेंगे।
    - **सी.आई.एस.ओ. कॉन्क्लेव :** सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी ज्ञान साझा करेंगे, चर्चाओं में भाग लेंगे और वर्तमान साइबर सुरक्षा प्रवृत्तियों और पहलों की जाँच करेंगे।
    - **भारत साइबर सुरक्षा स्टार्टअप प्रदर्शनी :** भारतीय स्टार्ट-अप्स के अभिनव समाधानों का प्रदर्शन किया जाएगा, जो देश के साइबर सुरक्षा ढाँचे को मज़बूत करने में उनके योगदान पर प्रकाश डालेंगे।
    - **नेतृत्व सहभागिता और क्षमता निर्माण :** इस अभ्यास का उद्देश्य नई साइबर चुनौतियों का समाधान करने में नेतृत्व कौशल को मज़बूत करना और टीम वर्क को बढ़ावा देना है।

❑❑❑

नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि

स्वतंत्र इच्छा (Free Will)

स्वतंत्र इच्छा की अवधारणा

- 'स्वतंत्र इच्छा' (Free Will) की अवधारणा के अनुसार, मनुष्य में ब्रह्मांड की किसी भी पूर्व घटना या स्थिति से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने या कार्य करने की शक्ति होती है, अर्थात् किसी भी परिस्थिति में अपने दृष्टिकोण एवं कार्यो को चुनने की मानवीय क्षमता।
- सामान्य शब्दों में, स्वतंत्र इच्छा का तात्पर्य व्यक्तियों की ऐसी पसंद करने की क्षमता से है जो पूर्व कारणों या परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होती है। यह विचार इस बात पर ज़ोर देता है कि मनुष्य अपनी इच्छा से कार्य करने में सक्षम है।
    - यह अवधारणा नियतिवाद के सिद्धांत का विरोध करती है।

प्रमुख संबंधित सिद्धांत

- **नियतिवाद :** इस सिद्धांत के अनुसार सभी होने वाली घटनाएँ पहले से उपस्थित परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होती हैं। इसके अनुसार मानवों व अन्य जीवों में स्वतंत्र इच्छा की क्षमता नहीं है क्योंकि उनके सारे कर्म उनकी परिस्थितियों के आधार पर होते हैं अर्थात् उनके विचार भी परिस्थितियों के अनुसार ही उत्पन्न होते हैं।
- **अनिश्चयवाद :** नियतिवाद का चरम विकल्प अनिश्चयवाद है, यह दृष्टिकोण कि कम-से-कम कुछ घटनाओं का कोई नियतात्मक कारण नहीं होता है, बल्कि वे यादृच्छिक रूप से या संयोग से घटित होती हैं।
- **स्वतंत्रतावाद :** इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तियों के पास पूर्ण स्वतंत्र इच्छा होती है और मनुष्य अपने प्रत्येक कर्म एवं विचार के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है।
- **अनुकूलतावाद :** यह सिद्धांत दावा करता है कि नियतिवाद और स्वतंत्र इच्छा एक-साथ रह सकते हैं और स्वतंत्रता को बाह्य बाधाओं से अप्रभावित स्वैच्छिक कार्यों के संदर्भ में समझा जा सकता है।

स्वतंत्र इच्छा एवं नैतिकता

- नैतिकता और आचार-विचार को समझने के लिए स्वतंत्र इच्छा आवश्यक है क्योंकि यह सुझाव देती है कि मनुष्य के पास चुनने की क्षमता है।
- सही या गलत यह चुनने की क्षमता ही है जो व्यक्ति को उसके कार्यों के लिए नैतिक रूप से ज़िम्मेदार बनाती है। इसके बिना व्यक्ति की नैतिकता का मूल्यांकन ही नहीं किया जा सकता है।
- मनुष्य जो निर्णय लेते हैं, वे उनकी इच्छाओं का परिणाम होते हैं और उनकी इच्छाएँ उनकी परिस्थितियों, पिछले अनुभवों और मनोवैज्ञानिक तथा व्यक्तित्व लक्षणों, उनके स्वभाव, स्वाद, बुद्धि के स्तर, इत्यादि से निर्धारित होती हैं।
- इस अर्थ में परिस्थितियाँ, अनुभव और लक्षण स्पष्ट रूप से व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर कई कारकों का परिणाम हैं, जिसमें पालन-पोषण और शायद आनुवंशिक संरचना भी शामिल है।
- कांट जैसे दार्शनिकों ने तर्क दिया कि सच्ची स्वतंत्रता तर्क और नैतिक कानून के अनुसार कार्य करने से आती है, न कि आवेगों या बाहरी दबावों का गुलाम बनने से।
- स्वतंत्र इच्छा में विश्वास नैतिक आचरण को प्रभावित करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि स्वतंत्र इच्छा में विश्वास कमज़ोर होने से धोखाधड़ी और आक्रामकता बढ़ती है जबकि इसे मज़बूत करने से मदद करने की प्रवृत्ति बढ़ती है।

स्वतंत्र इच्छा एवं समाज

- अधिकांश समाजों में स्वतंत्र इच्छा दंड और पुरस्कार की धारणाओं का आधार है।
- समाज में लागू कानूनी प्रणालियाँ आपराधिक गतिविधि के लिए अपराधी की स्वतंत्र इच्छा को ही ज़िम्मेदार मानती हैं।
- भारतीय संविधान भी 'व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा' को उसके मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित करता है, साथ ही इस इच्छा पर युक्तियुक्त प्रतिबंध भी आरोपित करता है।
- हालाँकि, रूढ़िवादी समाज में धर्म के अति प्रभाव के कारण ऐसे मुहावरे प्रचलित होते हैं कि 'भगवान की मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता', इससे समाज में व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा को नगण्य मानकर केवल परमेश्वर के एकाधिकार का वर्चस्व स्थापित कर दिया जाता है।
- महान दार्शनिक रूसो ने कहा है कि, "मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह ज़ंजीरों में जकड़ा होता है," जो व्यक्तिगत स्वायत्तता और सामाजिक बाधाओं के बीच तनाव को दर्शाता है। हालाँकि, सामूहिक स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बिना मौजूद नहीं हो सकती।
- जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतकारों का तर्क है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को केवल तभी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए जब यह दूसरों को नुकसान पहुँचाए अर्थात् यह उदार लोकतंत्रों के लिए एक केंद्रीय सिद्धांत है।

स्वतंत्र इच्छा पर धार्मिक दृष्टिकोण

- **इस्लाम धर्म :** मनुष्य के पास अपने कार्यों के मामले में स्वतंत्र इच्छा है, हालाँकि उसकी स्वतंत्र इच्छा ईश्वरीय आदेश द्वारा प्रदत्त है।
- **हिंदू धर्म :** वेदांत दर्शन के अनुसार, परमात्मा मूलभूत रूप से कर्म को लागू करने वाला है, किंतु अच्छे या बुरे को चुनने के लिए मनुष्य स्वतंत्र होता है।
- **बौद्ध धर्म :** कर्म और पुनर्जन्म का व्यक्तिगत इच्छा के साथ संबंध होता है, मानव के निर्णय स्वतंत्र नहीं होते हैं।
- **ईसाई धर्म :** प्राय: स्वतंत्र इच्छा को ईश्वर का उपहार मानता है, जो मनुष्य को चुनने की अनुमति देता है।

स्वतंत्र इच्छा एवं भगवद्गीता

- भगवद्गीता में जीवन के दर्शन को पूरी तरह से समझाने और भौतिक व आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के बाद भगवान श्रीकृष्ण ने अंत में अर्जुन से कहा 'इस प्रकार मैंने सभी रहस्यों से भी अधिक रहस्यमयी और गोपनीय यह ज्ञान तुम्हें बतला दिया है। इस पर पूरी तरह से विचार करने के पश्चात् जैसी तुम्हारी इच्छा हो, वैसा तुम करो।'
- परमात्मा ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा प्रदान की है ताकि परिस्थितियों को देखते हुए वह उपयुक्त विकल्प चुन सके। परंतु मनुष्य को अपने फैसले किसी आवेग में आकर नहीं लेने चाहिए। निर्णय सुविचारित होना चाहिए। यही कारण है कि श्रीकृष्ण ने अर्जुन से अपनी शिक्षाओं का पालन बिना सोचे-समझे करने के लिए नहीं कहा।
- भगवद्गीता का मार्ग बाध्यता का मार्ग नहीं है बल्कि यह तो स्वतंत्र इच्छा का मार्ग है। यह आत्म-साक्षात्कार की वह राह है जिसमें संबधित व्यक्ति की राय को नकारा नहीं जाता, बल्कि उसके ईमानदार और सुविचारित मत को पूरा सम्मान दिया जाता है।
- परमात्मा ने मानव को अपने फैसले स्वयं लेने की स्वतंत्रता दी है। लेकिन स्वतंत्रता असीमित नहीं हो सकती। मनुष्य को उस स्वतंत्रता का उपयोग जीवन के परम उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पूरी सावधानी के साथ करना चाहिए।

स्वतंत्र इच्छा एवं विज्ञान

- तंत्रिका विज्ञान के अध्ययनों ने यह पता लगाने का प्रयास किया है कि क्या हमारा मस्तिष्क हमारे सचेत रूप से जागरूक होने से पहले निर्णय लेता है। कुछ शोध बताते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क में गतिविधियाँ उसके सचेत निर्णय लेने से पहले भी हो सकती हैं, जो स्वतंत्र इच्छा की पारंपरिक अवधारणा को चुनौती देता है।
- लेकिन विज्ञान संभवत: कभी भी यह साबित नहीं कर सकता है कि हमारे पास स्वतंत्र इच्छा नहीं है क्योंकि यह दिखाना कि कोई भी निर्णय हमारे मस्तिष्क न्यूरॉन्स उद्दीपन द्वारा परिलक्षित या उत्पन्न होना यह नहीं दर्शाता कि अंतिम निर्णय मुद्दों पर स्वतंत्र इच्छा विचार के बाद नहीं आया था।
- इस प्रकार स्वतंत्र इच्छा को देखने का सबसे अच्छा तरीका एक विशेषता और क्षमता के रूप में है जो हमेशा मौजूद रहती है और इस तरह आंशिक स्वतंत्र इच्छा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तद्नुसार, हम अपने द्वारा लिए गए निर्णयों और अपने द्वारा की गई कार्रवाइयों के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार हैं।
- हालाँकि बाहरी और आंतरिक प्रभाव, विशेष रूप से वे जो हमारे अवचेतन में छिपे रहते हैं और जिनके बारे में हम सचेत रूप से नहीं जानते हैं, निर्णयों के प्रति हमारी गुण-दोष निर्धारण की योग्यता को कम करते हैं।

स्वतंत्र इच्छा की आवश्यकता

- एक आवश्यक गुण के रूप में स्वतंत्र इच्छा की अनुपस्थिति में मानव प्रजाति सोचने वाले जानवरों की तुलना में जीवित मशीनों के समान प्रतीत होगी एक दैवीय शक्ति की मात्र कठपुतलियाँ, जो बदले में मनमौजी के रूप में फिर से तैयार की जाएंगी।
- यह धारणा कि 'मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है' जीवन के किसी भी दृष्टिकोण के लिए प्रमुख है। अर्थात् 'स्वतंत्र इच्छा' बुद्धिमानी या मूर्खतापूर्ण, सही या गलत, अच्छे और बुरे के बीच चयन करने की स्वतंत्रता के लिए महत्त्वपूर्ण है और साथ ही, नए ज्ञान और विकासशील स्थितियों के प्रकाश में पूर्व के विकल्पों को संशोधित करने की स्वतंत्रता के लिए भी आवश्यक है।
- एक स्वतंत्र व्यक्ति के लिए, अच्छे और बुरे की धारणा को उसके भीतर निहित तर्कसंगतता के संदर्भ के आधार पर ही समझा जाना चाहिए। धरती पर स्वर्ग बनाना मानवीय तर्क और इच्छा-शक्ति की क्षमता में ही निहित है।
- स्वतंत्र इच्छा में विश्वास आत्म-सुधार और अपने कार्यों की ज़िम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। वैज्ञानिक प्रगति मानवीय जिज्ञासा पर निर्भर करती है जैसे गैलीलियो द्वारा धार्मिक हठधर्मिता की अवहेलना से लेकर अंतरिक्ष अन्वेषण में आधुनिक प्रगति (जैसे- नासा के आर्टेमिस मिशन) तक, वैज्ञानिक उपलब्धियाँ प्राकृतिक सीमाओं को पार करने की मानवता की स्वतंत्र इच्छा को दर्शाती हैं।

केस स्टडी

केस स्टडी-1

रमण एक वरिष्ठ आई.पी.एस. अधिकारी हैं। हाल ही में उन्हें एक राज्य के डी.जी. के रूप में नियुक्त किया गया है। जिन विभिन्न मुद्दों और समस्याओं/चुनौतियों पर उन्हें तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी, उनमें एक अज्ञात आतंकवादी समूह द्वारा बेरोज़गार युवकों की भर्ती से संबंधित मुद्दा गंभीर चिंता का विषय था। यह पाया गया कि राज्य में बेरोज़गारी अपेक्षाकृत अधिक थी। स्नातक और उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों के बीच बेरोज़गारी की समस्या और भी गंभीर थी। इसलिए वे कमज़ोर और आसान लक्ष्य थे। डी.आई.जी. रेंज और उसके ऊपर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनकी समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई कि वैश्विक स्तर पर एक नया आतंकवादी समूह उभरा है। इसने युवा बेरोज़गार लोगों की भर्ती के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है। किसी विशिष्ट समुदाय से युवाओं को चुनने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा था। उक्त संगठन का स्पष्ट उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उनका उपयोग करना था। यह भी पता चला कि उक्त (नया) समूह उनके राज्य में अपना जाल फैलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। राज्य सी.आई.डी. और साइबर सेल को एक निश्चित/विश्वसनीय खुफिया सूचना मिली थी कि बड़ी संख्या में ऐसे बेरोज़गार युवाओं से सोशल मीडिया और स्थानीय सांप्रदायिक संगठनों तथा अन्य संपर्कों के माध्यम से आतंकवादी संगठन/समूह ने संपर्क किया है। समय की मांग है कि तेज़ी से कार्रवाई की जाए और इन तत्त्वों/योजनाओं को गंभीर रूप लेने से पहले ही रोक दिया जाए।

साइबर सेल के माध्यम से पुलिस द्वारा की गई जाँच से पता चला कि बड़ी संख्या में बेरोज़गार युवा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर बहुत सक्रिय हैं। उनमें से कई औसतन हर दिन 6-8 घंटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस/इंटरनेट, आदि का उपयोग करते हुए बिता रहे थे। ये भी पता चला कि ऐसे बेरोज़गार युवा उस वैश्विक आतंकवादी समूह के खास व्यक्तियों (उनके संपर्क वाले) से प्राप्त संदेशों का समर्थन और सहानुभूति दिखा रहे थे। उनके सोशल मीडिया अकाउंट से पता चला कि ऐसे समूहों के साथ उनका गहरा जुड़ाव है, यहाँ तक कि उनमें से कई ने अपने व्हॉट्सएप और फेसबुक, आदि पर राष्ट्र-विरोधी ट्वीट फॉर्वर्ड करना शुरू कर दिया है। ऐसा लग रहा था कि वे उनकी चाल में फँस गए और अलगाववादी विचारधारा का प्रचार करने लगे हैं। उनके पोस्ट सरकार की पहलों, नीतियों की अति आलोचना करने वाले थे और अतिवादी मान्यताओं को मानने वाले और उग्रवाद को बढ़ावा देने वाली थी।

(a) उपर्युक्त स्थिति से निपटने के लिए रमण के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं?

(b) आप मौजूदा व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए क्या उपाय सुझाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे समूह राज्य में घुसपैठ करने और माहौल खराब करने में सफल न हो सकें?

(c) उपर्युक्त परिदृश्य में, पुलिस बल की खुफिया जानकारी एकत्र करने की प्रणाली को बढ़ाने के लिए आप क्या कार्य योजना सुझाएंगे? **(UPSC 2024)**

मॉडल उत्तर

(a) उपर्युक्त स्थिति से निपटने के लिए रमण के पास निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं-

- **त्वरित कानूनी कार्रवाई :** रमण को राज्य पुलिस प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम ऐसी अलगाववादी गतिविधियों को रोकने और इसमें संलिप्त व्यक्तियों, ऑनलाइन सोशल मीडिया एकाउंट्स पर कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
- **साइबर निगरानी में वृद्धि :** राज्य की साइबर सेल द्वारा सोशल मीडिया पर आतंकवादी समूह द्वारा की जा रही भर्ती के प्रयासों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। जिससे ऐसे अभियानों की पहचान एवं रोकथाम करने में मदद मिलेगी।
- **जागरूकता अभियान :** बेरोज़गार युवाओं को आतंकवाद और कट्टरपंथी विचारधाराओं के खतरे के बारे में जागरूक करने के लिए सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है।
- **बेरोज़गार युवाओं से संवाद :** समाज, सरकार या प्रशासन से रुष्ट बेरोज़गार युवाओं के साथ संवाद स्थापित करने की आवश्यकता है जिससे ऐसे युवाओं को गलत मार्ग पर जाने से रोका जा सके।
- **रोज़गार अवसरों को बढ़ाना :** बेरोज़गारी के मूल कारण को दूर करने के लिए रोज़गार सृजन योजनाओं और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत करना। इससे युवाओं में आतंकवाद के प्रति आकर्षण कम होगा।

(b) मौजूदा व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे समूह राज्य में घुसपैठ करने और माहौल खराब करने में सफल न हो सकें-

- **साइबर निगरानी को अपग्रेड करना :** राज्य की खुफिया एजेंसियों को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस करना, ताकि वे ऑनलाइन गतिविधियों का सही तरीके से मूल्यांकन कर सकें और आतंकवादी प्रचार को ट्रैक कर सकें।
- **स्थानीय खुफिया नेटवर्क को मज़बूत करना :** स्थानीय स्तर पर सूचना एकत्र करने के लिए सूचनाप्रदाता नेटवर्क को और अधिक मज़बूत करना ताकि संदिग्ध गतिविधियों के विरुद्ध समय पर कार्रवाई की जा सके।

- **सीमा सुरक्षा में सुधार :** अन्य राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर सीमा सुरक्षा को मज़बूत करना जिससे आतंकवादी राज्य में प्रवेश न कर सकें।
- **स्थानीय चेकपॉइंट बढ़ाना :** उन क्षेत्रों में पुलिस की उपस्थिति बढ़ाना जहाँ आतंकवादी समूह के भर्ती प्रयास अधिक हो सकते हैं।
- **डी-रेडिकलाइज़ेशन कार्यक्रम :** ऐसे युवाओं के लिए डी-रेडिकलाइज़ेशन कार्यक्रम शुरू करना जो आतंकवादी विचारधारा से प्रभावित हो चुके हैं। इन कार्यक्रमों में मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व आतंकवादी विशेषज्ञों की सहायता ली जा सकती है।
- **सामुदायिक नेताओं के साथ सहयोग :** स्थानीय धार्मिक और सामाजिक नेताओं से मिलकर कट्टरपंथी विचारधाराओं को नकारते हुए एकजुटता और शांति का संदेश फैलाना।

(c) खुफिया जानकारी एकत्रीकरण प्रणाली को बढ़ाने हेतु कार्य योजना–

- **विशेष बल की स्थापना :** इंटरनेट के बढ़ते दुरुपयोग से निपटने हेतु एक विशेष बल की आवश्यकता है, जिसे अत्याधुनिक निगरानी तकनीकों, डिजिटल फॉरेंसिक और अलगाववाद विरोधी उपायों के लिए प्रशिक्षित किया गया हो।
- **केंद्रीकृत डाटाबेस की स्थापना :** एक केंद्रीय खुफिया डाटाबेस स्थापित किया जाना चाहिए जिसमें साइबर सेल, स्थानीय पुलिस और राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों से प्राप्त जानकारी को एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध किया जा सके।
- **AI का प्रयोग :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करके ऑनलाइन संदिग्ध गतिविधियों के पैटर्न की पहचान करना और भविष्य में होने वाली संभावित घटनाओं को होने से पहले ही रोकथाम की जाए।
- **सार्वजनिक-निजी साझेदारी :** टेक कंपनियों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और साइबर सुरक्षा फर्मों के साथ मिलकर सभी संदिग्ध सामग्री का पता लगाने और संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करने के लिए साझेदारी की जानी चाहिए।
- **जोखिम वाले समूहों की पहचान :** डाटा एनालिटिक्स और स्थानीय खुफिया का उपयोग करके ऐसे युवाओं की पहचान करना, जो आतंकवादी समूहों द्वारा भर्ती किए जा सकते हैं।

केस स्टडी–2

किसी राज्य में महत्त्वपूर्ण पद पर कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ट अधिकारी द्वारा एक विशेष धर्म के ऑफिसर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है। इस ग्रुप में राज्य में कार्यरत एक धर्म विशेष के अधिकारियों को उनकी सहमति के बिना ग्रुप में शामिल किया जाता है। इस ग्रुप के प्रतिक्रियास्वरूप राज्य में कार्यरत दूसरे धर्म के अधिकारियों द्वारा भी अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते हैं। इस प्रकार से गैर-आधिकारिक रूप से धर्म के आधार पर निर्मित ऑफिसर्स ग्रुप का राज्य के निष्पक्ष एवं ईमानदार अधिकारियों द्वारा तीव्र विरोध किया जाता है, क्योंकि एक तो उनकी अनुमति के बिना उन्हें ग्रुप में शामिल किया गया और दूसरा धर्म के आधार पर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य विभाजन किया जा रहा है।

व्हाट्सएप ग्रुप निर्माता वरिष्ट अधिकारी द्वारा अपने ग्रुप को बनाए जाने के कुछ ही समय के भीतर हटा दिया जाता है क्योंकि कई अधिकारियों ने इस तरह के ग्रुप की अनुचितता को आधिकारिक रूप से चिह्नित किया। इस घटना के बाद उस अधिकारी ने स्वयं को बचाने हेतु पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें दावा किया गया कि यह ग्रुप एक साज़िश के तहत उनके फोन को हैक करने के बाद बनाया गया था और कई अन्य ग्रुप भी बनाए गए थे, जिनमें अन्य धर्म के अधिकारी शामिल थे। इसके बाद पुलिस द्वारा जाँच-पड़ताल की गई। हालाँकि, पुलिस जाँच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे पता चले कि डिवाइस को हैक किया गया था, जैसा कि उन्होंने दावा किया था। यह भी पता चला है कि अधिकारी ने अपने फोन को फॉरेंसिक जाँच के लिए जमा करने से पहले खुद ही मोबाइल फोन को बार-बार फैक्ट्री रीसेट किया था।

पुलिस जाँच एजेंसी की रिपोर्ट का मानना है कि व्हाट्सएप ग्रुप का उद्देश्य राज्य में अखिल भारतीय सेवाओं के कैडरों के बीच विभाजन को बढ़ावा देना, फूट डालना और एकजुटता को तोड़ना था। यह प्रथम दृष्टया राज्य में अखिल भारतीय सेवाओं के कैडरों के भीतर सांप्रदायिक गठन और गठबंधन बनाने वाला भी पाया गया। यह कृत्य गंभीर अनुशासनहीनता के बराबर है और ऐसी घटनाओं से राज्य में प्रशासनिक मशीनरी की सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुँचता है। इस घटना में राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा में विभाजन और असंतोष पैदा करने की क्षमता है जो जनता की सेवा को भी प्रभावित कर सकती है।

आप इस राज्य में प्रमुख सचिव के पद पर कार्यरत हैं और अपनी ईमानदारी, निष्पक्षता, नैतिक अखंडता, कर्तव्यनिष्ठता जैसे मूल्यों की छवि के लिए जाने जाते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा आपको इस मुद्दे की जड़ तक जाकर सभी दोषी व्यक्तियों का पता लगाने और साथ ही भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो, इसके लिए आदेश दिया जाता है।

(a) उपर्युक्त मामले में उत्पन्न चुनौतियों पर आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या है?

(b) उपरोक्त परिस्थिति में निहित नैतिक मुद्दों की चर्चा कीजिए।

(c) एक कर्तव्यनिष्ठ मुख्य सचिव के रूप में आप ऐसे कौन-से कदम उठाएंगे जिससे प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य सौहार्द एवं एकता की स्थिति को और मज़बूत किया जा सके।

❑❑❑

विविध

राष्ट्रीय घटनाक्रम

दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद्

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) द्वारा दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद् (SATRC) की 25वीं वार्षिक बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस अधिवेशन में ट्राई के अध्यक्ष 'अनिल कुमार लाहोटी' को आगामी वर्ष के लिए SATRC का अध्यक्ष चुना गया है।

दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद् (SATRC) के बारे में

- **परिचय :** यह एशिया-प्रशांत दूरसंचार समुदाय (APT) के अंतर्गत उप-क्षेत्रीय गतिविधियों में से एक के रूप में कार्य करता है।
- **स्थापना :** वर्ष 1997 में APT और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के एशिया-प्रशांत कार्यालय की पहल पर
- **सदस्य :** 9 दक्षिण एशियाई देश (अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, ईरान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका के नियामक निकायों के प्रमुख) हैं।
- **वार्षिक बैठक :** SATRC सदस्यों के लिए प्रमुख चिंतनशील नीतिगत एवं नियामक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए SATRC की वार्षिक बैठक होती है।
- **SATRC वेब पोर्टल :** इस पोर्टल को 14 नवंबर, 2022 को तेहरान में SATRC की रजत जयंती के अवसर पर लॉन्च किया गया।

SARTC के प्रमुख कार्य

- दूरसंचार एवं ICT में विनियमन संबंधी सभी मुद्दों पर चर्चा व समन्वय करना
  - यह दक्षिण एशियाई देशों में दूरसंचार नियामकों के लिए समान हित के हैं। संबंधित मुद्दों में रेडियो आवृत्ति समन्वय, मानक, विनियामक प्रवृत्ति व मुद्दे, दूरसंचार के विकास के लिए रणनीति और दूरसंचार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मामले शामिल हैं।
- दक्षिण एशियाई देशों के बीच दूरसंचार में संभावित सहयोग के क्षेत्रों की पहचान व प्रचार करना
- सेमिनार, प्रशिक्षण एवं कार्यशाला जैसी गतिविधियों के माध्यम से इन क्षेत्रों में सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करना
- परिषद् के विचारार्थ विषयों को मार्च 2001 में भूटान के थिम्पू में आयोजित परिषद् की तीसरी बैठक में अपनाया गया था।

अंतरिक्ष अभ्यास, 2024

एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 11 से 13 नवंबर, 2024 तक पहला तीन-दिवसीय आकाशीय अभ्यास 'अंतरिक्ष अभ्यास-2024' का आयोजन किया गया।

अंतरिक्ष अभ्यास के बारे में

- **क्या है :** अंतरिक्ष क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने और सैन्य अभियानों में भारत की अंतरिक्ष क्षमता को एकीकृत करने में सहायक होने वाला अपनी तरह का पहला विशेष अभ्यास
- **उद्देश्य :** अंतरिक्ष-आधारित परिसंपत्तियों एवं सेवाओं की बेहतर समझ प्रदान करना और हितधारकों के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रक्रिया से संबंधित निर्भरता की समझ हासिल करना
  - इसके अलावा, इसके अन्य लक्ष्यों में अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं में रुकावट या व्यवधान की स्थिति में संचालन के लिए प्रक्रियागत समस्याओं की पहचान करना भी है।
- **शामिल भागीदार :** थल सेना, नौसेना एवं वायु सेना के कर्मियों के साथ-साथ रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी तथा इसकी संबद्ध इकाइयों के प्रतिभागी
  - इसके अलावा रक्षा साइबर एजेंसी, रक्षा खुफिया एजेंसी और सामरिक बल कमान के तहत विशेषज्ञ शाखाएँ तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन व रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे।

इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार, 2023

वर्ष 2023 का इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार दो व्यक्तियों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। यह कार्यक्रम वर्चुअली आयोजित किया गया था।

वर्ष 2023 के पुरस्कार विजेताओं के नाम

- **डैनियल बारेनबोइम :** शास्त्रीय पियानोवादक एवं मार्गदर्शक
  - संगीत व सांस्कृतिक संवाद के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए मान्यता प्राप्त।
- **अली अबू अव्वाद :** फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता
  - उन्हें उनके संगठन 'रूट्स' (Roots) के माध्यम से संवाद की वकालत करने के लिए सम्मानित किया गया।

डेनियल बारेनबोइम (बाएँ) और अली अबू अव्वाद

इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार

- **स्थापना :** वर्ष 1986 में
- **प्रस्तुतकर्ता :** इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट
- **पुरस्कार राशि :** इस पुरस्कार में 10 मिलियन रुपए की नकद राशि के साथ एक ट्रॉफी और प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाता है।
- **पात्रता :** यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं निरस्त्रीकरण, आर्थिक सहयोग, मानवता के लिए वैज्ञानिक खोजों का उपयोग, स्वतंत्रता के दायरे का विस्तार जैसे क्षेत्रों में कार्य करने वाले विश्व भर के व्यक्तियों, संगठनों या संस्थाओं को प्रदान किया जाता है, चाहे उनकी राष्ट्रीयता, धर्म या जाति कुछ भी हो।

कुछ उल्लेखनीय विजेताओं के नाम

- **मिखाइल गोर्बाचेव (1987) :** परमाणु निरस्त्रीकरण और शांति की वकालत में उनकी भूमिका के लिए
- **प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस (1998) :** गरीबी के खिलाफ संघर्ष, महिला सशक्तीकरण को बढ़ाने तथा खाद्य संसाधनों के न्यायसंगत वितरण के लिए
- **बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (2007) :** स्वास्थ्य एवं गरीबी उन्मूलन में उनके अग्रणी कार्य के लिए
- **एंजेला मार्केल (2013) :** वैश्विक संकटों के प्रबंधन एवं शांति को बढ़ावा देने में उनके नेतृत्व के लिए
- **इसरो (2014) :** अंतरिक्ष अनुसंधान एवं विकास में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए
- **डॉ. मनमोहन सिंह (2017) :** वर्ष 2004-2014 तक के महत्त्वपूर्ण 10 वर्षों के दौरान देश का नेतृत्व करने और उसकी उपलब्धियों के लिए
- **गैर-सरकारी संगठन 'प्रथम' (2021) :** गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में इसके योगदान के लिए, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच

एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) मंच की वार्षिक बैठक नवंबर 2024 में पेरू में आयोजित की गई। इसमें स्वतंत्र, खुला, निष्पक्ष, गैर-भेदभावपूर्ण, पारदर्शी, समावेशी तथा पूर्वानुमानित व्यापार एवं निवेश वातावरण प्रदान करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच के बारे में

- **परिचय :** APEC प्रशांत महासागर में 21 अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अंतर-सरकारी मंच है जो पूरे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है।
- **लक्ष्य :** क्षेत्र के लोगों में समृद्धि के लिए संतुलित, समावेशी, टिकाऊ, नवीन एवं सुरक्षित विकास को बढ़ावा देना तथा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण में तेज़ी लाना।
- **स्थापना :** वर्ष 1989
- **मुख्यालय :** सिंगापुर
- **सदस्य देश :** 21 देश (ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुस्सलाम, कनाडा, चिली, चीन, हान्गकान्ग, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूज़ीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, अमेरिका, वियतनाम)
- **तीन आधिकारिक पर्यवेक्षक :** 'दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का सचिवालय', 'प्रशांत आर्थिक सहयोग परिषद्' और 'प्रशांत द्वीपसमूह फोरम सचिवालय'
- **वैश्विक प्रतिनिधित्व :** यह समूह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 60% और वैश्विक वाणिज्य का 40% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है।
- **वर्तमान अध्यक्ष :** दीना बोलुआर्टे
- **वर्तमान महानिदेशक :** रेबेका फातिमा सांता मारिया
- **प्रथम सम्मेलन :** कैनबरा (ऑस्ट्रेलिया) वर्ष 1989
- **बोगोर लक्ष्य :** वर्ष 1994 में इंडोनेशिया में बोगोर लक्ष्यों को अपनाया गया था।
  - इनका उद्देश्य औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के लिए वर्ष 2010 तक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए वर्ष 2020 तक एशिया-प्रशांत में मुक्त एवं खुला व्यापार व निवेश करना था।
- **APEC व्यापार सलाहकार परिषद् :** जापान के ओसाका में नवंबर 1995 की मंत्रिस्तरीय बैठक के आधार पर प्रत्येक सदस्य देश से तीन व्यावसायिक अधिकारियों से मिलकर APEC व्यापार सलाहकार परिषद् (ABAC) नामक एक व्यापार सलाहकार निकाय की स्थापना वर्ष 1996 में की गई थी।
  - भारत को नवंबर 2011 में पहली बार पर्यवेक्षक बनने के लिए आमंत्रित किया गया था।

रियाद शिखर सम्मेलन, 2024

सऊदी अरब द्वारा फिलिस्तीन के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अरब और इस्लामिक देशों के नेताओं का एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें गाज़ा और लेबनान पर इज़रायल के सैन्य आक्रमण को तत्काल समाप्त करने की मांग की गई।

रियाद शिखर सम्मेलन, 2024 के बारे में

- **आयोजन :** सऊदी अरब के रियाद में अरब-इस्लामिक शिखर सम्मेलन
- **भागीदारी :** इस्लामिक देशों एवं अफ्रीकी संघ के 50 से अधिक नेता व राष्ट्राध्यक्ष
- **अध्यक्षता :** सऊदी अरब द्वारा
- **चर्चा का प्रमुख विषय :** फिलिस्तीन व लेबनान में युद्ध-विराम एवं ईरान की संप्रभुता का सम्मान करना

सम्मेलन के प्रमुख निष्कर्ष

- इज़रायल की निंदा
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् से गाज़ा में युद्ध-विराम के लिए बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का आह्वान और इज़रायल को हथियारों के निर्यात या हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने की मांग
- 4 जून, 1967 की तर्ज़ पर एक स्वतंत्र व संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य की मांग
- फिलिस्तीन की राजधानी अल-कुद्स (यरुशलम) रखने की मांग
- फिलिस्तीन को अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण की मांग
- यरुशलम की सुरक्षा का आह्वान

रूस की परमाणु नीति 2.0

हाल ही में, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस की परमाणु नीति में परिवर्तनों को मंजूरी दी है।

रूस की परमाणु नीति 1.0

- रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने वर्ष 2020 में रूस की परमाणु नीति (Nuclear Doctrine) के पहले संस्करण पर हस्ताक्षर किए थे।
- इस नीति के अनुसार, रूस किसी दुश्मन द्वारा परमाणु हमला या पारंपरिक हमले की स्थिति में परमाणु हथियारों का उपयोग कर सकता है, यदि राज्य के अस्तित्त्व को खतरा हो।

रूस की परमाणु नीति 2.0 के बारे में

- **क्या है :** रूस द्वारा जारी परमाणु नीति 2.0 में उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जो रूस की सेना को विभिन्न परिस्थितियों में परमाणु शस्त्रागार का उपयोग करने की अनुमति देती हैं।
    - इस नीति में परमाणु हथियारों को 'निवारण का एक साधन' (A Means of Deterrence) के रूप में और उनका प्रयोग 'एक चरम एवं मजबूरीवश उपाय' (Extreme and Compelled Measure) बताया गया है।
- **शीर्षक :** परमाणु निवारण पर राज्य नीति के बुनियादी सिद्धांत
- **लक्ष्य :** परमाणु खतरे को कम करने और अंतर-राज्यीय संबंधों को बिगड़ने से रोकने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करना, जिससे परमाणु सहित सैन्य संघर्ष शुरू न हो।
- **उद्देश्य :** राज्य की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना, संभावित हमलावर को रोकना या सैन्य संघर्ष की स्थिति में शत्रुता को बढ़ने से रोकना और उन्हें रूसी संघ के लिए स्वीकार्य शर्तों पर रोकना
- **आवश्यकता :** अमेरिका द्वारा यूक्रेन को रूस पर आक्रमण करने के लिए लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग करने की अनुमति देने के कारण

परमाणु नीति में संशोधन के प्रमुख बिंदु

- परमाणु शक्ति द्वारा समर्थित किसी गैर-परमाणु शक्ति (देश) द्वारा रूस पर किया गया कोई भी हमला रूस पर संयुक्त हमला माना जाएगा तथा किसी सैन्य गुट के किसी एक सदस्य द्वारा रूस पर किया गया कोई भी हमला पूरे गठबंधन द्वारा किया गया हमला माना जाएगा।
- संशोधित परमाणु नीति के अनुसार, परमाणु हथियारों का उपयोग निम्नलिखित परिदृश्यों में किया जा सकता है–
    - यदि रूस या उसके सहयोगी देशों के क्षेत्र को लक्ष्य करके बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रक्षेपण के बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है।
    - यदि परमाणु हथियार या सामूहिक विनाश के अन्य हथियार रूस या उसके सहयोगी देशों के क्षेत्र पर हमला करते हैं या विदेशों में रूसी सैन्य इकाइयों या प्रतिष्ठानों पर हमला करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
    - यदि शत्रु देश से क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स, हाइपरसोनिक मिसाइल के लॉन्च होने एवं रूस की सीमा पार करने के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है।
    - यदि किसी शत्रु द्वारा रूसी सरकार या सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया जाता है।
    - यदि किसी शत्रु द्वारा रूस या बेलारूस के विरुद्ध पारंपरिक हथियारों से आक्रमण किया जाता है और इससे उनकी संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता को गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है।
- रूस के राष्ट्रपति अन्य देशों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सैन्य और राजनीतिक नेताओं को परमाणु हथियारों के उपयोग की तत्परता या प्रयोग के निर्णय के बारे में सूचित कर सकते हैं।

योजनाएँ एवं कार्यक्रम

पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'पीएम-विद्यालक्ष्मी' नामक एक नई योजना को मंजूरी प्रदान की है। केंद्रीय क्षेत्र की इस नई योजना का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वित्तीय बाधाओं के कारण कोई भी मेधावी विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित न रहे।

पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के बारे में

- यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की एक महत्त्वपूर्ण पहल है। इस नीति में यह सिफारिश की गई थी कि सार्वजनिक एवं निजी दोनों प्रकार के उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) में विभिन्न उपायों के माध्यम से मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान (QHEI) में प्रवेश लेने वाला कोई भी विद्यार्थी ट्यूशन फीस की पूरी राशि और पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों को

कवर करने के लिए बैंकों व वित्तीय संस्थानों से गिरवीमुक्त एवं गारंटरमुक्त ऋण प्राप्त करने का पात्र होगा।

- यह योजना अंतर-संचालनीय और पूरी तरह से डिजिटल होगी। इसे राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) की रैंकिंग द्वारा निर्धारित देश के शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू होगी।
- इस योजना में एन.आई.आर.एफ. के समग्र, श्रेणी-विशिष्ट एवं डोमेन-विशिष्ट रैंकिंग में शीर्ष 100 में स्थान रखने वाले सभी एच.ई.आई., सरकारी एवं निजी संस्थान शामिल हैं।
    - एन.आई.आर.एफ. रैंकिंग में 101-200 में स्थान रखने वाले राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) और केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित सभी संस्थानों को इसमें शामिल किया गया है।
    - इस सूची को एन.आई.आर.एफ. के नवीनतम रैंकिंग का उपयोग करके प्रतिवर्ष अद्यतन किया जाएगा और शुरुआत 860 योग्य क्यू.एच.ई.आई. से होगी, जिसमें 22 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। ये अपनी इच्छानुसार संभावित रूप से पीएम-विद्यालक्ष्मी का लाभ उठा सकेंगे।
- कुल 7.5 लाख रुपए तक की ऋण राशि के लिए विद्यार्थी बकाया डिफॉल्ट के 75% की क्रेडिट गारंटी के भी पात्र होंगे। इससे बैंकों को इस योजना के तहत विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।
- उपरोक्त सुविधाओं के अलावा, जिन विद्यार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए तक है और वे किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज छूट योजनाओं के तहत लाभ के पात्र नहीं हैं, उन्हें 10 लाख रुपए तक के ऋण पर अधिस्थगन अवधि (Moratorium Period) के दौरान 3% की ब्याज छूट भी प्रदान की जाएगी।
    - प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को ब्याज छूट सहायता दी जाएगी।
- इसके अंतर्गत उन विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत हैं और जिन्होंने तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को चुना है।
    - वर्ष 2024-25 से 2030-31 के दौरान 3,600 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है और इस अवधि के दौरान 7 लाख नए छात्रों को इस ब्याज छूट का लाभ मिलने की उम्मीद है।
- उच्च शिक्षा विभाग के पास एक एकीकृत पोर्टल 'पीएम-विद्यालक्ष्मी' उपलब्ध होगा, जिस पर विद्यार्थी सभी बैंकों द्वारा उपयोग की जाने वाली सरलीकृत आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा ऋण के साथ-साथ ब्याज छूट के लिए आवेदन कर सकेंगे।
    - ब्याज छूट का भुगतान ई-वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट के माध्यम से किया जाएगा।
- यह योजना उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (PM-USP) योजना की दो घटक योजनाओं 'केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी (CSIS)' और 'शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना' (CGFSEL) की पूरक होगी।
- पीएम-यू.एस.पी. सी.एस.आई.एस. के तहत 4.5 लाख रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले और स्वीकृत संस्थानों में तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण के लिए अधिस्थगन अवधि के दौरान पूर्ण ब्याज छूट मिलती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पहली बार 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)' के लाभार्थियों को स्व-सर्वेक्षण की अनुमति दे रहा है। यह योजना के लिए डाटा एकत्र करने के दृष्टिकोण में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव है। सरकार ने 2.6 लाख सर्वेक्षकों का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

स्व-सर्वेक्षण का उद्देश्य

- यह सुनिश्चित करना कि कोई भी पात्र परिवार लाभार्थी सूची से छूट न जाए।
- सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा लाभार्थी की पहचान में संभावित पक्षपात या पूर्वाग्रह को कम करना।

डाटा रिकॉर्ड तकनीक

- सरकार सर्वेक्षण डाटा रिकॉर्ड करने के लिए 'आवास+ (Awaas+)' नामक एक समर्पित मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग कर रही है।
- यह ऐप डाटा संग्रह को सुव्यवस्थित करने और लाभार्थी पहचान प्रक्रिया की सटीकता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- हालाँकि, एक मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके केवल एक ही आवेदन या लाभार्थी का सर्वेक्षण किया जा सकता है जिसका उद्देश्य संभावित हेरफेर या धोखाधड़ी के दावों को रोकना है।

परिवर्तनों के निहितार्थ

- लाभार्थी पहचान में पारदर्शिता में वृद्धि
- सर्वेक्षण प्रक्रिया में लाभार्थियों को शामिल करने से सामुदायिक सहभागिता में वृद्धि
- आवास संबंधी आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करना
- सर्वाधिक योग्य लाभार्थियों तक सहायता सुनिश्चित करना

पी.एम.ए.वाई.-जी के बारे में

- **लॉन्च तिथि :** 20 नवंबर, 2016
    - भारत सरकार द्वारा एक प्रमुख ग्रामीण आवास योजना के रूप में शुरू किया गया।

- **नोडल मंत्रालय :** ग्रामीण विकास मंत्रालय
- **उद्देश्य :** समाज के सबसे गरीब तबके को आवास उपलब्ध कराना तथा सुरक्षित घर सुनिश्चित करना।
- **लक्ष्य :** मूल रूप से वर्ष 2023-24 तक 2.95 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे अब (दूसरे चरण में) 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों की स्वीकृति के कारण बढ़ाकर 4.95 करोड़ कर दिया गया है।
- **लाभार्थियों का चयन :** तीन चरणों वाली कठोर सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से।
    - इसमें सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC 2011) एवं 'आवास+' (2018) सर्वेक्षण, ग्राम सभा की मंजूरी और जियो-टैगिंग शामिल है।
- **भुगतान प्रक्रिया :** आधार से जुड़े लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष भुगतान
- **महिला सशक्तीकरण :** 74% घरों का स्वामित्व महिलाओं के पास है (एकल या संयुक्त रूप से)।
    - इस योजना का लक्ष्य महिलाओं को 100% स्वामित्व प्रदान करना है।

लक्षित सहायता

- **अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) :** न्यूनतम 60% आरक्षण का लक्ष्य
- **दिव्यांग एवं आपदा प्रभावित परिवार :** प्रत्येक के लिए 5% आरक्षण का लक्ष्य
- **प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवार :** 5% आरक्षण का लक्ष्य

अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण

- **स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) :** शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000
- **मनरेगा :** पात्र परिवार अकुशल श्रमिक के रूप में, विशेष रूप से ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण के तहत, 95 दिनों का रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं।
- **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) :** खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन के लिए नि:शुल्क एल.पी.जी. कनेक्शन
- **पाइप से पेयजल एवं बिजली कनेक्शन :** लाभार्थियों को पाइप-आधारित पेयजल एवं बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए जाते हैं जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होता है।
- **सामाजिक एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन :** पी.एम.ए.वाई.-जी. अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सरकारी कार्यक्रमों के साथ मिलकर कार्य करता है जिससे लाभार्थियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य व स्वच्छता सुनिश्चित होती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U)

- **लॉन्च तिथि :** 25 जून, 2015
- **मंत्रालय :** आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0

- **घोषणा :** वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2024 में
- **उद्देश्य :** अगले पाँच वर्षों में शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए 1 करोड़ घरों का निर्माण करना
- **लक्षित लाभार्थी :** शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार

पात्रता मापदंड

- **लक्ष्य समूह :** आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) से संबंधित परिवार
- **आय मानदंड**
    - **EWS :** वार्षिक आय ₹3 लाख तक।
    - **LIG :** वार्षिक आय ₹3 लाख से ₹6 लाख तक।
    - **MIG :** वार्षिक आय ₹6 लाख से ₹9 लाख तक।
- पात्र परिवारों के पास भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए।

सूचकांक एवं रिपोर्ट

रूल ऑफ लॉ इंडेक्स

वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के संदर्भ में रूल ऑफ लॉ इंडेक्स-2024 जारी किया।

रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के बारे में

- **प्रमुख संकेतक :** यह सूचकांक आठ संकेतकों के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है–
    - सरकारी बाधाएँ
    - सुरक्षा
    - भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति
    - विनियामक प्रवर्तन
    - पारदर्शी शासन प्रणाली
    - नागरिक न्याय
    - मौलिक अधिकार
    - आपराधिक न्याय
- **शीर्ष रैंक वाले पाँच देश :** डेनमार्क (1) > नॉर्वे (2) > फिनलैंड (3) > स्वीडन (4) > जर्मनी (5)
- **अंतिम रैंक वाले पाँच देश :** वेनेज़ुएला (142) > कंबोडिया (141) > अफगानिस्तान (140) > हैती (139) > म्याँमार (138)
- **भारत की स्थिति :** इस सूचकांक में भारत 142 देशों में 79वें स्थान पर है।
    - भारत का प्रदर्शन सरकारी बाधाओं (60) और पारदर्शी शासन प्रणाली (44) में मध्यम श्रेणी का है।

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक

थिंक टैंक जर्मनवाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) जारी किया गया। इसे बाकू में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान जारी किया गया।

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 के बारे में

- वर्ष 2005 से प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाला यह सूचकांक जलवायु परिवर्तन से निपटने में उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा एवं जलवायु नीति के संदर्भ के लिए देशों के प्रयासों पर नज़र रखता है।
- सूचकांक की श्रेणियाँ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग एवं जलवायु नीति है।
- रिपोर्ट के अनुसार, सी.सी.पी.आई. में शामिल 63 देश तथा यूरोपीय संघ वैश्विक उत्सर्जन के 90% के लिए ज़िम्मेदार हैं।
  - हालाँकि, लगभग प्रत्येक उच्च उत्सर्जन वाले देश नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं किंतु अभी भी बहुत से देश अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं।
- 64 में से 61 देशों में पिछले पाँच वर्षों में उनकी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। वहीं 29 देशों में उत्सर्जन प्रवृत्ति अभी भी बहुत कम देखी गई है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी सूचकांक में शीर्ष तीन स्थान रिक्त हैं क्योंकि किसी भी देश ने सभी सूचकांक श्रेणियों में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया कि उसे समग्र रूप से 'बहुत उच्च' रेटिंग प्राप्त हो सके।
- डेनमार्क चौथे स्थान के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। नीदरलैंड 5वें स्थान पर और यूनाइटेड किंगडम 6वें स्थान पर है। हालाँकि, डेनमार्क का प्रदर्शन समग्र रूप से उच्च रेटिंग के लिए अपर्याप्त था
  - यूनाइटेड किंगडम वर्ष 2024 के सूचकांक में 20वें स्थान पर था, जबकि इस वर्ष वह 6वें स्थान पर पहुँच गया। इसमें कोयले की चरणबद्ध समाप्ति और जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं के लिए नए लाइसेंस के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- सी.सी.पी.आई. में अंतिम स्थान पर रहने वाले चार देश ईरान (67वें), सऊदी अरब (66वें), संयुक्त अरब अमीरात एवं रूस हैं।
  - ये चारों देश दुनिया भर में तेल और जीवाश्म गैस के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं। उनके ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 3% से भी कम है।
- दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक चीन इस वर्ष सूचकांक में 55वें स्थान पर है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश अमेरिका 57वें स्थान पर बना हुआ है।
- भारत 10वें स्थान पर है तथा सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल है। G20 सदस्य दुनिया के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 75% से अधिक के लिए ज़िम्मेदार हैं।
- भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक और सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत सबसे बड़े विकसित कोयला भंडार वाले 10 देशों में शामिल है और वर्तमान में यह अपना उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रहा है।
- भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन (उत्सर्जन एवं निष्कर्षण के बीच संतुलन) और वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है।

महत्त्वपूर्ण मंत्रालय एवं संगठन

भारतीय संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य सेवा आयोग

पृष्ठभूमि

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) भारत में सबसे प्रतिष्ठित एवं महत्त्वपूर्ण संस्थानों में से एक है। यह देश की प्रशासनिक सेवाओं के लिए अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया व संबंधित मुद्दों की देखरेख करता है। यू.पी.एस.सी. के अलावा भारत में प्रत्येक राज्य का अपना राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) होता है। ये आयोग राज्य सरकार के लिए सिविल सेवकों की भर्ती, पदोन्नति एवं विनियमन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन प्रारंभिक सिविल सेवाएँ

- आरंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सिविल सेवकों का चयन कंपनी के निदेशकों द्वारा किया जाता था और उन्हें लंदन के हैलीबरी कॉलेज में प्रशिक्षित किया जाता था। प्रशिक्षण के पश्चात् प्रशासनिक एवं राजस्व कार्यों का प्रबंधन करने के लिए उन्हें भारत भेजा जाता था।
- यह चयन प्रणाली संरक्षण पर आधारित थी, जहाँ नियुक्तियाँ योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि सत्ता में बैठे लोगों के प्रभाव या सिफारिशों पर आधारित होती थीं जिसके कारण प्रशासन में अकुशलता और असमानता पैदा हुई।

योग्यता-आधारित सिविल सेवा की शुरुआत (1854)

- **मैकाले की रिपोर्ट (1854) :** ब्रिटिश संसद की प्रवर समिति की लॉर्ड मैकाले रिपोर्ट में भारत में एक स्थायी सिविल सेवा के निर्माण की सिफारिश की गई थी, जो योग्यता पर आधारित होगी।

- **सिविल सेवा आयोग (1854) :** मैकाले रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसको भारत के लिए सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली लागू करने का कार्य सौंपा गया था।
- **प्रतियोगी परीक्षाएँ (1855) :** आई.सी.एस. के लिए प्रतियोगी परीक्षाएँ वर्ष 1855 में शुरू की गईं। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष निर्धारित की गई तथा परीक्षा का पाठ्यक्रम मुख्यत: यूरोपीय क्लासिक्स पर केंद्रित था।
    - परीक्षाएँ आरंभ में केवल लंदन में आयोजित की जाती थीं।

पहली भारतीय सफलता

- **सत्येंद्रनाथ टैगोर :** वर्ष 1864 में प्रसिद्ध कवि रबींद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर आई.सी.एस. परीक्षा में सफल होने वाले पहले भारतीय बने। वर्ष 1867 तक चार अन्य भारतीयों ने आई. सी.एस. परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की।
- हालाँकि, प्रणालीगत चुनौतियों एवं परीक्षाओं की कठिनाई के कारण परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले भारतीय उम्मीदवारों की कुल संख्या कम रही है।

सिविल सेवाओं का भारतीयकरण

- **मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार :** प्रथम विश्वयुद्ध के बाद वर्ष 1919 में मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्तुत किए गए। जिसके तहत यह निर्णय लिया गया कि लंदन एवं भारत दोनों में एक-साथ परीक्षाएँ आयोजित की जाएंगी।
- **भारत में आई.सी.एस. परीक्षाएँ :** वर्ष 1922 के बाद से आई.सी.एस. परीक्षाएँ भारत में भी आयोजित की जाने लगी। प्रारंभ में ये परीक्षाएँ इलाहाबाद में आयोजित की जाती थीं। बाद में संघीय लोक सेवा आयोग के निर्माण के साथ इनको दिल्ली में आयोजित किया जाने लगा।

भारतीय पुलिस सेवा

स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश भारत में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भर्ती इंग्लैंड में आयोजित एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाती थी। भारतीय इंपीरियल पुलिस (IIP) के लिए पहली खुली प्रतियोगिता जून 1893 में आयोजित की गई थी।

पुलिस का भारतीयकरण

- वर्ष 1920 में पुलिस सेवा भारतीय उम्मीदवारों के लिए खोली गई और उसके बाद आई.आई.पी. के लिए परीक्षाएँ इंग्लैंड एवं भारत दोनों में आयोजित की जाने लगी।
    - वर्ष 1931 तक पुलिस अधीक्षकों के कुल पदों में से केवल 20% पद पर ही भारतीयों का चयन किया जाता था।
- वर्ष 1939 तक उपयुक्त यूरोपीय उम्मीदवारों की कमी के कारण ब्रिटिश अधिकारियों ने पुलिस बल में अधिक भारतीयों को नियुक्त करना शुरू कर दिया जिससे भारतीय पुलिस सेवा की संरचना में धीरे-धीरे बदलाव आया।

इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस

- इंपीरियल वन विभाग की स्थापना वर्ष 1864 में की गई थी। इसके बाद ब्रिटिश भारत में वन प्रबंधन की देखरेख के लिए वर्ष 1867 में इंपीरियल वन सेवा का निर्माण किया गया था।
- वर्ष 1867-1885 तक इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारियों को फ्राँस एवं जर्मनी में प्रशिक्षण दिया जाता था और वर्ष 1886 से वर्ष 1905 तक लंदन के कूपर्स हिल में प्रशिक्षण दिया गया।
    - इसके बाद भारत में वन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए।
- वर्ष 1920 तक प्रांतीय वन सेवाओं से पदोन्नति के साथ-साथ इंग्लैंड एवं भारत दोनों में इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस के लिए भर्ती शुरू हो गई।
- स्वतंत्रता के बाद अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के तहत वर्ष 1966 में भारतीय वन सेवा (IFS) की स्थापना की गई।

ब्रिटिश भारत में सिविल सेवाओं का वर्गीकरण

- ब्रिटिश भारत में सिविल सेवाओं को अनुबंधित और गैर-अनुबंधित सेवाओं में वर्गीकृत किया गया था। अनुबंधित सेवाएँ अधिक प्रतिष्ठित, उच्च वेतन वाली और अधिक अधिकार वाली थीं, जबकि गैर-अनुबंधित सेवाएँ स्थिति और वेतन में कमतर थीं।
- **एचिंसन आयोग (1887) :** इस आयोग ने सिविल सेवाओं को तीन समूहों में पुनर्गठित करने की सिफारिश की– इंपीरियल, प्रांतीय एवं अधीनस्थ।
    - इंपीरियल (शाही) सेवाओं की भर्ती एवं नियंत्रण प्राधिकारी राज्य सचिव थे। इसमें ब्रिटिश अधिकारियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता था।
    - प्रांतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति एवं नियंत्रण प्राधिकारी संबंधित प्रांतीय सरकार थी।
- **भारत सरकार अधिनियम, 1919 :** इस अधिनियम ने इंपीरियल सेवाओं को अखिल भारतीय सेवाओं एवं केंद्रीय सेवाओं में विभाजित किया।
    - केंद्रीय सेवाएँ केंद्र सरकार के मामलों से संबंधित थीं, जैसे– रेलवे, भारतीय डाक व टेलीग्राफ एवं इंपीरियल सीमा शुल्क सेवा जैसी सेवाएँ।

लोक सेवा आयोग का गठन की पृष्ठभूमि

- **प्रथम प्रेषण :** 5 मार्च, 1919 को प्रथम प्रेषण में भारत में सार्वजनिक सेवाओं की भर्ती और विनियमन की देखरेख के लिए एक स्थायी आयोग के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था।
- **भारत सरकार अधिनियम, 1919 :** इस अधिनियम की धारा 96 (c) में भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था।

- **ली आयोग (1924) :** आयोग ने सिफारिश की कि भारत सरकार अधिनियम,1919 द्वारा परिकल्पित वैधानिक स्वचालित लोक सेवा आयोग को बिना देरी किए स्थापित किया जाए।

लोक सेवा आयोग (1926)

1 अक्तूबर, 1926 को भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसमें एक अध्यक्ष एवं चार सदस्य शामिल थे। ब्रिटिश सिविल सेवक सर रॉस बार्कर को आयोग का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आयोग के कार्यों को लोक सेवा आयोग (कार्य) नियम, 1926 द्वारा विनियमित किया गया था।

संघ लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोग

भारत सरकार अधिनियम, 1935 में संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक प्रांत या प्रांतों के समूह के लिए एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग की परिकल्पना की गई थी। इस प्रकार, 1 अप्रैल, 1937 को लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग बन गया।

स्वतंत्रता के बाद

26 जनवरी, 1950 को भारत के संविधान के लागू होने के साथ ही संघीय लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के रूप में जाना जाने लगा।

संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद- 315 के तहत की गई है, जो संघ और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना को अनिवार्य बनाता है। ये आयोग विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करने और सिफारिशें करने के लिए ज़िम्मेदार है।

अनुच्छेद 315 : संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग

- संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग (UPSC) और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग (SPSC) होगा।
- दो या अधिक राज्य अपनी सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना पर सहमत हो सकते हैं।
    - संसद उन राज्यों के लिए ऐसा संयुक्त आयोग बनाने हेतु कानून बना सकती है।
- यदि कोई राज्य अनुरोध करता है तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग उस राज्य की प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूर्णतः या आंशिक रूप से पूरा कर सकता है।

अनुच्छेद 316 : सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि

- **सदस्यों की नियुक्ति**
    - **संघ या संयुक्त आयोग :** अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
    - **राज्य आयोग :** अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- **सदस्यों की योग्यताएँ**
    - जहाँ तक संभव हो, प्रत्येक लोक सेवा आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम-से-कम 10 वर्ष की सेवा होनी चाहिए।
    - संविधान लागू होने से पहले भारत में क्राउन सरकार के अधीन या किसी भारतीय राज्य सरकार के अधीन सेवा की गई अवधि भी 10 वर्ष की आवश्यकता में गणना की जाती है।
- **अध्यक्ष पद पर रिक्ति :** यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या अध्यक्ष अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाते हैं (अनुपस्थिति या अन्य कारणों से), तो आयोग का कोई अन्य सदस्य अस्थायी रूप से उनका कार्यभार संभालता है।
- **कार्यकाल**
    - **लोक सेवा आयोग :** अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि तक अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।
    - **राज्य या संयुक्त आयोग :** अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि तक अथवा 62 वर्ष आयु तक, जो भी पहले हो।
- **त्यागपत्र एवं निष्कासन :**
    - कोई सदस्य राष्ट्रपति (संघीय या संयुक्त आयोग के लिए) या राज्यपाल (राज्य आयोग के लिए) को पत्र लिखकर त्यागपत्र दे सकता है।
    - किसी सदस्य को अनुच्छेद 317 में उल्लिखित प्रक्रियाओं के अनुसार भी हटाया जा सकता है।
- **पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्यता :** एक कार्यकाल पूरा करने के बाद, कोई व्यक्ति जो लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में कार्य कर चुका है, उस पद पर पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होता है।

- **सदस्यों की संख्या :** संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) विनियम, 1969 के अनुसार, यू.पी.एस.सी. में अध्यक्ष को छोड़कर आयोग के सदस्यों की अधिकतम संख्या 10 होगी।
- **संयुक्त या राज्य आयोग के सदस्यों की संख्या :** अध्यक्ष को छोड़कर आयोग के सदस्यों की अधिकतम संख्या राष्ट्रपति (संयुक्त के लिए) और राज्यपाल (राज्य आयोग के लिए) के विवेक पर छोड़ दी गई है।

अनुच्छेद 317 : लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जाना और निलंबित किया जाना

- लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल कदाचार के कारण ही हटाया जा सकता है।
- राष्ट्रपति (संघीय या संयुक्त आयोग के लिए) या राज्यपाल (राज्य आयोग के लिए) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जाँच का परिणाम आने तक किसी सदस्य को निलंबित कर सकते हैं।

- जाँच के बाद राष्ट्रपति द्वारा ही निष्कासन का आदेश दिया जाना चाहिए।

- **निष्कासन के अन्य आधार**
    - दिवालियापन
    - पद के अलावा बाहर सवेतन रोज़गार
    - राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक दुर्बलता
    - एक ऐसी स्थिति जिसमें सरकारी अधिकारी का निर्णय उसकी व्यक्तिगत रुचि से प्रभावित हो।

अनुच्छेद 318 : आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति

- राष्ट्रपति (संघ या संयुक्त आयोग के लिए) या राज्यपाल (राज्य आयोग के लिए) को लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों दोनों के लिए सेवा की शर्तों के संबंध में विनियम बनाने की शक्ति है।
- लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा की शर्तों में उनकी नियुक्ति के बाद उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद 319 : आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने का प्रतिषेध

- **संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष :** पूर्व अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य नियोजन के लिए पात्र नहीं होता है।
- **संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य (अध्यक्ष को छोड़कर) :** पूर्व सदस्य संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होता है।
    - हालाँकि, पूर्व सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य रोज़गार के लिए पात्र नहीं है।
- **राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष :** पूर्व अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का पात्र होता है।
    - हालाँकि, पूर्व अध्यक्ष भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य रोज़गार के लिए पात्र नहीं हैं।
- **राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य (अध्यक्ष को छोड़कर) :** पूर्व सदस्य संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य अथवा उसी या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा।
    - हालाँकि, पूर्व सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य रोज़गार के लिए पात्र नहीं होता है।

अनुच्छेद 320 : लोक सेवा आयोगों के कार्य

- **संघ लोक सेवा आयोग :** संघ सेवाओं के लिए परीक्षा का आयोजन
- **राज्य लोक सेवा आयोग :** राज्य सेवाओं के लिए परीक्षा का आयोजन
- **संयुक्त भर्ती के लिए सहायता :** यदि दो या अधिक राज्यों द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो यू.पी.एस.सी. विशेष योग्यता की आवश्यकता वाली सेवाओं के लिए संयुक्त भर्ती की योजना तैयार करने और उसे संचालित करने में सहायता कर सकता है।
- **लोक सेवा आयोगों से परामर्श**
    - भर्ती पद्धतियों के संबंध में
    - नियुक्तियाँ, पदोन्नतियाँ और स्थानांतरण के सिद्धांतों के साथ-साथ उम्मीदवारों की उपयुक्तता के विषय में
    - अनुशासनात्मक मामलों में
    - कानूनी बचाव लागत संबंधी दावों में
    - पेंशन संबंधी दावों के संबंध में
- **सलाहकार भूमिका :** लोक सेवा आयोग उनको सौंपे गए मामलों तथा राष्ट्रपति (संघ-संबंधी सेवाओं के लिए) या राज्यपाल (राज्य-संबंधी सेवाओं के लिए) द्वारा भेजे गए अन्य मामलों पर सलाह देते हैं।
- **परामर्श से छूट :** राष्ट्रपति या राज्यपाल ऐसी स्थितियों को विनियमित और निर्दिष्ट कर सकते हैं जहाँ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है, विशेष रूप से अनुच्छेद 16(4) या अनुच्छेद 335 के कुछ प्रावधानों को लागू करने के संबंध में।
- **विनियमन एवं संशोधन :** आयोग के संबंध में राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा बनाए गए विनियमों को संबंधित संसद या राज्य विधानमंडल के समक्ष कम-से-कम 14 दिनों तक रखा जाना चाहिए।
    - संसद के दोनों सदनों या राज्य विधानमंडल द्वारा उस सत्र के दौरान संशोधन किया जा सकता है जिसमें विनियम रखे जाते हैं।

अनुच्छेद 321 : लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति

संसद या राज्य विधानमंडल का अधिनियम संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग को उनके मानक कर्तव्यों से परे अतिरिक्त कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकता है। कार्यों में न केवल संघ या राज्य की सेवाएँ शामिल हो सकती हैं, बल्कि स्थानीय प्राधिकरणों, वैधानिक निकायों व सार्वजनिक संस्थानों की सेवाएँ भी शामिल हो सकती हैं।

अनुच्छेद 322 : लोक सेवा आयोगों के व्यय

यू.पी.एस.सी. एवं एस.पी.एस.सी. के लिए व्यय क्रमशः भारत की संचित निधि तथा राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं।

अनुच्छेद 323 : लोक सेवा आयोगों की रिपोर्टें

- **यू.पी.एस.सी.**
  - यू.पी.एस.सी. को अपने कार्यों पर एक वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करनी होगी। रिपोर्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रपति उसको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं।
- **एस.पी.एस.सी. एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग**
  - प्रत्येक एस.पी.एस.सी. (राज्य के राज्यपाल को) एवं संयुक्त आयोग (प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को) को अपने कार्य पर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
  - प्रत्येक राज्य के राज्यपाल रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं।

भारत में सिविल सेवा के लिए प्रशिक्षण केंद्र

- यू.पी.एस.सी. की परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के बाद उम्मीदवारों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS), भारतीय विदेश सेवा (IFS) और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं तथा केंद्रीय सेवाओं सहित विभिन्न सिविल सेवाओं में नियुक्त किया जाता है। अपनी भर्ती के बाद नव नियुक्त अधिकारी संपूर्ण भारत के विभिन्न प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण लेते हैं।
- ये प्रशिक्षण केंद्र उन्हें लोक सेवक के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए तैयार करने और यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार हैं कि उनके पास कुशलता से सेवा करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल व व्यावहारिक अनुभव है।

कुछ मुख्य प्रशिक्षण केंद्रों के नाम

- **लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) :** उत्तराखंड के मसूरी में स्थित LBSNAA आई.ए.एस. अधिकारियों के लिए प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है।
- **सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (SVPNPA) :** हैदराबाद में स्थित SVPNPA आई.पी.एस. अधिकारियों के लिए प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है।
- **सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस (SSIFS) :** नई दिल्ली में स्थित SSIFS, आई.एफ.एस. अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र है। SSIFS की भूमिका राजनयिकों को विदेश में उनकी ज़िम्मेदारियों के लिए तैयार करना और उन्हें प्रभावी कूटनीति के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करना है।
- **राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी (NACIN) :** आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साईं ज़िले में स्थित NACIN भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के अधिकारियों को प्रशिक्षित करती है, विशेष रूप से सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क में विशेषज्ञता रखने वाले अधिकारियों को।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान

सिविल सेवा प्रशिक्षण का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करना है, जो देश की विशाल ग्रामीण आबादी एवं विकेंद्रित शासन संरचना के कारण भारत में महत्त्वपूर्ण हैं।

प्रमुख संस्थान

- **राष्ट्रीय संस्थान :** हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (NIRDPR) ग्रामीण विकास मंत्रालय में आई.ए.एस. अधिकारियों और अन्य लोगों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- **राज्य स्तरीय संस्थान :** प्रत्येक राज्य के अपने प्रशिक्षण संस्थान हैं जो ग्रामीण शासन और पंचायत प्रशासन से निपटने वाले अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
- **भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा (IA&AS) :** इस सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण शिमला स्थित राष्ट्रीय लेखापरीक्षा एवं लेखा अकादमी (NAAA) में होता है।

अंतर्राष्ट्रीय संगठन

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन

पृष्ठभूमि

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance : ISA) भारत और फ्राँस के बीच एक सहयोगात्मक पहल है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा समाधानों को लागू करके जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों को एकजुट करना है।
- ISA एक वैश्विक अंतर-सरकारी संगठन है जो कार्बन-तटस्थ भविष्य के लिए सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।
- इसकी संकल्पना वर्ष 2015 में पेरिस में COP-21 के दौरान की गई थी। वर्ष 2020 में इसके फ्रेमवर्क समझौते में संशोधन के बाद सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश अब गठबंधन में शामिल होने के पात्र हैं।
- वर्तमान में 100 से अधिक देश इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, जिनमें से 90 से अधिक देशों ने पूर्ण सदस्य बनने के लिए पुष्टि की है।
- इसका मिशन वर्ष 2030 तक प्रौद्योगिकी और वित्तपोषण लागत को कम करते हुए सौर निवेश में $1 ट्रिलियन को अनलॉक करना है। इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में स्थित है।

विज़न

- ISA सदस्य देशों को निम्न कार्बन विकास पथ विकसित करने में मदद करने के लिए सूर्य द्वारा संचालित लागत प्रभावी एवं परिवर्तनकारी ऊर्जा समाधान विकसित करने व तैनात करने का प्रयास करता है।
- इसमें अल्प विकसित देशों (Least Developing Countries : LDC) और छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (Small Developing Island States : SIDS) के रूप में वर्गीकृत देशों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

मिशन

- ISA अपनी '1000 की ओर' (Towards 1000) रणनीति द्वारा निर्देशित है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा समाधानों के लिए 1,000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाने के साथ ही स्वच्छ ऊर्जा समाधानों का उपयोग करके 1,000 मिलियन लोगों तक ऊर्जा पहुँच प्रदान करना और इसके परिणामस्वरूप 1,000 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता की स्थापना करना है।
  - इससे वार्षिक 1,000 मिलियन टन CO के वैश्विक सौर उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी।
- इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ISA एक कार्यक्रम आधारित दृष्टिकोण अपनाता है। वर्तमान में ISA के पास नौ व्यापक कार्यक्रम हैं जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित कर सौर ऊर्जा की तैनाती को बढ़ाने में मदद कर सकता है।

अधिदेश

विश्लेषण एवं पक्ष समर्थन

- ISA सौर उद्योग में प्रौद्योगिकी, निवेश और बाज़ारों पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करके सदस्य देशों को नीतियों व विनियमों को तैयार करने में सहायता करना चाहता है।
- क्षमता निर्माण पर बल
- अपनी महत्त्वपूर्ण क्षमता निर्माण पहल 'सौर प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग संसाधन केंद्र (Solar Technology and Application Resource Centres : STAR-C)' के माध्यम से ISA स्थानीय संदर्भ के अनुकूल क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करेगा।
- इसके तहत ISA सभी हितधारकों के लिए सौर प्रशिक्षण के माध्यम से सभी विकासशील देशों में मानक निर्धारित करने और सौर पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने का कार्य करता है।

कार्यक्रम संबंधी सहायता

ISA के कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित देशों, विशेष रूप से LDC एवं SIDS में स्थायी सौर परियोजनाओं की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ISA सदस्य देशों में अभिनव एवं स्केलेबल सौर समाधानों की मांग को एकीकृत कर जोखिम शमन तंत्र के साथ वित्तपोषण तक पहुँच को सुविधाजनक बनाकर ऐसा करने की अनुमति देता है।

प्रशासनिक संरचना

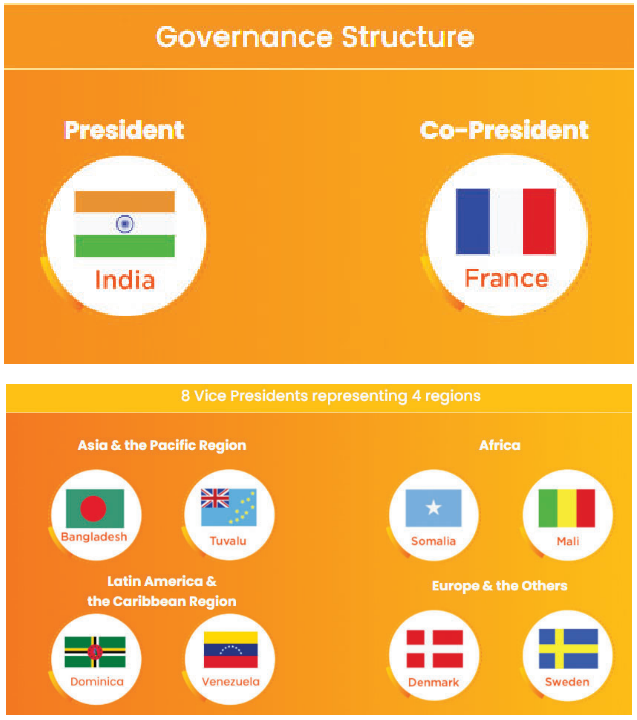

- इसके प्रमुख शासी निकाय में शामिल हैं :
  - महासभा
  - स्थायी समिति
  - क्षेत्रीय समितियाँ
  - सचिवालय
- ISA की कुल पाँच समितियाँ हैं :
  - एक स्थायी समिति और चार क्षेत्रीय समितियाँ ISA के कामकाज पर रणनीतिक सलाह एवं मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। ये समितियाँ इसके विभिन्न कार्यक्रमों, परियोजनाओं एवं गतिविधियों के कार्यान्वयन को सुगम बनाती हैं।

महासभा

- महासभा ISA की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है जो इसके उद्देश्यों, कामकाज, परिचालन बजट की स्वीकृति, विभिन्न पहलों, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के कार्यान्वयन के आकलन जैसे महत्त्वपूर्ण मामलों पर विचार-विमर्श करती है।
- प्रतिवर्ष सदस्य देशों के प्रतिनिधि महत्त्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने के लिए मतदान करते हैं।
- ISA फ्रेमवर्क समझौता शासन प्रक्रियाओं में लचीलापन सुनिश्चित करते हुए विशिष्ट परिस्थितियों में विशेष महासभा बैठकों की अनुमति देता है। सभा महानिदेशक के चयन, उद्देश्यों और बजट

अनुमोदन जैसे महत्त्वपूर्ण मामलों को देखती है। यह संगठन के लिए रणनीतिक दिशा निर्धारित करती है।

स्थायी समिति

- स्थायी समिति महासभा के प्रति उत्तरदायी एवं जवाबदेह है। यह सदस्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देती है। यह महासभा सत्र की व्यवस्था व एजेंडा को मंजूरी देती है।
- महासभा को ISA की वार्षिक कार्य योजना, बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ ही यह कार्यक्रम कार्यान्वयन व महत्त्वपूर्ण वित्तीय निहितार्थ वाले मामलों पर महासभा को सलाह देती है।

क्षेत्रीय समितियाँ

- चारों ISA क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए क्षेत्रीय समितियाँ स्थापित की गई हैं :
  - अफ्रीका
  - एशिया एवं प्रशांत
  - यूरोप एवं अन्य
  - लैटिन अमेरिका व कैरेबियन
- क्षेत्रीय समितियाँ महासभा के प्रति उत्तरदायी एवं जवाबदेह हैं। ये महासभा से संबंधित मामलों पर क्षेत्रीय समन्वय के लिए मंच प्रदान करती हैं। प्रत्येक क्षेत्र से दो उपाध्यक्ष होते हैं।

सचिवालय

- ISA सचिवालय भारत की राजधानी दिल्ली के बाहरी इलाके ग्वाल पहाड़ी में स्थित है जो गुरुग्राम में पड़ता है। इसका नेतृत्व महानिदेशक द्वारा किया जाता है।
  - वर्तमान में इसके महानिदेशक डॉ. अजय माथुर हैं। इसके पहले महानिदेशक उपेंद्र त्रिपाठी थे।
- सचिवालय यह सुनिश्चित करता है कि निर्णयों का पालन करने के लिए उचित कदम उठाए जाएँ और निर्णयों को लागू करने में ISA सदस्य देशों की कार्रवाइयों का समन्वय किया जाए।
- इसके मुख्य कार्यों में शामिल हैं–
  - सौर समाधानों को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों को कार्यक्रम संबंधी सहायता प्रदान करना
  - रणनीतिक निर्णय लेने और पक्ष समर्थन में सहायता प्रदान करना
  - कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं की अवधारणा के लिए विविध हितधारकों के साथ सहभागिता को सुगम बनाना

कार्यप्रणाली

- ISA बहुपक्षीय विकास बैंकों, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों, नागरिक समाज एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिलकर विशेष रूप से अल्प विकसित देशों (LDC) और छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (SIDS) के सदस्य देशों में लागत प्रभावी सौर समाधान लागू करता है।
- अपने विश्लेषण और वकालत फोकस के माध्यम से यह अपने सदस्य देशों में जागरूकता प्रसार और सौर-अनुकूल नीतियों एवं प्रथाओं को अपनाने में सहायता करता है।
- सौर ऊर्जा विश्लेषण और सलाह के माध्यम से सौर ऊर्जा अनुकूल ऊर्जा नीतियाँ बनाने में सरकारों को सहायता प्रदान करता है और ऊर्जा क्षेत्र के पेशेवरों एवं नीति निर्माताओं के लिए सौर प्रशिक्षण, डाटा व अंतर्दृष्टि तक पहुँच प्रदान करता है।
- यह सौर परियोजनाओं के लिए नए व्यापार मॉडल का विकास, परीक्षण और कार्यान्वयन करता है तथा राष्ट्रों में सौर प्रौद्योगिकी की मांग को एकीकृत करता है। साथ ही, जोखिमों को कम करके और निजी निवेश को आकर्षित करके वित्तीय पहुँच में वृद्धि करता है।

प्रमुख कार्यक्रम

- ISA सदस्य देशों और वैश्विक हितधारकों के साथ मिलकर नौ कार्यक्रम विकसित एवं कार्यान्वित करता है।
  - इनमें से प्रत्येक हस्तक्षेप एक अलग दृष्टिकोण अपनाता है जो वैश्विक सौरकरण एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के बड़े लक्ष्य में योगदान देता है।
- इनमें से प्रत्येक कार्यक्रम व्यक्तिगत सदस्य देशों के लिए ISA की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने और सार्वभौमिक ऊर्जा पहुँच को सक्षम करने के समग्र लक्ष्य के लिए महत्त्वपूर्ण है।

इसके प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल हैं :

कृषि उपयोग के लिए अनुप्रयोग

- ISA का कृषि उपयोग के लिए स्केलिंग सोलर एप्लीकेशन (Scaling Solar Applications for Agricultural Use : SSAAU) कार्यक्रम विकेंद्रीकृत सौर समाधानों के साथ ग्रामीण समुदायों में क्रांति ला रहा है।
- यह सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई प्रणाली, एग्रीवोल्टाइक, सौर घर/स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम, सौर शीतलन एवं अन्य ऑफ-ग्रिड अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो ग्रामीण जीवन को बदल सकते हैं।

बड़े पैमाने पर किफायती वित्त

- ISA का गठन सौर परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए अभिनव एवं आकर्षक वित्तीय रणनीतियों की खोज करने के स्पष्ट मिशन के साथ किया गया है।
- बड़े पैमाने पर किफायती वित्त कार्यक्रम इस मिशन का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य अभिनव ऊर्जा प्रथाओं से जुड़े जोखिमों को कम करना और बड़े पैमाने पर कम लागत वाले सौर ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देना है।
- ISA ने सौर ऊर्जा विकास परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए दुनिया भर के वित्तीय संस्थानों के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। यह वैश्विक सहयोग सुनिश्चित करता है कि सौर ऊर्जा

की क्षमता का दोहन किया जाए जिससे यह दुनिया भर के समुदायों के लिए अधिक सुलभ हो सके।

सौर सूक्ष्म-ग्रिड का विस्तार

- सौर सूक्ष्म-ग्रिड ISA सदस्य देशों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जिनके पास सीमित ग्रिड कनेक्टिविटी है।
    - इन देशों में सौर ऊर्जा के दोहन की पर्याप्त क्षमता है और सार्वभौमिक ऊर्जा पहुँच को आगे बढ़ाने, बिजली की लागत कम करने और टैरिफ को कम करने के लिए मौजूदा समाधानों से लाभ उठा सकते हैं।
- ISA सौर-ग्रिड की शुरुआत और प्रचार के माध्यम से निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर रहा है।

सोलर रूफटॉप्स का विस्तार

- रूफटॉप सोलर (ऑफ-ग्रिड और ग्रिड कनेक्टेड) की तीव्र तैनाती और विस्तार के लिए संसाधनों को बढ़ावा देना
- क्षमता का आकलन करना
- मांग में सामंजस्य स्थापित करना
- संसाधनों को एकत्रित करना

सौर ई-मोबिलिटी और स्टोरेज को बढ़ाना

इसका उद्देश्य ई-मोबिलिटी क्षेत्र में सौर ऊर्जा के बड़े पैमाने पर उपयोग और ISA सदस्य देशों में स्टोरेज की बड़े पैमाने पर तैनाती के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का समर्थन करना है।

सौर पार्क

सौर पार्क अवधारणा के तहत बड़े पैमाने पर सौर परियोजनाओं के तेज़ी से विकास के लिए बढ़ावा देना, क्षमता का आकलन करना, मांग में सामंजस्य स्थापित करना और संसाधनों को एकत्रित करना है।

हीटिंग और कूलिंग सिस्टम को सौर ऊर्जा से चलाना

इसके तहत सदस्य देशों में वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं आवासीय क्षेत्रों से बढ़ती हीटिंग व कूलिंग मांग को सौर ऊर्जा से चलाना शामिल है।

सौर फोटोवोल्टिक और बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन

इसका उद्देश्य सदस्य देशों में सौर एवं बैटरी अपशिष्ट को कम करने, घटकों का पुनः उपयोग करने और सौर एवं बैटरी अपशिष्ट को पुनर्चक्रित करने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की सुविधा प्रदान करना है।

ग्रीन हाइड्रोजन के लिए सौर ऊर्जा

इसका उद्देश्य ISA सदस्य देशों में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन एवं उपयोग में तेज़ी लाना है। गोवा में जी-20 एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्टीरियल सम्मेलन में ISA द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर (GHIC) पोर्टल को लॉन्च किया गया। यह पोर्टल ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और व्यापार को बढ़ावा देगा।

विभिन्न पहल

एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए सोलरएक्स स्टार्टअप चैलेंज

COP-28 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए सोलरएक्स स्टार्टअप चैलेंज का शुभारंभ किया गया। इससे उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और सौर परिनियोजन बढ़ाने के प्रयास में स्थानीय समाधानों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को मज़बूती मिली।

स्टार सेंटर

- विकासशील सदस्य देशों की क्षमता निर्माण और संस्थागत सुदृढ़ीकरण अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं।
- सौर प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग संसाधन केंद्र (Solar Technology Application Resource Centre: STAR-C) पहल के माध्यम से, ISA, सदस्य देशों के भीतर आवश्यक मानव क्षमता और कौशल का निर्माण कर रहा है, ताकि वे ऊर्जा संक्रमण के साथ ही आर्थिक विकास एवं रोज़गार सृजन को बढ़ावा दे सकें।
- ISA की स्टार सेंटर पहल अधिकांश देशों के लिए ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ वैश्विक जलवायु समझौतों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। यह LDC एवं SID में ऊर्जा संक्रमण को तीव्र करने के लिए वैश्विक प्राथमिकताओं का प्रत्यक्ष रूप से समर्थन करता है।

ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर

ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर (GHIC) एक गतिशील केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र पर व्यापक जानकारी प्रदान करता है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और एशियाई विकास बैंक के साथ साझेदारी में GHIC नवाचार का नेतृत्व करेगा।

ISA केयर्स

स्वास्थ्य सेवा समाधानों के लिए स्वच्छ एवं टिकाऊ ऊर्जा महत्त्वपूर्ण है। इसे ध्यान में रखते हुए ISA ने सौर फोटोवोल्टिक प्रतिष्ठानों के माध्यम से सदस्य देशों में स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं को बिजली देने में मदद करने के लिए वर्ष 2020 में ISA केयर्स पहल शुरू की।

ग्लोबल सोलर फैसिलिटी (GSF)

- वर्ष 2022 में शुरू की गई ग्लोबल सोलर फैसिलिटी (GSF) पहल दुनिया भर में सौर निवेश को बढ़ावा देने के लिए ISA की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसमें अफ्रीका जैसे कम सेवा वाले क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया है।
- GSF के मिशन का मुख्य उद्देश्य सौर परियोजनाओं के लिए वाणिज्यिक पूंजी को अनलॉक करना तथा जोखिमों को कम करते हुए विकास को बढ़ावा देना है।
- ISA विकेंद्रीकरण, रूफटॉप सोलर स्थापना और उत्पादक-उपयोग वाले सौर समाधानों को प्राथमिकता देता है जिससे वित्तपोषण

के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है जिसमें भुगतान गारंटी, बीमा एवं निवेश निधि शामिल हैं।

कॉर्पोरेट सलाहकार समूह

ISA कॉर्पोरेट सलाहकार समूह का उद्देश्य प्रभावशाली परिवर्तन लाने, नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक सौर उद्योग को एक स्थायी भविष्य की ओर अग्रसर करने के लिए विविध हितधारकों को एक-साथ लाना है।

एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड (OSOWOG)

OSOWOG पहल का उद्देश्य सौर, पवन, जल-विद्युत एवं हरित हाइड्रोजन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए परस्पर जुड़ा हुआ एक वैश्विक ग्रिड का निर्माण करना है। ISA सदस्य देशों द्वारा समर्थित यह पहल एक अंतर-महाद्वीपीय विद्युत पारेषण ग्रिड स्थापित करने के लिए सीमा पार पारेषण लिंक को बढ़ावा देती है।

सोलर फॉर शी

'सोलर फॉर शी' ISA की लैंगिक समानता एवं सामाजिक समावेश (Gender Equity and Social Inclusion : GESI) पहल है जिसका उद्देश्य सौर समाधानों के माध्यम से महिलाओं की ऊर्जा तक पहुँच और आय को बढ़ाना है। यह कई सतत् विकास लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक है।

प्रमुख प्रकाशन

- वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट
- ईज़ ऑफ डूइंग सोलर रिपोर्ट

महत्त्वपूर्ण पुस्तकें

पुस्तक	लेखक
व्हाई भारत मैटर्स	*डॉ. एस. जयशंकर*
माँ-मदर	*अर्जुन राम मेघवाल*
मित्र - भारत के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार	*प्रो. श्रीराम चौलिया*
टेल मी एवरीथिंग	*एलिज़ाबेथ स्ट्राउट*
द ब्लैक ऑर्फन	*एस. हुसैन ज़ैदी*
वार्मिंग अप : हाउ क्लाइमेट चेंज इज चेंजिंग	*मेडेलीन ओर्र*
सनातन	*शरन कुमार लिम्बाले (अनुवाद- परोमिता सेनगुप्ता)*
स्पीकिंग विद नेचर	*रामचंद्र गुहा*
2024 : द इलेक्शन दैट सरप्राइज़्ड इंडिया	*राजदीप सरदेसाई*
ऑर्बिटल	*सामंथा हार्वे*
प्ले ग्राउंड	*रिचर्ड पावर्स, हचिंसन हाईनमेन*
गुल्ली गुल्ली	*आदित्य आयर*
द टिप्पिंग पॉइंट	*मैलकोम ग्लैडवेल*
द कौर्स ऑफ 1984	*सनम सुतिरथ वजीर*
द सेफ कीप	*येल वैन डेर वोऊडेन*
ब्लैकनेड (मलयालम : करीकोट्टाकरी)	*विनोय थॉमस*

महत्त्वपूर्ण खेल घटनाक्रम

महिला एशियाई चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी, 2024

- **आयोजन स्थल :** राजगीर, बिहार
- **विजेता :** भारत (कप्तान : सलीमा टेटे)
- **उप विजेता :** चीन (कप्तान : यू अनहुई)
- **सर्वोच्च गोल स्कोरर :** दीपिका (11 गोल)
- भारत ने वर्ष 2016 और वर्ष 2023 के बाद तीसरी महिला एशियाई चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी जीती है।
- **प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट :** दीपिका

अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप

- **आयोजन स्थल :** तिराना (अल्बानिया की राजधानी)
- भारत की पदक तालिका में कुल पदक : 9
  - 1 स्वर्ण (चिराग चिक्कारा)
  - 2 रजत
  - 6 कांस्य
- भारत 82 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहा।
- **शीर्ष तीन देश :** ईरान (158), जापान (102), अज़रबैजान (100)

अंडर-19 विश्व मुक्केबाज़ी चैंपियनशिप

- **आयोजन स्थल :** कोलोराडो, संयुक्त राज्य अमेरिका
- भारत की तालिका में कुल पदक : 17
  - 4 स्वर्ण
  - 8 रजत
  - 5 कांस्य

चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स, 2024

- **आयोजक :** MGD1, तमिलनाडु खेल विकास प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित
- **श्रेणियाँ :** मास्टर्स और चैलेंजर्स
- **मास्टर्स विजेता :** जी.एम. अरविंद चिदंबरम
- **चैलेंजर्स विजेता :** जी.एम.वी. प्रणव

भारत-न्यूज़ीलैंड टेस्ट शृंखला

- **आयोजक देश :** भारत (कप्तान : रोहित शर्मा)
- **विजेता :** न्यूज़ीलैंड (कप्तान : टॉम लैथम)
- **प्लेयर ऑफ द सीरीज़ :** विल यंग (न्यूज़ीलैंड)
- न्यूज़ीलैंड ने 3 मैचों की टेस्ट शृंखला 3-0 से जीतकर भारत में विदेशी टीम द्वारा सीरीज़ के सभी मैच जीतने का 24 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

भारत-दक्षिण अफ्रीका T20 शृंखला

- **विजेता :** भारत (कप्तान : सूर्य कुमार यादव)
- **आयोजक देश :** दक्षिण अफ्रीका (कप्तान : एडम मार्करम)
- **प्लेयर ऑफ द सीरीज़ :** तिलक वर्मा (भारत)
- भारत ने 4 मैचों की शृंखला 3-1 से जीती।

अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य

- मारिया शारापोवा और बॉब एवं माइक ब्रायन (Bryan brother's) को वर्ष 2025 के इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम वर्ग के लिए चुना गया है।
- भारतीय पुरुष फुटबॉल ताज़ा फीफा रैंकिंग में 125वें स्थान पर पहुँच गई है। फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर विश्व चैंपियन अर्जेंटीना बना हुआ है, उसके बाद शीर्ष पाँच स्थानों पर फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और ब्राज़ील हैं।
- ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर-बल्लेबाज़ मैथ्यू वेड ने 13 साल के शानदार करियर के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है।
- एशियाई आर्म रेसलिंग कप, 2024 में भारतीय टीम कज़ाकिस्तान के बाद तालिका में दूसरे स्थान पर रही।
- रवींद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए पाँचवें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ बनकर एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। शीर्ष 5 में अनिल कुंबले, रविचंद्रन अश्विन, कपिल देव और हरभजन सिंह शामिल हैं।
- भारत ने औपचारिक रूप से वर्ष 2036 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी के लिए अपनी दावेदारी पेश की है।
- भारतीय पेशेवर मुक्केबाज़ मंदीप जांगड़ा ने ब्रिटिश मुक्केबाज़ कोनोर मैकिन्टोश को हराकर विश्व मुक्केबाज़ी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता।
- ब्राज़ील ग्रैंड प्रिक्स में मैक्स वेरस्टैपेन ने 17वें स्थान से रेस शुरू करके शानदार जीत दर्ज की, जिसने फॉर्मूला 1 की दुनिया को अचंभित कर दिया है।
- जर्मन टेनिस स्टार अलेक्ज़ेंडर जेवेरेव ने पेरिस मास्टर्स फाइनल में फ्रांस के उगो हम्बर्ट पर निर्णायक जीत के साथ वर्ष 2024 का अपना दूसरा मास्टर्स 1000 खिताब जीता।
- भारत के 3 वर्षीय अनीश सरकार ने शतरंज में 1555 FIDE रेटिंग प्राप्त कर सबसे कम उम्र के रेटिंग प्राप्त खिलाड़ी की उपलब्धि हासिल की।
- पी.वी. सिंधु ने विशाखापत्तनम में पी.वी. सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की नींव रखी, जिसका उद्देश्य विश्व स्तरीय खेल प्रशिक्षण सुविधा बनाना है।
- अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने पाकिस्तान में वर्ष 2025 आई.सी.सी. चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अपने वनडे करियर को समाप्त करने की घोषणा की है।
- ज़िम्बाब्वे ने केन्या के नैरोबी में आई.सी.सी. पुरुष T20 विश्व कप क्वालीफायर, 2024 में गाम्बिया के खिलाफ 344/4 का विशाल स्कोर बनाकर एक T20 मैच में सर्वाधिक रनों का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड भारत के पास था, भारत ने अक्तूबर 2024 को बांग्लादेश के खिलाफ 297/6 रन बनाए थे।
- अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् (ICC) ने अक्तूबर 2024 के लिए आई.सी.सी. प्लेयर्स ऑफ द मंथ का सम्मान न्यूज़ीलैंड की ऑलराउंडर अमेलिया केर और पाकिस्तान के स्पिनर नोमान अली को दिया।
- भारतीय खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने दोहा में आई.बी.एस.एफ. विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को

हराकर लगातार सातवीं बार विश्व बिलियड्र्स चैंपियनशिप जीती, यह उनका 28वाँ विश्व खिताब है।

- केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने खेलों में डोपिंग के खिलाफ लड़ाई को मज़बूत करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आह्वान किया है जिसमें एथलीटों, कोचों और पूरे खेल समुदाय से राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी एजेंसी (नाडा) भारत के 'नो योर मेडिसिन (KYM)' ऐप को अपनाने का आग्रह किया गया है।
- न्यूज़ीलैंड के सर्वकालिक सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ टिम साउथी ने मौजूदा आई.सी.सी. विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अभियान के पूरा होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है।
- वर्ष 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में एकल श्रेणी में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय टेनिस स्टार प्रजनेश गुणेश्वरन ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की।
- फीफा ने वर्ष 2025 में शुरू होने वाले 32 टीमों के क्लब विश्व कप के लिए नासा से प्रेरित स्वर्ण ट्रॉफी का अनावरण किया है। टिफनी एंड कंपनी के साथ निर्मित, 24 कैरेट सोने की परत वाली ट्रॉफी में अंतरिक्ष अन्वेषण और वैश्विक एकता से प्रेरित एक अभिनव डिज़ाइन है।
- दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में रैपिड इवेंट और ब्लिट्ज़ दोनों प्रारूपों में खिताब हासिल किया।
- ओडिशा ने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप के फाइनल में 2 बार के चैंपियन हरियाणा को हराकर जीत प्राप्त की।
- लक्ज़मबर्ग में जी.टी. ओपन, 2024 में भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम ने बेल्जियम की सारा प्रील्स को हराकर महिला कंपाउंड तीरंदाज़ी में स्वर्ण पदक जीता।
- पश्चिम बंगाल ने चौथी राष्ट्रीय फिनस्विमिंग चैंपियनशिप में जीत हासिल की।
- भारत 13 से 19 जनवरी, 2025 तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर (IGI) स्टेडियम में पहले खो-खो विश्व कप की मेज़बानी करेगा।
- टेनिस के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक राफेल नडाल ने स्पेन के मलागा में वर्ष 2024 डेविस कप में अंतिम मैच के बाद टेनिस से संन्यास ले लिया है। 22 ग्रैंड स्लैम खिताब, 4 डेविस कप और 2 ओलंपिक स्वर्ण के साथ, नडाल अपने पीछे एक अद्वितीय विरासत छोड़ गए हैं।
- भारत की महिला हॉकी टीम ने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में चीन को हराकर अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया।
- कोलकाता के प्रतिष्ठित ईडन गार्डन्स में भारत की दिग्गज क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के सम्मान में मैदान के एक स्टैंड का नाम बदला जाएगा जिससे वह यह सम्मान पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन जाएंगी।
- ब्रिटेन के दो बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी एलिस्टेयर ब्राउनली ने 36 वर्ष की आयु में अपने शानदार करियर के बाद ट्रायथलॉन से संन्यास की घोषणा की।
- बिहार अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मेज़बानी करेगा।
- भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अगले तीन सत्रों– 2025, 2026 और 2027 के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के कार्यक्रमों का अनावरण करके क्रिकेट की दुनिया में एक साहसिक और महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है।
- एशियाई क्रिकेट परिषद् (ACC) और सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के बीच एक ऐतिहासिक साझेदारी की घोषणा की गई। यह साझेदारी वर्ष 2024 से वर्ष 2031 तक चलेगा, जिसमें ए.सी.सी. के सभी टूर्नामेंट विशेष रूप से सोनी स्पोर्ट्स पर प्रसारित किए जाएंगे।
- डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में हराकर पुरुष एकल खिताब जीतने वाले पहले डेनिश खिलाड़ी बन गए।
- भारतीय कुश्ती खिलाड़ी रीतिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में महिलाओं की 76Kg श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता, इस स्पर्द्धा में स्वर्ण जीतने वाली वह दूसरी भारतीय महिला बन गईं।
- भारत ने 25 नवंबर, 2024 को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में 5 मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज़ के पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 295 रनों की सबसे बड़ी जीत के साथ 47 वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पिछला रिकॉर्ड 222 रनों का था जो 30 दिसंबर, 1977 को मेलबर्न में बना था।
- बिहार के 13 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी आई.पी.एल. नीलामी में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। जेद्दा (सऊदी अरब) में आई.पी.एल., 2025 नीलामी के दूसरे दिन, राजस्थान रॉयल्स ने सूर्यवंशी को ₹1.10 करोड़ की कीमत पर खरीदा।
- लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद् (LAHDC) ने लेह में दुनिया का पहला उच्च ऊँचाई (High Altitude) वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर बनाने के लिए आदित्य मेहता फाउंडेशन (AMF) के साथ साझेदारी की है।
- भारत वर्ष 2025 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा।
- भारत की तनुश्री पांडे ने चीन के जिंगशान में आयोजित विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में रजत पदक जीता।

महत्त्वपूर्ण दिवस

क्र.सं.	दिवस/सप्ताह	तिथि	थीम/विषय/अन्य तथ्य
1.	विश्व शाकाहार दिवस	1 नवंबर	एक दुनिया अनेक जीवन
2.	पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस	2 नवंबर	संकट एवं आपात स्थितियों में पत्रकारों की सुरक्षा
3.	विश्व सुनामी जागरूकता दिवस	5 नवंबर	लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना
4.	युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण क्षरण रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस	6 नवंबर	अधिक टिकाऊ और शांतिपूर्ण भविष्य के लिए एकजुटता
5.	राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस	7 नवंबर	आशा, प्रेम और शक्ति : कैंसर के विरुद्ध हमारे हथियार
6.	विश्व रेडियोग्राफी दिवस	8 नवंबर	रेडियोग्राफर : अदृश्य को देखना
7.	राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस	9 नवंबर	सभी के लिए न्याय तक पहुँच : कानूनी जागरूकता के माध्यम से हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाना
8.	शांति एवं विकास हेतु विश्व विज्ञान दिवस	10 नवंबर	युवा सबसे आगे
	विश्व टीकाकरण दिवस	10 नवंबर	सभी के लिए टीके : समुदायों की सुरक्षा और स्वास्थ्य समानता का निर्माण
9.	राष्ट्रीय शिक्षा दिवस	11 नवंबर	स्थायी शांति के लिए शिक्षा
10.	विश्व निमोनिया दिवस	12 नवंबर	हर साँस मायने रखती है : निमोनिया को उसके मार्ग में ही रोकें
11.	विश्व मधुमेह दिवस	14 नवंबर	बाधाओं को तोड़ना, अंतरालों को पाटना
	बाल दिवस	14 नवंबर	हर बच्चे के लिए, हर अधिकार
12.	जनजातीय गौरव दिवस	15 नवंबर	भगवन बिरसा मुंडा की स्मृति में वर्ष 2021 से आयोजित
13.	गुरु नानक देव जयंती	15 नवंबर	555वीं जयंती गुरु पर्व
14.	अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस	16 नवंबर	विश्व भर में सम्मान और समझ को बढ़ावा देना
15.	राष्ट्रीय प्रेस दिवस	16 नवंबर	प्रेस का बदलता स्वरूप
16.	बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम एवं उपचार के लिए विश्व दिवस	18 नवंबर	उभरती प्रौद्योगिकियाँ : यौन शोषण और यौन दुर्व्यवहार से बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरे और अवसर
17.	विश्व शौचालय दिवस	19 नवंबर	सुरक्षित स्वच्छता के लिए परिवर्तन में तेज़ी लाना
18.	अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस	19 नवंबर	सकारात्मक पुरुष रोल मॉडल

19.	विश्व दर्शन दिवस	19 नवंबर	हर साल नवंबर के तीसरे गुरुवार सामाजिक अंतर को पाटना
20.	विश्व बाल दिवस	20 नवंबर	भविष्य को सुनें
21.	विश्व टेलीविज़न दिवस	21 नवंबर	पहुँच
22.	विश्व मत्स्य दिवस	21 नवंबर	भारत का नीला परिवर्तन : लघु एवं सतत् मत्स्यपालन को सुदृढ़ बनाना
23.	गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस	24 नवंबर	नौवें सिख गुरु को श्रद्धांजलि
24.	महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस	25 नवंबर	#NoExcuse महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए एकजुट हों
25.	भारतीय संविधान दिवस	26 नवंबर	हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान
26.	राष्ट्रीय दुग्ध दिवस	26 नवंबर	ए.आई. और आई.टी. के साथ डेयरी उद्योग में परिवर्तन

महत्त्वपूर्ण पुरस्कार

प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार/सम्मान

- पीएम मोदी को नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टीनुबू द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार 'ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर' से सम्मानित किया गया।
- पीएम मोदी को गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली द्वारा गुयाना के सर्वोच्च सम्मान 'द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस' से सम्मानित किया गया।
- पीएम मोदी को डोमिनिका के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन द्वारा 'डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर' भी प्रदान किया गया।
- एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज (AIAM) द्वारा पीएम मोदी को उनकी अनुपस्थिति में वाशिंगटन में 'अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉ. मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार' प्रदान किया गया।

73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता

- **आयोजन** : मेक्सिको सिटी, मेक्सिको
- **विजेता** : विक्टोरिया केजर थेलविग (डेनमार्क)
- **प्रथम उप विजेता** : चिडिम्मा एडेत्शिना (नाइजीरिया)
- **द्वितीय उप विजेता** : मारिया फर्नांडा बेल्ट्रान (मेक्सिको)
- **भारत की प्रतिनिधि** : रिया सिंघा (शीर्ष 30 प्रतियोगियों की सूची में शामिल)
- मेक्सिको में तीसरी बार आयोजित इस समारोह में बेलारूस, इरीट्रिया, गिनी, मकाऊ, मालदीव, मोल्दोवा और उज़्बेकिस्तान जैसे देशों के प्रतिनिधि पहली बार शामिल हुए।

सखारोव पुरस्कार, 2024

- **प्रदानकर्ता** : यूरोपीय संसद
- **प्राप्तकर्ता** : वेनेज़ुएला के विपक्षी नेताओं मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंज़ालेज़ को विचार की स्वतंत्रता के लिए।
- वर्ष 1988 में पहली बार यह पुरस्कार नेल्सन मंडेला और अनातोली मार्चेंको को प्रदान किया गया था।

17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन एवं प्रदर्शनी, 2024 पुरस्कार

- **आयोजन** : गांधीनगर, गुजरात
- सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाला शहर : कोच्चि
- सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर : भुवनेश्वर
- सर्वोत्तम सुरक्षा प्रणाली वाला शहर : गांधीनगर
- सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक भागीदारी वाला शहर : बेंगलुरु
- सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं वाली मेट्रो रेल : मुंबई

2024 बैलोन डी'ओर पुरस्कार विजेता

- **प्रदानकर्ता** : फ्राँस फुटबॉल (पेरिस में आयोजित)
- पुरुष बैलोन डी'ओर : रोड्री (मैनचेस्टर सिटी, स्पेन)
- महिला बैलोन डी'ओर : ऐताना बोनमाटी (बार्सिलोना, स्पेन)
- कोपा ट्रॉफी : लैमिन यमल (बार्सिलोना, स्पेन)
- वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच : कार्लो एंसेलोटी (रियल मैड्रिड, इटली)

- वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला कोच : एम्मा हेस (चेल्सी/यू.एस.ए.)
- पुरुष क्लब ऑफ द ईयर : रियल मैड्रिड
- महिला क्लब ऑफ द ईयर : एफ.सी. बार्सिलोना

एफ.आई.एच. हॉकी स्टार अवार्ड्स, 2024

- **आयोजन स्थल** : मस्कट, ओमान
- **प्रदानकर्ता** : अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (FIH)
- वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी : यिब्बी जानसेन (नीदरलैंड्स)
- वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी : हरमनप्रीत सिंह (भारत)
- वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर : पी. आर. श्रीजेश (भारत)
- वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर : ये जिआओ (चीन)
- वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उभरते पुरुष खिलाड़ी : सुफयान खान (पाकिस्तान)
- वर्ष की सर्वश्रेष्ठ उभरती महिला खिलाड़ी : जोए डियाज़ (अर्जेंटीना)

विशेष तथ्य

- हरमनप्रीत का यह तीसरा FIH 'प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड' है। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2020-21 और 2021-22 का यह अवार्ड जीता था।
- पेरिस 2024 ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा करने वाले पी.आर. श्रीजेश ने तीसरी बार 'गोलकीपर ऑफ द ईयर' का पुरस्कार जीता, उन्होंने इससे पहले 2020-21 और 2021-22 के लिए यह अवार्ड जीता था।

बुकर पुरस्कार, 2024

- ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को उनके उपन्यास 'ऑर्बिटल' के लिए बुकर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया।
  - 'ऑर्बिटल' उपन्यास अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की अनूठी पृष्ठभूमि पर आधारित एक विचारोत्तेजक और कल्पनाशील अन्वेषण है।
- इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1969 में ब्रिटेन की बुकर मैकोनल कंपनी द्वारा की गई।
- इसमें 60 हज़ार पाउंड की राशि विजेता लेखक को दी जाती है।
- यह पुरस्कार 'अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार' से अलग होता है, जिसे मई 2024 में जेनी एर्पेनबेक द्वारा लिखित और माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित पुस्तक 'कैरोस' को प्रदान किया गया था।

इंफोसिस पुरस्कार, 2024

- इंफोसिस साइंस फाउंडेशन ने वर्ष 2024 के इंफोसिस पुरस्कार के लिए 40 वर्ष से कम आयु के 6 शोधकर्ताओं को सम्मानित किया।
- प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 100,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि प्रदान की गई।
- यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में प्रदान किए गए हैं-
  - अर्थशास्त्र : अरुण चंद्रशेखर
  - इंजीनियरिंग एवं कंप्यूटर विज्ञान : श्याम गोलाकोटा
  - मानविकी एवं समाज विज्ञान : महमूद कूरिया
  - जीवन विज्ञान : सिद्धेश कामत
  - गणितीय विज्ञान : नीना गुप्ता
  - भौतिक विज्ञान : वेदिका खेमनी

अन्य महत्त्वपूर्ण पुरस्कार

- असम स्थित संरक्षण वैज्ञानिक बिभब कुमार तालुकदार को प्रजातियों के संरक्षण, विशेष रूप से एशियाई गैंडों के लिए उनके उल्लेखनीय प्रयासों के लिए IUCN के प्रजाति अस्तित्व आयोग से संरक्षण नेतृत्व के लिए हैरी मेसेल पुरस्कार मिला।
- ग्लोबल फाइनेंस द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड, 2024 में A+ ग्रेड दिया गया है, जो लगातार दूसरे साल उनकी पहचान का प्रतीक है।
- अमिताभ बच्चन ने हाल ही में प्रसिद्ध तेलुगु फिल्म स्टार चिरंजीवी को ANR नेशनल अवार्ड्स, 2024 से सम्मानित किया, जो अक्किनेनी इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है।
- प्रो कबड्डी लीग (PKL) को भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) स्पोर्ट्स बिज़नेस अवार्ड्स, 2024 में प्रतिष्ठित 'बेस्ट स्पोर्ट्स लीग ऑफ द ईयर' का पुरस्कार मिला।
- श्री श्री रविशंकर को आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के माध्यम से शांति और एकता को बढ़ावा देने में उनके वैश्विक कार्य के लिए फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, 'ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी' प्रदान किया गया।
- वाघ बकरी चाय समूह को हुरुन इंडिया से भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित 'जेनेरेशनल लिगेसी अवार्ड' मिला है।
- ऑस्कर विजेता फिल्म निर्माता फ्रांँसिस फोर्ड कोपोला को वर्ष 2025 के ए.एफ.आई. लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा।
- अनिल प्रधान को भारत में ग्रामीण विकास में उनके प्रभावशाली योगदान को मान्यता देते हुए वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- जे.बी.सी.एन. एजुकेशन के प्रबंध निदेशक कुणाल दलाल को हाल ही में गुड़गाँव में आयोजित एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड्स 2024-2025 में एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया।
- क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर, साल्ट और रैबिट-प्रूफ फेंस जैसी अपनी प्रशंसित कृतियों के लिए प्रसिद्ध अनुभवी ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता फिलिप नॉयस को 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

- जी.एम.आर. हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट (GHIAL) को सऊदी एयरपोर्ट प्रदर्शनी, 2024 के दौरान अपने डिजिटल नवाचारों के लिए 'एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवाड्र्स' से सम्मानित किया गया।
- वर्ष 2023 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार विश्व प्रसिद्ध पियानोवादक और कंडक्टर डैनियल बारेनबोइम और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता अली अबू अव्वाद को प्रदान किया गया।
- कोल इंडिया लिमिटेड को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड, 2024 से सम्मानित किया गया।
- पुणे की 22 वर्षीय लॉ छात्रा शिवांगी देसाई ने मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब जीता है और वह वियतनाम में मिस चार्म, 2024 (21 दिसंबर) में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।

महत्त्वपूर्ण व्यक्ति एवं नियुक्तियाँ

व्यक्ति	नियुक्ति
डॉ. नीना मल्होत्रा	स्वीडन में भारतीय राजदूत नियुक्त
अमिताभ चौधरी	आर.बी.आई. द्वारा एक्सिस बैंक के एम.डी. और सी.ई.ओ. नियुक्त
दीपक अग्रवाल	कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED) के एम.डी. नियुक्त
विपिन कुमार	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त
शाश्वत शर्मा	भारतीय एयरटेल के एम.डी. और सी.ई.ओ. नियुक्त
शेख नईम कासिम	हिज़्बुल्लाह के नए प्रमुख महासचिव नियुक्त
राजेश कुमार सिंह	भारत के रक्षा सचिव नियुक्त
डॉ. जैकलीन डी'आरोस ह्यूजेस	विश्व कृषि मंच के महासचिव नियुक्त
प्रवीणा राय	मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के सी.ई.ओ. और एम.डी. नियुक्त
इटारू ओटानी	भारत यामाहा मोटर के अध्यक्ष नियुक्त
हर्षवर्द्धन अग्रवाल	फिक्की के अध्यक्ष नियुक्त
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना	भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त
सोनू सूद	थाईलैंड के लिए ब्रांड एंबेसडर और मानद पर्यटन सलाहकार नियुक्त
मारा कोचो	उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के एम.डी. नियुक्त
अरविंदर सिंह साहनी	इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष नियुक्त
अमनदीप जोहल	प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए सी.ई.ओ. नियुक्त
क्रिस इवांस	ऑस्ट्रेलिया ने पहला गुलामी-विरोधी आयुक्त नियुक्त
हरभजन सिंह और सानिया मिर्ज़ा	दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के राजदूत नियुक्त
वाल्डेसी उर्कीज़ा	इंटरपोल के नए महासचिव नियुक्त
के. संजय मूर्ति	15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त
मिताली राज	आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा मेंटर नियुक्त
सुमति धर्मवर्द्धने	आई.सी.सी. भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का अध्यक्ष नियुक्त
तैय्यब इकराम	अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर पुनर्निर्वाचित
नंदन कुमार झा	इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त

निधन

व्यक्ति	संबंधित क्षेत्र
प्रोफेसर रोहिणी गोडबोले	प्रख्यात भौतिक विज्ञानी और पद्म श्री से सम्मानित, लैंगिक समानता समर्थक
न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी	निजता के अधिकार के ऐतिहासिक मामले में मुख्य याचिकाकर्ता
बिबेक देबरॉय	प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष
रोहित बल	प्रतिष्ठित भारतीय फैशन डिज़ाइनर
शारदा सिन्हा	बिहार कोकिला के नाम से मशहूर लोक गायिका
हरिंदर सिंह सोढ़ी	प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी
पंडित राम नारायण	भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया के क्रांतिकारी सारंगी वादक
महेंद्र सिंह मेवाड़	भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और पूर्ववर्ती मेवाड़ राजघराने के सदस्य
दिल्ली गणेश	मशहूर तमिल अभिनेता
मदन मोहन सोमतिया	स्वतंत्रता सेनानी और मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख सदस्य
वरदराव कमलाकर राव	विश्व प्रसिद्ध मृदंगम विद्वान
राजकुमारी मिकासा	जापान के शाही परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य
जॉन प्रेस्कॉट	ब्रिटेन के पूर्व उप प्रधानमंत्री
हरजीत सिंह बेदी	सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश
रॉन एली	टार्ज़न की भूमिका के लिए मशहूर अमेरिकी अभिनेता

महत्त्वपूर्ण सम्मेलन एवं आयोजन

11वाँ एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन

- **आयोजन स्थल :** सिंगापुर
- **शिखर सम्मेलन के लक्ष्य**
  - एशिया-प्रशांत के लिए एक टिकाऊ भविष्य को आकार देना
  - स्वच्छ ऊर्जा रणनीतियों का विकास करना
  - शुद्ध-शून्य लक्ष्यों में तेज़ी लाना, नवाचारों को बढ़ावा देना

17वाँ शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन एवं एक्सपो, 2024

- **आयोजन स्थल :** गांधीनगर (गुजरात)
- **विषय :** शहरी परिवहन समाधान का मानकीकरण और अनुकूलन
- **उद्देश्य :** एकीकृत रणनीतियों और नवीन प्रथाओं के माध्यम से शहरी गतिशीलता को बढ़ाना।

एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, 2024

- **आयोजन स्थल :** नई दिल्ली (पहली बार)
- **विषय :** एशिया को मज़बूत बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका
- **आयोजक :** संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ
- **उद्देश्य :** एशिया भर में शांति और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने में बुद्ध धम्म के प्रभाव का पता लगाना।

तीसरा महासागर शिखर सम्मेलन

- **आयोजनकर्ता :** भारतीय नौसेना द्वारा द्विवार्षिक रूप से
- **आयोजन स्थल :** हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में
- **विषय :** IOR में समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को कम करने के लिए प्रशिक्षण सहयोग
- **भागीदार देश :** बांग्लादेश, कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरीशस, मोज़ाम्बिक, सेशेल्स, श्रीलंका, तंज़ानिया

अन्य सम्मेलन

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की 352वीं शासी निकाय की बैठक 28 अक्तूबर से 7 नवंबर, 2024 के मध्य जेनेवा में आयोजित की गई। भारत की ओर से श्रम एवं रोज़गार सचिव सुमिता डावरा ने जीवन स्तर और रोज़गार में सुधार के लिए भारत की पहल और प्रगति प्रस्तुत की।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) असेंबली का सातवाँ सत्र 3 से 6 नवंबर, 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। भारत और फ्राँस को वर्ष 2024 से 2026 तक 2 साल के कार्यकाल के लिए आई.एस.ए. के अध्यक्ष और

सह-अध्यक्ष के रूप में चुना गया। भारत की ओर से आई.एस.ए. का नया महानिदेशक आशीष खन्ना को नियुक्त किया गया है।

- केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की, जिसका उद्देश्य बिजली क्षेत्र में प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श करना था।
- भारत के संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने नई दिल्ली में दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद् (SATRC-25) की 25वीं बैठक का उद्घाटन किया।
- **सागरमंथन 2024 :** भारत का समुद्री दृष्टिकोण सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में बंदरगाह, जहाज़रानी और जलमार्ग मंत्रालय और ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) द्वारा साझेदारी में किया गया।
- 19 नवंबर, 2024 को भारत के प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने रियो डी जेनेरियो में जी-20 शिखर सम्मेलन के साथ-साथ दूसरा भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया।

महत्त्वपूर्ण शब्दावली

शहरी उदासीनता (Urban Apathy)

शहरी उदासीनता से तात्पर्य शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं द्वारा अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने के प्रति उदासीनता प्रदर्शित करने से है। यह न केवल शहरी निर्वाचन क्षेत्रों में, बल्कि शहरी मतदान केंद्रों वाले अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में भी मतदाताओं के मतदान को प्रभावित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

दरबार मूव (Darbar Move)

दरबार मूव जम्मू एवं कश्मीर के सचिवालय और अन्य सभी सरकारी कार्यालयों को एक राजधानी शहर से दूसरे राजधानी शहर में द्विवार्षिक स्थानांतरण को दिया गया नाम था, जो वर्ष 1872 से वर्ष 2021 तक प्रचलन में था।

बुंडेसटाग (Bundestag)

जर्मनी की संघीय संसद के निचले सदन को बुंडेसटाग के नाम से जाना जाता है। 735 सदस्यों के साथ यह विश्व की सबसे बड़ी निर्वाचित संसदीय निकाय है। जर्मनी में संसद के ऊपरी सदन को बुंडेसराट कहा जाता है।

शॉक एवं ऑ (Ahock & Awe)

शॉक एवं ऑ का अर्थ है कि ऐसा विशाल व अचानक हमला, जिससे दुश्मन अचंभित, भ्रमित, अभिभूत और स्तब्ध हो जाएँ। यह रणनीति शक्ति के अत्यधिक प्रदर्शन के माध्यम से दुश्मन को प्रतिरोध करने के लिए अनिच्छुक बना देती है।

देतेंते (Detente)

देतेंते फ्राँसीसी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ 'आराम' (Relaxation) होता है। इसका प्रयोग दो या दो से अधिक देशों के बीच संबंधों में सुधार के लिए होता है जो अतीत में एक-दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण रहे हैं।

खुदरा मुद्रास्फीति (Retail Inflation)

खुदरा मुद्रास्फीति ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं की खुदरा कीमतों में परिवर्तन को दर्शाती है जिन्हें परिवार अपने दैनिक उपभोग के लिए खरीदते हैं। इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति के रूप में भी जाना जाता है।

अडप्टिव डिफेंस (Adaptive Defence)

'अडप्टिव डिफेंस' एक रणनीतिक दृष्टिकोण है, जिसमें किसी देश की सैन्य एवं रक्षा प्रणाली उभरते खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए निरंतर विकसित होती है। अडप्टिव डिफेंस में केवल जो हुआ है उसका जवाब देना नहीं है, बल्कि जो हो सकता है उसका पूर्वानुमान लगाना और उसके लिए सक्रिय रूप से तैयारी करना शामिल है।

सिविल डेथ (Civil Death)

सिविल डेथ से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जब किसी व्यक्ति को किसी घोर अपराध (एक गंभीर अपराध जिसके लिए एक वर्ष या उससे अधिक कारावास की सज़ा हो सकती है) के लिए दोषी ठहराया जाता है और न केवल उसे कारावास की सज़ा दी जाती है, बल्कि वह समाज में नागरिकों को सामान्य रूप से दिए जाने वाले अधिकारों व विशेषाधिकारों को भी खो देता है।

कक्षीय अनुनाद (Orbital Resonance)

इससे तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जब दो उपग्रहों की कक्षीय अवधि पूर्णांक संबंधों (Integer Relationship) से संबंधित होती है जिससे वे एक-दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डालते हैं और उनकी कक्षाओं की उत्केंद्रता (Eccentricity) को प्रभावित करते हैं।

कार्डियोवैस्कुलर किडनी मेटाबोलिक (CKM) सिंड्रोम

यह सिंड्रोम शरीर के वज़न और कमर की परिधि में धीरे-धीरे वृद्धि के रूप में चिह्नित होता है जो जल्द ही मोटापे में बदल जाता है। हृदय, गुर्दे, यकृत व रक्त वाहिकाओं जैसे प्रमुख अंग सर्वाधिक प्रभावित होते हैं और व्यक्ति समय से पहले मृत्यु के प्रति संवेदनशील हो जाता है।

शैडेनफ्रॉयड (Schadenfreude)

शैडेनफ्रॉयड जर्मन भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य दूसरे व्यक्तियों के दुख-तकलीफों से आनंद प्राप्ति के भाव से है।

मायोसिटिस (Myositis)

मायोसिटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली स्वयं की माँसपेशियों पर हमला करती है। व्यक्ति के शरीर की उन माँसपेशियों में सूजन हो जाती है, जिनका प्रयोग मनुष्य अपने शरीर को हिलाने के लिए करते हैं। चोट, संक्रमण या ऑटोइम्यून बीमारी इसका कारण बन सकती है।

हाइपोक्सिक-इस्केमिक एन्सेफैलोपैथी (HIE)

HIE एक प्रकार की मस्तिष्क क्षति है। यह जन्म से पहले या जन्म के तुरंत बाद मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। HIE के साथ पैदा होने वाले शिशुओं में न्यूरोलॉजिकल या विकास संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं।

मेगलॉमनिआक (Megalomaniac)

इससे तात्पर्य एक महापागल या विकृत अहंकारी व्यक्ति से होता है अर्थात् वह व्यक्ति जो मनोवैज्ञानिक विकार से ग्रस्त होता है तथा जिसमें महानता का भ्रम तथा शक्ति के प्रति जुनून होता है।

दृश्यरतिकता (Voyeurism)

दृश्यरतिकता एक यौन रुचि है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा गुप्त रूप से अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को अंतरंग व्यवहार में संलग्न होते हुए देखने की क्रिया शामिल होती है। आमतौर पर रुचि देखने की क्रिया में अधिक होती है, न कि देखे जा रहे व्यक्ति/व्यक्तियों में। देखने वाले व्यक्ति को वॉयर (Voyeur) कहा जाता है। यह शब्द फ्रेंच वॉयर (Voir) से आया है जिसका अर्थ है 'देखना'। पुरुष दर्शक को सामान्यत: 'पीपिंग टॉम' (Peeping Tom) या 'जैग्स' (Jags) कहा जाता है।

बेल वक्र (Bell Curve)

बेल वक्र को 'फोर्स्ड रैंकिंग' (Forced Ranking) या 'स्टैक रैंकिंग' (Stack Ranking) के रूप में भी जाना जाता है जो कि एक प्रदर्शन मूल्यांकन तकनीक है। इसका उपयोग प्रदर्शन के आधार पर कर्मचारियों को रैंक करने के लिए किया जाता है, जहाँ केवल एक छोटा प्रतिशत ही शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में रेट किया जा सकता है, जबकि बाकी को अंडर-परफॉर्मर लेबल किए जाने के परिणाम भुगतने पड़ते हैं।

4B आंदोलन

4B आंदोलन की शुरुआत वर्ष 2016 के आसपास दक्षिण कोरिया में हुई थी, जो प्रणालीगत लैंगिक असमानताओं के प्रति एक कट्टरपंथी नारीवादी प्रतिक्रिया थी। यह आंदोलन महिलाओं को विवाह, मातृत्व एवं रोमांटिक या यौन संबंधों से जुड़ी पारंपरिक भूमिकाओं को अस्वीकार करने की वकालत करता है। '4B' कोरियाई भाषा में चार 'बिस' (bis) या 'नहीं' को दर्शाता है। 4B का अर्थ है बिहोन (Bihon)-विवाह से इनकार; बिचुलसन (Bichulsan)- बच्चे पैदा करने से इनकार; बियोनाई (Biyeonae)- रोमांस से इनकार; और बिसेकसेउ (Bisekseu)- सहवास से इनकार।

टेंपल ऑफ सैटन या शैतान का मंदिर (Temple of Satan)

चिली का टेंपल ऑफ सैटन एक आधुनिक, गैर-ईश्वरवादी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 2021 में हुई थी। यह शैतान की पूजा या बलिदान की बात नहीं करता है। इसके सदस्यों में वकील व मनोवैज्ञानिक जैसे पेशेवर शामिल हैं जो धार्मिक हठधर्मिता एवं नैतिकता थोपने को अस्वीकार करते हैं और तर्कसंगतता, व्यक्तिवाद तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में शैतानवाद को अपनाते हैं। इस समूह का दर्शन आत्मनिर्णय, आनंद व अलौकिक विश्वासों की अस्वीकृति पर ज़ोर देते हुए नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देता है, जैसे कि पशु क्रूरता और आपराधिक व्यवहार को प्रतिबंधित करना आदि। वर्तमान में यह एक धार्मिक संघ के रूप में कानूनी मान्यता चाहता है और चिली में पारंपरिक धार्मिक अधिकार को चुनौती देता है।

मेक एक्वा टोफाना ग्रेट अगेन (MATGA) आंदोलन

एक्वा टोफाना एक ज़हर था जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर 17वीं व 18वीं सदी में महिलाओं द्वारा अपमानजनक या दुर्व्यवहार करने वाले अपने पतियों को गुप्त रूप से ज़हर देने के लिए किया जाता था। 'मेक एक्वा टोफाना ग्रेट अगेन' (MATGA) आंदोलन एक मीम या सांस्कृतिक टिप्पणी के रूप में व्यंग्यपूर्ण या गहरे हास्यपूर्ण नारे को संदर्भित करता है, जो अधिक प्रसिद्ध अमेरिकी राजनीतिक नारे 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' (MATGA) से प्रेरित है।

मैनजाईटी (Manxiety)

मैनजाईटी शब्द मर्दानगी की सामाजिक अपेक्षाओं के कारण पुरुषों द्वारा सामना किए जाने वाले अनोखे मानसिक स्वास्थ्य संघर्षों को उजागर करता है। वस्तुत: पुरुष अपने करियर में सफल होने, वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और प्रदाता व रक्षक के रूप में पारंपरिक भूमिकाओं को पूरा करने के लिए अत्यधिक दबाव महसूस कर सकते हैं। ये दबाव चिंता, तनाव व अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का कारण बन सकते हैं, जिन्हें अक्सर पुरुषों की भावनात्मक अभिव्यक्ति के आसपास के कलंक के कारण अनदेखा या खारिज कर दिया जाता है।

मेथमफेटामाइन (Methamphetamine)

मेथमफेटामाइन को सामान्यत: 'मेथ' कहा जाता है जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली एक शक्तिशाली और अत्यधिक

नशे की लत वाली दवा है। यह मस्तिष्क की गतिविधि को तेज़ करता है और व्यक्ति को बहुत सतर्क, ऊर्जावान व उत्साही महसूस कराता है। हालाँकि मेथ के गंभीर दुष्प्रभाव भी हैं जिनमें हृदय गति में वृद्धि, उच्च रक्तचाप, तनाव एवं आक्रामकता शामिल हैं। लंबे समय तक इसके उपयोग से मस्तिष्क क्षति, स्मृति हानि, दंत समस्या (Meth Mouth) और कई शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं। दुरुपयोग और लत की उच्च संभावना के कारण मेथमफेटामाइन अधिकांश स्थानों पर अवैध है।

एनिमल स्पिरिट्स (Animal Spirits)

इस शब्द का प्रयोग जॉन मेनार्ड कीन्स द्वारा व्यावसायियों और उपभोक्ताओं के बीच भावना का वर्णन करने के लिए किया गया है। इसके तहत यदि भावनाएँ उदास होंगी तो अर्थव्यवस्थाओं को मंदी से बाहर निकलने में कठिनाई होगी।

क्रॉलिंग पेग (Crawling Peg)

यह एक विनिमय दर प्रणाली है जिसमें एक मुद्रा दूसरी मुद्रा से बंधी होती है। हालाँकि, कुछ शर्तों के आधार पर एक सीमा या बैंड के भीतर उतार-चढ़ाव हो सकता है।

शहरी कृषि (Urban Farming)

शहरी कृषि के अंतर्गत शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में कृषि उत्पादों (खाद्य या गैर-खाद्य) की खेती, प्रसंस्करण व वितरण आदि को शामिल किया जाता है। शहरी खेती आसपास के समुदायों को पर्यावरणीय, आर्थिक एवं सामाजिक लाभ प्रदान करती है।

सर्वाधिकारवाद/अधिनायकवाद (Totalitarianism)

अधिनायकवाद एक राजनीतिक प्रणाली और सरकार का रूप है जो विपक्षी राजनीतिक दलों को प्रतिबंधित करता है। इसकी प्रमुख विशेषता मज़बूत केंद्रीय शासन है जो बलपूर्वक और दमन के माध्यम से व्यक्तिगत जीवन के सभी पहलुओं को नियंत्रित व निर्देशित करने का प्रयास करता है।

मल्टीपल मायलोमा (Multiple Myeloma)

यह एक प्रकार का ब्लड कैंसर है जो प्लाज़्मा कोशिकाओं को प्रभावित करता है। प्लाज़्मा कोशिकाएँ एक तरह की सफेद रक्त कोशिकाएँ होती हैं जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करती हैं किंतु जब ये कोशिकाएँ असामान्य तरीके से बढ़ने लगती हैं, तो कैंसर का रूप ले लेती हैं। इस कारण शरीर में असामान्य प्रोटीन बनने लगता है, जो कि रक्त, हड्डियों एवं अन्य अंगों को प्रभावित करता है।

सेप्टिक शॉक (Septic Shock)

यह एक जीवन-घातक स्थिति है जो तब होती है जब किसी संक्रमण के बाद रक्तचाप खतरनाक रूप से निम्न स्तर तक गिर जाता है।

हिस्पैनिक (Hispanic)

हिस्पैनिक शब्द का प्रयोग मेक्सिको, प्यूर्टो रिकान, क्यूबा, मध्य एवं दक्षिण अमेरिकी, डोमिनिकन तथा अन्य लैटिन अमेरिकी क्षेत्रों में रहने वाले स्पैनिश मूल के लोगों को संबोधित करने के लिए किया जाता है, जो स्पैनिश भाषा बोलते हैं।

समोसा कॉकस (Samosa Caucus)

'समोसा कॉकस' अमेरिकी संसद (कांग्रेस) में भारतीय-अमेरिकियों की बढ़ती संख्या को दर्शाता है। लोकप्रिय भारतीय नाश्ते के नाम पर इस अनौपचारिक समूह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान बुलाया था। मूल रूप से इसमें पाँच सदस्य शामिल थे, लेकिन अब चुनाव के दिन इसमें छह सदस्य हो गए हैं।

सैलेड बार अतिवाद (Salad Bar Extremism)

यह एक नए प्रकार का उग्रवाद है, जिसमें हिंसक हमलों के पीछे मुख्य प्रेरणा सुसंगत विचारधारा के बजाय विश्वासों व विचारों का संयोजन होता है। इसे समग्र उग्रवाद या मिश्रित, अस्थिर या अस्पष्ट (MUU) उग्रवाद भी कहा जाता है। इसमें कई उग्रवादी एजेंडे शामिल होते हैं और साझा हितों के आधार पर गठबंधन बनाने के लिए वैचारिक रेखाओं को भी पार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्त्री-द्वेषी, अल्पसंख्यक-विरोधी, यहूदी-विरोधी विचारधाराएँ।

ग्रीन जेंट्रीफिकेशन (Green Gentrification)

ग्रीन जेंट्रीफिकेशन का तात्पर्य हरित स्थानों से संबंधित पर्यावरणीय नियोजन एजेंडे के कार्यान्वयन से शुरू होने वाली प्रक्रियाओं से है। इसमें पर्यावरण सुधार से जीवन की गुणवत्ता और संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है जो वंचित निवासियों के बहिष्कार एवं विस्थापन का कारण बनती है तथा नए व धनी निवासियों को आकर्षित करती है।

बायोफिल्म (Biofilm)

बायोफिल्म को सूक्ष्मजीवों के एक समुदाय के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक स्व-निर्मित बहुलक मैट्रिक्स द्वारा एक निष्क्रिय या जीवित सतह से जुड़ा होता है या सतह से जुड़े सूक्ष्मजीव कोशिकाओं के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है और मुख्य रूप से पॉलीसैकेराइड सामग्री के मैट्रिक्स में संलग्न होता है।

❑❑❑

महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं का सार

योजना

भारतीय संविधान का विकास : संवैधानिक संशोधन

संदर्भ

कानूनी विशेषज्ञों एवं अनुभवी राजनेताओं के एक समूह द्वारा तैयार किया गया संविधान भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ रहा है। यह न केवल शासन की एक विस्तृत प्रशासनिक मशीनरी की गारंटी देता है, बल्कि एक सामाजिक-आर्थिक क्रांति का चार्टर भी है।

ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय संविधान का विकास

- वर्तमान संविधान ब्रिटिश शासन से विकसित हुआ है जिसके दौरान ब्रिटिश संसद ने कई अधिनियम बनाए, जिन्होंने भारत को सरकार एवं प्रशासन का ढाँचा प्रदान किया। इन अधिनियमों में से भारत परिषद् अधिनियम, 1909; भारत सरकार अधिनियम, 1919 और भारत सरकार अधिनियम, 1935 को ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के संवैधानिक विकास में प्रमुख मील का पत्थर माना जाता है।
- भारत सरकार अधिनियम, 1935 वर्तमान संविधान को अपनाने तक ब्रिटिश भारत के संविधान के रूप में कार्य करता था। संविधान का 65% हिस्सा केवल इस अधिनियम से लिया गया है।

संघीय संविधान का संवैधानिक संशोधन

- एकात्मक संविधानों की तुलना में संघीय संविधानों में संशोधन करना अधिक कठिन होता है। इन्हें एक कठोर प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जाना होता है, जिसके लिए संघीय संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। कभी-कभी राज्यों द्वारा इसका अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है।
- अब तक हमारे संविधान में 106 संशोधन किए जा चुके हैं। इतने संशोधनों के बाद भारतीय संविधान अपने मूल स्वरूप से काफी बदल गया है। आचार्य कृपलानी ने टिप्पणी की थी कि 42वें संविधान संशोधन, 1976 के बाद उन्हें केवल संशोधन ही दिखाई दे रहे थे, कोई मूल संविधान नहीं।

संविधान संशोधनों की आवश्यकता

संविधान एक जीवंत दस्तावेज़ है जिसे उन लोगों की बदलती सामाजिक-आर्थिक आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए, जिनकी सेवा के लिए इसे बनाया गया है। बदलते समय एवं परिस्थितियों के साथ लोगों की आकांक्षाएँ भी बदलती हैं और इन बदलावों को संविधान में संशोधन करके प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए, अन्यथा यह एक प्रासंगिक दस्तावेज़ नहीं रह जाएगा तथा पुराना हो जाएगा।

संविधान में संशोधन की प्रक्रिया

- भारतीय संविधान में संशोधन तीन तरीकों से किया जा सकता है :
  - संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित एक साधारण कानून के द्वारा।
  - अनुच्छेद 368 में दी गई एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से संशोधन विधेयक पारित करना आवश्यक है। अधिकांश संशोधन इसी प्रक्रिया से किए जाते हैं।
  - संसद द्वारा दो-तिहाई बहुमत से संशोधन विधेयक पारित करके और साथ ही कम-से-कम आधे राज्यों द्वारा इसका अनुसमर्थन करके, यदि विधेयक संघीय प्रावधानों को प्रभावित करने वाले प्रावधानों में परिवर्तन करना चाहता है।

संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन की असीमित शक्ति का परीक्षण

- संसदीय संप्रभुता की धारणा के अनुसार, संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की असीमित शक्ति रखती है। वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय ने दो मामलों में यही रुख अपनाया था : शंकरी प्रसाद मामला, 1951 और सज्जन सिंह मामला, 1964 में संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने के लिए संसद की असीमित शक्तियों को स्वीकार किया गया था, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल थे।
- हालाँकि गोलकनाथ मामले, 1967 में न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद संविधान में किसी भी मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकती है। इसके प्रत्युत्तर में संसद ने वर्ष 1971 में 24वाँ संशोधन अधिनियम पारित किया जिसने गोलकनाथ फैसले को पलट दिया। अनुच्छेद 13 एवं अनुच्छेद 368 में नए खंड जोड़कर यह स्पष्ट किया गया कि संसद मौलिक अधिकारों को भी संशोधित कर सकती है।

केशवानंद भारती मामला, 1973 और मूल संरचना का सिद्धांत

- यद्यपि भारतीय संविधान में 'मूल संरचना' शब्द का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, किंतु इसे सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामला, 1973 में गढ़ा था। इसमें न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताएँ बताई हैं-
  - संविधान की सर्वोच्चता
  - सरकार का गणतांत्रिक एवं लोकतांत्रिक स्वरूप
  - धर्मनिरपेक्षता
  - शक्तियों का पृथक्करण
  - कानून का शासन
  - न्यायपालिका की स्वतंत्रता
  - राजनीति का संघीय चरित्र
- यद्यपि संसद के पास संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है, किंतु वह ऐसे परिवर्तन नहीं कर सकती है जो संविधान के मूलभूत ढाँचे या आवश्यक विशेषताओं से समझौता करते हों। इस बाधा को 42वें संविधान संशोधन, 1976 में दूर करने का प्रयास किया गया, जिसने संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की अनुमति दी तथा इसे किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती दिए जाने से सुरक्षित किया।
- मिनर्वा मिल्स निर्णय, 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे निरस्त कर दिया और माना कि यह संविधान की मूल विशेषता को नष्ट करता है। यह मूल संरचना सिद्धांत का पहला अनुप्रयोग था, जिसे बाद में आई.आर. कोएल्हो मामले, 2007 में भी लागू किया गया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संविधान की नौवीं अनुसूची में रखा गया कानून (विषय) न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है तथा मूल संरचना सिद्धांत के अंतर्गत जाँच के अधीन है।
- इस सिद्धांत को 99वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 में लागू किया गया, जिसने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) बनाया। एन.जे.ए.सी. को निरस्त घोषित कर दिया गया क्योंकि इसने सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से संविधान की एक मूल विशेषता 'न्यायपालिका की स्वतंत्रता' को छीन लिया। इसके स्थान पर नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को बहाल किया गया।

1950 के बाद से ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन

यद्यपि अब तक 106 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। इनमें निम्नलिखित संशोधन प्रमुख माने जाते हैं जिन्होंने संविधान में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए-

- **पहला संशोधन अधिनियम, 1951 :** इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य अनुच्छेद 19 (राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, शालीनता, आदि) में दिए गए विभिन्न आधारों पर बनाए गए कानूनों पर 'उचित प्रतिबंध' लगाना था। इसने ज़मींदारी प्रथा को भी समाप्त कर दिया और संविधान में 9वीं अनुसूची शामिल की।
- **सातवाँ संशोधन अधिनियम, 1956 :** इसका मुख्य उद्देश्य फज़ल अली समिति द्वारा अनुशंसित भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को लागू करना था।
- **बयालीसवाँ संशोधन अधिनियम, 1976 :** इसे भारत के 'लघु संविधान' के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसने आपातकाल के दौरान संविधान में व्यापक एवं कठोर परिवर्तन किए थे। इसने अनुच्छेद 39ए (नि:शुल्क कानूनी सहायता), 43ए (उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी), 48ए (पर्यावरण एवं वन्यजीवों की सुरक्षा) को जोड़कर प्रस्तावना व निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन किया और संविधान में भाग-IVए को शामिल करके मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया।
  - अनुच्छेद 74 में संशोधन करके राष्ट्रपति को 'मंत्रिपरिषद् की सलाह से बाध्य' बनाया गया। इसने अनुच्छेद 323ए एवं 323बी को नए भाग-XIVए में शामिल करके न्यायाधिकरणों का भी प्रावधान किया।
  - सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इसने अनुच्छेद 368 में खंड (4) एवं (5) जोड़े, जिससे संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान को संशोधित करने की असीमित शक्तियाँ मिल गई। आपातकाल के दौरान पारित इस संशोधन ने नागरिक स्वतंत्रता एवं न्यायपालिका की शक्तियों को कम कर दिया और मौलिक अधिकारों को कमज़ोर कर दिया।
- **चौवालीसवाँ संशोधन अधिनियम, 1978 :** यह संशोधन जनता पार्टी सरकार द्वारा 42वें संविधान संशोधन एवं आपातकाल की पृष्ठभूमि में लागू किया गया था। सर्वप्रथम इसने आपातकाल की घोषणा से संबंधित अनुच्छेद 352 में परिवर्तन किए। शब्द 'आंतरिक अशांति' जो एक अस्पष्ट अभिव्यक्ति थी और जिसका दुरुपयोग किया जा सकता था, को 'सशस्त्र विद्रोह' से बदल दिया गया। इसके अलावा, आपातकाल की घोषणा करने के लिए राष्ट्रपति को कैबिनेट की लिखित सलाह अनिवार्य कर दी गई। साथ ही, इसे एक महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक था।
  - निवारक में विलंब के खिलाफ भी सुरक्षा उपाय किए गए थे जो तीन महीने से अधिक जारी नहीं रखा जा सकता था जब तक कि एक सलाहकार बोर्ड आगे की हिरासत की सिफारिश न करे। सबसे महत्त्वपूर्ण बदलाव संपत्ति के अधिकार में किया गया। जब तक यह मौलिक अधिकार बना रहा, तब तक सरकार के लिए सार्वजनिक उद्देश्यों

के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना चुनौतीपूर्ण बना रहा। अनुच्छेद 19 (1) (एफ) को हटाकर और अनुच्छेद 300 को नए अनुच्छेद 300ए में बदलकर इसे हमेशा के लिए हल कर दिया गया।

- इस प्रकार, आज संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार है, न कि एक मौलिक अधिकार। यदि किसी की संपत्ति अधिग्रहित की जाती है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से उपाय की मांग नहीं कर सकता है। हालाँकि, वह सामान्य न्यायालयों का रुख कर सकता है।

- **बावनवाँ संशोधन अधिनियम, 1985 :** इस संशोधन से संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। यह उन आधारों का प्रावधान करती है जिन पर किसी विधायिका के सदस्य को दल-बदल के कृत्य के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। इस अधिनियम को 91वें संशोधन द्वारा और मज़बूत किया गया, जिसने वर्ष 1985 के दल-बदल रोधी कानून को अधिक सशक्त बनाया।
- **इकसठवाँ संशोधन अधिनियम, 1988 :** इस संशोधन का उद्देश्य भारत के युवाओं को चुनावी प्रक्रिया में शामिल करने के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना था।
- **सत्तरवाँ एवं चौहत्तरवाँ संशोधन अधिनियम, 1992 :** इन दो संशोधनों ने भाग IX (पंचायत) और भाग IXए (नगरपालिकाएँ) जोड़कर ग्राम एवं शहरी दोनों स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को संवैधानिक बना दिया है। 11वीं व 12वीं नामक दो नई अनुसूचियाँ जोड़ी गई, जो इन स्थानीय निकायों द्वारा किए जाने वाले कार्य के क्षेत्रों का विवरण देती हैं। इसने समय पर चुनाव, महिलाओं व अनुसूचित जातियों/जनजातियों का प्रतिनिधित्व, शक्तियों एवं वित्तीय संसाधनों का हस्तांतरण और प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग चुनाव आयोग तथा वित्त आयोग बनाकर विकेंद्रीकृत लोकतंत्र की अवधारणा में क्रांतिकारी बदलाव किया है।
- **एक सौ एकवाँ संशोधन अधिनियम, 2016 :** इस अधिनियम के माध्यम से 'एक राष्ट्र, एक कर' के नारे के तहत जी.एस.टी. व्यवस्था अस्तित्व में आई। इसने एक झटके में कर व्यवस्था को सरल बना दिया और इसे सहकारी संघवाद की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है।
- **एक सौ छठवाँ संशोधन अधिनियम, 2023 :** इसने आखिरकार लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया है। इस अधिनियम ने भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाया है और हमारी विधायिकाओं को लैंगिक दृष्टि से अधिक प्रतिनिधित्व वाला बनाया। हालाँकि, यह अगली परिसीमन प्रक्रिया के बाद ही लागू होगा।

निष्कर्ष

संवैधानिक संशोधनों ने भारत के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है और लोगों के कल्याण के लिए संवैधानिक शाखा की पहुँच का विस्तार किया है। इन संशोधनों की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए :

- कई संशोधन केवल प्रक्रियात्मक प्रकृति के रहे हैं और उन्होंने केवल मौजूदा प्रावधानों पर ही विस्तार से प्रकाश डाला है।
- कुछ संशोधन प्रतिगामी एवं राजनीति से प्रेरित थे और उन्होंने अधिनायकवाद को जन्म दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 42वाँ संशोधन है। इसके अलावा, दल-बदल से निपटने वाला 52वाँ संशोधन भी अपने उद्देश्यों में काफी हद तक विफल रहा है।
- अधिकांश संशोधन दूरदर्शी रहे हैं और अपने उद्देश्यों को यथोचित रूप से पूरा किया है।

सामाजिक न्याय को बढ़ावा और भारतीय संविधान

संदर्भ

ग्रैनविले ऑस्टिन जैसे विद्वानों ने भारतीय संविधान को सामाजिक क्रांति का माध्यम बताया है। संविधान सभा के सदस्यों ने इस बात को दर्शाया है कि किस प्रकार भारत के संविधान में समाज को नया रूप देने की शक्ति निहित है। अमेरिकी संविधानवाद की नींव सत्ता के प्रति गहरे अविश्वास पर आधारित थी जिसमें निरंकुश शासक सिर्फ एक उदाहरण था। इस प्रकार, इस संविधानवाद का औचित्य राजनीतिक सत्ता के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करना, उस पर अविश्वास करना और उसे सीमित करना था।

भारत में संविधानवाद

- बीसवीं सदी में अधिकांश रूप से और विशेष तौर पर भारत में संविधानवाद इस प्रकार की संयमित एवं नियंत्रित सत्ता तथा राजनीति की अवधारणा का पालन नहीं करता है। यह संविधानवाद सत्ता की सीमा को परिभाषित करने के साथ-साथ उसके कार्यक्षेत्र का विस्तार करता है और इसे बढ़ावा देता है। भारतीय संविधान का उद्देश्य समाज को स्थापित सामाजिक वर्गीकरण की बाधाओं से मुक्त कराना और स्वतंत्रता समानता एवं न्याय के एक नए युग की शुरुआत करना था।
- आंबेडकर का मत है कि भारत में संवैधानिक नैतिकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आंबेडकर आगे यह तर्क देते हैं कि भारतीय संविधान को भारत सरकार अधिनियम, 1935 की निरंतरता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि 1935 के अधिनियम से अनेकों धाराएँ संविधान में शामिल किए जाने के बावजूद संविधान में लोकतंत्रीकरण की व्यवस्था पहले की व्यवस्थाओं से बहुत हद तक अलग थी।

सुधारवादी संविधानवाद

- 'सुधारवादी संविधानवाद' की प्रेरणा इस विचार से उत्पन्न होती है कि सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है। यह दृष्टिकोण सामाजिक न्याय की गांधीवादी अवधारणा से बिलकुल अलग है। ऑस्टिन यह उल्लेख करते हैं कि गांधी का मानना था कि सामाजिक न्याय का लक्ष्य प्राप्त करने की शुरुआत प्रत्येक व्यक्ति के नैतिक रूपांतरण से होनी चाहिए जो हर भारतीय के हृदय एवं मस्तिष्क से उत्पन्न हो और पूरे समाज में फैल जाए। सुधार सरकार द्वारा ऊपर से थोपे नहीं जाने चाहिए; बल्कि, एक परिवर्तित समाज ऐसा हो जहाँ किसी सरकारी विनियमन या निगरानी की आवश्यकता ही न हो।
- संविधान सभा में गांधीवादी संविधान का एक ऐसा वैकल्पिक प्रस्ताव दिया गया था जो यूरोपीय एवं अमेरिकी परंपराओं पर आधारित था और जिसमें प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रशासन की व्यवस्था की गई थी। यद्यपि इन संविधानों की शुरुआत के समय निष्पक्षता का दृष्टिकोण रखा गया होगा, किंतु समय के साथ-साथ इन्होंने नागरिक कल्याण के लिए अधिक ज़िम्मेदारी संभाली। 'उद्देश्य प्रस्ताव' ने सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया, किंतु इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत नहीं की।
- ऑस्टिन का दावा है कि वयस्क मताधिकार ने उन लाखों लोगों को सशक्त बनाया जो कभी अपने हितों के प्रतिनिधित्व के लिए दूसरों की इच्छा पर निर्भर थे। उनके अनुसार जहाँ मौलिक अधिकार लोगों एवं अल्पसंख्यक समूहों को सरकार की मनमानी व भेदभावपूर्ण कार्रवाई से बचाते हैं, वहीं संविधान के मौलिक अधिकार भाग के तहत तीन प्रावधानों का उद्देश्य व्यक्तियों को अन्य नागरिकों के अन्यायपूर्ण कार्यों से बचाना है।
- राज्य को नागरिकों की विशिष्ट स्वतंत्रता के उल्लंघन पर संविधान के प्रतिबंधों का पालन करने के साथ-साथ नागरिकों के अधिकारों की सामाजिक हस्तक्षेप से रक्षा करने के लिए अपनी सकारात्मक ज़िम्मेदारी को भी पूरा करना चाहिए। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य सामाजिक क्रांति को बढ़ावा देते हुए एक ऐसा समाज स्थापित करना था जिसमें सभी नागरिकों को राज्य द्वारा या व्यापक स्तर पर समाज के द्वारा लगाए गए किसी भी दबाव या प्रतिबंध से समान रूप से स्वतंत्रता प्राप्त हो। इसे अस्पृश्यता से संबंधित व्यवहारों के निषेध (अनुच्छेद 17) और बंधुआ मज़दूरी व मानव तस्करी पर प्रतिबंध (अनुच्छेद 23) के माध्यम से देखा जा सकता है।
- इसके अलावा, भारतीय संविधान अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सशक्तीकरण के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करते हुए उन्हें विधायी आरक्षण प्रदान करता है तथा इन समूहों के साथ-साथ सामाजिक व शैक्षिक रूप से वंचित वर्गों के लोगों के लिए शिक्षा तथा सरकारी नौकरियों में अनिवार्य आरक्षण की व्यवस्था करता है। सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्रोत्साहित करने वाले भारतीय संविधान के कुछ महत्त्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित हैं–
  - **'हम लोग' :** भारतीय संविधान की प्रस्तावना का यह वाक्यांश सुधारवादी लक्ष्य को व्यक्त करता है। 'हम लोग' एक नई पहचान देता है और उन लोगों के लिए समान अवसर एवं स्थिति सुनिश्चित करता है, जिनकी पहचान पहले जाति, धार्मिक व जातीय व्यवस्थाओं के द्वारा तय की गई थी। इस पहचान का आधार एक 'व्यक्तिगत' पहचान है जो उस ढाँचे से उत्पन्न सिद्धांतों से अलग हो गई है। 'हम लोग' 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम और कैबिनेट मिशन योजना की कानूनी बाध्यताओं से परे उल्लेखनीय बदलाव का प्रतीक है।

ट्रान्सजेंडर व्यक्ति संरक्षण अधिनियम, 2019 (अधिकारों का संरक्षण) के तहत ट्रान्सजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित दंड निर्धारित किए गए हैं–

- **धर्मांतरण :** इस अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति या संस्था, रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक स्थानों तक पहुँच जैसे मामलों में ट्रान्सजेंडर व्यक्तियों के साथ भेदभाव करना दंडनीय है।
- **शारीरिक, कामुक, मौखिक, भावनात्मक या आर्थिक दुर्व्यवहार :** यह अधिनियम ट्रान्सजेंडर व्यक्तियों के प्रति किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार को अपराध मानता है और दंड का प्रावधान करता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं :
  - कुछ महीनों से दो साल तक की अवधि के लिए कारावास
  - दोषी व्यक्ति को दंड का भागी भी ठहराया जा सकता है, जिसका निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जाता है।

  - **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार :** किसी वर्गीकृत समाज में 'एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य' के सिद्धांतों पर आधारित सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को स्थापित करना एक क्रांतिकारी कदम था। भारत में पूर्ण नागरिकता केवल इस आवश्यकता के आधार पर प्रदान की जाती है कि व्यक्ति एक वयस्क सदस्य हो, जिस अवधारणा को समावेशन के स्पष्ट सिद्धांत के रूप में जाना जाता है।
  - **अस्पृश्यता का उन्मूलन :** संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को सभी स्वरूपों में अवैध घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य अतीत को भुलाना और लंबे समय से चले आ रहे उन जातियों के निरादर को समाप्त करना था, जिन्हें समाज में अस्पृश्यता के कारण अपमान व भेदभाव का सामना करना पड़ा।
  - **समानता का अधिकार :** भारत का संविधान औपचारिक समानता के विचार से परे जाकर स्पष्ट रूप से वास्तविक अर्थ में समानता के विचार को मान्यता देता है। इसके

अनुसार वंचित वर्गों के हितार्थ जो विशेष सुरक्षात्मक कानून हैं, उनकी व्याख्या गैर-कानूनी भेदभाव के रूप में नहीं की जानी चाहिए।

- **राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व :** राज्य के नीति निदेशक तत्त्व सामाजिक क्रांति को अधिक स्पष्ट एवं संक्षिप्त रूप में परिभाषित करते हैं। इन अवधारणाओं के पीछे का उद्देश्य भारत की जनता को मुक्त करना, अर्थात् उन्हें सामाजिक एवं प्राकृतिक बाधाओं से आज़ाद करना था।

भारत में ए.आई. का भविष्य

संदर्भ

दुनिया ऐसे बदलाव की गवाह बन रही है जहाँ कानूनों को अब तेज़ी से बदलती तकनीक के साथ विकसित होना चाहिए। प्रोफाइलिंग एवं आपराधिक विवेचना में ए.आई. के निहितार्थों पर गहराई से विचार करने के साथ-साथ यह स्पष्ट हो जाता है कि ये तकनीकें बड़े अवसर व महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ दोनों प्रस्तुत करती हैं। गोपनीयता, सुरक्षा एवं नवाचार के बीच संतुलन सुनिश्चित करने के लिए ए.आई. उपयोग को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढाँचे आवश्यक हैं।

ए.आई. एवं प्रोफाइलिंग

- अधिकांश ए.आई. सिस्टम के केंद्र में प्रोफाइलिंग की अवधारणा है व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए डाटा एकत्र करने की प्रक्रिया। चाहे वह ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो जो उत्पादों का सुझाव दे रहा हो या स्ट्रीमिंग सेवाएँ जो सामग्री की सिफारिश कर रही हों, ए.आई. उपयोगकर्ता प्रोफाइल पर निर्भर करता है जिसे व्यवहार के आधार पर लगातार अपडेट किया जा रहा है। यह डाटा-संचालित दृष्टिकोण न केवल उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाता है, बल्कि गोपनीयता एवं व्यक्तिगत डाटा के दुरुपयोग के बारे में चिंताओं को भी सामने लाता है।
- डिजिटल पर्सनल डाटा सुरक्षा (DPDS) अधिनियम, 2023 सीधे इन चिंताओं को संबोधित करता है। व्यवहार संबंधी डाटा को पर्सनल डाटा के रूप में मान्यता देकर यह सुनिश्चित करता है कि उपयोगकर्ताओं के अधिकार सुरक्षित हैं। इसमें अपने डाटा को सही करने या मिटाने का अधिकार शामिल है, जो ए.आई. सिस्टम को यह सोचने पर मज़बूर करता है कि वे कैसे काम करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई उपयोगकर्ता अपने डाटा को मिटाने का विकल्प चुनता है तो यह सूचना की निरंतर धारा को बाधित करता है, जिस पर ए.आई. मॉडल व्यक्तिगत सेवाएँ प्रदान करने के लिए निर्भर करते हैं। यह उन व्यवसायों के लिए एक बुनियादी चुनौती प्रस्तुत करता है जिन्होंने डाटा एकत्रीकरण के आस-पास अपने प्लेटफॉर्म बनाए हैं।
- डी.पी.डी.एस. अधिनियम के तहत डाटा अधिकार अधिक सख्त होने के साथ-साथ व्यवसायों को 'गोपनीयता प्रथम' ए.आई. मॉडल की ओर बढ़ना होगा जो वैल्यू प्रदान करते हुए भी उपयोगकर्ता की सहमति का सम्मान करते हैं। अनुपालन और वैयक्तिकरण के बीच यह नाजुक संतुलन भारत में ए.आई. के लिए नई सीमा है। वैश्विक स्तर पर, इसी तरह के नियम उभर रहे हैं। यूरोपीय संघ में सामान्य डाटा सुरक्षा विनियमन का कंपनियों के डाटा को संभालने के तरीके पर गहरा प्रभाव पड़ा है।

भविष्यसूचक पुलिसिंग एवं आपराधिक जाँच में ए.आई. की भूमिका

- ए.आई. के व्यावसायिक अनुप्रयोगों को व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। कानून प्रवर्तन में इसकी भूमिका ज़ोर पकड़ रही है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 आपराधिक मामलों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के उपयोग का मार्ग प्रशस्त करती है, जो जाँच में सहायता के लिए डिजिटल डाटा का विश्लेषण करने में ए.आई. की शक्ति को स्वीकार करती है। ए.आई. अब भविष्यसूचक पुलिसिंग में केंद्रीय भूमिका निभा सकता है।
- भारत में भारतीय न्याय संहिता, 2023 अपराध की भविष्यवाणी एवं डिजिटल फोरेंसिक में ए.आई. के उपयोग के लिए समान द्वार खोलती है। धोखाधड़ी का पता लगाने, साइबर अपराध की जाँच और यहाँ तक कि आतंकवादी गतिविधियों की निगरानी में सहायता करने के लिए ए.आई. बहुत अधिक सक्षम है। हालाँकि, ये कार्य जितने रोमांचक हैं, उतने ही जोखिम भी इसमें हैं।
- भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 कानून प्रवर्तन एजेंसियों को डिजिटल उपकरणों को ज़ब्त करने और जाँच के लिए व्यक्तिगत डाटा तक पहुँचने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करती है। हालाँकि, यह डिजिटल युग में अपराध का मुकाबला करने के लिए आवश्यक है, किंतु यह गोपनीयता के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएँ भी पैदा करती है।
- इसके अलावा, ए.आई. सिस्टम अचूक नहीं हैं। एल्गोरिथम में पूर्वाग्रह भेदभावपूर्ण परिणामों को जन्म दे सकता है, जो हाशिए पर स्थित समुदायों को असंगत रूप से प्रभावित करता है। ऐसे परिदृश्यों को सामने आने से रोकने के लिए एल्गोरिथम पारदर्शिता एवं न्यायिक निगरानी सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है।

ए.आई. की क्षमता

- ए.आई. की पूर्वानुमानित क्षमताएँ नई नहीं हैं। मानव व्यवहार का विश्लेषण करके, ए.आई. भविष्यवाणी कर सकता है कि अपराध कहाँ एवं कब घटित होने की संभावना है। इससे कानून लागू करने वाले घटनाओं के घटित होने से पहले उपाय कर सकते हैं। वाणिज्यिक क्षेत्र से कानून प्रवर्तन अनुप्रयोगों में यह परिवर्तन ए.आई. की सुधारवादी क्षमता को उजागर करता है। हालाँकि, इसके लिए कानून प्रवर्तन के उस तरीके में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव की भी आवश्यकता है जिसके अनुसार एजेंसियाँ संचालित होती हैं। ई-कॉमर्स में पूर्वानुमानित मॉडल

पुष्टि की कुछ गुंजाइश बर्दाश्त कर सकते हैं, किंतु पुलिसिंग में किसी गलती का व्यक्तियों एवं उनकी स्वतंत्रता के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

- जैसे-जैसे ए.आई. तकनीक अधिक उन्नत होती जा रही है, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इस क्षमता का पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए प्रशिक्षण एवं उपकरणों में निवेश करने की आवश्यकता होगी। उन्हें सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रणाली बनाने की भी आवश्यकता होगी।

नेशनल क्राइम एजेंसी (यू.के.) में ए.आई. का उपयोग

- यूनाइटेड किंगडम में नेशनल क्राइम एजेंसी एक शक्तिशाली केस स्टडी प्रस्तुत करती है। इस एजेंसी ने वर्ष 2019 से ऑनलाइन व्यवहार की निगरानी करके और संवेदनशील बच्चों की पहचान करके बाल शोषण से निपटने के लिए ए.आई. का उपयोग किया है। यह एक निष्क्रिय प्रणाली नहीं है; यह सक्रिय रूप से ट्रैक करती है कि बच्चे इंटरनेट के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं और इस डाटा का उपयोग अपराधों के बढ़ने से पहले संभावित जोखिमों की पहचान करने के लिए करती है।
- ए.आई. का यह अनुप्रयोग दर्शाता है कि कैसे तकनीक का उपयोग सक्रिय पुलिसिंग घटना के बाद कार्रवाई करने की बजाय अपराध होने से रोकने के लिए किया जा सकता है। यह मॉडल भारत के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जहाँ साइबर बदमाशी, ऑनलाइन उत्पीड़न और यहाँ तक कि साइबर स्पेस में आतंकवादी भर्ती प्रयासों से निपटने के लिए समान दृष्टिकोण अपनाए जा सकते हैं।

चुनौतियाँ और आगे की राह

- डी.पी.डी.एस. अधिनियम, 2023 व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा के लिए एक ठोस ढाँचा प्रदान करता है, किंतु यह इस बारे में भी सवाल उठाता है कि उपयोगकर्ता की गोपनीयता का सम्मान करते हुए व्यवसाय कैसे नवाचार कर सकते हैं।
- ए.आई. का प्रभावी एवं नैतिक रूप से उपयोग करने के लिए कानून प्रवर्तन को प्रशिक्षित करना महत्त्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, पूर्वानुमान उपकरणों का नियमित रूप से ऑडिट किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे पूर्वाग्रहों को बढ़ावा न दें। भारत में ए.आई. का भविष्य न केवल इसकी तकनीकी क्षमताओं से बल्कि इसके उपयोग को नियंत्रित करने वाले कानूनी एवं नैतिक ढाँचों से भी आकार लेगा।
- ए.आई. के उपयोग को नियंत्रित करने वाले कानूनों को भी उसी गति से आगे बढ़ना चाहिए। डी.पी.डी.एस. अधिनियम, 2023 एवं बी.एन.एस., 2023 एक कानूनी ढाँचा बनाने की दिशा में साहसिक कदम हैं जो व्यक्तियों के अधिकारों व गोपनीयता के साथ ए.आई. की अविश्वसनीय क्षमता को संतुलित करता है। चाहे व्यक्तिगत सेवाओं के माध्यम से या कानून प्रवर्तन के माध्यम से ए.आई. में हमारे जीने, काम करने एवं संवाद करने के तरीके को बदलने की शक्ति है, लेकिन इसके साथ बड़ी ज़िम्मेदारी भी आती है।
- भारत में ए.आई. का भविष्य, विशेष रूप से प्रोफाइलिंग एवं भविष्य-सूचक पुलिसिंग के क्षेत्रों में इस बात पर निर्भर करता है कि इन तकनीकों को कितनी अच्छी तरह से विनियमित किया जाता है।

श्रम विवाद समाधान पर भारतीय न्याय संहिता का प्रभाव

संदर्भ

औद्योगीकरण ने प्रायः प्रबंधन एवं श्रमिकों के बीच एक खाई उत्पन्न कर दी है जो उत्पादन के साधनों के असमान स्वामित्व से उपजी है। इस असमानता के परिणामस्वरूप औद्योगिक टकराव एवं विवाद हुए हैं। इससे सामाजिक एवं आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए विवाद समाधान की एक प्रभावी प्रणाली की आवश्यकता महसूस हुई। भारत में इस उद्देश्य को श्रम कानूनों की एक शृंखला के माध्यम से आगे बढ़ाया गया है जिसमें 1947 का औद्योगिक विवाद अधिनियम (IDA) और वर्ष 2020 का औद्योगिक संबंध संहिता (IRC) शामिल है। इसका उद्देश्य सुलह, मध्यस्थता एवं न्यायनिर्णयन जैसी प्रणालियों के माध्यम से विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करना है। इस पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक युग की भारतीय दंड संहिता (IPC) से भारतीय न्याय संहिता (BNS) का हाल ही में अधिनियमित होना एक महत्त्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है जिसके प्रावधान श्रम विवाद समाधान सहित विभिन्न कानूनी क्षेत्रों में प्रभाव डालते हैं।

विवाद समाधान : भारत में श्रम मुद्दे

- भारत में श्रम विवाद पारंपरिक रूप से विभिन्न केंद्रीय अधिनियमों से प्रभावित रहे हैं, जैसे 1947 का औद्योगिक विवाद अधिनियम (IDA), 1926 का ट्रेड यूनियन अधिनियम और 1946 का औद्योगिक रोज़गार (स्थायी आदेश) अधिनियम। इन्हें कई श्रम कानूनी विधानों को सरल बनाने और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के प्रयास में औद्योगिक संबंध संहिता (आई.आर.सी.) 2020 के अंतर्गत शामिल किया गया था।
- इन विभिन्न अधिनियमों के तहत यथास्थिति दृष्टिकोण से श्रम विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करना, सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देना और नियोक्ता तथा श्रमिक के बीच सौहार्द बनाए रखना रहा है। यह अधिनियम की धारा 3 एवं 10ए में परिलक्षित होता है जो औद्योगिक विवादों को हल करने के लिए एक तंत्र के रूप में समाधान व स्वैच्छिक मध्यस्थता प्रदान करता है।
- आई.आर.सी. ने दो महत्त्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं। सर्वप्रथम श्रम कानूनों के तहत सभी पिछले संस्थानों को बरकरार रखा गया है, समाधान बोर्ड, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और लेबर कोर्ट को छोड़कर। दूसरे, इसने राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों से जुड़े मामलों को छोड़कर अधिनियम की धारा 10(1) के तहत कुछ श्रम

विवादों को संदर्भित करने या न करने के लिए पूर्व सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है।

- आई.आर.सी. एवं आई.डी.ए. के तहत श्रम विवाद समाधान को तीन रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है :
    - श्रमिकों एवं नियोक्ताओं के विवादों को सुलझाने के लिए द्विपक्षीय मंच (शिकायत निवारण समिति एवं कार्य समिति शामिल);
    - निपटारा, जहाँ एक तटस्थ तीसरा पक्ष कामगार एवं नियोक्ता के बीच मध्यस्थता करता है और
    - कोर्ट का न्याय निर्णयन
- विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का यह तरीका अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है, जिन्हें भारत जैसे मध्यम आय वाले देश में विकास के माहौल को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक माना गया है।

आई.डी.ए. के साथ चुनौतियाँ

- हालाँकि, आई.आर.सी. का उद्देश्य विवादों को सुलझाने के लिए सौहार्दपूर्ण दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है, किंतु इस संहिता के तहत श्रम विवादों को हल करने के लिए प्रयोग किए जाने वाली प्रणालियों में कार्यान्वयन संबंधी विभिन्न समस्याएँ हैं। यह संहिता केवल औपचारिक क्षेत्र में विवादों को हल करने का प्रावधान करती है, जबकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को इससे बाहर रखा गया है। इसका मतलब यह है कि विभिन्न घरेलू और कृषि श्रमिकों, जिनमें विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (गिग वर्कर) पर काम करने वाले लोग भी शामिल हैं, को आई.आर.सी. के तहत विवाद समाधान तंत्र तक पहुँचने से रोका गया है।
- आई.आर.सी. ने भारत में गुणवत्तापूर्ण समझौताकर्ताओं की कमी के बावजूद न तो समझौता प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया और न ही ऑनलाइन समझौता के प्रावधानों को शामिल किया। बी.एन.एस. श्रम विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की इस दृष्टिकोण से बदलाव की ओर बढ़ रहा है और कठोर दंड का प्रावधान किया है।

श्रम विवाद

- आई.आर.सी. एवं पिछले कानूनों के तहत श्रम विवादों के समाधान के विपरीत बी.एन.एस. ने दंडात्मक प्रावधानों की एक शृंखला प्रस्तुत की है जो श्रम विवाद समाधान के संबंध में औपचारिक क्षेत्र में नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों को प्रभावित करते हैं। नियोक्ताओं के लिए बी.एन.एस. एक अधिक कठोर कानूनी ढाँचा प्रस्तुत करता है जो श्रम कानूनों के अनुपालन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रखता है, जबकि अवैध हड़ताल या विरोध प्रदर्शन जैसे गैर-कानूनी श्रम कार्यों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है।
- श्रम विवादों में एक विवादास्पद मुद्दा विरोध एवं हड़ताल से संबंधित है जिसका उपयोग श्रमिकों ने औद्योगिक विवादों के मामलों में अपनी मांगों को पूरा करने के लिए किया है। गुजरात स्टील ट्यूब्स बनाम मज़दूर सभा में न्यायमूर्ति भगवती ने श्रमिकों के लिए उनके महत्त्व को पहचानते हुए व्यापार विवाद में 'सामूहिक सौदेबाज़ी' के साधन के रूप में हड़ताल की उपयोगिता पर ज़ोर दिया।
- इसलिए, यदि सदस्यों द्वारा किए गए कार्य यूनियन के लाभ के लिए औद्योगिक विवाद के संबंध में आगे बढ़ रहे हैं तो औद्योगिक संबंध संहिता ट्रेड यूनियन के सदस्य को कुछ सिविल और आपराधिक मुकदमों में कानूनी कार्यवाही से प्रतिरक्षा प्रदान करती है। इसके विपरीत, बी.एन.एस. की धारा 194 सार्वजनिक स्थानों पर हिंसक व्यवहार (दंगा) करने के लिए दंड निर्धारित करती है।

व्यावहारिक चुनौतियाँ और भविष्य की संभावनाएँ

- हालाँकि, बी.एन.एस. श्रम विवाद समाधान के लिए एक मज़बूत ढाँचा प्रदान करता है, किंतु यह कार्यान्वयन की चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करता है। श्रम अपराधों का अपराधीकरण पहले से ही तनावपूर्ण न्यायिक प्रणाली में लंबित मामलों को और बढ़ा सकता है। नियोक्ता, विशेष रूप से छोटे उद्यम, नई कानूनी जटिलताओं से निपटने के लिए संघर्ष कर सकते हैं।
- बी.एन.एस. की व्याख्या एवं प्रवर्तन में न्यायपालिका आवश्यक होगी क्योंकि धारा 194 जैसे प्रावधान विभिन्न श्रम मामलों में लागू होते हैं। इस प्रकार, बी.एन.एस. का व्यावहारिक प्रभाव न्यायिक व्याख्या के माध्यम से विकसित होगा, जो उभरती चुनौतियों एवं मामलों के जवाब में श्रम परिदृश्य को आकार देगा।

श्रम विवाद एवं बी.एन.एस. : भावी दशा-दिशा

- बी.एन.एस. भारत के श्रम विवाद समाधान के दृष्टिकोण में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है, जो पारंपरिक समाधान के तरीकों से अधिक दंडात्मक ढाँचे की ओर बदलाव को दर्शाता है। श्रमिकों की सुरक्षा को बढ़ाकर और नियोक्ताओं पर कठोर दंड लगाकर बी.एन.एस. कुछ श्रम-संबंधी अपराधों को आपराधिक के रूप में पुनर्वर्गीकृत करता है, जिसका उद्देश्य भारत के श्रम कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है।
- भारत में श्रम अधिकारों और कार्यस्थल सुरक्षा को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। ऐसे में बी.एन.एस. के निहितार्थ महत्त्वपूर्ण हैं। कठोर कानूनी प्रावधानों के कारण नियोक्ताओं को अधिक अनुपालन की आवश्यकता होती है और इससे वैध श्रमिक विरोध और सामूहिक सौदेबाज़ी के प्रयासों को दबाने का जोखिम होता है। यह बदलाव श्रम परिदृश्य के भीतर प्रतिकूल संबंधों को अधिक बढ़ा सकता है जो पहले के कानूनों द्वारा स्थापित ऐतिहासिक रूप से सौहार्दपूर्ण विवाद-समाधान तंत्र को चुनौती देता है।

कुरुक्षेत्र

वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा

पृष्ठभूमि

सामाजिक सुरक्षा कल्याणकारी राज्य का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है। इसका उद्देश्य नागरिकों को जीवन के विभिन्न चरणों में आर्थिक अनिश्चितताओं एवं कठिनाइयों से बचाना है। बुजुर्ग नागरिकों के लिए यह विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वे प्राय: आर्थिक, स्वास्थ्य एवं सामाजिक चुनौतियों का सामना करते हैं। भारत जैसे देश में पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणाली में बुजुर्गों की देखभाल हो जाती थी। हालाँकि, शहरीकरण से बदलते पारिवारिक ढाँचे एवं सामाजिक मानदंडों ने औपचारिक राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता को बढ़ा दिया है।

भारत में बढ़ती बुज़ुर्ग आबादी

- वर्तमान में भारत जनसांख्यिकीय बदलाव के दौर से गुज़र रहा है जहाँ बुज़ुर्गों की आबादी में तेज़ी से वृद्धि हो रही है।
- तकनीकी समूह की जनसंख्या प्रक्षेपण रिपोर्ट-2019 के अनुसार, बुजुर्गों (60 वर्ष एवं उससे अधिक) की आबादी वर्ष 2011 में 103.8 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2031 तक 194 मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है।
- देश की कुल आबादी में बुज़ुर्गों की प्रतिशत हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, जो वर्ष 1951 में 5.5% से बढ़कर वर्ष 2021 में 10.1% और वर्ष 2036 तक 14.9% तक पहुँचने का अनुमान है।

भारत में बुज़ुर्ग नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

देश में बदलते सामाजिक-आर्थिक, जनसांख्यिकीय एवं विकास परिदृश्य के मद्देनज़र सरकार ने बुजुर्ग नागरिकों की सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएँ तथा कार्यक्रम शुरू किए हैं–

- **वृद्ध व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति (1999) :** यह भारत में वृद्ध आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने संबंधी पहली नीति थी। इसका उद्देश्य एक व्यापक समर्थन प्रणाली बनाना था जिसमें वृद्ध व्यक्तियों की वित्तीय एवं खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय, कानूनी सुरक्षा एवं अन्य आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया ताकि उनके जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार हो सके।
  - यह नीति संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस पहल के अनुरूप थी, जिसके अंतर्गत वर्ष 1999 को 'वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष' घोषित किया गया था।
- **बुज़ुर्ग नागरिकों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPSrC) :** इसकी शुरुआत वर्ष 2021 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने की। केंद्र द्वारा प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य बुज़ुर्ग नागरिकों के लिए स्वस्थ, गरिमापूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन को बढ़ावा देना है। साथ ही, सामाजिक एवं अंतर-पीढ़ीगत संबंधों को मज़बूत करना है।

पेंशन एवं बीमा योजनाएँ

पेंशन बुज़ुर्गों के लिए वित्तीय सुरक्षा का एक महत्त्वपूर्ण आधार है। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों एवं समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए न्यूनतम आय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई पेंशन योजनाएँ शुरू की हैं–

- **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम :** वर्ष 1995 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले बुज़ुर्गों, विधवाओं एवं विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायत्ता प्रदान करना था।
  - इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना और विकलांगता पेंशन योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निरंतर मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **कर्मचारी पेंशन योजना :** इसको वर्ष 1995 में औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए प्रारंभ किया गया था। इस योजना को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा संचालित किया जाता है।
  - इसके तहत कर्मचारी एवं नियोक्ता दोनों पेंशन कोष में योगदान करते हैं जो सेवानिवृत्ति के बाद उपलब्ध होता है। सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के अलावा यह योजना विकलांगता के मामलों में और कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में परिवार को भी पेंशन प्रदान करती है।
- **अटल पेंशन योजना :** इस योजना को केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की वृद्धावस्था के लिए आय सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
  - यह योजना 18 से 40 वर्ष के व्यक्तियों को मासिक, तिमाही या वार्षिक योगदान के माध्यम से सेवानिवृत्ति के लिए बचत को प्रोत्साहित करती है जिसमें 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 से 5,000 रुपए तक की गारंटीकृत पेंशन मिलती है।
- **प्रधानमंत्री वय वंदना योजना :** वर्ष 2017 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बीमा पॉलिसी-सह-पेंशन योजना है। इसे जीवन बीमा निगम

(LIC) के माध्यम से 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से शुरू किया गया था।

- **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना :** इसकी शुरुआत 4 मई, 2017 को की गई थी। यह 18 से 70 वर्ष की आयु के बैंक खाताधारकों के लिए एक सस्ती दुर्घटना बीमा योजना है। इसका वार्षिक प्रीमियम केवल 200 रुपए है।
  - यह योजना दुर्घटना से मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपए एवं आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान करती है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा पहल

वृद्धावस्था में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य योजनाएँ और कार्यक्रम लागू किए हैं-

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना :** इसको अक्तूबर 2007 में श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने शुरू किया था। यह बी.पी.एल. श्रेणी से संबंधित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है।
  - इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (SCHIS) गंभीर बीमारियों के लिए अतिरिक्त 30,000 रुपए का कवरेज प्रदान करती है।
- **वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवा राष्ट्रीय कार्यक्रम :** इसे वर्ष 2010 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया था, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को विशेष एवं व्यापक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है।
  - यह योजना स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ एवं किफायती बनाने के साथ-साथ बुजुर्ग देखभाल के लिए समर्पित बुनियादी ढाँचे के विकास पर भी केंद्रित है।
- **राष्ट्रीय वयोश्री योजना :** इस योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने की जो कि वृद्धावस्था से संबंधित विकलांगताओं से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न सहायता उपकरण उपलब्ध कराने पर केंद्रित है।
- **प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना :** 23 सितंबर, 2018 को शुरू की गई यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो वरिष्ठ नागरिकों सहित आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों, जिनमें वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हैं, के लिए अस्पताल भर्ती में हुए माध्यमिक एवं तृतीयक में भर्ती खर्चों को कवर करती है। इसमें प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज है।
  - **वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष :** इसे वर्ष 2016 में भारत सरकार ने स्थापित किया था जो वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

जीविका एवं कौशल विकास पहल

वरिष्ठ नागरिकों को अपनी आय बढ़ाने एवं उत्पादक गतिविधियों में लगे रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई कार्यक्रम लागू किए गए हैं-

- **वरिष्ठ नागरिकों के गरिमामय पुनः रोज़गार :** सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित यह कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों को पुनः रोज़गार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 1 अक्तूबर, 2021 को शुरू किया गया था।
- **एक्शन ग्रुप्स एम्ड एट सोशल रिकंस्ट्रक्शन (AGRASR) समूह :** ये समूह वरिष्ठ नागरिकों को स्वयं सहायता समूह (SHGs) बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिससे वे अपने समय का रचनात्मक उपयोग कर सकें और उन गतिविधियों में शामिल हो सकें, जिनसे बाज़ार योग्य उत्पाद तैयार हो सकें।
- **प्रमोशन ऑफ सिल्वर इकोनॉमी :** यह पहल उन स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करती है जो वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए उत्पाद, प्रक्रियाएँ एवं सेवाएँ विकसित कर रहे हैं।

आवास एवं कल्याण योजनाएँ

- **डे केयर केंद्रों की स्थापना :** इस पहल का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को मनोरंजक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाने के साथ ही बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है। इनका उद्देश्य बुजुर्गों के अकेलेपन को कम करना और उनके मानसिक व भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार करना है।
- **वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (IPSrC) :** इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1992 में की गई। इसके तहत सरकार द्वारा एन.जी.ओ. को अनुदान देकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों को सहायता प्रदान की जा रही है।
- **रिवर्स मॉर्टगेज योजना :** वर्ष 2007 में प्रारंभ यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को अपने घरों को बैंकों के पास गिरवी रखने और बदले में नियमित भुगतान प्राप्त करने की अनुमति देती है। यह उन बुजुर्गों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है जिनके पास घर है किंतु नियमित आय का कोई स्रोत नहीं है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए कानूनी सुरक्षा एवं अधिकार

- **माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 :** सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकारों की रक्षा से संबंधित यह अधिनियम वर्ष 2007 में पारित किया गया। यह निर्धारित करता है कि बच्चों का अपने बुजुर्ग माता-पिता का भरण-पोषण करना कानूनी दायित्व है।
  - इसके तहत बच्चों द्वारा उपेक्षा या परित्याग की स्थिति में वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण का दावा कर सकते हैं। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना का भी प्रावधान है।

- **राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति,** 2011 **:** यह नीति वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा, देखभाल एवं वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्त्व पर ज़ोर देती है। इस नीति के तहत स्वास्थ्य देखभाल, आवास एवं पेंशन कार्यक्रमों के व्यापक कार्यान्वयन की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है।
- **वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन :** बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए सरकार और विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) द्वारा विभिन्न हेल्पलाइन भी स्थापित किए गए हैं। ये हेल्पलाइन बुजुर्गों को दुर्व्यवहार, वित्तीय शोषण या उपेक्षा के मामलों में त्वरित सहायता प्रदान करती है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा
- जागरूकता का अभाव
- आवश्यक संसाधनों की कमी
- वित्तीय असुरक्षा
- स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच में कमी
- डिजिटल विभाजन
- कौशल का अभाव
- लैंगिक असमानता
- बुजुर्गों में सामाजिक अलगाव

आगे की राह

- बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है जिसमें सार्वभौमिक पेंशन कवरेज का विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सुधार और सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए आवेदन प्रक्रियाओं का सरलीकरण प्राथमिकता होनी चाहिए।
- इसके अलावा कमज़ोर समूहों, विशेष रूप से बुजुर्ग महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों का समर्थन करने के लिए लक्षित पहल महत्त्वपूर्ण हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन कार्यक्रमों तक समान पहुँच हो।
- अधिकारों एवं उपलब्ध संसाधनों के बारे में अधिक जागरूकता और कानूनी सुरक्षा को सुदृढ़ करके भारत एक समावेशी समाज बनाने की दिशा में सार्थक कदम उठा सकता है।

विकास एवं समृद्धि के लिए सामाजिक सुरक्षा

संदर्भ

सतत् विकास लक्ष्यों के एक हिस्से के रूप में सामाजिक सुरक्षा को स्पष्टत: रूप से स्वीकार किया गया है जिसमें पहला लक्ष्य ही 'सभी जगह से सभी प्रकार की गरीबी का अंत' करना है। यह सभी के लिए, विशेष रूप से कमज़ोर लोगों के लिए उचित राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा प्रणाली एवं उपायों के कार्यान्वयन का आह्वान करता है। साथ ही, यह वर्ष 2030 तक 'गरीब एवं असुरक्षित लोगों की पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा' का लक्ष्य प्राप्त होने की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।

सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता

- संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास के लिए गठित आयोग के नागरिक समाज घोषणा-पत्र के अनुसार, दुनिया की लगभग 71% आबादी के पास पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा का अभाव है तथा 75 करोड़ से अधिक लोग अत्यधिक गरीबी एवं असुरक्षा के वातावरण में जी रहे हैं।
- सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों ने विश्व के विभिन्न हिस्सों में व्यक्तियों, समुदायों, राष्ट्रों व समाजों के सतत् सामाजिक एवं आर्थिक विकास में योगदान दिया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कारण सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं-
  - गरीबी को रोकने और कम करने में सहायक
  - कमज़ोर वर्गों का सामाजिक समावेशन
  - आर्थिक विकास में सहायक
  - उपभोग, बचत व निवेश में वृद्धि
  - मानव विकास को प्रोत्साहन
  - पोषण व शिक्षा तक आसान पहुँच
  - बेहतर स्वास्थ्य परिणाम
  - बाल श्रम में गिरावट
  - उत्पादकता एवं रोज़गार क्षमता में वृद्धि
  - मानव पूंजी और उत्पादक संपत्ति में सुधार
  - राजनीतिक स्थिरता
  - सामाजिक तनाव और हिंसक संघर्ष में कमी
  - सामाजिक सामंजस्य और भागीदारी
- सामाजिक सुरक्षा एक मानवाधिकार है जिसका पूरा लाभ समाज के प्रत्येक सदस्य को मिलना चाहिए जिसमें बच्चे, माताएँ, विकलांग व्यक्ति, श्रमिक, बुजुर्ग, प्रवासी, मूल निवासी व अल्पसंख्यक शामिल हैं।

भारत में सामाजिक सुरक्षा

- **नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा :** भारतीय संविधान में वर्ष 2002 में 86वें संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। वर्ष 2009 का शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है।

- यह योजना न केवल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करती है, बल्कि सभी बच्चों की एकसमान और समावेशी कक्षा के माहौल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करती है।

- **पी.एम. पोषण योजना :** इस योजना की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई। इसे 'मध्याह्न भोजन योजना' के रूप में जाना जाता है। हाल ही में इसे 'पी.एम. पोषण योजना' का नाम दिया गया है।
  - इस योजना के तहत सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे को दोपहर का भोजन मुफ्त दिया जाता है। यह योजना दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल भोजन कार्यक्रम है।
- **खाद्य सुरक्षा के साथ सामाजिक सुरक्षा :** भोजन का अधिकार एक महत्त्वपूर्ण मानवाधिकार है। इस संदर्भ में वर्ष 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम ने पोषण सुरक्षा को एक अधिकार बना दिया। भारत की खाद्य सुरक्षा योजनाओं में कम आय वाले परिवारों, बच्चों व बुज़ुर्गों जैसी कमज़ोर आबादी के बीच भूख एवं कुपोषण से निपटने के लिए कई पहलें शामिल हैं।
  - अंत्योदय अन्न योजना (AAY) समाज के सबसे कमज़ोर 8.92 करोड़ लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक कल्याण पहल है।
  - पोषण सुरक्षा की दिशा में एक अन्य पहल फोर्टिफाइड चावल पहल है, जो आवश्यक विटामिन और खनिज प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।
    - वर्ष 2019-20 से शुरू इस योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 31 मार्च, 2024 तक लगभग 406 लाख मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल वितरित किया गया।
- **गरीबों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर :** वर्ष 2030 तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2015 में अपनाए गए सतत् विकास लक्ष्यों में से एक लक्ष्य है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है जो सामाजिक सुरक्षा का एक प्रमुख घटक है।
  - **आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) :** दुनिया की सबसे बड़ी इस स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य 12 करोड़ से अधिक परिवारों (लगभग 55 करोड़ लोगों) को बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराना है। यह योजना अस्पताल में भर्ती होने पर द्वितीयक और तृतीयक देखभाल हेतु प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है।
- **रोज़गार के अधिकार के साथ सामाजिक सुरक्षा :** राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 एक महत्त्वपूर्ण श्रम कानून व सामाजिक सुरक्षा उपाय है। इसका उद्देश्य 'काम का अधिकार' सुनिश्चित करने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कम-से-कम 100 दिनों के मज़दूरी रोज़गार की गारंटी देकर आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है।

सामाजिक सुरक्षा का महत्त्वपूर्ण घटक

वरिष्ठ नागरिक

- जनसंख्या प्रक्षेपण पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की बुज़ुर्ग जनसंख्या वर्ष 2031 तक 19.34 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है। यह वृद्धि वर्ष 2011 की जनगणना में दर्ज 10.38 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों से हुई।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS), राष्ट्रीय वयोश्री योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना आदि चलाई जा रही हैं।
- वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2007 में शुरू की गई रिवर्स मॉर्टगेज ऋण योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक बैंक में अपनी संपत्ति गिरवी रख सकते हैं और आवासीय संपत्ति के मूल्य का 60% तक का अधिकतम ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिक

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, भारत में लगभग 56.5 करोड़ श्रमिक हैं जिनमें से 45% कृषि में, 11.4% विनिर्माण में, 28.9% सेवाओं में और 13% निर्माण में लगे हुए हैं। सरकार द्वारा असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 पारित किया गया जिसके तहत अनेक कल्याणकारी योजनाएँ बनाई गई हैं-

- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 :** असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में सामाजिक सुरक्षा संहिता बनाई गई। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में विभिन्न संगठनों में कार्यरत कामगारों व मज़दूरों को बीमारी, प्रसूति, विकलांगता जैसी स्थितियों में सामाजिक सुरक्षा का लाभ पहुँचाना है।
  - संहिता में ज़िला प्रशासन द्वारा असंगठित क्षेत्र के सभी मज़दूरों, कामगारों, अस्थायी कामगारों और प्लेटफॉर्म वर्कर्स का पंजीकरण एवं पहचान-पत्र जारी करने का प्रावधान है।
  - संहिता के अंतर्गत कामगार सहूलियत केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जो अलग- अलग मंत्रालयों व विभागों से उन्हें सामाजिक सुरक्षा सुविधाएँ मुहैया करवाने में मदद कर सकें।
  - सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन का भी प्रावधान किया गया है।

- **प्रधानमंत्री जन धन योजना :** इस योजना की शुरुआत अगस्त 2014 में की गई। इसका उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं से वंचित जनता को औपचारिक बैंकिंग के दायरे में लाना था।
- **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा :** वर्ष 2015 में शुरू की गई यह योजना कामगारों व मज़दूरों को मृत्यु एवं विकलांगता होने पर सुरक्षा कवर प्रदान करती है।
  - यह एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। इसमें परिवार को 2 लाख रुपए मिलते हैं।
- **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना :** इसके तहत 20 रुपए सालाना प्रीमियम पर मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपए तथा विकलांग हो जाने पर 1 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाता है।
- **प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन योजना :** असंगठित क्षेत्र में वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन योजना की शुरुआत की। यह 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान करती है।
- **अटल पेंशन योजना :** इस योजना को पहले स्वावलंबन योजना के रूप में जाना जाता था। इसकी शुरुआत 9 मई, 2015 को की गई थी जो मुख्यत: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक केंद्र सरकार समर्थित पेंशन योजना है।
- **महात्मा गांधी बुनकर योजना :** यह हथकरघा बुनकरों को बीमा सुविधा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

किसान

- **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) :** यह केंद्र सरकार की एक योजना है जिसे 24 फरवरी, 2019 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य किसानों को वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) :** इसे वर्ष 2016 को शुरू किया गया था। यह योजना किसानों को फसलों की हानि या क्षति के दौरान एक किफायती बीमा योजना के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसमे पूर्व बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद तक की अप्रत्याशित घटनाओं को शामिल किया गया है।
- **प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) :** इस योजना को वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनके उत्पादों के लिए उचित मूल्य मिल सके।
- **प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (PM-KMY) :** इस योजना को केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य सबसे कमज़ोर किसान परिवारों को वित्तीय सहायता एवं सुरक्षा प्रदान करना है। यह एक अंशदान योजना है।
- **परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) :** इस योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई। इसके तहत किसानों की कृषि लागत को जैविक तरीकों से उनकी प्रति इकाई भूमि शुद्ध आय बढ़ाने और मानव उपभोग के लिए रसायनमुक्त और पौष्टिक भोजन का उत्पादन करने का प्रयास किया जाना शामिल है।
- **प्रति बूँद अधिक फसल योजना (PDMC) :** इस योजना को वर्ष 2015 में शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना था।
  - इस योजना में सटीक एवं सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों के साथ-साथ जल संरक्षण गतिविधियों के लिए भी मदद दी जाती है।
- **प्रधानमंत्री जन धन योजना :** यह योजना केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2014 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की अविकसित आबादी तक, बैंक खाते, प्रेषण, ऋण, बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक सस्ती पहुँच प्रदान करना है।
- **कृषि अवसंरचना कोष :** इस कोष की स्थापना आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत की गई। इसका उद्देश्य कृषि अवसंरचना की वर्तमान कमी को दूर करने और कृषि क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना है।

स्वास्थ्य समानता की आवश्यकता

संदर्भ

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 'सोशल प्रोटेक्शन एट दी क्रॉसरोड्स-इन परसुएट ऑफ ए बेटर फ्यूचर' के अनुसार, दुनिया की दो-तिहाई आबादी सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना द्वारा संरक्षित है। हालाँकि, यह अनुपात क्रमश: निम्न मध्यम आय और निम्न आय वाले देशों में केवल एक-तिहाई एवं पाँचवां हिस्सा है। ऐसे में सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में 'स्वास्थ्य समानता' की अवधारणा की प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है।

स्वास्थ्य समानता की अवधारणा

स्वास्थ्य समानता वह सिद्धांत है जो स्वास्थ्य और उसके निर्धारकों में असमानताओं को कम करने तथा अंतत: समाप्त करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस सिद्धांत के अनुसार, सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य के उच्चतम संभव मानक के लिए प्रयासरत रहना और सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर खराब स्वास्थ्य के सर्वाधिक जोखिम वाले लोगों की ज़रूरतों पर विशेष ध्यान देना शामिल है। इसके सिद्धांतों में शामिल है–

- स्वास्थ्य क्षेत्र द्वारा यह सुनिश्चित करना कि आवश्यकतानुसार उच्च गुणवत्ता वाली एवं प्रभावी सेवाएँ हर किसी के लिए हर जगह सुलभता से उपलब्ध हों।
- स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्रों द्वारा स्वास्थ्य के व्यापक संरचनात्मक निर्धारकों पर कार्य करना, ताकि शक्ति व संसाधनों के असमान

वितरण से निपटा जा सके और दैनिक जीवन की स्थितियों में सुधार लाया जा सके।

- स्वास्थ्य क्षेत्र को स्वास्थ्य परिणामों और स्वास्थ्य सेवा वितरण की निगरानी के माध्यम से स्वास्थ्य असमानताओं की निगरानी में अग्रणी भूमिका निभाना एवं लोगों की जीवन स्थितियों की निगरानी के लिए अन्य क्षेत्रों के साथ काम करना।
- स्वास्थ्य समानता हासिल करने के लिए गरीबी, भेदभाव, शिक्षा, स्वच्छ जल एवं पोषण जैसे बुनियादी संसाधनों तक असमान पहुँच से संबंधित प्रणालीगत बाधाओं को दूर करना आवश्यक है।

स्वास्थ्य समानता का महत्त्व

- स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना
- समाज के समृद्ध और हाशिए पर स्थित लोगों के बीच के अंतर को पाटना
- बाज़ार ताकतों से प्रेरित वंचित वर्गों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करना
- प्रणालीगत बाधाओं और संसाधनों तक सीमित पहुँच को संबोधित करना
- समग्र एवं एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना
- सतत् विकास लक्ष्यों में अंतर्निहित प्रतिबद्धता को पूरा करना
- संविधान में उल्लिखित नीति निदेशक सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करना
- दूरदराज़ के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करना

स्वास्थ्य समानता सुनिश्चित करने हेतु योजनाएँ

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) :** स्वास्थ्य समानता स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2005 में इस मिशन की शुरुआत की गई। इस मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा सभी आय समूहों के रोगियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने की ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य/ केंद्र-शासित प्रदेश सरकारों को सौंपी गई।
  - एन.एच.एम. के दो उप-मिशन 'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM)' और 'राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM)' के साथ राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों को उनकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मज़बूत करने में सहायता करता है, ताकि न्यायसंगत, सस्ती व गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित की जा सके।
  - राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यान्वित स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएँ, मोबाइल मेडिकल यूनिट, आशा (ASHA), बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करना, 24×7 सेवाएँ और प्रथम रेफरल सुविधाएँ, मेरा अस्पताल, कायाकल्प पुरस्कार योजना, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक कार्यान्वयन और संबंधित गतिविधियाँ, लक्ष्य प्रमाणन, बायोमेडिकल उपकरण रखरखाव और प्रबंधन कार्यक्रम, मुफ्त डायग्नोस्टिक्स सेवा पहल व मुफ्त दवा सेवा आदि पहलें शामिल हैं।
- **आयुष्मान भारत योजना :** इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में की गई। इसको सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) और इसकी अंतर्निहित प्रतिबद्धता 'कोई भी पीछे नहीं छूटे' को पूरा करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
  - इस योजना में स्वास्थ्य व कल्याण केंद्र (वर्तमान में आयुष्मान आरोग्य मंदिर) एवं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसे घटक शामिल हैं।
  - यह योजना पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित है तथा कार्यान्वयन की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाती है।
- **प्रधानमंत्री जन औषधि योजना :** केंद्र सरकार द्वारा लोगों पर दवा के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए देश भर में लगभग 11,096 से भी ज़्यादा जन औषधि केंद्र स्थापित किए हैं। ये फार्मेसी बाज़ार की कीमतों की तुलना में 50-90% सस्ती दरों पर आवश्यक दवाएँ उपलब्ध कराते हैं।
- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना :** इस योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से लाभार्थी को सीधे नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
- **आयुष्मान भव अभियान :** यह अभियान पूरे देश और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण के साथ सरकारी क्षेत्रों, नागरिक समाज संगठनों और समुदायों को एक साझा मिशन के तहत एकजुट करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी असमानता या बहिष्कार के आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त हों।
  - इसका मुख्य उद्देश्य भौगोलिक बाधाओं को पार करते हुए हर गाँव एवं कस्बे तक व्यापक स्वास्थ्य सेवा कवरेज का विस्तार करना है।

प्रौद्योगिकी-आधारित योजनाएँ

- वर्तमान में स्वास्थ्य सेवाओं को लोकतांत्रिक बनाने में प्रौद्योगिकी की उत्कृष्ट भूमिका रही है। इस संदर्भ में मोबाइल स्वास्थ्य ऐप, विकेंद्रीकृत निदान, डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड और एक व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाने वाली कई पहलें हैं।
- इसके अलावा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, कोविन ऐप, आरोग्य सेतु, ई-संजीवनी और ई-हॉस्पिटल जैसी प्रमुख पहलों ने देश भर में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं एवं रोगियों को जोड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन :** इसका उद्देश्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य जानकारी की सुरक्षा, गोपनीयता एवं निजता सुनिश्चित करते हुए डाटा, सूचना व बुनियादी ढाँचा सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करना है।
    - इसके तहत विभिन्न स्वास्थ्य रिकॉर्ड, जैसे– लैब रिपोर्ट, प्रिस्क्रीप्शन आदि के द्वारा डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रशासनिक बोझ को कम किया जाता है जो स्वास्थ्य सेवा को अधिक सुलभ बनाता है।
- **ई-संजीवनी :** यह प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है। इसके अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी तृतीयक स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में डॉक्टरों एवं विशेषज्ञों के साथ रोगी परामर्श की सुविधा प्रदान करते हैं तथा रोगी-से-प्रदाता प्लेटफॉर्म के ज़रिए नागरिकों को स्मार्टफोन या कंप्यूटर के माध्यम से अपने घरों से स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुँच सुनिश्चित करता है।
- **ई-हॉस्पिटल :** यह एक व्यापक अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली है जो मरीज़ों, अस्पतालों और डॉक्टरों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ती है। सरकारी एवं स्वायत्त अस्पतालों के लिए उपलब्ध यह प्रणाली आंतरिक कार्यप्रवाह को सरल बनाती है।
- **ई-रक्तकोष :** यह वर्ष 2016 में शुरू किया गया एक वेब-आधारित केंद्रीकृत रक्त बैंक प्रबंधन प्रणाली है जो 'आधार' के साथ एकीकृत है। यह रक्तदान के पूरे जीवनचक्र का प्रबंधन करता है जिसमें डोनर ट्रैकिंग, ब्लड ग्रुपिंग एवं इनवेंटरी प्रबंधन आदि शामिल हैं।

निष्कर्ष

स्वास्थ्य न केवल बीमारी की अनुपस्थिति है बल्कि यह पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति है। स्वस्थ होने में अच्छा पोषण, स्वच्छता एवं समग्र कल्याण को शारीरिक, सामाजिक व आर्थिक रूप से बनाए रखना शामिल है। स्वास्थ्य समानता सुनिश्चित करती है कि हर किसी को उनकी पृष्ठभूमि या परिस्थितियों की परवाह किए बिना स्वास्थ्य सेवा के निर्णयों में सक्रिय रूप से शामिल होने और अपनी ज़रूरत की सेवाओं तक पहुँचने का अवसर मिले।

डाउन टू अर्थ

नदियों में बढ़ता औद्योगिक प्रदूषण

संदर्भ

अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्र नदियों पर निर्भर है, इसलिए इन्हें संरक्षित करना वर्तमान समय की सबसे महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। गंगा नदी दुनिया की 5 सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है जिसका प्रमुख कारण उद्योगों से आने वाला अनुपचारित जल है। ऐसे में नदियों में बढ़ता औद्योगिक प्रदूषण भारत के सबसे गंभीर पर्यावरणीय मुद्दों में से एक है जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रमुख संकट बनता जा रहा है। इसके कारण नदियों के पानी की गुणवत्ता में गिरावट आती है तथा विभिन्न प्रकार के नुकसान होते हैं।

औद्योगिक प्रदूषण से प्रभावित नदियाँ

- **हिंडन नदी :** हिंडन नदी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड की सीमा पर ऊपरी शिवालिक से निकलती है, इसकी लंबाई लगभग 400 किमी. है। यह गौतम बुद्ध नगर में यमुना में मिलती है। इसके किनारे स्थित प्रमुख औद्योगिक ज़िलों (सहारनपुर, गाज़ियाबाद, शामली, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर आदि) से निकलने वाले औद्योगिक एवं घरेलू अपशिष्ट के कारण इसकी स्थिति लगभग नाले जैसी हो गई है।
    - नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने वर्ष 2020 में हिंडन को 'व्यावहारिक रूप से मृत' घोषित कर दिया था। ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में हिंडन को स्वच्छ व बहाल करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था। ट्रिब्यूनल के अनुसार, हिंडन और इसकी सहायक नदियों में वर्ष 1980 से ही प्रदूषण शुरू हो गया था।
    - विशेषज्ञों के अनुसार, हिंडन नदी होने के मापदंडों को पूरा नहीं करती है और अब यह केवल घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट को बहाकर ले जाने मात्र का साधन बन कर रह गई है।
- **मीठी नदी :** मीठी नदी मुंबई की विहार झील के मुहाने से निकलकर पवई झील के मुहाने से मिलती है और दोनों धाराएँ मिलकर मीठी नदी का निर्माण करती हैं। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट ने इस नदी को उद्गम से लेकर अरब सागर में मिलने तक इसके प्रत्येक हिस्से को नष्ट कर दिया है। वर्तमान में यह भी नाला बनकर ही रह गई है।
- **मूसी नदी :** मूसी नदी हैदराबाद से 60 किमी. दूर स्थित अनंतगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। यह हैदराबाद से बहते हुए उसे दो हिस्सों में बांटती है, फिर 165 किमी. दूर नलकोंडा ज़िले में कृष्णा नदी में मिल जाती है।
    - वर्तमान में मूसी नदी में शहर का सारा सीवेज, औद्योगिक एवं ठोस कचरा बहाया जा रहा है जिसके करण यह नदी प्रदूषण के उच्चतम स्तर तक पहुँच गई है।
- **लूनी नदी :** यह नदी राजस्थान में स्थित अरावली पर्वतमाला के नाग पहाड़ से निकलकर गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त

हो जाती है। यह एक वर्षा-आधारित नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में सुकड़ी, जवाई, बाँड़ी, गुहिया, जोजरी एवं लिलरी आदि हैं।

- नदी क्षेत्रों और इसके आसपास के इलाके में अनेक उद्योगों कि स्थापना हुई है जिनका सारा अपशिष्ट लूनी एवं उसकी अन्य सहायक नदियों में प्रदूषण का महत्त्वपूर्ण स्रोत रहा है।
- उदाहरण के लिए, पश्चिमी जोधपुर से गुज़रने वाली जोजरी नदी में पिछले कई वर्षों से अशोधित जल के छोड़ जाने से नदी जल के साथ-साथ यहाँ के भू-जल में भी प्रदूषण का उच्च स्तर पहुँच गया है।

- **गोमती नदी :** गोमती नदी पीलीभीत के माधोटांडा में फुलहर ताल से निकलती है। यह नदी उत्तर प्रदेश के पंद्रह ज़िलों में बहती है एवं वाराणसी से 27 किमी. की दूरी पर स्थित सैदपुर में कैथी नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती जाती है।
  - यह नदी लखनऊ में प्रवेश करते ही शहर को दो भागों में बांट देती है : सिस-गोमती और ट्रान्स-गोमती। ट्रान्स-गोमती अधिक विकसित व नियोजित है जबकि सिस-गोमती क्षेत्र में पुरानी कॉलोनियाँ हैं जिन्हें 'पुराना लखनऊ' कहा जाता है।
  - लखनऊ में गोमती नदी की कई सहायक नदियों को सीवेज ढोने वाले नालों के रूप में जाना जाता है। सत्तर के दशक में गोमती के अलावा लखनऊ में रैठ, बेहता, कुकरैल, बख, नगवा, अकरद्दी, झींगी, लोनी एवं सई नाम की नौ छोटी नदियाँ बहती थीं। इनमें से चार नदियाँ पिछले 50 वर्षों में गायब हो गई हैं क्योंकि लखनऊ का विकास गोमती और उसकी सहायक नदियों के कैचमेंट को खत्म करके किया गया।
- **मुला-मुठा नदी :** ये नदियाँ पश्चिमी घाट के सह्याद्रि पर्वतमाला से निकलती हैं और महाराष्ट्र के पुणे में प्रवाहित होती हैं। मुला-मुठा भीमा नदी की एक उपनदी है, जो कृष्णा नदी की एक उपनदी है। वर्तमान में ये दोनों नदियाँ भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में शामिल हैं। मुठा नदी में प्रदूषण का प्रमुख कारण घरेलू सीवेज है जबकि मुला नदी औद्योगिक अपशिष्ट से सर्वाधिक प्रभावित है।
- **अडयार नदी :** अडयार नदी चेन्नई के कांचीपुरम ज़िले में स्थित चेंबरमबक्कम झील के पास से निकलती है। यह तमिलनाडु की 3 प्रमुख नदियों में से एक है जो अड्यार मुहाने पर बंगाल की खाड़ी में समुद्र का हिस्सा बन जाती है। शहर का ज़्यादातर कचरा इसी नदी में बहाया जाता है। हालाँकि, भीषण प्रदूषण के बावजूद इस नदी में नौकायान एवं मछली पकड़ने जैसे काम होते रहते हैं।
  - एक अध्ययन के अनुसार, अड्यार नदी में लाल रंग के माइक्रोप्लास्टिक्स की मात्रा सर्वाधिक (48%) है। इसके बाद काले, सफेद, पारदर्शी, नीले, भूरे, नारंगी एवं अन्य रंग के माइक्रोप्लास्टिक थे।
- **विश्वामित्री नदी :** विश्वामित्री नदी पावागढ़ पहाड़ियों की पश्चिमी एवं दक्षिणी ढलानों से निकलती है। यह वडोदरा शहर से पश्चिम की ओर बहती है और आगे दो अन्य सहायक नदियों धाधर एवं जम्बुवा से मिलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। वर्तमान में बिना उपचार के छोड़े जा रहे सीवेज तथा उद्योगों से नदी की संरचना व कार्यप्रणाली पूरी तरह बदल गई है।

नदी प्रदूषण के प्रभाव

- **खाद्य श्रृंखला पर नकारात्मक प्रभाव :** औद्योगिक प्रदूषण से पारिस्थितिकी तंत्र एवं खाद्य श्रृंखलाएँ नकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं जिससे जलीय प्रजातियाँ नष्ट हो जाती हैं और नदी का समग्र स्वास्थ्य खराब हो जाता है।
- **स्वास्थ्य पर प्रभाव :** नदियों का प्रदूषित पानी जलजनित गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। प्रदूषित नदियों के पास रहने वाले लोग गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित होते हैं जिनमें त्वचा रोग, श्वसन संबंधी समस्याएँ आदि शामिल हैं।
- **समुद्री जैव-विविधता पर प्रभाव :** उद्योगों से निकले हुए अपशिष्ट एवं अनुपचारित जल के साथ समुद्र में गिरने वाली नदियों से समुद्री जैव-विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- **पेयजल संकट :** जिन नदियों का उपयोग उन क्षेत्रों में रहने वाली आबादी के द्वारा पेयजल के रूप में किया जाता रहा है, वर्तमान में उन क्षेत्रों में प्रदूषण की वजह से पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
- **कृषि भूमि का प्रदूषण :** सिंचाई के लिए नदी के प्रदूषित जल का प्रयोग मृदा एवं फसलों को दूषित करता है जिससे कृषि उत्पादकता कम होती है और स्वास्थ्य जोखिम होता है।
- **मछली पकड़ने वाले समुदायों को आर्थिक नुकसान :** प्रदूषण के कारण मछलियाँ एवं अन्य जलीय जीव मर जाते हैं जिससे मछली पकड़ने वाले समुदाय आर्थिक रूप से प्रभावित होते हैं।

समाधान

औद्योगीकरण को देश के समग्र विकास का एक प्रमुख साधन माना जाता है। यह रोज़गार प्रदान करने में भी महत्त्वपूर्ण है किंतु इसका नकारात्मक प्रभाव वातावरण, नदियों एवं भू-जल पर भी पड़ता है। इस संबंध में निम्न उपाय आवश्यक हैं–

- **विनियामक ढाँचे को मज़बूत करना :** उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए नियमों एवं विनियमों का मज़बूत ढाँचे की आवश्यकता है।
- **अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों की क्षमता में वृद्धि :** वर्तमान में जितने भी जल उपचार संयंत्र हैं, उनकी क्षमता काफी कम है। ऐसे में उपचार संयंत्रों की क्षमता में वृद्धि भी नदी प्रदूषण को कम करने का एक महत्त्वपूर्ण उपाय हो सकता है।

- **स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना :** विभिन्न उद्योगों में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को बढ़ावा देने से स्रोत पर प्रदूषण को कम किया जा सकता है जिससे अंततः नदी में होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सकता है।
- **अनुपालन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन :** सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण उपायों को अपनाने वाले विभिन्न उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन या सब्सिडी प्रदान करने से बेहतर प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- **सामुदायिक भागीदारी की भागीदारी :** प्रदूषण की निगरानी एवं रिपोर्टिंग में स्थानीय समुदायों को शामिल करने से जवाबदेही व पारदर्शिता बढ़ सकती है।
- **समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देना :** उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा एक समग्र दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है।

नदियों में भारी धातु संदूषण

संदर्भ

केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट 'स्टेटस ऑफ ट्रेस एंड टॉक्सिक मेटल इन रिवर्स ऑफ इंडिया' के अनुसार, भारत की 81 नदियों और उसकी सहायक जलधाराओं में एक या उससे अधिक हानिकारक धातुओं (Heavy Metals) का स्तर बहुत अधिक पाया गया है। वर्तमान में भारत की अनेक छोटी-बड़ी नदियों में सामान्य प्रदूषण के अलावा खतरनाक भारी धातुओं का स्वीकृत सीमा से अधिक पाया जाना पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य के लिए अनेक चिंताएँ उत्पन्न करता है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- रिपोर्ट में भारत की 22 नदियों एवं उनकी सहायक नदियों में दो या उससे अधिक हानिकारक धातुओं के मौजूद होने की पुष्टि हुई है। इन नदियों के 37 निगरानी स्टेशनों से लिए पानी के नमूनों में आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, ताँबा, लोहा, सीसा, पारा एवं निकेल जैसी भारी धातुओं का स्तर सुरक्षित सीमा से अधिक पाया गया है।
    - उदाहरण के लिए, दिल्ली में यमुना नदी के वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन से लिए नमूने में पारे का स्तर भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा से नौ गुना अधिक था। पारे के लिए स्वीकृत सीमा 1 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तय की गई है।
- रिपोर्ट में भारत की दस नदी-घाटियों के पानी में 9 हानिकारक धातुओं की जाँच की गई। निष्कर्षों के अनुसार, 14 नदियों के 30 स्टेशनों पर आर्सेनिक मौजूद है, जबकि 11 नदियों में 18 जगहों पर पारा और 16 नदियों के 16 निगरानी स्टेशनों से लिए पानी के नमूनों में क्रोमियम की पुष्टि की गई है।
- केंद्रीय जल आयोग द्वारा रिपोर्ट में यह पुष्टि भी की गई है कि नदियों की जल गुणवत्ता निगरानी के लिए बनाए गए 141 स्टेशनों में से 74% यानी 104 स्टेशनों पर एक-न-एक हानिकारक भारी धातु बी.आई.एस. द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा से कहीं ज़्यादा पाई गई। वहीं इनमें से 49 स्टेशनों पर केवल आयरन का स्तर तय सीमा से अधिक था।
- रिपोर्ट के अनुसार भागीरथी नदी (गंगा की एक सहायक नदी) पर स्थित निगरानी स्टेशन में आर्सेनिक, सीसा एवं लोहे का स्तर सुरक्षित सीमा से ऊपर पाया गया। कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर स्थित होन्नाली स्टेशन पर क्रोमियम, पारा व सीसा सुरक्षित सीमा से ऊपर पाए गएँ।
- गंगा बेसिन की स्थिति बेहद खराब है जहाँ 161 जगहों में से लगभग 75 यानी 47% जगहों पर धातुओं का स्तर सुरक्षित सीमा से अधिक पाया गया।
- नदियों का जल प्राकृतिक स्रोतों के साथ-साथ अब मानवीय गतिविधियों के कारण बढ़ रही ज़हरीली धातुओं से भी दूषित हो रहा है। पानी में इन धातुओं की सुरक्षित सीमा से ज़्यादा मौजूदगी पौधों व जानवरों के लिए गंभीर खतरा बन सकती है क्योंकि यह धातुएँ नॉन-बायोडिग्रेडेबल प्रकृति की होती हैं।

नदियों में भारी धातुओं के स्रोत

- **प्राकृतिक प्रक्रियाएँ :** प्राकृतिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत चट्टानों में होने वाले अपक्षय एवं अपरदन के कारण नदियों में भारी धातुएँ प्रवेश कर जाती हैं।
- **मानवजनित गतिविधियाँ :** मानवजनित गतिविधियों के अंतर्गत कृषि पद्धतियों के कारण भी भारी धातुएँ नदियों में प्रवेश कर रही हैं। इसमें लैंडफिल, अपशिष्ट डंप एवं पशु खाद से होने वाले रिसाव आदि शामिल हैं।
- **औद्योगिक अपशिष्ट :** कताई मिलों, रंगाई घरों, कपास मिलों, कपड़ा मिलों, इस्पात मिलों एवं तेल रिफाइनरियों जैसे उद्योगों से निकलने वाले अनुपचारित अपशिष्टों से नदियों में भारी धातुओं की उच्च सांद्रता बढ़ती है।

भारी धातु प्रदूषण का प्रभाव

भारी धातुओं के कारण होने वाला जल प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। हानिकारक धातुएँ जब पानी में सुरक्षित सीमा से ऊपर होती हैं, तो वे पौधों एवं जीवों के साथ ही पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं।

- भारी धातुओं से विभिन्न गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ, जैसे- लीवर व किडनी की क्षति, त्वचा संबंधी विकार, संज्ञानात्मक हानि और कैंसर तक हो सकता है।
- भारी धातुओं के कारण दूषित हो चुकी मृदा एवं पानी में जब अनाज व सब्ज़ियाँ उत्पादित की जाती हैं तो वे भी स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं।

- नदियों में पाए जाने वाली कुछ धातुएँ, जैसे– कॉपर, इंसानों में चयापचय (Metabolism) के लिए एक आवश्यक तत्त्व हैं। हालाँकि, इसकी तय सीमा से ज़्यादा उपस्थिति स्वास्थ्य के लिए गंभीर संकट उत्पन्न करती है।
- आर्सेनिकयुक्त पानी के सेवन से त्वचा पर घाव हो सकते हैं। वहीं आर्सेनिकोसिस एक दीर्घकालिक बीमारी है जो लंबे समय तक आर्सेनिक के उच्च स्तर वाले पानी को पीने से होती है।
- हाल ही में किए गए शोध से पता चला है कि कैडमियम की बेहद कम मात्रा के संपर्क में आने से भी अस्थियों में ऑस्टियोपोरोसिस एवं फ्रैक्चर जैसी समस्याएँ हो सकती हैं। वहीं पारे का उच्च स्तर नसों, मस्तिष्क व गुर्दे को नुकसान पहुँचा सकता है। इसके साथ ही फेफड़ों में जलन, आँखों की समस्याएँ, त्वचा पर चकत्ते, उल्टी व दस्त का कारण बन सकता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन धातुओं को आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय माना है। रिपोर्ट में धातु प्रदूषण से निपटने, जल गुणवत्ता में सुधार लाने की बात कही गई है। साथ ही, इनके कुशल उपचार से जुड़ी विधियों के उपयोग के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है।
- सी.डब्ल्यू.सी. के अनुसार, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने और लोगों को भारी धातुओं से होने वाले प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए जल संसाधनों को बचाने की आवश्यकता है।

धातु संदूषण को कम करने के उपाय

- विषाक्त धातुओं के हानिकारक प्रभावों को रोकने के लिए अपशिष्ट जल से भारी धातु आयनों के प्रदूषण को हटाने के लिए एक पर्यावरण-अनुकूल एवं लागत-प्रभावी तरीका खोजना महत्त्वपूर्ण है।
- केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने और भारी धातु विषाक्तता के खतरनाक प्रभावों से सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जल संसाधन संरक्षण को प्राथमिकता देना महत्त्वपूर्ण है।
- रिपोर्ट में जल उपचार के लिए नई धातु प्रौद्योगिकियों की खोज करने तथा जल उपचार प्रक्रियाओं की दक्षता व प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए नवीन दृष्टिकोणों को शामिल करने का सुझाव दिया गया है।

नमामि गंगे कार्यक्रम

संदर्भ

गंगा नदी के पुनरुद्धार के लिए अस्सी के दशक में 'गंगा एक्शन प्लान' की शुरुआत की गई। हालाँकि, इसे गति वर्ष 2014 में शुरू 'नमामि गंगे कार्यक्रम' से मिली। इस वर्ष 'नमामि गंगे कार्यक्रम' के 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं। चूँकि यह कार्यक्रम जिस उद्देश्य से शुरू किया गया था, उसे अभी पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका है। गंगा नदी अभी भी अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकी है।

नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में

- यह एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे वर्ष 2014 में केंद्र सरकार ने 'फ्लैगशिप कार्यक्रम' के रूप में अनुमोदित किया था।
- **उद्देश्य :** इसका उद्देश्य राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण में प्रभावी कमी करना, संरक्षण करना एवं पुनरुद्धार करना है।
- **शुभंकर :** इस कार्यक्रम का शुभंकर चाचा चौधरी को घोषित किया गया।
- **मंत्रालय :** नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय (वर्ष 2019 में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया था)
- **क्रियान्वयन :** इसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) द्वारा किया जा रहा है।
  - इसके कार्यान्वयन को प्रवेश-स्तरीय गतिविधियों (तत्काल प्रभाव के लिए), मध्यम-अवधि गतिविधियों (5 वर्ष की समय सीमा के भीतर कार्यान्वित की जाने वाली) और दीर्घकालिक गतिविधियों (10 वर्षों के भीतर कार्यान्वित की जाने वाली) में विभाजित किया गया है।
- **प्रमुख स्तंभ**
  - सीवरेज उपचार अवसंरचना
  - रिवरफ्रंट विकास
  - नदी की सतह की सफाई
  - जैव-विविधता
  - वनरोपण
  - जन जागरूकता
  - औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी
  - गंगा ग्राम की स्थापना

नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत प्रमुख उपलब्धियाँ

दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'नमामि गंगे कार्यक्रम' को प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए शीर्ष 10 विश्व पुनरुद्धार अभियानों में से एक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

सीवरेज उपचार क्षमता

- सीवरेज उपचार क्षमता निर्माण के संदर्भ में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों में 54 सीवेज प्रबंधन परियोजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं जबकि 92 सीवेज परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं।

- एन.एम.सी.जी. ने नदी तटों पर खनन गतिविधियों को विनियमित करने, अतिक्रमण पर रोक लगाने और मूर्तियों के विसर्जन जैसी गतिविधियों को विनियमित करने के निर्देश जारी किए।
- एन.एम.सी.जी. द्वारा उपग्रह इमेजरी, रिमोट सेंसिंग और भू-स्थानिक समाधान जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाया गया जिससे गंगा तथा उसकी सहायक नदियों में प्रदूषकों की वास्तविक समय निगरानी की सुविधा मिली।
- सांस्कृतिक रीति-रिवाजों और संस्कारों में गंगा की केंद्रीय भूमिका को देखते हुए अब तक 123 घाटों और 36 श्मशान घाटों का निर्माण किया जा चुका है, जबकि हरिद्वार के चंडीघाट में गंगा अवलोकन संग्रहालय स्थापित किया गया है।
- नमामि गंगे के अधीन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) निर्माण में निजी भागीदारों की जवाबदेही भी तय की गई है, ताकि परियोजना की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बढ़ावा दिया जा सके।

नदी की सतह की सफाई

- घाटों एवं नदी की सतह पर तैरने वाले ठोस कचरे के संग्रह के लिए नदी की सतह की सफाई और इसके निपटान का कार्य जारी है।

जैव-विविधता संरक्षण

- जैव-विविधता संरक्षण के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII), देहरादून; केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान (CIFRI), कोलकाता और उत्तर प्रदेश राज्य वन विभाग को जलीय जैव-विविधता के संरक्षण और बहाली के साथ-साथ कई हितधारकों को शामिल करके गंगा नदी के लिए विज्ञान-आधारित जलीय प्रजातियों की बहाली योजना विकसित करने के लिए परियोजनाएँ दी गई हैं।
- डब्ल्यू.आई.आई. द्वारा किए गए क्षेत्रीय शोध के अनुसार, गंगा नदी में केंद्रित संरक्षण कार्रवाई के लिए उच्च जैव-विविधता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है तथा बचाव व पुनर्वास केंद्र स्थापित किए गए हैं।
- जैव-विविधता संरक्षण एवं गंगा कायाकल्प पर जागरूकता विकसित करने के लिए फ्लोटिंग इंटरप्रिटेशन संेटर 'गंगा तारिणी' एवं इंटरप्रिटेशन सेंटर 'गंगा दर्पण' की स्थापना की गई है।
    - इसके अलावा गंगा नदी की प्रमुख पारिस्थितिकी सेवाओं की पहचान और नदी बेसिन में पर्यावरणीय सेवाओं को मज़बूत करने के लिए एक मूल्यांकन ढाँचा विकसित किया गया है।
- सी.आई.एफ.आर.आई. ने उपलब्ध मछली प्रजातियों को रिकॉर्ड करने के लिए बेसिन में मछली एवं मत्स्यपालन का मूल्यांकन किया है। गंगा में मछलियों की स्थिति एवं वितरण को समझने के लिए जी.आई.एस. प्लेटफॉर्म पर इसे मैप किया गया है।
    - हिल्सा जैसी पहचान की गई मछलियों के प्रवास पैटर्न को देखने के लिए टैगिंग प्रक्रिया भी शुरू की गई है। सी.आई.एफ.आर.आई. गंगा में भारतीय मेजर कार्प्स एवं महसीर के संरक्षण व पुनरुद्धार के लिए नदी बेसिन में विभिन्न स्थानों पर पशुपालन और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है।

जन-जागरण

- नदी की सफाई में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए गंगा के किनारे के शहरों, कस्बों एवं गाँवों में 'गंगा प्रहरी' नामक एक नव-स्थापित सामुदायिक बल के माध्यम से नियमित रूप से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
- इनके माध्यम से सरकार 'जल चेतना' को 'जन चेतना' में बदलकर इसे 'जल आंदोलन' में बदलना चाहती है। इसके अंतर्गत रैलियों, अभियानों, प्रदर्शनियों, श्रम दान, स्वच्छता अभियान, प्रतियोगिताओं, वृक्षारोपण अभियान एवं संसाधन सामग्री के विकास व वितरण के माध्यम से विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।
    - व्यापक प्रचार के लिए टीवी/रेडियो, प्रिंट मीडिया विज्ञापन जैसे माध्यमों का प्रयोग किया जा रहा है।

औद्योगिक प्रवाह निगरानी

कार्यक्रम के तहत 760 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों (GPI) में से 572 में रीयल-टाइम एफ्लुएंट मॉनिटरिंग स्टेशन (EMS) स्थापित किए गए हैं। अब तक 135 जी.पी.आई. को बंद करने के नोटिस जारी किए गए हैं और अन्य को निर्धारित मानदंडों के अनुपालन एवं ऑनलाइन ई.एम.एस. की स्थापना के लिए समय सीमा दी गई है।

गंगा ग्राम

गंगा बेसिन राज्यों की 1674 ग्राम पंचायतों में शौचालयों के निर्माण के लिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (MoDWS) को 578 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। लक्षित 15,27,105 इकाइयों में से पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने 8,53,397 शौचालयों का निर्माण पूरा कर लिया है।

चुनौतियाँ

- गंगा एक्शन प्लान (GAP) से नमामि गंगे कार्यक्रम बनने के बाद अब नदी में डिस्चार्ज से पहले सीवेज एवं औद्योगिक प्रवाह के शोधन पर काफी ज़ोर दिया जा रहा है। खासतौर से गंभीर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों, जैसे– पल्प एंड पेपर, टेनरीज, शुगर, डिस्टलरी, टेक्सटाइल्स के लिए यह अनिवार्य किया जा रहा है कि वह प्रवाह उपचार संयंत्र (ETP) स्थापित करें और ज़ीरो डिस्चार्ज के लक्ष्य को हासिल करें।

- सी.पी.सी.बी. द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, नदी के पानी की गुणवत्ता में फीकल कोलिफॉर्म, जैविक ऑक्सीजन एवं रासायनिक ऑक्सीजन मांग के मामले में काफी सुधार हुआ है।
- हालाँकि, गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए अब तक किए गए प्रयास अपर्याप्त हैं क्योंकि नमामि गंगे के तहत सीवेज एवं औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण योजना केवल मुख्य गंगा नदी के लिए लागू की जा रही है। इस योजना में इसकी सहायक नदियों और उनकी उपनदियों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं हैं।
- इसके अलावा गैर-स्रोतों से होने वाले प्रदूषण नियंत्रण संबंधी प्रावधान भी इस योजना में स्पष्ट नहीं है। उदाहरण के लिए, सीवेज सहित बड़ी मात्रा में घरेलू प्रदूषकों को नदी में लाने वाली सैकड़ों नालियों या फिर खेती-किसानी में इस्तेमाल किए जाने वाले रसायनों के प्रवाह को रोकने के लिए कोई रोडमैप नहीं है।
- पी.पी.पी. मॉडल के तहत निजी भागीदार को कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाने वाली एन्युटी का भुगतान किया जाता है, जो संधारणीय नहीं है क्योंकि इसे गंगा बेसिन के सभी शहरों में लागू किए जाने की स्थिति में इसके लिए भारी निवेश की आवश्यकता होगी।

आगे की राह

गंगा नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति को पुन: स्थापित करना होगा। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाना महत्त्वपूर्ण है कि नदी मार्ग में नए बाँध न बनाए जाएँ तथा पुराने एवं जीर्ण हो चुके ऐसे सभी बाँधों को गिराए जाने की आवश्यकता है जो अपनी उपयोगी अवधि पूरी कर चुके हैं और आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं हैं। भू-जल पर पड़ रहे अत्यधिक दोहन के दबाव को भी कम करने की आवश्यकता है ताकि वह नदी के बेस फ्लो के लिए पानी प्रदान कर सके।

इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली

ग्रामीण क्षेत्रों मे विनिर्माण

संदर्भ

भारत में स्थानिक विकास और संरचनात्मक परिवर्तन की असंतुलित प्रकृति ने आर्थिक विकास एवं रोज़गार सृजन के बीच संबंधों को कमज़ोर कर दिया है। विनिर्माण क्षेत्र के शहरीकरण में कमी (De-urbanization) के बीच भारत को अपने छोटे शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों पर नीतिगत ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ग्रामीण संरचनात्मक परिवर्तन संधारणीय विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार एवं मज़बूती के लिए सबसे बड़ी क्षमता प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में विनिर्माण की आवश्यकता

- भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में मज़बूत आर्थिक विकास के बावजूद बेरोज़गारी के संकट से ग्रस्त है। दशकों के प्रयासों के बावजूद भी कृषि से गैर-कृषि नौकरियों में सार्थक बदलाव नहीं हो पाया है।
- वर्तमान में कुल रोज़गार का 40% से अधिक अभी भी कृषि क्षेत्र में संलग्न हैं जबकि चीन में यह 20% से कम और अमेरिका में 2% से भी कम है।
- ऐसे में स्थानिक क्षेत्रों में प्राय: आय एवं नौकरी में वृद्धि का सबसे अच्छा पूर्वानुमान होता है। अर्थव्यवस्था का विस्तार होने के साथ-साथ स्थानिक विकास में वृद्धि होती है जो आर्थिक विकास एवं रोज़गार सृजन के बीच संतुलन को आकार देता है।
- भारत का विनिर्माण क्षेत्र दो दशकों से अधिक समय से स्थिर बना हुआ है जिसका देश की अर्थव्यवस्था में योगदान लगभग 15% के आसपास है।
    - मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज़ एवं 'राष्ट्रीय चैंपियन' सहित नीतिगत प्रयासों के बावजूद सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी अभी भी निम्न है।
- ग्रामीण कृषि से शहरी-औद्योगिक अर्थव्यवस्था एवं समाज की ओर भारत में अभी भी संरचनात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है।

विनिर्माण क्षेत्र का विशहरीकरण

- वर्तमान में शहरों में किए गए भौतिक एवं बुनियादी ढाँचे के निवेश के बावजूद भारत का विनिर्माण, विशेष रूप से संगठित क्षेत्र में, शहरीकरण से ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहा है।
- शहरी रोज़गार एवं उत्पादन में संगठित विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी और शहरी क्षेत्रों में उद्यमों की संख्या में गिरावट आई है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसी आँकड़े में वृद्धि हुई है।
- शहरी से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानिक परिवर्तन की इस प्रक्रिया ने विनिर्माण की लागत को कम कर दिया है।
    - हालाँकि, खराब ग्रामीण भौतिक एवं मानवीय बुनियादी ढाँचे ने इस विस्तार को बाधित किया है।
- विनिर्माण क्षेत्र के विपरीत सेवा क्षेत्र का स्थानिक विकास अभी भी शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है और बेहतर बुनियादी ढाँचे वाले शहरों में तेज़ी से फैल रहा है।
- शहरी से ग्रामीण क्षेत्रों में विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार उद्यमों के अधिक कुशल आवंटन और स्थान के साथ जुड़ा हुआ है जो आर्थिक विकास एवं रोज़गार सृजन दोनों के लिए बेहतर है।

संबंधित मुद्दे

- भारत के आर्थिक विकास एवं रोज़गार सृजन के भावी इंजन भीड़-भाड़ वाले महानगरों में नहीं हैं बल्कि इसके छोटे शहरों

व ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। देश की आधी से ज़्यादा शहरी आबादी छोटे शहरों में रहती है।

- भारत का औद्योगीकरण महानगरीय विस्तार से नहीं बल्कि कई छोटी एवं बिखरी हुई बस्तियों के उभरने से प्रेरित है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में इस संदर्भ में विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।
- सरकार द्वारा किए गए नीतिगत प्रयासों ने सक्रिय 'औद्योगिक एवं शहरी नीति' पर ध्यान केंद्रित किया है और औद्योगीकरण व रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने में छोटे शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों की भूमिका को नज़रअंदाज़ किया है। इसने देश के भीतर तेज़ी से बढ़ती स्थानिक एवं उप-क्षेत्रीय असमानताओं में योगदान दिया है।

आगे की राह

- आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन की तीव्र गति को बढ़ावा देने के लिए भारत को अपने नीतिगत एजेंडे को 100 स्मार्ट शहरों से हटाकर वैश्विक स्तर पर जाने वाले छोटे शहरों की ओर मोड़ना होगा। यह वर्तमान में मौजूद विशाल स्थानिक और उप-राष्ट्रीय असमानताओं को कम करके विकास को अधिक समावेशी बनाएगा।
- भारत को औद्योगीकरण एवं शहरीकरण के बारे में अपनी समझ बदलने की ज़रूरत है और इसे केवल सांख्यिकीय उपायों पर नहीं, बल्कि आर्थिक क्षमता एवं वर्गीकरण पर आधारित करना चाहिए।
- विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार करने के लिए ग्रामीण संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में निजी निवेश को आकर्षित करने की अपार संभावनाएँ हैं। इनमें ग्रामीण बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की विशेषताएँ, बढ़ता मध्यम वर्ग, बाज़ार का आकार, दीर्घकालिक स्थिर राजस्व प्रवाह और मुद्रास्फीति से अधिक निवेश रिटर्न आदि शामिल हैं।
  - ये सभी कारक अधिकांश संस्थागत निवेशकों के लिए आकर्षक का कारण बनते हैं।
  - ग्रामीण संरचनात्मक परिवर्तन को गति देने के लिए वित्तपोषण के महत्त्वपूर्ण उपायों को प्राप्त करना आवश्यक है।
- शहरी-ग्रामीण संबंधों को बेहतर बनाने और साझेदारी का निर्माण करने के उद्देश्य से वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बाज़ारों व संस्थागत एवं प्रशासनिक संस्थानों को मज़बूत करने की आवश्यकता होगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे में निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे रोज़गार वृद्धि एवं प्रति व्यक्ति आय में चार गुना वृद्धि की संभावना है।
- ग्रामीण संरचनात्मक परिवर्तन पर अधिक ध्यान देने से रोज़गार सृजन की गति में तेज़ी आएगी। ग्रामीण भारत विनिर्माण क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी संभावना प्रदान करता है।
- छोटे शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में युवा जनसांख्यिकी लाभांश और भूमि की उपलब्धता विनिर्माण को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए देश को ग्रामीण जागृति की आवश्यकता है।

ग्रामीण भारत में परिवर्तन की गतिशीलता

संदर्भ

वर्तमान में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज संक्रमण के दौर से गुज़र रहे हैं। यह संक्रमण आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पिछले दशक में ग्रामीण क्षेत्रों में नीति-आधारित एवं प्राकृतिक दोनों तरह के आर्थिक झटके लगे हैं जिसमें वर्ष 2014–2015 में सूखे की स्थिति, नोटबंदी, जी.एस.टी. और कोविड-19 महामारी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इन झटकों से उत्पादन, श्रम संबंध एवं अंतर-क्षेत्रीय बदलाव हो रहे हैं जिन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा समाज के संगठन पर गहरा प्रभाव डाला है।

परिवर्तन के क्षेत्र

ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित किए गए सर्वेक्षण ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं समाज के केंद्र में आने वाले मुद्दों और परिवर्तन की एक बड़ी शृंखला को कवर करते हैं। हालाँकि संदर्भ, मुद्दों एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों की प्रकृति में विविधता को देखते हुए इनका सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है। हालाँकि कुछ मुद्दे सभी में सामान्य रूप से दिखाई देते हैं जैसे–

आर्थिक क्षेत्र

- आर्थिक दृष्टि से कृषि क्षेत्र अब भी महत्त्वपूर्ण होने के बावजूद ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रमुख परिभाषित विशेषता नहीं रह गई है। हालाँकि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के परिवर्तन की प्रक्रिया सुचारु नहीं रही है। वर्ष 2004–2005 के बाद कृषि में श्रम बल में गिरावट शुरू हुई जो वर्ष 2017–2018 तक कृषि में श्रमिकों की कुल संख्या में 66 मिलियन की कमी को दर्शाती है। हालाँकि, हाल के साक्ष्य कृषि में श्रमिकों की वापसी में वृद्धि का भी संकेत देते हैं।
  - कृषि क्षेत्र में बढ़ते कार्यबल के साथ यह संरचनात्मक परिवर्तन क्षणिक झटकों का परिणाम है, जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक अवशोषक के रूप में कार्य करती है क्योंकि यह मध्यम से दीर्घ अवधि में गैर-कृषि अर्थव्यवस्था में गतिशीलता की कमी से प्रेरित है। ये परिवर्तन विशेष रूप से गैर-कृषि क्षेत्र, शहरीकरण एवं प्रवासन पैटर्न की प्रकृति से विशेष रूप से संबंधित हैं।
- इन परिवर्तनों में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि की घटती भूमिका के साथ-साथ गैर-कृषि क्षेत्र की बढ़ती भूमिका को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अधिकांश ग्रामीण परिवार भी कृषि क्षेत्र से दूर जा रहे हैं तथा गैर-कृषि क्षेत्र गाँव की आय एवं असमानता के एक महत्त्वपूर्ण कारक के रूप में उभर रहा है।

- वर्ष 2006-2023 के बीच गाँव में कुल आय में तीन गुना वृद्धि हुई है, क्षेत्रीय विकास दर स्थिर कृषि की तस्वीर पेश करती है जिसमें गैर-कृषि विकास का प्रमुख चालक है।
- गैर-कृषि आय के विपरीत, जो प्रतिवर्ष 7.3% की दर से बढ़ी है कृषि आय संदर्भ अवधि के दौरान 0.1% प्रतिवर्ष की वृद्धि के साथ लगभग स्थिर रही है।

- उत्तर एवं मध्य भारत में विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए विभिन्न अध्ययनों में अब इस बात पर आम सहमति है कि गैर-कृषि क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्राथमिक चालक के रूप में उभर रहा है किंतु, गैर-कृषि नौकरियों तक पहुँच वर्ग व जाति को लेकर तटस्थ नहीं है।
    - हाशिए पर स्थित जातियों और गरीब परिवारों के लिए गैर-कृषि में संलग्नता केवल शारीरिक श्रम और छोटे-मोटे व्यवसाय तक ही सीमित है जो बेहतर आय उत्पन्न करने के लिए अपर्याप्त है।
- भौतिक और संचार नेटवर्क के माध्यम से बढ़ती कनेक्टिविटी ने शहरी क्षेत्रों को गाँवों के अधिक निकट ला दिया है तथा भूमि, श्रम एवं वित्त में ग्रामीण व शहरी बाज़ारों के एकीकरण को बढ़ावा दिया है।
- कृषि के भीतर फलों एवं सब्ज़ियों जैसी बागवानी फसलों की हिस्सेदारी में वृद्धि के साथ वाणिज्यिक फसलों की ओर जाने की प्रवृत्ति है। हालाँकि, कई मामलों में व्यावसायीकरण की प्रक्रिया मौजूदा सामाजिक पदानुक्रम को कायम रखती है और असमानता को बढ़ाती है।

सामाजिक क्षेत्र

- ये परिवर्तन जाति समूहों में महामारी के असमान प्रभाव की ओर भी इशारा करते हैं, जिसमें अनुसूचित जाति को महामारी के दौरान महत्त्वपूर्ण रोज़गार हानि का सामना करना पड़ा है। हालाँकि, पास के शहरों तक पहुँच और परिवहन नेटवर्क तथा कनेक्टिविटी में सुधार ने भी उन्हें तेज़ी से उबरने में मदद की है जिसका अर्थ शहरीकरण, ग्रामीण बुनियादी ढाँचे और शिक्षा में सुधार की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। ये निष्कर्ष उपलब्ध द्वितीयक विश्लेषण से व्यापक रुझानों के समान प्रतीत होते हैं।
- भूमि के बढ़ते संकेंद्रण से रियल एस्टेट और भूमि के व्यापारिक उपयोग का उदय हो रहा है जो न केवल गाँव में असमानता को जन्म दे रहा है, बल्कि गाँव में भूमि की प्राथमिक संपत्ति से निचली जातियों व समुदायों का बहिष्करण भी हो रहा है।
    - ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार भूमि बाज़ार से लगभग गायब हैं तथा उनकी भूमि तक पहुँच भी नगण्य है। भूमि तक पहुँच से वंचित होने का मतलब किरायेदारी बाज़ार और औपचारिक ऋण तक पहुँच से वंचित होना है।
- चूँकि, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि गतिविधियाँ बढ़ रहीं हैं। हालाँकि, इन क्षेत्रों के रोज़गार बाज़ार में गरीब और निम्न जाति के लोग अकुशल शारीरिक श्रम तथा छोटे-मोटे व्यवसाय तक ही सीमित हो जाते हैं, जो एक बेहतर जीवन स्तर के लिए पर्याप्त नहीं है।
- दक्षिण भारत में नेटवर्क, रोज़गार, ऋण, गतिशीलता एवं कौशल सर्वेक्षण (NEEMSIS) द्वारा किए गए सर्वेक्षण में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि पर विभिन्न प्रवृत्तियों और पैटर्न का अध्ययन किया गया। इसके अनुसार भूमि न केवल कुछ घरों में केंद्रित है, बल्कि इसमें जातिगत आधार पर भी स्पष्ट विभाजन दिखाई देता है, जिसमें भूमि स्वामित्व जाति संरचनाओं में ऐतिहासिक असमानताओं की पुष्टि करता है।
    - अध्ययन के अनुसार, वित्त की बढ़ती पैठ ने बढ़ती ऋणग्रस्तता में योगदान दिया है। ऋणग्रस्तता का पैटर्न मौजूदा जाति-आधारित सामाजिक पदानुक्रम को भी मज़बूत करता है।
- महाराष्ट्र में मस्कावाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए अध्ययन में कृषि परिदृश्य के व्यावसायीकरण के प्रभाव का दीर्घकालिक दृष्टिकोण दर्शाया गया है। पिछले छह दशकों में मस्कावाड़ के अध्ययन से पता चलता है कि राज्य के हस्तक्षेप से प्रेरित तीव्र व्यावसायीकरण ने पूंजी की तीव्रता, बाज़ार एकीकरण और कृषि अर्थव्यवस्था के वित्तीयकरण में वृद्धि के साथ ही हाशिए पर पड़े जाति समूहों के बहिष्कार में भी योगदान दिया। इससे भूमिहीनता में वृद्धि हुई और पूंजी का संकेंद्रण, भूमि और गैर-भूमि दोनों ही प्रमुख जातियों के हाथों में हुआ और असमानता में वृद्धि हुई।

साइन्स रिपोर्टर

बाँध सुरक्षा

संदर्भ

- मानव सभ्यता के विकास में बाँधों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। बाँध देश के जल संसाधनों के प्रबंधन, सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
    - हालाँकि, वर्तमान में भारत को अपने बाँधों की संरचना की सुरक्षा को लेकर महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिसमें भारत में बाँधों के टूटने की समस्या एक गंभीर चुनौती बन गई है।
    - इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, सूखा और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि के करण भी देश में बाँधों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है।
- भारत में बाँधों की संख्या चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरी सर्वाधिक है। वर्तमान में, भारत में लगभग 5000

बड़े बाँध हैं, जिनकी कुल जल भंडारण क्षमता, देश की कुल जल संसाधन क्षमता का लगभग 35% है।

बाँधों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दे

- **बाँधो का पुराना होना :** भारत के लगभग 80% से अधिक बाँध 25 वर्ष से अधिक एवं 1000 से अधिक बाँध 50 वर्ष या उससे भी अधिक पुराने हैं। ऐसे में बाँधों की उम्र बढ़ने के साथ-साथ उनकी क्षमता में कमी आ जाती है। इसके अलावा बाँधों के ढाँचे का भी क्षरण होता है, जिससे बाँधों के टूटने का खतरा बढ़ जाता है।
- **गाद एवं मलबे का जमाव :** भारत के बहुत से बाँधों के तल पर गाद एवं मलबे का जमाव हो चुका है। ऐसे में बाँधों में जलस्तर कम होने से बाँधों की क्षमता कम हो जाती है।
- **बाढ़ नियंत्रण क्षमता में कमी :** बाँधों के क्षमता में कमी होने से उनके बाढ़ नियंत्रण क्षमता में बाधा उत्पन्न होती है। चूँकि बाँधों का मुख्य कार्य नदी के बहाव को रोकना और जलाशय में पानी का संग्रह करना होता है ऐसे में जब जलाशय में जलस्तर कम होने से बाँध की नींव तथा दीवारों पर भार बढ़ जाता है जिससे बाँध के क्षरण और टूटने का का खतरा भी बढ़ जाता है।
- **जान-माल की हानि एवं पर्यावरणीय समस्याएँ :** बाँधों की क्षमता में कमी आने के परिणामस्वरूप इनके टूटने से जान-माल की हानि, आर्थिक और पर्यावरणीय नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में बाँधों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद महत्त्वपूर्ण है।

समाधान/उपाय

- इन मुद्दों के समाधान के लिए बाँधों में गाद एवं मलबे को जमा होने से रोकने के लिए नदियों में बालू खनन की गतिविधियों को नियंत्रित करने के साथ ही उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण को कम किया जाना चाहिए।
- इसके अलावा बाँधों में गाद और मलबे को निकालने के लिए नियमित रूप से सफाई की जानी चाहिए। हालाँकि, यह एक महँगी और समय लेने वाली प्रक्रिया है।
- इस संदर्भ में देश के बाँधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा बाँध सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया है।

बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021

- देश के बाँधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संसद ने वर्ष 2021 में बाँध सुरक्षा अधिनियम पारित किया है।
- यह अधिनियम 15 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले और कुछ विशिष्ट 10 से 15 मीटर के बीच की ऊँचाई वाले बाँधों पर लागू होता है।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- अधिनियम के अंतर्गत राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग निकाय बनाए गए हैं। अधिनियम के तहत बाँध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति और राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना को अनिवार्य बनाया गया है।
  - जहाँ बाँध सुरक्षा से संबंधित राष्ट्रीय समिति के अंतर्गत, बाँध सुरक्षा से संबंधित राष्ट्रीय नीतियों और विनियमन की निगरानी करना शामिल है।
  - वहीं राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण के अंतर्गत विभिन्न राज्य स्तरीय बाँधों के विवादों का समाधान किया जाता है।
    - केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष को बाँध सुरक्षा से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के प्रोटोकॉल का नेतृत्व करने का दायित्व दिया गया है।
- अधिनियम बाँध नियंत्रकों को समर्पित बाँध सुरक्षा इकाइयाँ स्थापित करने, आपातकालीन कार्य योजना तैयार करने और नियमित अंतराल पर व्यापक सुरक्षा मूल्यांकन करने का भी प्रावधान करता है।
- यह अधिनियम राज्य स्तर पर भी बाँध सुरक्षा समिति और राज्य बाँध सुरक्षा संगठन के गठन का भी प्रावधान करता है।
- राज्यों पर सुरक्षा जोखिम के अनुसार, बाँधों को वर्गीकृत करने, नियमित निरीक्षण करने, आपातकालीन कार्य योजना विकसित करने की ज़िम्मेदारी है।
- इसमें बाढ़ चेतावनी प्रणाली स्थापित करने, सुरक्षा समीक्षा करने, समय-समय पर जोखिम मूल्यांकन करने संबंधी प्रावधानों को भी शामिल किया गया है।
- यह अधिनियम बाँध सुरक्षा से संबंधित अपराधों को निर्धारित करता है तथा इसके किसी भी प्रावधान का अनुपालन न करने पर कारावास और जुर्माना सहित दंडनीय अपराध का प्रावधान किया गया है।

चुनौतियाँ

- बाँध सुरक्षा के संदर्भ में यह अधिनियम एक महत्त्वपूर्ण कदम है, हालाँकि इसमें कुछ चुनौतियाँ भी हैं :
  - जोखिम आधारित निर्णय लेने के प्रावधानों का अभाव
  - बाँधों की सुरक्षा से संबंधित जानकारी की सार्वजनिक रूप से अनुपलब्धता
  - राज्यों द्वारा अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन न किया जाना

समाधान/उपाय

- बाँधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, बाँध सुरक्षा अधिनियम की कमियों को दूर करके इसे और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

- इस संदर्भ में जोखिम आधारित निर्णय लेने के प्रावधानों को मज़बूत किए जाने के साथ ही बाँधों के जोखिम का व्यापक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- इसके अलावा अधिनियम में पारदर्शिता को बढ़ावा देने संबंधी प्रावधानों को शामिल किया जाना चाहिए। बाँध की स्पिलवे क्षमता की भी समीक्षा होनी चाहिए।
  - किसी बाँध की स्पिलवे क्षमता पानी की वह अधिकतम मात्रा है, जो बाँध के स्पिलवे से सुरक्षित रूप से निकल सकती है।
  - यह बाँध की सुरक्षा के लिए एक महत्त्वपूर्ण कारक है क्योंकि यह बाढ़ के दौरान बाँध के जलाशय में जलस्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है।
- बाँधों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बाँधों के सही डिज़ाइन और निर्माण के साथ ही वास्तविक समय पर डाटा की प्राप्ति एवं उसका विश्लेषण करने तथा प्रभावी आपातकालीन योजनाएँ स्थापित करने की आवश्यकता है।
  - इसके लिए अधिनियम द्वारा निर्धारित अनिवार्य प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, जोखिम मूल्यांकन और निवारक कार्रवाई जैसे आवश्यक उपायों को क्रियान्वित किया जाना आवश्यक है।
- बाँधों के निर्माण के बाद, उनकी सुरक्षा और कार्यक्षमता का परीक्षण किया जाना आवश्यक है जिससे बाँधों को अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है।
- बाँधों के निर्माण में गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे निर्माण में दोषों को कम किया जा सके।
- बाँधों की नियमित निगरानी और रखरखाव के लिए एक प्रभावी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए, ताकि बाँधों में किसी भी संभावित समस्या का जल्दी पता लगाया जा सके और उसे ठीक किया जा सके।
- बाँधों के टूटने से आने वाली तबाही के कारण होने वाले जान-माल के नुकसान को कम करने के लिए, बाँधों के आस-पास रहने वाले लोगों को बाँधों की सुरक्षा के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।

छात्रों के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता

संदर्भ

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आँकड़ों पर आधारित "छात्र आत्महत्या : भारत में फैल रही महामारी" शीर्षक वाली रिपोर्ट में छात्रों की आत्महत्याओं में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है, जो देश में कुल आत्महत्याओं की दर से दोगुनी दर से बढ़ रही है। यह प्रवृत्ति शैक्षणिक संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है। रिपोर्ट में शैक्षणिक प्रतिस्पर्द्धा की बजाय भावनात्मक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया गया है।

भावनाएँ (Emotions) क्या हैं

- मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए भावनाओं को समझना महत्त्वपूर्ण है। भावनाएँ हमारे शरीर और दिमाग से जुड़ी ऐसी जटिल प्रतिक्रियाएँ हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति में अलग-अलग होती हैं।
- भावनाएँ लिंग, व्यक्तित्व और जीवन की परिस्थितियाँ जैसे कारकों पर निर्भर होती हैं ये सभी कारक ही तय करते हैं कि कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से कैसा अनुभव करता है और परिस्थिति विशेष में कैसी प्रतिक्रिया देगा।
- इन भावनाओं को प्रभावी ढंग से पहचानना और प्रबंधित करना छात्रों को तनाव से निपटने, लचीलापन बनाने और आत्महत्या के जोखिम सहित मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है।
- ऐसे में छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने में भावनात्मक बुद्धिमत्ता प्रमुख भूमिका निभा सकता है।

क्या है भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional intelligence - EQ)

- 'भावनात्मक बुद्धिमत्ता' शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले पीटर सैलोवे और जॉन डी मेयर द्वारा वर्ष 1990 में किया गया था।
  - उन्होंने 'भावनात्मक बुद्धि' को अपनी और दूसरे लोगों की भावनाओं को समझने, अलग-अलग भावनाओं के बीच अंतर करने और उन्हें उचित रूप से प्रबंधित एवं निर्देशित करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया।
- डैनियल गोलमैन (1995) ने बाद में अपनी पुस्तक में इस अवधारणा को लोकप्रिय बनाया और सफलता के लिए इसके महत्त्व पर प्रकाश डाला गया। उनके अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional intelligence : EQ), संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता (intelligence quotient-IQ) की तरह ही महत्त्वपूर्ण है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता में निम्नलिखित विशेषताएँ शामिल हैं–
  - आत्म-जागरूकता
  - भावनाओं पर नियंत्रण
  - आत्म-प्रेरणा
  - सहानुभूति
  - पारस्परिक कौशल

भावनात्मक बुद्धिमत्ता को आकार देने में विभिन्न कारकों की भूमिका

- **पारिवारिक वातावरण :** जेम्स रॉबर्ट एस. और एस. कधीरवन के 'युवाओं में भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर पारिवारिक वातावरण

का प्रभाव' नामक शोधपत्र के अनुसार, घर का वातावरण युवाओं को भावनात्मक रूप से बुद्धिमान बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है–

- एक सकारात्मक और शांतिपूर्ण पारिवारिक वातावरण युवाओं को भावनात्मक एवं सामाजिक कौशल जैसे सहानुभूति तथा आत्म-नियंत्रण आदि सीखने में मदद करता है।
- आज के युवाओं को आभासी वास्तविकता और तत्काल संतुष्टि के लालच जैसी चुनौतियों का सामना करने में पारिवारिक वातावरण महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- माता-पिता बच्चों को उनकी भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने में मदद करके "भावना कोच" बन सकते हैं। एक सामंजस्यपूर्ण पारिवारिक वातावरण भावनात्मक कल्याण और स्थिरता का समर्थन करता है।

- **पेरेंटिंग शैली और भावनात्मक बुद्धिमत्ता :** माता-पिता का व्यवहार भी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को प्रभावित करता है। छात्रों के साथ किए गए एक हालिया अध्ययन में इस विषय के महत्त्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है–
  - अध्ययन के अनुसार अधिकांश छात्रों को लगता है कि उनके माता-पिता एक "आधिकारिक" (authoritative) शैली का उपयोग करते हैं, जो स्पष्ट नियमों के साथ गर्मजोशी को मिलाकर एक संतुलित दृष्टिकोण है।
  - यह शैली, विशेष रूप से माताओं द्वारा प्रयोग की जाती है, जो लड़कों और लड़कियों दोनों में उच्च EI से जुड़ी थी।
  - दूसरी ओर, अधिक सख्त पेरेंटिंग शैलियाँ कम EI से जुड़ी थीं।
  - अध्ययन में सांस्कृतिक रुझान भी परिलक्षित होते हैं जहाँ भारत में माता-पिता बेटियों के प्रति अधिक उदार, जबकि बेटों के साथ अधिक सख्त होते हैं।
- **भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर अच्छे पोषण का प्रभाव :**
  - अच्छा पोषण मस्तिष्क के कार्य और उसके विनियमन का समर्थन करता है, जो भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक है।
  - ओमेगा-3 तथा एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्त्व याददाश्त, ध्यान और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने के साथ ही भावनात्मक जागरूकता और आत्म-नियंत्रण को भी बढ़ावा देते हैं।
  - मैग्नीशियम से भरपूर खाद्य पदार्थ (जैसे पत्तेदार साग और मेवे) तनाव को प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं, जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है।
  - मस्तिष्क के कार्य और मूड स्थिरता के लिए हाइड्रेटेड रहना महत्त्वपूर्ण है।
  - अच्छा पोषण व्यक्ति को ऊर्जावान और सामाजिक रूप से जुड़ने के लिए तैयार रखता है, जिससे दूसरों से जुड़ने और सहानुभूति रखने में मदद मिलती है।

छात्रों को भावनात्मक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता एवं महत्त्व

- वर्तमान में बच्चों में बढ़ती शैक्षणिक प्रतिस्पर्द्धा के संदर्भ में भावनात्मक बुद्धिमत्ता और महत्त्वपूर्ण हो जाती है, जो उन्हें स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने, मित्रों से मज़बूत संबंध बनाने और खुश महसूस करने में मदद करती है।
- इसके अलावा यह भावनाओं को समझने एवं प्रबंधित करने, उन्हें स्कूली जीवन की चुनौतियों से निपटने, चिंता को कम करने और सामाजिक कौशल में सुधार करने में मदद करती है।
- विभिन्न शोधों के अनुसार उच्च EI वाले लोग प्रायः तनाव को प्रबंधित करने, प्रेरित रहने और दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से सहयोग करने में बेहतर होते हैं।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास

- संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता (IQ) के विपरीत, भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI) को किसी भी उम्र में सीखा और विकसित किया जा सकता है।
- यह जन्मजात न होकर सीखी हुई क्षमता है जिसे आत्म-जागरूकता, सहानुभूति और भावनात्मक विनियमन का अभ्यास करके समय के साथ सीखा जा सकता है।
- पार्कर एट अल. द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि उच्चतर EI वाले छात्रों ने हाई स्कूल से विश्वविद्यालय में संक्रमण के दौरान अकादमिक रूप से बेहतर स्कोर के साथ प्रदर्शन किया।
  - यह अध्ययन सकारात्मक सामाजिक संपर्कों को बढ़ावा देने, शिक्षण योग्यता को बढ़ाने और पेशेवर विकास में योगदान देने में उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्त्व पर प्रकाश डालता है।
- भावनात्मक बुद्धिमत्ता कौशल से संबंधित शोधकर्ताओं ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने के लिए निम्नलिखित दस सुनहरे सिद्धांतों (Golden principles) का सुझाव दिया–
  - लोगों या स्थितियों को लेबल करने की बजाय अपनी भावनाओं को समझना
  - विचारों और भावनाओं के बीच अंतर करना
  - अपनी भावनाओं के लिए अधिक ज़िम्मेदारी लेना
  - निर्णय लेने में मदद के लिए अपनी भावनाओं का उपयोग करना
  - अन्य लोगों की भावनाओं के प्रति सम्मान दिखाना
  - ऊर्जावान महसूस करना

- मस्तिष्क के दाहिने भाग से जुड़ना (जिसमें संचार, सामाजिक अनुभूति, भावनात्मक प्रसंस्करण, रचनात्मकता, पहचान और मौखिक अस्पष्टता को समझना शामिल है)।
- मस्तिष्क को समय देना
- जाने देना सीखना
- अधिक यथार्थवादी होना

समग्र कल्याण के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग

- **आंतरिक रणनीतियाँ (10 वर्ष की आयु तक विकसित) :** इसमें तनावपूर्ण स्थितियों के बारे में संज्ञानात्मक रूप से सोचना शामिल है, ताकि नकारात्मक भावनाओं को उत्पन्न करने वाली स्थिति को प्रबंधित या बदला जा सके।
- **एकांतिक रणनीतियाँ (Isolated Strategies):** बाहरी मदद के बिना, स्वतंत्र रूप से भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता।
- **तनाव से प्रबंधन की रणनीति (मध्य बचपन और शुरुआती किशोरावस्था के दौरान सुधार):** इसमें तनाव को लचीले ढंग से प्रबंधित करना और पहचानना शामिल है–
  - लड़कियाँ सामाजिक समर्थन पर निर्भर रहती हैं और अपनी भावनाओं को सीधे संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
  - लड़कों में तनाव प्रबंधन उपकरण के रूप में शारीरिक गतिविधि का उपयोग करने की अधिक संभावना होती है।

निष्कर्ष

- भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI) एक छिपी शक्ति है जिसे प्रत्येक छात्र को विकसित करनी चाहिए जो उनकी भावनाओं को समझने, उन्हें प्रबंधित करने और दूसरों के साथ सार्थक रूप से जोड़ती है।
- इसे आत्म-जागरूकता, सहानुभूति और लचीलापन जैसे कौशल का अभ्यास करके विकसित किया जा सकता है जिसका प्रयोग स्कूल की चुनौतियों का सामना करने में किया जा सकता है।
- छात्रों के लिए EI स्कूल के अंदर और उसके बाहर के जीवन को भी खुशहाल और सफल बनाता है।

मीथेन उत्सर्जन में पशुधन की भूमिका

संदर्भ

- ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन का मुद्दा चर्चा का एक ज्वलंत विषय है। सामान्य भाषा में, ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता में वृद्धि के कारण पृथ्वी की सतह के तापमान में औसत वृद्धि है।
- इंटर-गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) ने जलवायु परिवर्तन को जलवायु की स्थिति में एक बदलाव के रूप में परिभाषित किया है जिसे इसके गुणों और परिवर्तनशीलता से पहचाना जा सकता है जो एक विस्तारित अवधि, आमतौर पर दशकों या उससे अधिक समय तक बना रहता है।

ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव

- ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों में ग्लेशियर का पिघलना, समुद्र का बढ़ता जलस्तर, तूफानों की बारंबारता और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ना आदि शामिल हैं। ऐसे में पेंगुइन, ध्रुवीय भालू और अन्य प्रजातियाँ जीवित रहने के लिए संघर्ष करती हैं।
- विशेषज्ञों के अनुसार इन परिवर्तनों की तीव्रता और व्यापकता में और भी अधिक वृद्धि होने का अनुमान है।
- तापमान में यह वृद्धि पिछली शताब्दी के दौरान 0.060 सेंटीग्रेड (0.120 फारेनहाइट) दशक की वृद्धि की तुलना में बहुत अधिक है।
  - हालाँकि, 1970 के दशक के मध्य से, तापमान वृद्धि में वृद्धि की दर तीन गुना हो गई है।
- IPCC की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन से कुछ ऐसे प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं जो अचानक या अपरिवर्तनीय होंगे।

मीथेन उत्सर्जन के स्रोत

- कृषि क्षेत्र से होने वाला ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन कुल वैश्विक विकिरण बल का लगभग 25.5% और मानवजनित स्रोतों का 60% से अधिक है।
  - कुल GHG उत्सर्जन में पशुपालन का 18% योगदान है।
- कार्बन डाइ-ऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और अमोनिया ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाली प्रमुख ग्रीनहाउस गैस गैसें हैं।
- मीथेन का उत्सर्जन विभिन्न मानवजनित और प्राकृतिक स्रोतों से होता है। वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का 70% से अधिक मानवजनित गतिविधियों से संबंधित है।
  - मानवजनित स्रोतों में जीवाश्म ईंधन उत्पादन एवं उपयोग, पशुपालन (पशुधन और खाद प्रबंधन में आंत्र किण्वन), धान की खेती, बायोमास दहन और अपशिष्ट प्रबंधन शामिल हैं।
  - घरेलू पशुधन के आंत्र किण्वन GHG उत्सर्जन में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। इसके अलावा, खाद भंडारण को भी मीथेन उत्सर्जन का एक संभावित स्रोत माना जाता है।
- मीथेन की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता कार्बन डाइ-ऑक्साइड से 24 गुना अधिक होती है ऐसे में मीथेन को ग्लोबल वार्मिंग के खतरे के रूप में देखते हुए इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

जुगाली करने वाले पशुओं का योगदान

- मीथेन सामान्य पशु पाचन प्रक्रिया के उप-उत्पाद के रूप में उत्सर्जित होता है, जिसमें पशु के पाचन तंत्र में रहने वाले बैक्टीरिया द्वारा खाए गए चारे को किण्वित करने की प्रक्रिया में उप-उत्पाद के रूप में मीथेन का उत्सर्जन होता है इस किण्वन प्रक्रिया को 'आंत्र किण्वन' भी कहा जाता है।
- गाय, भैंस, भेंड़ और बकरी जैसे जुगाली करने वाले पशु मीथेन के कुल उत्सर्जन में प्रमुख योगदान देते हैं। जुगाली करने वाले पशुओं को शरीर में एक विशेष पाचन अंग 'रूमेन' की उपस्थिति के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया जाता है।
    - रुमेन में आंत्र किण्वन अत्यधिक उपयोगी है क्योंकि यह मोटे एवं रेशेदार पौधों को भोजन और फाइबर में परिवर्तित करता है।
    - जानवर श्वसन के दौरान भी मुँह या नाक के माध्यम से वातावरण में मीथेन छोड़ते हैं।
    - आंत्रिक किण्वन से वाष्पशील वसीय अम्ल भी उत्पन्न होते हैं। वाष्पशील फैटी एसिड में, एसीटेट और ब्यूटीरेट मीथेन उत्पादन को बढ़ावा देते हैं।
- जुगाली करने वाले पशुओं की पाचन प्रक्रिया से मीथेन का वैश्विक उत्सर्जन लगभग 80 मिलियन टन प्रति वर्ष है जिसे मानवजनित मीथेन उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। ऐसे में जुगाली करने वाले पशुओं से मीथेन उत्सर्जन में कमी के लिए व्यावहारिक प्रबंधन की आवश्यकता है।

मीथेन उत्सर्जन को कम करने की रणनीतियाँ

- मीथेन उत्सर्जन कम करने की रणनीतियों को मोटे तौर पर निवारक और एंड ऑफ पाइप विकल्पों के रूप में देखा जा सकता है।
    - निवारक उपाय सामान्यत: आहार में बदलाव के माध्यम से पशुपालन प्रणाली में कार्बन/नाइट्रोजन इनपुट को कम करने पर है, जिससे प्रति पशु उत्सर्जित मीथेन की मात्रा में कमी हो सकती है।
    - 'एंड ऑफ पाइप' विकल्प पशुपालन प्रणाली के भीतर मीथेन के उत्पादन (मिथेनोजेनेसिस) को कम या बाधित करता है। इनका उपयोग पशु खाद से निकलने वाले प्रदूषकों और ग्रीनहाउस गैसों के उपचार के लिए किया जा सकता है।

आहार में बदलाव द्वारा

- पशुओं द्वारा उपयोग की जाने वाली आहार की रासायनिक संरचना एक महत्त्वपूर्ण कारक है जो रूमेन किण्वन और मीथेन उत्सर्जन को प्रभावित करती है। ऐसे में मीथेन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए पशुओं के आहार में कुछ आवश्यक बदलाव किए जा सकते हैं।
    - धान के भूसे आधारित आहार में सांद्रण स्तर बढ़ाने से मीथेन उत्पादन में कमी आती है और साथ ही रुमेन में प्रोपियोनेट सांद्रण में वृद्धि होती है।
    - कैस्टर बीन केक और करंज केक द्वारा मेथनोजेनेसिस को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
    - इसके अलावा फ्री फ्यूमरिक एसिड (राशन में 10%) और एनकैप्सुलेटेड फ्यूमरिक एसिड की समतुल्य मात्रा ने भेंड़ों में मीथेन उत्सर्जन को 49% से लेकर 75% तक कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आहार में सांद्रणों (खल और दानों) का अनुपात बढ़ाकर

- आहार में सांद्रण का उच्च अनुपात ऊर्जा सेवन के अनुपात के रूप में मीथेन उत्सर्जन में कमी लाता है।
- आहार में सांद्रण अनुपात और मीथेन उत्पादन के बीच संबंध वक्रीय होता है और जब आहार में स्टार्च 40% से अधिक होता है तो मीथेन में उल्लेखनीय कमी देखी जाती है।

आहार में लिपिड शामिल करके

- आहार वसा सांद्रण के विपरीत रूमेन पीएच को कम किए बिना रूमेन मेथनोजेनेसिस को कम करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जाता है।
- जुगाली करने वाले पशुओं के आहार में वसा शामिल करने से इन विट्रो में मीथेन उत्सर्जन में 80% तक और विवो में लगभग 25% की कमी हो सकती है।

बैक्टीरियोसिन्स

कुछ बैक्टीरियोसिन मीथेन उत्पादन को कम करने के लिए जाने जाते हैं। रुमेन जीवाणु, बोविसिन एचसी 5 से प्राप्त बैक्टीरियोसिन मिथेनोजेन्स अनुकूलन को प्रेरित किए बिना मीथेन उत्पादन को 50% तक कम कर देता है।

निष्कर्ष

पशुधन उत्पादन प्रणाली जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होती है और साथ ही इस घटना में योगदानकर्ता भी है। जलवायु परिवर्तन पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए एक तेज़ी से बढ़ती चुनौती बनने की क्षमता रखता है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती का जवाब देने के लिए इस क्षेत्र के लिए उचित अनुकूलन और विकल्प तैयार करने की आवश्यकता है।

❑❑❑

निबंध उद्धरण

आंदोलन एवं हड़ताल से संबंधित प्रमुख उद्धरण

- शांति का मतलब संघर्ष का अभाव नहीं है, बल्कि इसका सामना करने की क्षमता है। *–महात्मा गांधी*
- सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह। *–महात्मा गांधी*
- एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। *–सरदार वल्लभ भाई पटेल*
- आंदोलन एवं हड़ताल से हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं। *–जवाहर लाल नेहरू*
- हर सुधार आंदोलन में एक पागल पक्ष होता है। *–थियोडोर रूजवेल्ट*
- कला हमेशा और हर जगह गुप्त स्वीकारोक्ति है, और साथ ही अपने समय का अमर आंदोलन भी है। *–कार्ल मार्क्स*
- एक चीज़ जो मैंने श्रमिक आंदोलन में सीखी है वह है एकजुटता। हम चुनौतियों पर तभी विजय पा सकते हैं जब हम एक-साथ खड़े हों। *–मार्टी वाल्श*
- मेरे लिए, यह चौंकाने वाला था कि पुरुषों की एक सरकार एक ऐसे आंदोलन पर इतनी अत्यधिक अवमानना की दृष्टि से देख सकती है जो वोट के अधिकार जैसी छोटी-सी चीज़ के अलावा कुछ भी नहीं मांग रहा था। *–एलिस पॉल*
- मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ और न ही क्रांतिकारी आंदोलन। *–फिदेल कास्त्रो*
- क्रांतिकारी सिद्धांत के बिना कोई क्रांतिकारी आंदोलन नहीं हो सकता। *–व्लादिमीर लेनिन*
- मौन रहने से कभी अधिकार नहीं मिलते। वे ऊपर से नहीं आते; उन्हें नीचे से दबाव के द्वारा मजबूर किया जाता है। *–रोजर बाल्डविन*
- यदि संघर्ष नहीं है, तो प्रगति भी नहीं है। *–फ्रेडरिक डगलस*
- अगर काम ही न हो तो हड़ताल पर जाना मुश्किल है। *–लॉर्ड जॉर्ज ब्राउन*
- हड़ताल एक आरंभिक क्रांति है। कई बड़ी क्रांतियाँ एक छोटी-सी हड़ताल से ही जन्मी हैं। *–विलियम डुडले*
- कभी-कभार थोड़ा विद्रोह करना अच्छी बात है। *–थॉमस जेफरसन*
- जो लोग शांतिपूर्ण क्रांति को असंभव बनाते हैं, वे हिंसक क्रांति को अपरिहार्य बना देंगे। *–जॉन एफ. कैनेडी*
- लोहे के गर्म होने तक चोट करने का इंतज़ार मत करो, बल्कि चोट करके उसे गर्म करो। *–विलियम बटलर येट्स*
- हर ज़ोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। *–शंकर शैलेंद्र*
- मैं अपनी आवाज़ उठाती हूँ- इसलिए नहीं कि मैं चिल्ला सकूँ, बल्कि इसलिए कि जिनकी आवाज़ नहीं है उनकी आवाज़ सुनी जा सके। *–मलाला यूसुफज़ई*
- हमारे जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे बीच संघर्ष है या नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम उनका किस तरह से जवाब देते हैं। *–थॉमस क्रुम*
- जीवन में हम जिस भी संघर्ष का सामना करते हैं, वह सकारात्मक और नकारात्मक संभावनाओं से भरपूर होता है। चुनाव हमारे विरोधियों पर नहीं, बल्कि हम पर और उनका सामना करने एवं उनसे निपटने की हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। *–केनेथ क्लोक*
- जब आपके बीच कोई संघर्ष होता है, तो इसका मतलब है कि संघर्ष के प्रत्येक पक्ष पर कुछ सच्चाइयों को संबोधित किया जाना चाहिए। इसे हल करने के लिए, आपको संघर्ष के दोनों पक्षों के लोगों को शामिल करना होगा ताकि वे बातचीत कर सकें। *–डोलोरेस ह्यूर्टा*
- संघर्ष पराजय, जीवन की हानि और हमारी क्षमताओं की सीमा का कारण हो सकते हैं, लेकिन वे जीवन की अधिक गहराई और अधिक दूरगामी एकता के जन्म का कारण भी बन सकते हैं, जो उन तनावों में पनपती हैं जो उन्हें जन्म देते हैं। *–कार्ल जैस्पर्स*
- संघर्ष को रचनात्मक तरीके से संभाला जा सकता है। संघर्ष से बचना अच्छे रिश्ते की पहचान नहीं है। इसके विपरीत, यह गंभीर समस्याओं और खराब संचार का लक्षण है। *–हैरियट बी. ब्रेकर*

❑❑❑

क्विक रिवीज़न

महत्त्वपूर्ण तथ्य : एक नज़र में

- भारतीय सेना ने 'प्रोजेक्ट नमन' के पहले चरण की शुरुआत की है। यह भारत में 'स्पर्श' केंद्रित कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) स्थापित करके रक्षा पेंशनभोगियों, पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों को सहयोग व सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट नमन स्पर्श (सिस्टम फॉर पेंशन एडमिन्सट्रेशन रक्षा), डिजिटल पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग के गड्ढों की मरम्मत के लिए व्हाइट-टॉपिंग (White-Topping) तकनीक की घोषणा की है। इसमें मौजूदा बिटुमिनस (डामर) सड़कों पर हल्के रंग का पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट (PCC) का एक आवरण लगाना शामिल है। कंक्रीट का हल्का रंग प्रकाश परावर्तन को बढ़ाता है जिससे सतह कम ऊष्मा को अवशोषित करती है और शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव को कम करने में मदद करती है।
- अमेरिका में चर्च और कई दूसरी धार्मिक संस्थाएँ 501(सी-3) के तहत टैक्स से बची रहती हैं, वहीं यूरोप के कई देशों में चर्च के रजिस्टर्ड सदस्यों पर टैक्स लगाया जाता है। स्पेन उन चुनिंदा देशों में है, जहाँ चर्च की चैरिटी को किसी नॉन-प्रॉफिट संस्था की तरह देखा जाता है और एक निश्चित कर लिया जाता है।
- अल्जीरिया की क्रांति की 70वीं वर्षगाँठ के अवसर पर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने उत्तरी अफ्रीकी देश अल्जीरिया की आधिकारिक यात्रा की और दोनों देशों ने रक्षा सहयोग में ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- 4 नवंबर, 2024 को प्रसिद्ध अमेरिकी संगीतकार और निर्माता क्विंसी जोन्स का निधन हो गया।
- पाकिस्तान की सरकार ने देश के सेना प्रमुख का कार्यकाल 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने के लिए कानून में संशोधन किया है। मौजूदा पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर अगले वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले थे।
- ओडिशा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्रालय के प्रारंभिक आकलन के अनुसार, भीषण चक्रवात दाना से राज्य में करीब 600 करोड़ रुपए की सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति का नुकसान हुआ है।
- अमेरिका एवं सोमालिया के मध्य एक समझौते के तहत अमेरिका संकटग्रस्त हॉर्न ऑफ अफ्रीका राष्ट्र पर बकाया 1 बिलियन डॉलर से अधिक का ऋण माफ करेगा। यह घोषणा सोमालिया की संसद द्वारा वर्ष 2025 के लिए 1.36 बिलियन डॉलर के राष्ट्रीय बजट को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद की गई, जो अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर बहुत अधिक निर्भर है।
- भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रीय न्यायिक संग्रहालय एवं अभिलेखागार का उद्घाटन किया।
- भारत-भूटान सीमा पर असम के दर्रांगा में स्थित भूमि बंदरगाह में इमीग्रेशन चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे और असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य समारोह में शामिल हुए।
- शीर्ष भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने दोहा में आई.बी.एस.एफ. विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को 4-2 से हराकर 28वाँ विश्व खिताब जीता। यह इनका लगातार सातवाँ खिताब है।
- नई दिल्ली में आयोजित विश्व विश्वविद्यालय निशानेबाज़ी चैंपियनशिप में भारत के आकाश भारद्वाज और पलक ने क्रमश: पुरुषों एवं महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्द्धा में रजत पदक जीता। अर्शदीप कौर ने कांस्य पदक जीता है।
- भारत की 'पैराग्लाइडिंग राजधानी' के रूप में विख्यात हिमाचल प्रदेश के बीर (Bir) में 2 से 9 नवंबर, 2024 तक पैराग्लाइडिंग विश्व कप के एशियाई संस्करण का आयोजन किया गया।
- टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नए कोच जान जेलेजनी हैं। चेक गणराज्य के ये पूर्व एथलीट विश्व एवं ओलंपिक चैंपियन हैं। वह 98.48 मीटर के थ्रो के साथ विश्व रिकॉर्ड धारक भी हैं।

- जयपुर के निवासी सारंगी वादक पंडित राम नारायण का निधन हो गया है। इन्होंने सारंगी को लोक संगीत की छाया से बाहर निकालकर इसे आधुनिक संगीत वाद्ययंत्र के रूप में शास्त्रीय दर्जा प्रदान कराया। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय सड़क महासंघ ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर देश में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों पर चिंता व्यक्त की है। भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख सड़क दुर्घटनाओं में 1.5 लाख मौतें होती हैं जबकि 3 लाख लोग घायल होते हैं।
- वरिष्ठ बंगाली फिल्म अभिनेता मनोज मित्रा का निधन हो गया है।
- अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला के सी.ई.ओ. एलन मस्क एवं भारतीय-अमेरिकी उद्यमी विवेक रामास्वामी को सरकारी दक्षता विभाग या DOGE का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया है।
- अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी ने जॉन थून को सदन का नया नेता चुना है।
- इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग के लिए नए रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और दोनों देशों के 2,000 से अधिक सैनिकों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास में भी भाग लिया है।
- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अरविंदर सिंह साहनी को कंपनी का नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है।
- तीनों सेनाओं की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने अपना पहला टेबलटॉप अभ्यास 'अंतरिक्ष अभ्यास 2024' आयोजित किया है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष युद्ध के क्षेत्र में भारतीय सशस्त्र बलों की रणनीतिक तत्परता को मज़बूत करना है।
- भारत एवं दक्षिण अफ्रीका दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार महामारी-पूर्व के आँकड़ों को पार कर गया है, जो लगभग 19 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है।
- बाकू में आयोजित COP 29 में अग्रणी विकसित बैंकों ने वर्ष 2030 तक निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों के लिए जलवायु वित्तपोषण में 120 बिलियन डॉलर की सामूहिक प्रतिबद्धता की घोषणा की, जिसमें अनुकूलन प्रयासों के लिए अतिरिक्त 42 बिलियन डॉलर निर्धारित किए गए हैं।
- दक्षिण रेलवे ने पेरुमोन रेल त्रासदी की जाँच का विवरण देने से इनकार कर दिया है, जिसमें जुलाई 1988 में बैंगलोर-तिरुवनंतपुरम सेंट्रल आइलैंड एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने से कई डिब्बे केरल की अष्टमुडी झील में गिर गए थे।
- ब्लेसी द्वारा निर्देशित द गोट लाइफ (मलयालम में आदुजीविथम) फिल्म ने हॉलीवुड म्यूज़िक इन मीडिया अवार्ड्स (HMMA) 2024 में दो नामांकन जीते हैं।
- ए.आर. रहमान द्वारा कंपोज, रफीक अहमद द्वारा लिखित और जितिन राज द्वारा गाए गीत 'पेरियोने' को 'गीत-फीचर फिल्म' श्रेणी में नामांकित किया गया है।
- नई दिल्ली में तीन मूर्ति परिसर से संचालित जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि ने इस वर्ष नेहरू की 135वीं जयंती पर नेहरू अभिलेखागार शुरू करने की योजना का अनावरण किया। नेहरू अभिलेखागार का संचालन वर्ष 2025 में प्रारंभ किया जाएगा।
- केंद्र सरकार ने हिंसक गतिविधियों में संलिप्तता और भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के लिए खतरा मानकर मेघालय स्थित उग्रवादी समूह हिन्नीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (HNLC) पर पाँच वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है।
- 'ऑपरेशन कवच' पहल के तहत दिल्ली पुलिस समय-समय पर राष्ट्रीय राजधानी में अपराधियों एवं मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करती है।
- पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा राज्य की 'तरुणेर स्वप्नो योजना' के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में धोखाधड़ी के मामले में एक अंतर-राज्यीय गिरोह को गिरफ्तार किया गया है।
- फिलीपींस ने पूरे दक्षिणी चीन सागर पर चीन के दावे को खारिज करते हुए नए समुद्री कानून पारित किए हैं। फिलीपींस के नए कानून वर्ष 1979 में निर्धारित मलेशियाई सीमाओं तक अपने दावों का विस्तार करते हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है।
- वर्ष 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में भारतीय महिला 4×400 मीटर रिले टीम को स्वर्ण पदक दिलाने वाली वी.के. विस्मया का डोप परीक्षण पॉजिटिव आया है। राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी एजेंसी (नाडा) ने विस्मया के मूत्र के नमूने में क्लोमीफीन पाया है, जो हॉर्मोन एवं मेटाबोलिक मॉड्यूलेटर श्रेणी के अंतर्गत आता है।
- क्लोमीफीन एक गैर-स्टेरायडल दवा है जिसका उपयोग चिकित्सकीय रूप से महिलाओं में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

- अमेरिका एवं फिलीपींस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत अमेरिका द्वारा मनीला को प्रदान किए जाने वाले प्रमुख हथियारों से संबंधित अत्यधिक गोपनीय सैन्य खुफिया जानकारी और प्रौद्योगिकी का सुरक्षित आदान-प्रदान सुनिश्चित किया जाएगा।
- रूस ने संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया है, जिसमें सूडान की सेना एवं अर्द्धसैनिक बलों के बीच युद्ध में तत्काल युद्ध-विराम और लाखों ज़रूरतमंदों को मानवीय सहायता पहुँचाने का आह्वान किया गया था। इस प्रस्ताव को ब्रिटेन व सिएरा लियोन द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
- सत्यजीत रे की वर्ष 1955 की फिल्म पाथेर पांचाली में 'दुर्गा' की भूमिका निभाने वाली उमा दासगुप्ता का कोलकाता में निधन हो गया। पाथेर पांचाली उपन्यास की रचना वर्ष 1929 में विभूतिभूषण बंद्योपाध्याय ने की थी।
- भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा बीमा सुगम पोर्टल को मंजूरी दी गई है। इस पोर्टल का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए बीमा खरीदने की प्रक्रिया को सरल बनाना है।
- 25 अक्तूबर, 2024 को इज़रायल ने ईरान पर हवाई हमले किए जिसको 'ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेंटेंस' (Operation Days of Repentance) नाम दिया गया।
- माली के सत्तारूढ़ सैन्य जुंटा ने 21 नवंबर, 2024 को अपने प्रवक्ता अब्दुलाय मैगा को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इससे पूर्व चोगुएल मैगा को प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था।
- देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हरियाणा के सोनीपत में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी परिसर में लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला और विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया।
- हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर की आत्मकथा 'व्यू फाइंडर ए मेमॉयर' को मुंबई में लॉन्च किया गया।
- ततैयों (Wasp) में अक्षांश और शरीर के आकार जैसे पर्यावरणीय चरों के बीच सह संबंध के एक अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला है कि किसी भूमध्य रेखा के करीब गर्म क्षेत्रों में रहने वाली प्रजातियाँ उच्च अक्षांशों (कम तापमान) में रहने वाली प्रजातियों की तुलना में बड़ी होती हैं। यह निष्कर्ष इन कीटों के लिए 19वीं सदी के उस सिद्धांत का खंडन करते हैं जो उच्च अक्षांशों या ग्रह के ठंडे क्षेत्रों में बड़े शरीर के आकार की भविष्यवाणी करता है।
- नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, दूध पिलाने वाले फेरेट्स (नेवले की एक प्रजाति) में H5N1 वायरस (2.3.4.4b क्लेड) संक्रमण से स्तन में सूजन से संबंधित बीमारी होती है और दूध पीते शावकों में संक्रमण होता है, जिसके परिणामस्वरूप शावकों में 100% मृत्यु दर पाई गई है।
- अमेरिका में सरकार ने पहली बार सूअरों में H5N1 एवियन फ्लू का पता लगने की घोषणा की है। इससे एक नए स्तनधारी मेज़बान (Host) से वायरस के संक्रमण प्रसार की चिंता बढ़ गई है। मई 2022 से अब तक 23 प्रजातियों के 404 स्तनधारियों में एवियन इन्फ्लूएंज़ा के मामलों की पहचान की गई है, जिनमें बिल्लियाँ, ध्रुवीय भालू, भूरे भालू, कोयोट और रैकून शामिल हैं।
- दूरदराज़ के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा पहुँच बढ़ाने के लिए एम्स बीबीनगर, तेलंगाना में विशेष ड्रोन सेवाएँ शुरू की गई हैं।
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जन्म एवं पंजीकरण के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया।
- राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने निर्माताओं को कैंसर-रोधी तीन दवाओं 'ट्रैस्टुजुमैब', 'ओसिमर्टिनिब' एवं 'डुरवालुमैब' के अधिकतम खुदरा मूल्य को कम करने का निर्देश दिया है।
- भारत-इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति के 9वें संस्करण का आयोजन जकार्ता में किया गया।
- रेलवे ने ट्रेनों में अग्रिम आरक्षण की मौजूदा समय सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी है।
- केरल कैडर के वर्ष 1989 बैच के आई.ए.एस. अधिकारी राजेश कुमार सिंह को रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है।
- सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना नमो ड्रोन दीदी के संचालन संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2024-25 से 2025-2026 की अवधि के दौरान 14 हज़ार 500 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराना है।
- भारतीय एवं चीनी सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के डेमचोक क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर गश्त शुरू की।

- 15वाँ भारत-अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास 'वज्र प्रहार' अमेरिका के इडाहो में ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में संपन्न हुआ।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की 352वीं शासी निकाय की बैठक जेनेवा में आयोजित की गई।
- केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से नई दिल्ली में एशिया को मज़बूत बनाने में 'बुद्ध धम्म की भूमिका' थीम के साथ प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने लद्दाख के लेह में देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन शुरू किया।
- पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्द्धन सिंह ने कोलंबिया में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 16वीं बैठक (COP16) में भारत की अद्यतन राष्ट्रीय जैव-विविधता रणनीति एवं कार्य योजना का शुभारंभ किया।
- ड्यूमा बोको को बोत्सवाना का राष्ट्रपति चुना गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के सातवें सत्र का उद्‌घाटन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया।
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के अपने लक्ष्य के तहत 90 गीगावाट स्थापित सौर क्षमता हासिल कर ली है।
- इंडोनेशिया के दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित माउंट लेवोटोबी लाकी-लाकी में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण व्यापक जन हानि हुई।
- भारत श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष स्टेशन से प्रोबा-3 नामक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी मिशन लॉन्च किया। यह मिशन सूर्य की परिधि के करीब सूर्य के धुंधले कोरोना का अध्ययन करेगा।
- नीति आयोग ने जल प्रबंधन, संरक्षण एवं संधारणयता के प्रति जागरूकता व संवेदनशीलता उत्पन्न करने के लिए 15 दिवसीय 'जल उत्सव' की शुरुआत की।
- भारतीय तटरक्षक बल ने दिल्ली में 26वीं राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना बैठक की मेज़बानी की।
- भारतीय सेना ने अपनी उत्तरी कमान में 550 'अस्मी' मशीन पिस्तौलें शामिल की हैं। इस हथियार को भारतीय सेना के कर्नल प्रसाद बंसोड़ ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के साथ साझेदारी में विकसित किया है। इसका निर्माण हैदराबाद में एक भारतीय कंपनी द्वारा किया जा रहा है।
- सरकार ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पी.एम.-विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है।
- केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर दोगुना जुर्माना लगाने की घोषणा की है।
- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती नियमों को बिना सलाह के बीच में नहीं बदला जा सकता है।
- जापान में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता शिगेरू इशिबा पुनः प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं।
- ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने एक पूर्व सीनेटर और मानवाधिकार अधिकारी क्रिस इवांस को पाँच वर्ष के कार्यकाल के लिए देश का पहला गुलामी-रोधी आयुक्त (Anti-Slavery Commissioner) नियुक्त किया है।
- खराब मौसम के कारण नागपट्टिनम-कांकेसंथुराई के बीच भारत-श्रीलंका नौका सेवा को रोक दिया गया है।
- अनुरा कुमारा दिसानायके को श्रीलंका का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। वे नेशनल पीपल्स पॉवर पार्टी से संबंधित हैं। राष्ट्रपति ने शिक्षाविद् हरिनी अमरसूर्या को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। हरिनी अमरसूर्या जनता विमुक्ति पेरामुना पार्टी से संबंधित हैं। वह सिरीमावो भंडारनायके और चंद्रिका कुमारातुंगा के बाद श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं।
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के पेट्रापोल में एक यात्री टर्मिनल भवन एवं मैत्री द्वार का उद्‌घाटन किया। पेट्रापोल-बेनापोल (बांग्लादेश) सीमा बांग्लादेश सीमा पर सबसे व्यस्त भूमि बंदरगाहों में से एक है, जहाँ से दोनों देशों के मध्य लगभग 70% व्यापार होता है।
- 25 अक्तूबर, 2024 को केंद्रीय पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने G-20 महामारी निधि परियोजना का शुभारंभ किया। इसे एशियाई विकास बैंक (ADB), विश्व बैंक और खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के साथ साझेदारी में अगस्त 2026 तक लागू किया जाएगा। इस परियोजना की लागत 25 मिलियन डॉलर है, जिसका उद्देश्य भारत में पशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है।
- द कारवां के संपादक अनंत नाथ को एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। आउटलुक के पूर्व प्रधान संपादक रूबेन बनर्जी और द ट्रिब्यून के पूर्व वरिष्ठ सहयोगी संपादक के.वी. प्रसाद को क्रमशः निर्विरोध महासचिव व कोषाध्यक्ष घोषित किया गया।

- G-7 नेताओं ने यूक्रेन की सहायता के लिए 50 बिलियन डॉलर के ऋण मंजूरी को अंतिम रूप दिया। ऋण की राशि यूक्रेन पर आक्रमण के बाद ज़ब्त की गई रूस की संप्रभुता वाली संपत्तियों से प्राप्त होने वाले लाभ द्वारा समर्थित है।
- अमेरिकी विदेश विभाग ने ताइवान के लिए 2 बिलियन डॉलर के हथियार बिक्री पैकेज को मंजूरी दे दी है। इसमें उन्नत सतह-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली और रडार शामिल हैं।
- ओडिशा सरकार ने महाराष्ट्र के ताडोबा-अंधारी टाइगर रिज़र्व से एक मादा बाघ को राज्य के सबसे बड़े सिमिलिपाल टाइगर रिज़र्व में स्थानांतरित किया है। इसका उद्देश्य राज्य की बाघ आबादी की आनुवंशिक विविधता को बढ़ाना है।
- चिराग चिक्कारा कुश्ती अंडर-23 विश्व चैंपियन बनने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं।
- 21 नवंबर, 2024 को पहली बार रूस ने यूक्रेन के एक शहर पर अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) से हमला किया।
- 21 नवंबर, 2024 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और हमास के अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
- कर्नाटक वन विभाग ने बांदीपुर टाइगर रिज़र्व के मुख्य क्षेत्र में स्थित बेलदकुप्पे श्री महादेश्वरस्वामी मंदिर के वार्षिक जात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी के. संजय मूर्ति ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया है।
- केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने उद्योगपति गौतम अडानी के साथ हवाई अड्डे के विस्तार एवं ऊर्जा सौदों को रद्द कर दिया है, क्योंकि अडानी के खिलाफ अमेरिकी रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं।
- इंग्लैंड के डबल ओलंपिक चैंपियन एलिस्टेयर ब्राउनली ने ट्रायथलॉन से संन्यास लेने की घोषणा की।
- बिहार अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स (KIYG) की मेज़बानी करेगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स (KIPG) भी यहीं पर आयोजित किया जाएगा।
- राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति डी. कृष्णकुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है।
- 20 नवंबर, 2024 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) के 55वें संस्करण की शुरुआत गोवा के पणजी में हुई।
- अमेरिका जल्द ही यूक्रेन को रूसी सेना के खिलाफ अपनी सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए एंटी-पर्सनल लैंड माइंस मुहैया कराएगा।
- तालिबान अधिकारी 'गैर-इस्लामी' एवं सरकार विरोधी साहित्य को प्रचलन से हटा रहे हैं।
- 20 नवंबर, 2024 को डोनाल्ड ट्रंप ने वकील मैथ्यू व्हिटेकर को नाटो में अमेरिकी राजदूत के रूप में चुना है।
- बिहार का राजगीर वर्ष 2025 में आयोजित होने वाले पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी (हॉकी) की मेज़बानी करेगा। 27 अगस्त, 2025 से 7 सितंबर, 2025 तक होने वाला यह आयोजन वर्ष 2026 विश्व कप के लिए क्वालीफाइंग इवेंट भी होगा।
- राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक संशोधित परमाणु सिद्धांत पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत परमाणु शक्ति संपन्न देश द्वारा समर्थन प्राप्त किसी भी देश द्वारा रूस पर किया गया पारंपरिक हमला रूस पर एक संयुक्त हमला माना जाएगा।
- भारत में शहरी परिवर्तन पर एक रोडमैप के अनुसार, भारत में लगभग 46% पार्षद महिलाएँ हैं। राज्यों में तमिलनाडु में महिला पार्षदों की संख्या सर्वाधिक है। शीर्ष 10 में अन्य राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार एवं छत्तीसगढ़ हैं।
- यूक्रेन ने अमेरिका द्वारा आपूर्ति की गई लंबी दूरी की ATACMS मिसाइलों को रूसी क्षेत्र में दागा है, जो इस तरह का पहला हमला है।
- बांग्लादेश के सबसे बड़े शैक्षणिक संस्थान ढाका विश्वविद्यालय ने पाकिस्तानी छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध हटा लिया है। अब पाकिस्तानी छात्र ढाका विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकेंगे और बांग्लादेशी छात्र भी पाकिस्तान में पढ़ाई कर सकेंगे।
- 19 नवंबर, 2024 को भारत के संचार उपग्रह GSAT-N2 (GSAT-20) को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया और भूस्थैतिक स्थानांतरण कक्षा में स्थापित किया। GSAT-N2 न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड का एक Ka-बैंड उच्च थ्रूपुट संचार उपग्रह है। यह कंपनी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्यिक शाखा है।

- भारत के प्रतिस्पर्द्धा नियामक ने व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति, 2021 से संबंधित अविश्वास उल्लंघनों पर +25.4 मिलियन का जुर्माना लगाया है। मैसेजिंग एप्लीकेशन मेटा के स्वामित्व वाले अन्य अनुप्रयोगों के साथ विज्ञापन उद्देश्यों के लिए उपयोगकर्ता डाटा को पाँच वर्ष की अवधि के लिए साझा करने से परहेज़ करने का निर्देश दिया है।
- अमेरिका एवं फिलीपींस ने प्रमुख हथियारों से संबंधित अत्यंत गोपनीय सैन्य खुफिया जानकारी और प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- वर्ष 1971 के बाद से बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान का पहला सीधा मालवाहक जहाज़ हाल ही में दक्षिण-पूर्वी चटगाँव बंदरगाह पर पहुँचा है।
- डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन ब्रेंडन कैर को संघीय संचार आयोग का नेतृत्वकर्ता चुना है।
- पाकिस्तान के मौलवियों के शीर्ष निकाय ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या VPN के इस्तेमाल को इस्लामी कानूनों के खिलाफ घोषित किया है।
- अफ्रीकी पेंगुइन की संख्या में गिरावट को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) द्वारा उसे अतिसंकट ग्रस्त (Critically Endangered) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- ओमकार साल्वी को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) पुरुष टीम का बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है।
- ओडिशा सरकार एक नई पहल 'ग्रामोदय' के तहत 583 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित गाँवों की पहचान करने और उनमें अंतर को पाटने के लिए एक घरेलू सर्वेक्षण करेगी।
- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने नौसेना और गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) के साथ मिलकर पोरबंदर के तट से 700 किलोग्राम मेथमफेटामाइन ज़ब्त किया। यह कार्य ऑपरेशन सागरमंथन के भाग के रूप में संचालित किया गया, जिसे वर्ष 2024 के शुरुआत में प्रारंभ किया गया था
- बॉम्बे हाईकोर्ट के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु की नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध, चाहे सहमति से हो या नहीं, बलात्कार का अपराध है।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर में जातीय हिंसा के मद्देनज़र सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम (AFSPA) को फिर से लागू कर दिया है जो 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी रहेगा। AFSPA सशस्त्र बलों को असीमित शक्ति देता है, जिसे मणिपुर सरकार ने अप्रैल 2022 में इन क्षेत्रों से हटा लिया था।
- अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ के होस्ट पीट हेगसेथ को अपना रक्षा सचिव नियुक्त किया है।
- ब्रिटेन की सामंथा हार्वे ने अपनी पुस्तक 'ऑर्बिटल' के लिए वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है। लघु उपन्यास 'ऑर्बिटल' अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए एक दिन की कहानी है।
- 13 नवंबर, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की आधारशिला रखी।
- हिंद महासागर क्षेत्र में चल रहे सहयोग को और मज़बूत करते हुए 13 नवंबर, 2024 को भारत और अमेरिका ने पहली अमेरिकी-भारत हिंद महासागर वार्ता किया।
- कपास की बाज़ार कीमतें कम होने के कारण भारतीय कपास निगम (CCI) पाँच राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कपास की खरीद कर रहा है।
- इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया ने चार-दिवसीय संयुक्त अभ्यास 'केरिस वूमेरा (Keris Woomera)' किया। यह अभ्यास इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावा में आयोजित किया गया।
- ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर और संजीता दास ने डॉ. कर्णी सिंह रेंज में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग की मिक्स्ड एयर राइफल स्पर्द्धा में कोरियाई ह्वोबीन किम और जुन्हवान ली को हराकर स्वर्ण पदक जीता है।
- मैसूर और दुनिया के दूसरे हिस्सों में छात्रों को अष्टांग योग सिखाने वाले 53 वर्षीय आर. शरत जोइस का अमेरिका के वर्जीनिया में निधन हो गया। वे के. पट्टाभि जोइस के पोते थे, जिन्होंने अष्टांग योग को लोकप्रिय बनाया था।
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा के तट पर चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज़ मिसाइल (LRLACM) का पहला उड़ान परीक्षण किया।
- 12 नवंबर, 2024 को एयर इंडिया ने विस्तारा के साथ अपना एकीकरण और कानूनी विलय पूरा कर लिया है। एयर इंडिया के एम.डी. और सी.ई.ओ. कैंपबेल विल्सन हैं।
- डॉ. कर्णी सिंह रेंज में विश्व विश्वविद्यालय शूटिंग चैंपियनशिप में भावतेघ सिंह गिल ने साइप्रस के पेट्रोस एंगलजौडिस को हराकर स्वर्ण पदक जीता।
- आंध्र प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,94,427.25 करोड़ रुपए के परिव्यय वाला बजट पेश किया है।

- भारतीय नौसेना के जलयान तारिणी में वैश्विक जलयात्रा अभियान पर गोवा से दो महिला अधिकारी निकली हैं।
- 11 नवंबर, 2024 को स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने चेन्नई में वैश्विक भारतीयों के लिए अपने दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग केंद्र का अनावरण किया और अगले 12-18 महीनों के भीतर प्रमुख केंद्रों में और अधिक केंद्र खोलने की योजना बनाई है।
- असम में बाल श्रम व बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में मज़बूत भूमिका निभाने और स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए 'कॉमिक्स कमांडो' नामक युवाओं की एक टीम काम कर रही है।
- चीन और इंडोनेशिया ने इंडोनेशिया-चीन व्यापार मंच पर 10 बिलियन डॉलर के समझौतों पर हस्ताक्षर किए जिसमें खाद्य, नई ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
- तालिबान ने वर्ष 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज़ होने के बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (COP 29) में भाग लिया।
- 10 नवंबर, 2024 को पलक गुलिया और अमित शर्मा ने तुगलकाबाद के डॉ. कर्णी सिंह रेंज में विश्व विश्वविद्यालय शूटिंग चैंपियनशिप में हमवतन संयम और सम्राट राणा को हराकर मिश्रित एयर पिस्टल का स्वर्ण पदक जीता।
- 10 नवंबर, 2024 को भारत की अनाहत सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एन.एस.डब्ल्यू. ओपन 2024 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल स्पर्द्धा जीतकर वर्ष का अपना सातवाँ पी.एस.ए. चैलेंजर खिताब हासिल किया।
- कनाडा ने लोकप्रिय फास्ट ट्रैक स्टडी वीज़ा कार्यक्रम एस.डी.एस. को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। यह एक प्रमुख नीतिगत निर्णय है जिसका भारत सहित कई अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।
- अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विजयी अभियान की प्रबंधक सूसी विल्स को व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है। विल्स इस पद को संभालने वाली पहली महिला हैं।
- 8 नवंबर, 2024 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने 'शौर्य गाथा' परियोजना का शुभारंभ किया। यह भारत की सैन्य विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए सैन्य मामलों के विभाग और भारत के यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन की पहल है।
- 1 नवंबर, 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के पिपलाज गाँव के पास गुजरात का सबसे बड़ा अपशिष्ट-से-ऊर्जा बिजली संयंत्र का उद्घाटन किया।
- पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने एक नई योजना 'दुआरे राजपाल' की घोषणा की है, जिसके तहत वे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे और वंचित समुदायों के लोगों से संपर्क करेंगे।
- आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के लिए एक नए ट्रस्ट बोर्ड की घोषणा की है। बी. राजगोपाल नायडू को टी.टी.डी. बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
- 1 नवंबर, 2024 को प्रसिद्ध लेखक, अर्थशास्त्री और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित बिबेक देबरॉय (1955-2024) का निधन हो गया। वे वर्ष 2017 से प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष थे। देबरॉय ने भगवद्गीता, वेद, रामायण और महाभारत का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया था तथा पुराणों के अनुवाद की एक परियोजना पर भी काम कर रहे थे जो अधूरी रह गई।
- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (ICMR) ने 'विश्व में प्रथम चुनौती' (First in the World Challenge) नामक एक नई पहल की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारतीय वैज्ञानिकों को कठिन स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान खोजने के लिए अभिनव विचारों के साथ आने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा से आने वाले सिख तीर्थयात्रियों को अपने धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए पाकिस्तान में आने पर 30 मिनट के भीतर मुफ्त ऑनलाइन वीज़ा देने की बात कही है।
- कृषा वर्मा ने कोलोराडो (अमेरिका) में अंडर-19 विश्व मुक्केबाज़ी में महिलाओं की 75 किग्रा. स्पर्द्धा में स्वर्ण पदक जीता जबकि पाँच अन्य ने रजत पदक जीता है।
- आदित्य-एल1 मिशन ने अपना पहला वैज्ञानिक परिणाम भेजा है। यह सूर्य का अध्ययन करने के लिए समर्पित भारत का पहला वैज्ञानिक मिशन है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने सितंबर 2023 में लॉन्च किया था।
- भारत और न्यूज़ीलैंड के मध्य आयोजित होने वाली तीन-दिवसीय क्रिकेट टेस्ट मैच शृंखला में न्यूज़ीलैंड ने भारत को 3-0 से हराकर इतिहास रच दिया है। विगत नौ दशकों में दुनिया की किसी भी क्रिकेट टीम ने भारत में तीन या उससे अधिक मैचों की शृंखला में सभी टेस्ट नहीं जीत पाई थी।

- भारत की 16 वर्षीय अनाहत सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के कॉफ्स हार्बर में कोस्टा नॉर्थ कोस्ट ओपन महिला एकल खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में जापान की अकारी मिडोरिकावा को हराया था।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार, ₹2,000 के 98.04% बैंक नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं और केवल ₹6,970 करोड़ मूल्य के नोट अभी भी जनता के पास हैं। 19 मई, 2023 को RBI ने ₹2,000 के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) NTPC लिमिटेड और ONGC लिमिटेड ने अपनी हरित ऊर्जा सहायक कंपनियों के माध्यम से 50:50 संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन की घोषणा की है।
- ब्यूनस आयर्स में आयोजित 16वें विश्व ब्रिज ओलंपियाड में भारतीय टीम ने रजत पदक जीता है। वस्तुत: फाइनल में भारतीय टीम यू.एस.ए. से हार गई थी।
- सर्वोच्च न्यायालय की नौ जजों की संविधान पीठ ने बहुमत के फैसले में कहा कि निजी व्यक्तियों के स्वामित्व वाले प्रत्येक संसाधन को सरकार द्वारा 'सामान्य कल्याण' (Common Good) के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 'समुदाय का भौतिक संसाधन' (Material Resource of the Community) नहीं माना जा सकता है। अर्थात् सरकार व्यक्तियों के सभी निजी संसाधनों का अधिग्रहण नहीं कर सकती है। इसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1977 में रंगनाथ रेड्डी बनाम कर्नाटक राज्य मामले के अपने निर्णय को पलट दिया है।
- 5 नवंबर, 2024 को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने वर्ष 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय को खारिज कर दिया है।
- दिवंगत भारतीय उद्योगपति रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा संस के बोर्ड में नियुक्त किया गया है। अक्तूबर 2024 में नोएल को टाटा ट्रस्ट्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।
- इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया है और नए रक्षा मंत्री के तौर पर विदेश मंत्री इज़रायल कैट्ज को नियुक्त किया है।
- 5 नवंबर, 2024 को एक रूसी रॉकेट 'सोयुज' द्वारा दो रूसी आयनोस्फीयर-एम पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों और दो ईरानी उपग्रहों (कोसर व होधोद) सहित कई दर्जन छोटे उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया।
- ICC महिला वनडे रैंकिंग में स्मृति मंधाना चौथे स्थान पर और हरमनप्रीत कौर संयुक्त नौवें स्थान पर रहीं। गेंदबाज़ी सूची में दीप्ति शर्मा दूसरे स्थान पर बनी रहीं। रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड (28-28) के बाद भारत (25 अंक) तीसरे स्थान पर है।
- भारतीय पेशेवर मुक्केबाज़ मंदीप जांगड़ा ने केमैन आइलैंड्स में आयोजित विश्व मुक्केबाज़ी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीत लिया है।
- मैक्स एमिलियन वेरस्टैपेन ने ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। वेरस्टैपेन एक डच और बेल्जियम रेसिंग ड्राइवर हैं, जो वर्तमान में रेड बुल रेसिंग के लिए फॉर्मूला वन में डच ध्वज के तहत प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं।
- उषा वेंस अमेरिका की भारतीय मूल की पहली 'द्वितीय महिला' (Second Lady) बनने जा रही हैं। उषा वेंस ट्रंप सरकार के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस की पत्नी हैं और उनकी जड़ें भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से जुड़ी हैं।
- वर्ष 2024 के चुनाव में छह भारतीय अमेरिकियों ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए चुनाव जीता है। ये सभी डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। इनके नाम हैं- सुहास सुब्रमण्यम (पहली बार), डॉ अमी बेरा, रो खन्ना, प्रमिला जयपाल, राजा कृष्णमूर्ति और श्री थानेदार।
- ओडिशा के सामाजिक कार्यकर्ता अनिल प्रधान ने ग्रामीण विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार जीता है।
- 6 नवंबर, 2024 को आई.सी.सी. टेस्ट बल्लेबाज़ों की रैंकिंग में शीर्ष 10 में शामिल भारतीय हैं- बल्लेबाज़ों की सूची में यशस्वी जायसवाल (चौथे स्थान पर) और ऋषभ पंत (छठे स्थान पर) और गेंदबाज़ों में जसप्रीत बुमराह (तीसरे स्थान पर), रविचंद्रन अश्विन (पाँचवे स्थान पर) रवींद्र जडेजा (छठे स्थान पर) हैं।

❑❑❑

मानचित्र अध्ययन

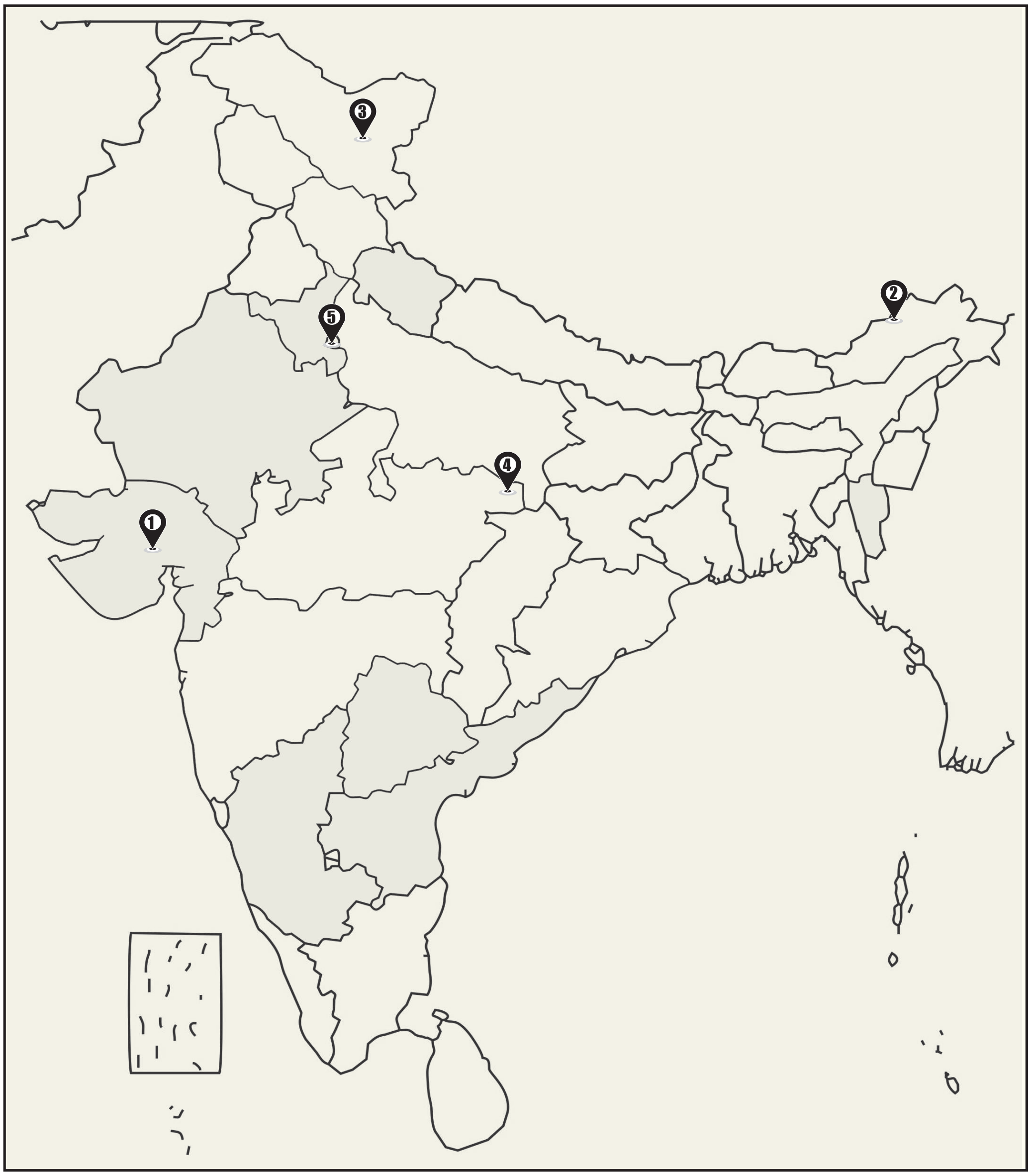

मानचित्र-1 (भारत)

1. वह राज्य जो हाल ही में सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
2. वह ज़िला जहाँ पर हाल ही में केंद्र सरकार ने 240 मेगावाट की हीओ जल-विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की है।
3. वह शहर जहाँ पर हाल ही में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया है।
4. वह ज़िला जहाँ पर अवस्थित विंध्याचल संयंत्र में हाल ही में 'राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (NTPC)' ने दुनिया के पहले CO_2 कैप्चर संयंत्र और CO_2-से-मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र का उद्घाटन किया।
5. वह शहर जहाँ पर हाल ही में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा किया गया।

(इस मानचित्र के उत्तर पृष्ठ संख्या 161 पर देखें)

मानचित्र अध्ययन

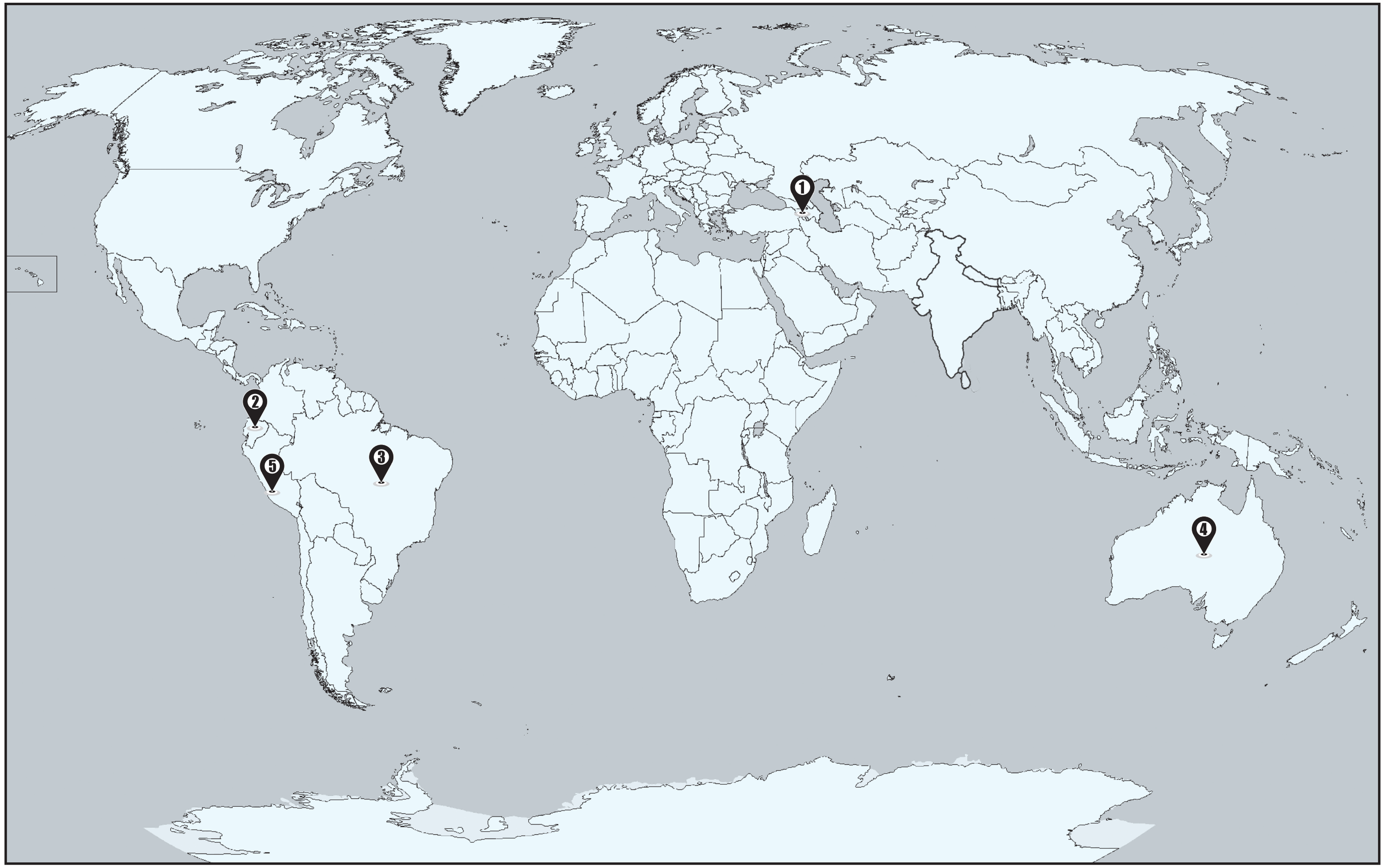

मानचित्र–2 (विश्व)

1. वह देश जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में 104वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है।
2. वह देश जहाँ पर भीषण सूखे और जंगल में लगी आग के कारण हाल ही में जल आपातकाल घोषित किया गया।
3. वह देश जहाँ पर हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन, 2024 का आयोजन किया गया।
4. वह देश जिसने हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से कानून निर्माण की घोषणा की है।
5. वह देश जहाँ पर हाल ही में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) मंच की वार्षिक बैठक नवंबर 2024 में आयोजित की गई।

(इस मानचित्र के उत्तर पृष्ठ संख्या 161 पर देखें)

करेंट अफेयर्स आधारित अभ्यास प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा आधारित प्रश्न

1. हाल ही में इसरो द्वारा भारत का पहला अंतर्ग्रहीय 'एनालॉग' अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू किया गया?

(a) लद्दाख (b) कर्नाटक
(c) जम्मू एवं कश्मीर (d) हिमाचल प्रदेश

2. कोरल त्रिभुज के संदर्भ में, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए :

1. इंडोनेशिया
2. मलेशिया
3. पापुआ न्यू गिनी
4. फिलीपींस
5. सोलोमन द्वीप
6. तिमोर-लेस्ते

उपर्युक्त में से कितने देशों में कोरल त्रिभुज का विस्तार है?

(a) केवल तीन (b) केवल चार
(c) केवल पाँच (d) सभी छह

3. हाल ही में 'वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट' द्वारा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के संदर्भ में जारी 'रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, 2024' में भारत का कौन-सा स्थान है?

(a) 79वाँ (b) 82वाँ
(c) 85वाँ (d) 91वाँ

4. हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण खबरों में रहा 'माउंट लेवोटोबी लाकी-लाकी' निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है?

(a) मलेशिया (b) इंडोनेशिया
(c) फिलीपींस (d) जापान

5. थाडौ समुदाय के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह समुदाय मणिपुर की सबसे पुरानी और सबसे विशाल गैर-नागा जनजातियों में से एक है।
2. इस समुदाय को एक स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।
3. इनका विस्तार मुख्यत: पूर्वोत्तर भारत, म्याँमार, बांग्लादेश में पाया जाता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

6. केंद्रीय हिंदी समिति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा प्रगामी प्रयोग के संबंध में दिशा-निर्देश देने वाली सर्वोच्च समिति है।
2. इसके सदस्यों में केंद्रीय मंत्री व मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं।
3. इस समिति का कार्यकाल सामान्यत: पाँच वर्ष का होता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

7. हाल ही में अप्रत्याशित हिमपात (Snowfall) के कारण खबरों में रहा 'अल-जौफ' (Al-Jawf) क्षेत्र का संबंध, निम्नलिखित में से किस देश से है?

(a) यमन (b) ईरान
(c) इज़रायल (d) सऊदी अरब

8. श्री अन्न (बाजरा) उत्पादन के संदर्भ में, निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम क्या है?

(a) भारत > नाइजर > चीन > नाइजीरिया
(b) चीन > भारत > नाइजर > नाइजीरिया
(c) नाइजर > भारत > नाइजीरिया > चीन
(d) नाइजीरिया > भारत > चीन > नाइजर

9. कण त्वरक के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. कण त्वरकों में, उप-परमाणु कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं।
2. इनका उपयोग थोरियम को यूरेनियम-233 (U-233) में बदलने के लिए किया जाता है
3. साइक्लोट्रॉन एवं सिंक्रोट्रॉन भारत में उपलब्ध कण त्वरक हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

10. भारत ब्रांड योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. हाल ही में भारत ब्रांड योजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया है।
2. इसके पहले चरण की शुरुआत वर्ष 2022 में की गई थी।
3. इस योजना के अंतर्गत सरकार 'भारत ब्रांड' लेबल के अंतर्गत मध्यम वर्ग को रियायती मूल्य पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध करवाती है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

11. व्यक्तिगत स्वायत्तता एवं गोपनीयता को निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समाहित किया गया है?

(a) अनुच्छेद 14 (b) अनुच्छेद 19
(c) अनुच्छेद 21 (d) अनुच्छेद 28

12. हाल ही में चर्चा में रहा 'गैस्ट्रोडिया लोहितेंसिस' का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

(a) आर्किड की प्रजाति (b) लाल चंदन की प्रजाति
(c) कछुए की प्रजाति (d) ड्रेगन फ्लाई की प्रजाति

13. अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

(a) चुनाव प्रक्रिया प्राइमरी एवं कॉकस से शुरू होती है, जिसमें प्रत्येक राज्य में प्रत्येक पार्टी के लिए अलग-अलग चुनाव होता है।
(b) अमेरिकी संविधान के अनुसार, कांग्रेस का सदस्य या किसी ट्रस्ट या लाभ का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकता है।
(c) अमेरिका में प्रत्येक राज्य में लोग अपने पसंदीदा राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए प्रत्यक्ष रूप से वोट करते हैं।
(d) आम चुनाव में आधे से अधिक (270) निर्वाचक मत (Electoral Vote) प्राप्त करने वाला उम्मीदवार अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है।

14. हाल ही में समाचारों में रहा 'TOI-6651b', निम्नलिखित में से क्या है?

(a) सौरमंडल के बाहर एक नया ग्रह
(b) आर्किड की नई दुर्लभ प्रजाति
(c) WHO द्वारा पारित एक प्रस्ताव
(d) नौसेना में शामिल की गई एक नई पनडुब्बी

15. हाल ही में महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में खोजी गई 'ब्रायोस्पिलस भरतिकस' (Bryospilus Bharaticus), निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है?

(a) जलपिस्सू (b) जम्पिंग स्पाइडर
(c) तितली (d) सर्प

16. पी.एम.-विद्यालक्ष्मी योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के प्रावधानों से प्रेरित एक पहल है।
2. इस योजना के तहत विद्यार्थी ट्यूशन फीस, पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से गिरवीमुक्त एवं गारंटरमुक्त ऋण प्राप्त करने का पात्र होगा।
3. यह योजना केवल एन.आई.आर.एफ. (NIRF) रैंकिंग द्वारा निर्धारित देश के शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू होगी।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

17. विकिमीडिया फाउंडेशन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. एक वैश्विक गैर-लाभकारी संगठन है। जिसका उद्देश्य ज्ञान को सभी के लिए नि:शुल्क और सुलभ बनाना है।
2. इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को (अमेरिका) में स्थित है।
3. यह अमेरिकी सरकार के अनुदान द्वारा वित्तपोषित होता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

18. ऑस्टियोपोरोसिस के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो हड्डियों को कमज़ोर बनाती है जिससे हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है।
2. ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हड्डियाँ पुन: विकसित होने और स्वयं को पुन: निर्मित करने की क्षमता खो देती हैं।
3. ऑस्टियोपोरोसिस में अन्य स्वास्थ्य स्थितियों की तरह किसी प्रकार के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

19. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. संविधान का अनुच्छेद 30(1) भाषायी एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।
2. यह एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है।
3. इसे कार्यों के निर्वहन के लिए सिविल और क्रिमिनल कोर्ट दोनों की शक्तियाँ प्राप्त हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही **नहीं** हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

20. ज़ांबिया-भारत संयुक्त स्थायी आयोग के छठे सत्र का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है?

(a) कितवे
(b) लुसाका
(c) नई दिल्ली
(d) बेंगलुरु

21. हाशिमोटो रोग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह एक प्रकार का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली थायरॉयड ग्रंथि पर हमला करने लगती है।
2. इसे 'क्रोनिक लिम्फोसाईटिक थायरायडाइटिस' के नाम से भी जाना जाता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

22. उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. इसका गठन उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2004 के तहत वर्ष 2004 में किया गया था।
2. महिलाओं के विकास, कल्याण एवं अधिकारों के लिए गठित यह एक अर्द्ध-न्यायिक वैधानिक निकाय है।
3. इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सभी सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष होता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

23. हाल ही में युवाओं के मानसिक कल्याण की सुरक्षा के लिए किस देश की सरकार ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों (किशोर) के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से कानून निर्माण की घोषणा की है?

(a) ऑस्ट्रेलिया (b) डेनमार्क
(c) ब्रिटेन (d) जापान

24. हाल ही में बेंगलुरु की पहली 'डिजिटल जनसंख्या घड़ी' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान (ISEC) और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई एक परियोजना है।
2. इसकी स्थापना देश की जनसंख्या वृद्धि के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और शोधकर्ताओं एवं विद्वानों के लिए प्रामाणिक डाटा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है।
3. यह घड़ी प्रत्येक एक मिनट एवं 10 सेकंड (1.10 मिनट) में कर्नाटक की अनुमानित जनसंख्या और हर दो सेकंड में देश की जनसंख्या को अपडेट करेगी।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

25. निम्नलिखित में से किसका संबंध साइबर अपराध से **नहीं** है?

(a) मैलवेयर प्रसार (Malware Proliferation)
(b) वेबसाइट घुसपैठ (Website Intrusion)
(c) रैनसमवेयर (Ransomware)
(d) हंशिंग (Hushing)

26. पिनाका रॉकेट प्रणाली के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह एक मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है जो कई तरह के लक्ष्यों पर भारी मात्रा में हमला करने में सक्षम है।
2. यह त्वरित तैनाती एवं पुनःस्थापन के लिए स्वचालित लेवलिंग व स्थिरीकरण की क्षमता से युक्त है।
3. यह भारत के रक्षा क्षेत्र में पहली सार्वजनिक-निजी भागीदारी वाली प्रणाली है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

27. डिक्लिप्टेरा पॉलीमोर्फा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह पुष्प की एक विशिष्ट प्रजाति है जिसकी खोज हाल ही में पूर्वी घाट में की गई।
2. यह प्रजाति अग्निरोधी प्रकृति और असामान्य दोहरे खिलने वाली (Unusual Double Bloom) विशेषता के लिए जानी जाती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

28. बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले में विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच अवस्थित है।
2. इसे वर्ष 1968 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था।
3. इस क्षेत्र में साल वन, मिश्रित वन और घास के विस्तृत मैदान पाए जाते हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

29. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों के परामर्श एवं निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के अनुसार नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है।
2. संविधान, मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल की निश्चित पदावधि का प्रावधान करता है।
3. अनुच्छेद 124(4) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

30. निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए :

1. भारत 2. ईरान
3. मालदीव 4. नेपाल
5. सउदी अरब 6. श्रीलंका

उपर्युक्त में से कितने देश दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद् (SATRC) के सदस्य हैं?

(a) केवल तीन (b) केवल चार
(c) केवल पाँच (d) सभी छह

31. हाल ही में विवादों के कारण खबरों में रहा 'स्कारबोरो शोल' (Scarborough Shoal) का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है?

(a) भूमध्य सागर
(b) कैस्पियन सागर
(c) दक्षिणी चीन सागर
(d) पूर्वी जापान सागर

32. जलवायु परिवर्तन पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP29) सम्मेलन का आयोजन, निम्नलिखित में से किस देश में किया जा रहा है?

(a) अज़रबैजान (b) किर्गिस्तान
(c) कज़ाखस्तान (d) संयुक्त अरब अमीरात

33. हाल ही में आयोजित पहले 'अंतरिक्ष अभ्यास-2024' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. इसका आयोजन एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है।
2. इसका उद्देश्य विभिन्न हितधारकों के बीच अंतरिक्ष-आधारित परिसंपत्तियों एवं सेवाओं की बेहतर समझ प्रदान करना है।
3. इसमें तीनों सेनाओं के कर्मियों के साथ-साथ रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी तथा इसकी संबद्ध इकाइयों के प्रतिभागी भी शामिल हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

34. कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों के विनियमन संबंधी दिशा-निर्देश, 2024 के संदर्भ में, निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

1. कोचिंग संस्थानों द्वारा संबंधित प्रस्तावित पाठ्यक्रम, उनकी अवधि, फैकल्टी की योग्यता आदि संबंधी झूठे दावों पर रोक।
2. कोचिंग संस्थानों द्वारा उनके बुनियादी ढाँचे, संसाधनों एवं सुविधाओं का सही विवरण प्रस्तुत करना।
3. कोचिंग क्षेत्र में कार्यरत किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रचार के लिए सामान्य रणनीति का प्रयोग निर्धारित करना।
4. प्रत्येक कोचिंग संस्थाओं को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) के साथ अभिसरण करना।

दिशा-निर्देशों के संदर्भ में उपर्युक्त में से कितने प्रावधान सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) सभी चार

35. 'आश्रय का अधिकार', निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है?

(a) अनुच्छेद 19 (b) अनुच्छेद 20
(c) अनुच्छेद 21 (d) अनुच्छेद 22

36. CO_2-से-मेथनॉल संयंत्र के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. इस संयंत्र में कैप्चर किए गए CO_2 को मेथनॉल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में हाइड्रोजन के स्रोत महत्त्वपूर्ण हैं।
2. यह संयंत्र अपशिष्ट CO_2 को एक उपयोगी उत्पाद में बदलकर कार्बन न्यूनीकरण में मदद करता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

37. हाल ही में किस देश द्वारा दमन के पीड़ितों को समर्पित 'गुलाग इतिहास संग्रहालय' (Gulag History Museum) को बंद करने का निर्णय लिया गया है?

(a) स्पेन (b) इटली
(c) रूस (d) पाकिस्तान

38. 'जनजातीय गौरव दिवस' प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है?

(a) 5 नवंबर (b) 9 नवंबर
(c) 15 नवंबर (d) 25 नवंबर

39. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. FK-4000 अमेरिका द्वारा विकसित एक नवीन वायु रक्षा प्रणाली है।
2. इसमें उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव (HPM) का उपयोग किया जाता है।
3. माइक्रोवेव हथियारों का प्रदर्शन वायुमंडलीय घटनाओं से प्रभावित नहीं होता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

40. हाल ही में किस देश द्वारा भारत के प्रतिभाशाली युवाओं को कुछ समय के लिए कार्य करने की स्वीकृति प्रदान करने के लिए 'मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली-प्रोफेशनल्स स्कीम (MATES)' नामक एक नई योजना प्रारंभ की गई है?

(a) ऑस्ट्रेलिया
(b) जापान
(c) ब्रिटेन
(d) मेक्सिको

41. भारत-जापान यूनिकॉर्न मस्तूल समझौते के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेना की दक्षता को बढ़ाना है।
2. इस यूनिकॉर्न मस्तूल को भारत में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा जापान के सहयोग से विकसित किया जाएगा।
3. संचार के क्षेत्र में यूनिकॉर्न (UNICORN) का अर्थ 'यूनिकॉर्न यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना' है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

42. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए :

	(तिथि)		(महत्त्वपूर्ण दिवस)
1.	11 नवंबर	:	राष्ट्रीय शिक्षा दिवस
2.	14 नवंबर	:	विश्व मधुमेह दिवस
3.	16 नवंबर	:	अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस
4.	25 नवंबर	:	राष्ट्रीय दुग्ध दिवस

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) सभी चार

43. एफ.आई.एच. हॉकी स्टार अवाड्र्स-2024 के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए :

1. सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी - यिब्बी जानसेन (नीदरलैंड्स)
2. सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी - पी. आर. श्रीजेश (भारत)
3. सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर - हरमनप्रीत सिंह (भारत)
4. सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर - ये जिआओ (चीन)

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) सभी चार

44. वर्ष 2024 में होने वाले सम्मेलन के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए :

	(सम्मेलन)	(आयोजन स्थल)
1.	जी-20 शिखर सम्मेलन	- रियो डी जेनेरियो (ब्राज़ील)
2.	एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन	- नई दिल्ली (भारत)
3.	एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन	- वियतनाम
4.	सागरमंथन	- नई दिल्ली

उपर्युक्त में कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) सभी चार

45. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए :

(पुस्तक)	(लेखक)
1. स्पीकिंग विद नेचर	रामचंद्र गुहा
2. व्हाई भारत मैटर्स	डॉ. एस. जयशंकर
3. द कौर्स ऑफ 1984	सनम सुतिरथ वजीर
4. द ब्लैक ऑर्फन	एस. हुसैन ज़ैदी

उपर्युक्त में कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) सभी चार

46. जी-20 शिखर सम्मेलन, 2024 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह ब्राज़ील में आयोजित होने वाला पहला जी-20 शिखर सम्मेलन है।
2. इस वर्ष सम्मेलन की थीम 'एक न्यायसंगत विश्व एवं एक संधारणीय ग्रह का निर्माण' है।
3. सम्मेलन में जलवायु वित्तपोषण को मज़बूत करने के लिए वैश्विक जलवायु परिवर्तन कार्यबल की शुरुआत की गई।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

47. हाल ही में जर्मनवाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है?

(a) 8वीं (b) 9वीं
(c) 10वीं (d) 12वीं

48. 'हो' जनजातीय भाषा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषा परिवार की एक मुंडा भाषा है।
2. इसे प्रमुख रूप से वारंग क्षिति लिपि का उपयोग करके लिखा जाता है।
3. यह संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

49. हाल ही में किस देश द्वारा अपनी परमाणु नीति में परिवर्तनों को मंज़ूरी दी गई है?

(a) चीन (b) ईरान
(c) भारत (d) रूस

50. प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाए जाने वाले 'संविधान दिवस' की शुरुआत किस वर्ष की गई?

(a) 2013 (b) 2015
(c) 2018 (d) 2020

प्रारंभिक परीक्षा आधारित प्रश्नों के उत्तर

1	(a)	2	(d)	3	(a)	4	(b)	5	(c)	6	(b)	7	(d)	8	(a)	9	(c)	10	(b)
11	(c)	12	(a)	13	(c)	14	(a)	15	(a)	16	(c)	17	(b)	18	(c)	19	(a)	20	(b)
21	(c)	22	(b)	23	(a)	24	(c)	25	(d)	26	(c)	27	(b)	28	(b)	29	(b)	30	(c)
31	(c)	32	(a)	33	(c)	34	(d)	35	(c)	36	(c)	37	(c)	38	(c)	39	(b)	40	(a)
41	(c)	42	(c)	43	(b)	44	(c)	45	(d)	46	(c)	47	(c)	48	(b)	49	(d)	50	(b)

मानचित्र अध्ययन (पृष्ठ संख्या 154 & 155) के उत्तर

मानचित्र-1 (भारत)

1. गुजरात
2. शि योमी ज़िला (अरुणाचल प्रदेश)
3. लेह
4. सिंगरौली (मध्य प्रदेश)
5. नई दिल्ली

मानचित्र-2 (विश्व)

1. आर्मेनिया
2. इक्वाडोर
3. ब्राज़ील
4. ऑस्ट्रेलिया
5. पेरू

मुख्य परीक्षा आधारित प्रश्न

1. राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में विभिन्न अंतर विद्यमान हैं। राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया के संदर्भ में इन अंतर के बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए।
2. केरल उच्च न्यायालय द्वारा महिलाओं की निजता के अधिकार एवं सार्वजनिक स्थलों पर उनके प्रति किए गए व्यवहार से संबंधित हालिया निर्णयों के संदर्भ में भारत में महिलाओं की निजता के अधिकार की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए।
3. भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30% हिस्सा भूमि क्षरण की समस्या से ग्रसित है। ऐसे में क्या यूरोपीय संघ प्रकृति पुनर्स्थापन कानून भारत के लिए एक मॉडल कानून हो सकता है?
4. फ्लैश फ्लड की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। भारत के संदर्भ में इसके प्रभावों को कम करने के लिए किस प्रकार की रणनीति अपनाई जा सकती है?
5. भारत सरकार द्वारा मत्स्यपालन क्षेत्र को समग्र रूप से रूपांतरित करने और देश में नीली क्रांति के माध्यम से आर्थिक सुधार एवं समृद्धि के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में मत्स्यपालन में ड्रोन प्रौद्योगिकी किस प्रकार महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है?
6. भारतीय शहरों के सतत् विकास एवं प्रबंधन से संबंधित मुख्य डाटा संग्रह व समन्वय जैसी समस्याओं के समाधान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) किस प्रकार सहायक हो सकती है?
7. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करते हुए उनके अधिकारों और कर्तव्यों को विस्तार से बताइए।
8. 'वन डे वन जीनोम' पहल के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं की चर्चा भी कीजिए।
9. उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा एवं कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों के मुद्दे को हल करने एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) द्वारा जारी व्यापक दिशा-निर्देशों के विभिन्न प्रावधानों की चर्चा कीजिए।
10. भारत जैसे देश में सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता के विभिन्न तर्क व आधारों एवं महत्त्व की चर्चा कीजिए।
11. 'केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की 81 नदियों और उसकी सहायक जलधाराओं में एक या उससे अधिक हानिकारक धातुओं (Heavy Metals) का स्तर बहुत अधिक पाया गया है' उपरोक्त कथन के संदर्भ में नदियों में भारी धातुओं के स्रोतों एवं उनसे होने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए। यह भी बताइए कि इस प्रकार के संदूषण को कम करने के लिए कौन-से उपाय किए जा सकते हैं?
12. स्वतंत्र इच्छा की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। साथ ही, यह भी बताइए कि नैतिकता के निर्धारण में स्वतंत्र इच्छा क्यों आवश्यक है?
13. भारत का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र अनुकूल भूमि-मानव अनुपात, समृद्ध संसाधन संपदा और वृद्धि एवं विकास की उच्च क्षमता के बावजूद पिछड़ा हुआ है। ऐसे में इस क्षेत्र के लिए एक आर्थिक रोडमैप क्या हो सकता है?
14. 'एक न्यायसंगत विश्व एवं एक संधारणीय ग्रह का निर्माण' विषयवस्तु पर आधारित G-20 शिखर सम्मेलन 2024 के 'रियो घोषणा-पत्र' के प्रमुख निष्कर्षों की चर्चा कीजिए।
15. भारत का मत्स्यपालन क्षेत्र न केवल लगभग 30 मिलियन लोगों की आजीविका का समर्थन करता है बल्कि इसमें विकास, रोज़गार सृजन एवं ग्रामीण विकास की अपार संभावनाएँ भी हैं। ऐसे में इस क्षेत्र के महत्त्व को रेखांकित करते हुए भारत सरकार द्वारा मत्स्यपालन को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं?
16. 'नमामि गंगे कार्यक्रम' के प्रमुख उद्देश्यों और उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। साथ ही, इसके संदर्भ में विभिन्न चुनौतियों का भी उल्लेख कीजिए।
17. भारत का अनौपचारिक क्षेत्र आर्थिक गतिशीलता को आकार देने के साथ आजीविका एवं समग्र आर्थिक विकास में योगदान देने बावजूद अनेक चुनौतियों का सामना करता है। इस संदर्भ में उन चुनौतियों की पहचान कीजिए जो इस क्षेत्र के विकास को बाधित करती हैं। साथ ही इन चुनौतियों के समाधान के लिए किस प्रकार के कदम उठाए जाने की आवश्यकता है?
18. सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में भारतीय संविधान की भूमिका स्पष्ट कीजिए।
19. स्वास्थ्य समानता की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके महत्त्व की चर्चा कीजिए। साथ ही, इस दिशा में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का भी उल्लेख कीजिए।
20. बाकू में आयोजित 29वें वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन (COP 29) के परिणामों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। COP 29 में हुए प्रमुख समझौतों, विकासशील देशों के लिए उनके निहितार्थों पर चर्चा कीजिए और जलवायु परिवर्तन चुनौतियों से निपटने में बहुपक्षीय सहयोग की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए।

❑❑❑

संस्कृति IAS

जहाँ एक नहीं, हर शिक्षक है श्रेष्ठ

देश में हिंदी माध्यम से
सामान्य अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ टीम

सामान्य अध्ययन

फाउंडेशन कोर्स (प्रिलिम्स + मेन्स)

प्रत्येक माह में नया बैच आरंभ

हाइब्रिड कोर्स
ऑफलाइन + ऑनलाइन

SPECIAL OFFER
9555 124 124

दिल्ली एवं प्रयागराज

इतिहास वैकल्पिक विषय
द्वारा- श्री अखिल मूर्ति

वैकल्पिक विषय
कार्यक्रम विशेषताएँ
- मानचित्र द्वारा अध्ययन के लिए वैज्ञानिक प्रविधि का प्रयोग
- क्लास के तुरंत बाद प्रत्येक विद्यार्थी की विषय संबंधी शंकाओं का निवारण
- प्रत्येक विद्यार्थी की पर्सनल मेंटरिंग व टेस्ट का मूल्यांकन फैकल्टी द्वारा
- मुख्य परीक्षा में पूछे गए विगत 25 वर्षों के प्रश्नों का उत्तर लेखन अभ्यास

भूगोल वैकल्पिक विषय
द्वारा- श्री कुमार गौरव

GS EXTENSIVE COURSE Prelims + Mains
- लगभग 650 कक्षाओं का एक्स्टेंसिव स्टडी प्रोग्राम
- AI द्वारा समर्थित अध्यापन प्रविधि का प्रयोग
- प्रत्येक टॉपिक का बेसिक से एडवांस लेवल तक कवरेज

INDIVIDUAL MENTORING
- शॉर्ट नोट्स और सिनॉप्सिस बनाने का प्रशिक्षण
- उत्तर लेखन में सुधार के लिए पर्सनल गाइडेंस
- स्टडी इम्प्रूवमेंट के लिए वन-टू-वन सेशन

PGP 2025
PRELIMS GUIDANCE Programme
- प्रत्येक टॉपिक के लिए महत्त्वपूर्ण करेंट अफेयर्स सिनॉप्सिस
- विगत 13 वर्षों के PYQs में पैटर्न के अनुरूप संपूर्ण पाठ्यक्रम का रिवीज़न

PCS COURSES
UPPCS फाउंडेशन कोर्स
BPSC फाउंडेशन कोर्स
MPPCS फाउंडेशन कोर्स
RAS फाउंडेशन कोर्स
UP-RO/ARO

MMP 2024
MAINS MENTORSHIP Programme
- संस्कृति IAS की कोर फैकल्टी द्वारा Daily पर्सनल मेंटरिंग की सुविधा
- चारों प्रश्नपत्रों पर आधारित 70 टेस्ट का Intensive Test Programme

IGP 2024
INTERVIEW GUIDANCE Programme
- एक्सपर्ट के साथ वन-टू-वन सेशन
- DAF एनालिसिस एक्सपर्ट के साथ सीधा संवाद
- इंटरव्यू पैनल द्वारा मॉक इंटरव्यू सेशन्स

CSAT COURSE
- गणित और रीज़निंग का बेसिक से एडवांस लेवल तक Step-by-Step अध्यापन
- कॉम्प्रिहेंशन के प्रश्नों को सटीक और त्वरित ढंग से हल करने के लिए डायनमिक मेथडलॉजी

Mode of Courses
Hybrid Course
Offline Classroom & Online Live Stream
Offline Classroom
Online Live Stream
3 साल तक Mobile App पर वीडियो लैक्चर देखने की सुविधा

NCERT COURSE
- प्रत्येक विषय की कक्षा 6 से 12 तक की NCERT पर कक्षानुसार लैक्चर
- NCERT पर आधारित प्रिलिम्स और मेन्स के प्रश्नों पर चर्चा

QAD PROGRAMME
- GS के सभी टॉपिक्स के विगत वर्षों के PYQs पर विस्तृत प्रश्नोत्तर चर्चा
- प्रिलिम्स परीक्षा में जटिल प्रश्नों को सुगमता से हल करने में सक्षम बनाना

CURRENT AFFAIRS Programme
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के समसामयिक घटनाक्रमों का विस्तृत कवरेज
- फैकल्टी द्वारा समसामयिक घटनाक्रमों का विषयवार डिस्कशन

क्लास स्टूडेंट्स के लिए 24×7 लाइब्रेरी
24 7

हेड ऑफिस: 636, भू-तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
प्रयागराज केंद्र: महाराणा प्रताप चौराहा, स्टैनली रोड, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, उ.प्र.
sanskritiias.com

संस्कृति IAS

जहाँ एक नहीं, हर शिक्षक है श्रेष्ठ

देश में हिंदी माध्यम से
सामान्य अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ टीम

मुखर्जी नगर ही रहेगा, UPSC का हब

संस्कृति IAS के मुखर्जी नगर केंद्र पर
सभी सुरक्षा मानकों के साथ ऑफलाइन क्लास आरंभ

सामान्य अध्ययन

फाउंडेशन कोर्स (प्रिलिम्स + मेन्स)

निःशुल्क कार्यशाला

9 Dec., 11:30AM

द्वारा : **श्री अखिल मूर्ति**

Mode of Courses

Offline Classroom

Online Live Stream
3 साल तक Mobile App पर वीडियो लैक्चर देखने की सुविधा

Hybrid Course
Offline Classroom & Online Live Stream

हेड ऑफिस: 636, भू-तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
प्रयागराज केंद्र: महाराणा प्रताप चौराहा, स्टैनली रोड, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, उ.प्र.

9555 124 124
sanskritiIAS.com

Follows us: YouTube